एकादश माला, खंड 3, अंक 2

गुरूवार, 11 जुलाई, 1996
20 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PA[illegible] [illegible]RARY
No 55
Da[illegible] 16.1.97

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक ।। जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची(।)	15	की प्रशस्ति कीमतों में	के प्रशंसित मूल्यों में
•	नीचे से 10	हाल की में	हाल ही में
51	21 के अंत में "और" का लोप करें तथा " क्या इस प्रयोजन ..... प्रस्ताव है , और " को भाग (छ) के रूप में पढ़िए ।		
78	23	(श्री श्रीकान्त कुमार जेना)	(श्री श्रीकान्त जेना)
99	नीचे से 12	डा॰ रमेश चन्द्र तोमर	डा॰ रमेश चन्द तोमर
126	17	(क) (ख) और (ग)	(क) से (ग)
172	20	श्री बासुदेव आचार्य	श्री बसुदेव आचार्य
176	3	व्यवतव्य	वक्तव्य
177	9	की कीमतों	के प्रशंसित मूल्यों
191	नीचे से 7	बदले जाने	बदलने
194	6	श्री शिम्भर प्रसाद निषाद	श्री विशम्भर पसाद निषाद
195	15	अपराह्न 2·55 1/2 बजे	अपराह्न 2·56 1/2 बजे

सम्पादक मण्डल

श्री सुरेन्द्र मिश्र
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 2, गुरूवार, 11 जुलाई, 1996/20 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	21, 24, 27 और 25	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	22, 23, 26 और 28 से 40	22—46
अतारांकित प्रश्न संख्या	201 से 267	
	269 से 306	46—156
सभा पटल पर रखे गए पत्र		156—157
कार्य मंत्रणा समिति		
पहला प्रतिवेदन—प्रस्तुत		158
समिति के लिए निर्वाचन		
कर्मचारी राज्य बीमा निगम		159
पैट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित कीमतों में वृद्धि के बारे में		159—175,177—179
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
भूंतर हवाई अड्डे के निकट कांडी में हुई विमान दुर्घटना		
श्री सी.एम. इब्राहिम		176
नियम 377 के अधीन मामले		191—194
(एक) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रामघाट रोड पर बने रेलवे गेट पर एक भूमिगत पैदल पारपथ के निर्माण की आवश्यकता		
श्रीमती शीला गौतम		191
(दो) भावनगर –तारापुर रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता		
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा		191—192
(तीन) आंध्र प्रदेश में हाल की में आए तूफान से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी		192—193
(चार) गोरखपुर–गौंडा रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता		
श्री ब्रज भूषण तिवारी		193
(पांच) सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह		193—194
(छः) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जल निकास प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता		
श्री बिशम्भर प्रसाद निषाद		194

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) मुंगेर, बिहार में गंगा नदी पर सड़क व रेल पुल के निर्माण करने की आवश्यकता श्री ब्रह्मानंद मंडल	194
विधेयक–पुर:स्थापित	195—197
(एक) निक्षेपागार विधेयक	195
(दो) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक	195—196
(तीन) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	197
निक्षेपागार (तीसरा) अध्यादेश,1996—सभा पटल पर रखा गया	195
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 —सभा पटल पर रखा गया।	196
जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प	197—212
श्री जगमोहन	197—200
श्री पी. नामग्याल	200—204
श्री वी.वी. राघवन	204—207
श्री जी.एम. बनातवाला	207—209
श्री मंगत राम शर्मा	209—212
नियम 193 के अधीन चर्चा	212—258
बजट से पहले पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के प्रशासित मूल्यों में भारी वृद्धि	
श्री जसवंत सिंह	212—220
डा. देवी प्रसाद पाल	220—226
श्री वसुदेव आचार्य	227—231
श्री सी. नारायण स्वामी	231—233
श्री जार्ज फर्नान्डीज	233—242
श्री सुरेश प्रभु	242—244
श्री बीजू पटनायक	244—250
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	250—254
श्री चित्त बसु	254—256
श्री ई. अहमद	257—258

लोक सभा

गुरुवार, ।। जुलाई, 1996/20, आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कृषि मजदूरों के लिए कानून

*21. **श्री धवन दीवान :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, कृषि तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त केन्द्रीय कानून की वर्तमान स्थिति क्या है?

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

निर्माण कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान में भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) तीसरा अध्यादेश, 1996 और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 जैसे अध्यादेशों के माध्यम से पहले ही अस्तित्व में आ चुका है। संसद के अधिनियमों द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक संसद के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निर्माण कर्मकारों के बारे में अध्यादेशों की प्रतियां चालू सत्र के शुरू होने पर सभा पटल पर रख दी गई हैं।

कृषि कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसका उद्देश्य उनके रोजगार और कामकाजी दशाओं को विनियमित करना तथा उन्हें कल्याण मुहैया कराना है। यह मामला विचार-विमर्श और निर्णय लिए जाने की अग्रिम अवस्था में है।

राज्य सरकारों से विधिवत परामर्श किया गया है।

कृषि कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान से संबंधित मामला अगस्त, 1992 और जुलाई, 1993 में आयोजित राज्यों के श्रम के सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए आया जिसके अनुसरण में राज्य सरकारों ने अपने विचार भेजे हैं। 17-18 मई, 1995 को केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा ली गई राज्य श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों की बैठक में कृषि और निर्माण कर्मकारों हेतु केन्द्रीय विधान की आवश्यकता पर एक सामान्य मतैक्य उभर कर आया था। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि पाये जाने वाली स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों को पर्याप्त लोचशीलता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत से निर्माण कर्मकार और कृषि कर्मकार हैं। निर्माण कर्मकारों के विषय में उत्तर में कहा गया है कि तीसरा अध्यादेश 1996 में अस्तित्व में आ चुका है और इसी सत्र में उसे विधेयक का रूप देने के लिये संसद में पेश किया जायेगा। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कृषि कर्मकारों की उपेक्षा हुई है क्योंकि उनके लिये न तो कोई अध्यादेश अस्तित्व में आया है और न ही विधेयक लाने का प्रस्ताव है। 17-18 मई, 1996 को श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें इसपर विचार-विमर्श किया गया था। जुलाई-अगस्त 1992-93 में राज्य सरकारों से जो सलाह मांगी गई थी, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा इतना ही निवेदन है कि इसके बारे में अध्यादेश क्यों नहीं आया है। इसी सत्र मे उसपर विचार-विमर्श करना जरूरी है क्योंकि कृषि कर्मकारों ने देश को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार उन गरीब मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या करने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय, कृषि श्रमिक असंगठित क्षेत्र है। हमने इसकी अवहेलना नहीं की है। नई सरकार के न्युनतम साझा कार्यक्रम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह विधान अग्रिम चरण पर है; हम इसे मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात् हम इसे सभा के समक्ष रखेगे।

[हिन्दी]

श्री पवन दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का स्पष्ट जबाब नहीं आया है। निर्माण कर्मकारों के लिए अध्यादेश अस्तित्व में आ चुका है और विधेयक भी बनाया जा रहा है, लेकिन कृषि कर्मकारों को क्यों उपेक्षित किया गया है, उनके लिये अभी तक अध्यादेश क्यों अस्तित्व में नहीं आया है और विधेयक लाने की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है। क्या उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

[अनुवाद]

श्री एम.अरूणाचलम : महोदय, मैने पहले ही कहा है कि हम इसे मंत्रिमण्डल के पास ले जा रहे है और मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के पश्चात् हम विधेयक के साथ सभा में आयेगें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की और खीचना चाहता हूं कि जब आप श्रम मंत्री थे तो उस समय एक गैर-सरकारी विधेयक पर बहस हुई थी जिसमें मैंने भी भाग लिया था और आपने आश्वासन दिया था कि खेत-मजदूरों के लिये एक केन्द्रीय विधेयक ला रहे हैं लेकिन आज कई वर्ष गुजर गये उस पर कुछ नहीं हुआ। आज आप अध्यक्ष पद पर हैं, इसलिये आपसे निवेदन है कि इस पर बल देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 17-18 मई, 1995 को राज्य के श्रम मंत्रियों, सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि इस कानून को लचीला बनाकर राज्यों को उनकी परिस्थिति के अनुसार लागू करने के लिये दिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा कौन-सा कानून बनाने जा रहे हैं जिसे राज्य सरकारों को सौंपा जायेगा?

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय केरल और त्रिपुरा राज्य सरकारो के पास पहले ही यह अधिनियम है। केरल में इसको क्रियान्वित किया जा रहा है लेकिन त्रिपुरा में इसे अभी क्रियान्वित किया जाना है। मैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने उत्तर को पूरा नहीं किया है।

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय, इस मुद्दे पर भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के सचिवों के साथ उद्योग मंत्रियो के सम्मेलन में कई बार विचार किया जा चुका है। मैं इस विधान के महत्व को जानता हूं। इसलिए, हम इसे शीघ्र ही मंत्रिमण्डल के पास ले जा रहे हैं और मंत्रिमण्डल में निर्णय के पश्चात् हम सभा में एक विधेयक लायेगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारों को सौंपने की बात कही गयी है लेकिन राज्य सरकारों ने मजदूरों के लिए जो कानून बनाये हुये हैं, वे वहां पर लागू नहीं हो रहे है। जहां न्यूनतम मजदूरी उन्हें नहीं दी जा रहीं है तो राज्य सरकारों को सौंपने की बात गलत है।

[अनुवाद]

श्री इन्नान मोल्लाह : महोदय, इस विषय पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। अब हम इस बात पर प्रसन्न हैं कि सरकार इस संबंध में एक विधेयक ला रही हैं।

महोदय, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। मेरे प्रश्न का पहला भाग निर्माण श्रमिकों के बारे में है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को निर्माण श्रमिकों के संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें निर्माण श्रमिकों के संबंध में लाये गये अध्यादेश, के जो निर्माण श्रमिकों के हित में कोई उद्देश्य पूरा नहीं करता में कतिपय अपर्याप्त उपबंधों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है। यदि हां, तो क्या मंत्री ने संगठन द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया है और क्या वह विधेयक को इस सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व संशोधन कर रहे है।

जहां तक कृषि श्रमिकों का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं, उनके बारे में काफी चर्चा की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आप इस संबंध में सर्वाधिक जानते है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या, जैसा कि प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि वे इस सत्र में कृषि श्रमिकों के संबंध में यह विधान लाने का प्रयास करेंगे - जब कृषि श्रमिक संघ और अन्य संघों के प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि ऐसा इस सत्र में किया जायेगा - उक्त विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा और उसे संसद के इस बजट सत्र में पारित किया जायेगा। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या व्यय संबंधी भाग पर विचार किया गया है अथवा नहीं। जब कृषि श्रमिक अधिनियम पारित किया जायेगा, तो आप इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए व्यय कैसे प्रदान करेंगे? मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की सीमित वित्तिय शक्तियों को देखते हुए, इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए क्या पर्याप्त निधि प्रदान करने के लिए ध्यान रखा गया है।

श्री एम. अरूणाचलम : पहले प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम स्वयं इस सत्र में कृषि श्रमिकों के संबंध में एक विधेयक लाने का भरसक प्रयास कर रहे है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल को निर्णय करना है। व्यय वाले भाग पर आते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे।

निर्माण कर्मकार और श्रमिक अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में प्रश्न के प्रथम भाग पर आते हुए, संशोधन लाना और सभा में इस पर चर्चा करना उनका कार्य है। इस संबंध में सभा को निर्णय करना है।

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : अपने स्पटीकरण में, मंत्री जी ने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। इस विधेयक विशेष पर कौन-सी सरकार विचार करेगी? मैं केवल यही प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री एम. अरूणाचलम : मैने कहा था, विशिष्ट रूप से, मंत्रिमण्डल को इस पर विचार करना है।

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, पिछली सीटों पर बैठने वालों को भी उनकी बात सुनाई देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह व्यवधान न डालिए मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहता हूं ऐग्रीकलचरल लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन लेबरर्स के मामले में एक बात ध्यान में आती है कि जहां इनका कोई डिसप्यूट होता है, क्लेम होता है, उसको डालने में, उसके ट्रायल में इतना समय लग जाता है कि एक लेबरर के लिए वहां इतने समय तक रहना मुश्किल होता है। जो ऐनेक्टमेंट आप लाने वाले हैं क्या उसके अंदर कोई ऐसी रैमेंडी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें टाइम बाऊंड इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऐसा रैमेडियल फोरम हो जिसमें वर्कर अपना क्लेम डाले और एक दो महीने में उसका क्लेम डिसाइड हो जाए? उसके एक्जीक्यूशन के लिए भी समस्या आती है। जो अथौरिटी इनका क्लेम डिसाइड करे, उसको इतनी पॉवर हो कि टाइम बाऊंड पीरियड में उनको क्लेम मिल जाए। लैण्ड रिफोर्म ऐक्ट में यह देखने में आया है कि ऑर्डर्स पास होने के बाद भी बड़े-बड़े लैण्डलॉर्ड्ज उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। लेबरर्स आज एक स्थान पर हैं तो कल दूसरे स्थान पर हैं तो कल दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। इसलिए उनको उपने राइट्स को लेने में दिक्कत होती है।

तीसरी बात में पूछना चाहता हूं कि जो आपकी प्री लीगल एड के ऐक्ट के प्रोविजन हैं, क्या उन एजेन्सीज को भी आप इसमें इन्वोल्व करना चाहेंगे ताकि जो वर्कर लॉयर की फीस देने की स्थिति में नहीं हैं उनके लिए लॉयर एंगेज हो सकें?

चौथी बात यह है कि आपने बार बार कहा है कि

[अनुवाद]

"हम सभा में यह विधान लाने का पूरा प्रयास करेगे।" क्या आप हमें आश्वासन दे सकते है कि आप यह विधान विशेषकर तीन या चार माह में कब लायेगे अन्यथा यह कई वर्षों तक लम्बित रह जाएगा और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री एम. अरूणाचलम : हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस संबंध में यथा शीघ्र एक विधेयक को लाया जाये। मैंने यह पहले भी कहा है, मंत्रिमण्डल जैसे ही इस विधेयक का अनुमोदन देगा, विधेयक को इस सभा में लाया जाएगा।

श्री सत्यपाल जैन : मंत्री जी को यह कहने दीजिए कि वह इसी सत्र में इस विधेयक को लाएँगें अन्यथा यथाशीघ्र का मतलब पांच वर्ष भी हो सकता है और इससे उद्देश्य की कोई पूर्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कृषि कार्य में जुडे; हुए मजदूरों और निर्माण कार्य में जुड़े हुए असंगठित मजदूरों का जो मिनिमम वेज है, उसको बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है यह नहीं? अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग मिमिमन वेज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सेन्ट्रल मिनिमम वेजेज ऐक्ट बनाने जा रहे हैं जिससे पूरे देश में एक जैसा मिनिमम वेजेज ऐक्ट बन सके?

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे विद्यमान, श्रमिक कानून, इस क्षेत्र पर लागू होते हैं। इस पर निर्णय लेना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

श्री ए.सी.जोस : अध्यक्ष महोदय, देश में पहली बार, निर्माण कार्य में संलग्न मजदूरों के कल्याण निधि की स्थापना और विनियमन हेतु केरल में एक विधान बनाया गया था। इस विधान को केरल में लागू किया गया और यह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। निर्माण लागू मजदूरों से संबंधित यही एक ऐसा कानून है जो केरल में लागू किया जा रहा है। कल्याण निधि की समग्र राशि लगभग 40 करोड़ रुपयों तक पहुंच गई है। क्या सरकार केरल कल्याण अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार है ताकि कोई बाहरी अभिकरण न हो और इन मजदूरों के कल्याणार्थ ठेकेदारा या सरकार से धन लिया जा सके? महोदय, सभा के समक्ष प्रस्तुत अध्यादेश व्यवहार्य नहीं है। यह एक तरह से विधान है ही नहीं। यह विधान मजदूरों के कल्याणार्थ कोई हितकारी हो ही नहीं सकता... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर तब चर्चा कर सकते हैं जब यह विधेयक चर्चा हेतु सभा में रखा जाएगा। आप इतनी जल्दी उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते।

श्री ए.सी.जोस : महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय सभी केन्द्रीय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने के लिए तैयार हैं ताकि सभा के समक्ष रखे गये विधेयक में आवश्यक संशोधन लाया जा सके?

श्री एम. अरूणाचलम : महोदय, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते है, कि श्रम मंत्रालय ने केरल का दौरा करने और निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के कार्यकरण तथा इस हेतु स्थापित त्रिपक्षीय बोर्डों के माध्यम से उसके प्रशासन की पद्धति का भी मूल्यांकन करने हेतु 1992 में एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस अध्ययन दल ने जिसमें जल-भूतल परिवहन एवं विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल है, श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में केरल निर्माण कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु 23 व 25 जून, 1992 को केरल का दौरा किया था। उनकी रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात 1989 के मूल विधेयक में समाविष्ट करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था। यह प्रावधान केरल की तर्ज पर निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के सन्दर्भ में है जिसके अन्तर्गत निर्माण कर्मकार कल्याण निधि बोर्ड को सरकार एवं उसके अभिकरणों द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों पर व्यय निर्माण लागत का एक प्रतिशत कर लगाने का अधिकार प्राप्त है ताकि संविधान के अनुच्छेद 285 से इसकी पुष्टि

हो सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य शहरों से आने वाले कर्मकारों को अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने संबंधी एक प्रावधान को भी समाविष्ट किया जाये। महोदय, राज्य सरकार के पास निधि का गठन करने और प्रबन्ध हेतु नियम बनाने की शक्तियां भी होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यह प्रश्न का भाग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक निर्माण कर्मकारों का संबंध है, सभा में इस आशय का विधेयक प्रस्तुत हो रहा है। आप उस पर लम्बी चर्चा कर सकते हैं।

डा.टी.सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अधिकार मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 24 को लिया जाएगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, प्रश्न संख्या 24 और 27 को एक साथ लिया जाये क्योंकि दोनों एक तरह से एक ही विषय से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। प्रश्न संख्या 24 और 27 को एक साथ लिया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रसार भारती अधिनियम, 1990

*24. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
श्री ई. अहमद :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक संशोधित कर दिबे जाने की संभावना है; और

(घ) किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में परिकल्पित निगम के प्रस्तावित संगठनात्मक ढ़ांचे में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ परिवर्तन किए जाने अपेक्षित हैं, जो विश्व के इस भाग में बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रसारण के कारण तेजी से बदलते हुए प्रसारण परिदृश्य की दृष्टि से आवश्यक है। प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों की पुनरीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए 28.12.95 को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। आगे की कार्रवाई विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

"दी न्यूज टूनाईट" का प्रसारण रद्द करना

*27. **डा. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा 14 जून, 1996 को "न्यूज टूनाईट" नामक कार्यक्रम का प्रसारण रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्यक्रम को प्रसारित नहीं किया जा सका क्योंकि मैसर्स एन.डी.टी.वी. से पूर्वदर्शन के लिए टेप काफी देरी से प्राप्त हुई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है है कि इस सरकार की नीयत प्रसार भारती बिल को लागू करने के मामले में साफ नहीं है। पिछली सरकार को इसे तुरन्त लागू कर देना चाहिये था परन्तु उसने इस पर विचार नहीं किया। यह प्रस्ताव संसद में 1990 मे पारित हुआ, 12 सितम्बर, 1990 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसे अपनी मंजूरी दे दी और उसके बाद यह ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि तत्कालीन सरकार और सत्ता दल ने उसे अपनी बात कहने का माध्यम बना लिया। वर्ष 1994 में 34 सांसदों ने और 1995 में 53 सांसदों ने इसको क्रियान्वयन हेतु लिखा। इसके बाद स्थायी संसदीय समिति ने भी इसकी अलोचना करते हुए कहा कि सरकार की नीति टाल-मटोल की है। बाद में जब उच्च न्यायालय, कलकत्ता का निर्णय हुआ और यह कहा कि 1995 तक इसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसके बाद भी इसकी ओर ध्यान नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 28.12.95 को एक तीन सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन हुआ। इस समय देश में ही नहीं, बल्कि देश के बाहर भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया जबर्दस्त फैलाव पर है और हिन्दुस्तान की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि लोग हिन्दुस्तान के दूरदर्शन को देखना पसंद नहीं करते। वे जी.टी.वी. या दूसरे चैनल पर समाचारों के लिए आश्रित रहते हैं, उनकी बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हमें कभी-कभी तो बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 28.12.95 को जो तीन सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन हुआ उसमें कौन-कौन लोग थे? इनकी टर्म्स ऑफ रिफरेंस क्या थी और इन्हें कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी?

श्री सी.एम. इब्राहीम : यह तीन सदस्यों का दल था। माननीय सेनगुप्ता जी इसके चेयरमैन थे।...(व्यवधान) उन्को चाहिए था कि

वे जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देते। दुबारा उन्होंने टाइम एक्सटेंशन मांगा है और उसका टाइम हमने एक्सटेंड किया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मौजूदा यू.एफ. सरकार के प्रोग्राम में कमिटमेंट है कि प्रसार भारती बिल पूर्ण स्वायत्तता के साथ समाने लाया जाए और जैसे ही वह रिपोर्ट आएगी तो मैं चाहता हूं कि तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करके, चाहे वे इस तरफ से हों या उस तरफ से हों, उनसें पूरी सलाह लेकर उस बिल का सदन में लाने की कोशिश की जाएगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग इस संबंध में अपनी बात पूछना चाहेंगे, इसलिए मैं संक्षेप में दो-तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूं। मेरी जानकारी है कि इसकी रिपोर्ट तीन महीने में मार्च तक दी जानी थी। लेकिन आपने तो जुलाई तक की बात कही है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : एक्सटेंड किया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी कोई अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है? आखिर में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसके बारे में कोई डैडलाइन दे सकते हैं? इसलिए उससे पहले आप कुछ कर सकते हैं? यदि आप इसके बारे में कुछ निश्चित तिथि दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा सही रहेगा।

श्री सी.एम. इब्राहीम : यह ठीक है कि हमने जुलाई तक इसको एक्सटेंड किया है। इसमें दिक्कत यह है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियों में जो 40 हजार से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, उनके भी कुछ मसले हैं, वे इसमें शामिल करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर आप जुलाई तक दे दें तो बहुत अच्छा है। अगर जुलाई तक रिपोर्ट मिल गई तो हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी यह लाएं और एज ए मिनिस्टर में भी चाहता हूं कि

[अनुवाद]

संयुक्त मोर्चा सरकार को निश्चय ही इसका श्रेय मिलेगा परन्तु एक मंत्री के रूप में मुझे भी इसका श्रेय मिलेगा...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : लेकिन कोई तारीख तय कर दे।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : जब प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ दूरदर्शन ही एकमात्र राष्ट्रीय नेटवर्क चैनल था अब जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं ही संकेत दिया है, कितने ही अन्य नेटवर्क, सैटेलाइट आदि शुरू हो गए है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसा क्या प्रबन्ध कर रही है कि इन सभी इलैक्ट्रानिक मीडिया को प्रसार भारती अधिनियम का भाग बनाया जा सके।

उच्चतम न्यायालय ने जन साधारण को इस अधिकार से वंचित करने सम्बन्धी एक निर्णय दिया है। नये इलैक्ट्रानिक नेटवर्क जनता की आवाज हैं साथ ही इलैक्ट्रानिक माध्यमों के नियामक उपायों में जन-प्रतिनिधित्व की भी चर्चा है।

मैं मंत्री महोदय से, यह जानना चाहूंगा कि विशेषज्ञ दल की समयावधि बढ़ाने पर क्या सरकार ने समिति को मीडिया नियामक स्थिति के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को मद्दे नजर रखते हुए इन तथ्यों की जांच के लिए कहा है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : समिति निश्चित रूप से इस मामले पर विचार करेगी। हमने इस पर अच्छी तरह विचार-विमर्श किया है। इसी कारण मैंने पहले भी इसे स्पष्ट किया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी दृष्टिगत रखेंगे और आम लोगों की राय लेंगे, सभी राजनीतिक दलों और कार्यकर्त्ताओं की राय लेंगे। सभी बातें को ध्यान में रखा जाएगा। इस सबके बाद ही सभा में कोई विधेयक पेश किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महादेय, मैं प्रश्न संख्या 27 के संदर्भ में इस प्रश्न 24 के साथ जोड़कर पूछना चाहता हूं क्योंकि दोनों एक से सवाल हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इनकों एक साथ मिला दिया गया है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मेरा प्रश्न 24 जून के कार्यक्रम 'दी न्यूज टुनाईट' से सम्बन्धित था।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है :-

क्या 14 जुन 1996 को 'दी न्यूज टुनाईट' कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन द्वारा रोक दिया गया था यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

[हिन्दी]

इसका उत्तर माननीय सदस्य ने 'जी हां' में लिखा है अर्थात कार्यक्रम तो आपने कैंसिल किया, परन्तु दूसरा जबाव आप देते हैं:

[अनुवाद]

कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा सकता क्योंकि मैसर्ज एन डी टीवी से कार्यक्रम की कैसेट पूर्वावलेचन के लिए बहुत देर से प्राप्त हुई। प्रश्न के (ग) भाग के लिए उत्तर दिया गया -

"प्रश्न नहीं उठता।"

[हिन्दी]

अब मंत्री महोदय, आपका जो यह उत्तर है वह नितान्त हास्यास्पद और गलत है और सरकार ने दूरदर्शन पर सैंसरशिप बैठा दी है, यह इस बात का सबूत है। आपका इसी प्रकार का कार्यक्रम उसी दिन, यानी क्या यह सच नहीं है कि 14 जून को डी डी 3 पर एन. डी.टी.वी. के द्वारा बनाए गए एक कार्यक्रम को प्रसारित किया गया था जिसमें कुछ ऐसी टिप्पणियां थीं जो सरकार के लिए असुविधाजनक थी और इसलिए आपने रात को यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया? क्या यह सच नहीं है कि कार्यक्रम से 15 मिनट पहले आपके पास टेप पहुंच गया और उसके बाद भी आपने इसको कैंसिल किया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार हमें बताए कि क्या इस टेप के अंदर पूरे तौर पर श्री हेगड़े के वक्तव्य को नष्ट कर दिया गया था या उसको पूरे तौर पर निकाल दिया गया और श्री जे.एच. पटेल, जो वहां के मुख्य मंत्री हैं और आप ही के दल के हैं, उनकी टिप्पणियों को उसमें से काट दिया गया और श्री बीजू पटनायक का जो वक्तव्य था उसको आपने काट दिया? हिन्दी कार्यक्रम में तो आपने श्री हेगड़े के वक्तव्य को थोड़ी-बहुत कतख्योंतत के साथ रखा, लेकिन अंग्रेजी के कार्यक्रम में तो उसको आपने बिलकुल साफ कर दिया, तो क्या आप जानते थे कि श्री हेगड़े, श्री पटेल और श्री बीजू पटनायक की टिप्पणियां आपके दल के लिए और आपकी सरकार के लिए असुविधाजनक थी, इसलिए आपने उनको काट दिया?

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कृपया यह बताएं कि उस टेप के अंदर वैसी सामग्री थी या नहीं और यह टेप आपके कार्यालय, मंडी हाउस में कितने बजकर कितने मिनट पर पहुंचा था?

श्री सी.एम. इब्राहीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सीनियर औनरेबर मैम्बर हैं, जिनको मैं गुरू की तरह मानता हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप जैसे मेरे चेले दो-चार और हो जाएं, तो फिर मेरा कल्याण हो जाए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुन लीजिए।

श्री सी.एम. इब्राहीम : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने पूछा कि क्या 9.15 बजे यह सीरियल आया या नहीं? महोदय जितने भी ये सीरियल लिए जाते है उनका एक चार्ट बनाया जाता है कि किस तरह से उनको लिया जाए, किस वक्त लिया जाए। सिर्फ एन.डी.टी.वी. की ही बात नहीं है, सभी की बात है। जितने भी कैसेट्स आते हैं, उनके लिए रन डाउन शुरू होता है सुबह 11 बजे और फायनल रन डाउन होता है शाम को 6 बजे और कम्पलीट स्क्रिप्ट 7 बजे तक आ जानी चाहिए तथा अराईवल आफ टेप का जो समय है, वह ठीक 9 बजे पहुंचना चाहिए, यानी एक घंटा पहले।

यह जो टेप आया है वह 9.35 पर वहां आया। एक पालिसी है कि एक घंटा पहले टेप आना चाहिए। चूंकि उस दिन दो टेप भेजे थे इसलिए पहला जो टेप देखा गया, तो उसमें ऐसी कोई भी बात, जो डिफेमेट्री न हो, यह देखा जाता है। क्योंकि एक पालिसी है और उसमें किसी के लिए ऐसी बात न आये। जो जिस स्थान में है, उस स्थान का ही महत्व रखें। जहां तक सेंसर की बात है, उसी दिन आठ बजे और नौ बजे जिस व्यक्ति की न्यूज आ रही थी, वह आल इंडिया दूरदर्शन से शाया हुई। वह साढ़े आठ बजे की न्यूज में आया है, नौ बजे की न्यूज में आया है। जब हमने दूरदर्शन में उस न्यूज को सेंसर नहीं किया, तो नौ बजे हम इसको क्यों करेंगे? जहां तक आप कहते है कि उन्होंने जो बात कही है, वह बात कहने लायक नहीं है। अगर मैं सदन में कहूं कि जो बात दूरदर्शन नहीं कहना चाहता तो मैं मंत्री बनकर कैसे कहूं। अगर आपको किसी बात का डाउट है तो

[अनुवाद]

एक मंत्री होने के नाते मैं समस्त दस्तावेज माननीय अध्यक्ष महादेय के समक्ष रखूगा क्योंकि मुझ पर संदेह नहीं किया जा सकता मंत्री के रूप में मैंने के रूप में मैंने यह नियम बना रखा है कि यह देखा जाए कि किसी भी अधिकारी को कोई आदेश मौखिक न दिया जाए।

[हिन्दी]

उनकों हमने एम्पावर किया है कि कौन सा प्रौग्राम या न्यूज है, जिसमें उनको पूरा अधिकार दिया गया है। इस बात को एक महीना हो गया है। उस समय मैं बंगलौर में था। दूसरे दिन अखबार में माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि मंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन्स देकर इसको कट किया है। मैं कहता हूं कि हम न्यूज को पूरी तरह से स्वायत्ता देते हैं। अगर किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही क्यूरोसिटी बढ़ती जायेगी। मैं इस बात को क्लीयर करता हूं कि इसमें दूरदर्शन वालों ने जो फैसला लिया है कि उसमें ऐसे शब्द मौजूद थे, जिनको निकाला गया है। यह बात सच है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उसी दिन आपके डी.डी.-3, एन.डी.टी.वी. के द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम में बहुत सारी टिप्पणियां थी। जैसे ही वे टिप्पणियां आपके सामने आयी आपने रात के कार्यक्रम देर से आने की बजह से कैंसिल किया गया है तो उसे अगले बुलेटिन में दिखाया जा सकता था और अगर आप उसके बारे में इतने ही ट्रांसपेरेंट है कि आप स्पीकर साहब के सामने रखना चाहते हैं तो क्या आप इस कार्यक्रम को सदन की समिति के सामने दिखायेंगे? दूसरा, यह कि "आज तक" में से हेगड़े साहब की टिप्पणी की कतख्योंत की गयी, उसके बारे में क्या कहना है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : अध्यक्ष जी, "आज तक" में जो था, वह वही था। उसमें डैरोगेटरी रिमार्क थे, जिनको अफसरों ने निकाल दिया था।

डा. मुरली मनोहर जोशी : डैरोगेटरी रिमार्क्स से संबंधित कोई गाइडलाइन्स आपके यहां है कि कौन सी चीज डैरोगेटरी है और कौन सी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. जोशी, उन्हें अब उत्तर देने है।

[हिन्दी]

श्री सी.एम. इब्राहीम : गाइडलाइन हमारे पास है। प्रोफेसर साहब अगर आप डैरोगेटरी रूल्स मुझसे पूछे कि कौन से शब्द डैरोगेटरी हैं और कौन से नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या कहूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मुझे तो मालूम है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका विभाग किसे डैरोगेटरी समझता है और किसे नहीं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : यह आज का नहीं है। जो कोड बनाया गया है यह बहुत पहले बनाया गया है। उस कोड के जरिये वह अपना काम करते आ रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। यह सात बार हो चुका है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह पहले भी हुआ होगा?

श्री सी.एम. इब्राहीम : अगर यह हुआ था तो उस वक्त क्या कारण था? उस वक्त तो मैं नहीं था। वह जो सात बार हुआ है वह 3.5.54 से हुआ है।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : लेकिन उस समय हेगड़े साहब, पटनायक साहब और पटेल साहब ही टिप्पणियां नहीं थी। यह एक बुनियादी बात है। इसे आपने जानबूझकर काटा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा है कि टेपों के समय से न पहुंचने के कारण उस कार्यक्रम उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। यह बात विशेषकर लगाए गए आरोपों के आलोक में हास्यास्पद प्रतीत होती है। चूंकि इन टेपों का सम्बन्ध सतारूढ़ दल-जनता दल के अन्दरूनी झगड़े से था। अतः यहां कुछ गड़बड़ लगती है। मैं विशेषकर मंत्री जी से यह जानना चाहुंगा कि प्रेस ने यह मामला उनके पास कब उठया था?

मेरे पास प्रेस क्लिपिंग मौजूद है। उन्होंने उच्चाधिकार जांच का वायदा किया था। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी जांच करवायी भी गई थी या नहीं। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। चुंकि इसमें सतारूढ़ दल के उच्च पदों पर आसीन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं; अतः मैं उनसे यह जानना चाहूंगा क्या इस जांच को और पारदर्शी बनाने के लिए वह उसकी जांच हेतु सभा की एक समिति बनाने के लिए तैयार हैं?

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, बंगलौर से आने के पश्चात् मैंने महा-निदेशक को वह इस सारे मामले के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा कि ऐसा क्यों हुआ। 24 घंटे के भीतर उन्होंने यह रिपोर्ट भेजी कि किन कारणों से हमें यह कदम उठाना पड़ा जब मैंने पाया कि वह उनके अधिकारों की परिधि के भीतर थे तो मैंने उनकी बात मान ली। कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या कार्यवाही की गई?

श्री सी.एम. इब्राहीम : उन्होंने दूरदर्शन की गरिमा की रक्षा की है अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता। उनको बधाई देने की अपेक्षा मैं उन्हें दण्ड क्यों दूं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप दूरदर्शन के सम्मान और प्रसार भारती की पारदर्शिता की बात कर रहे है। प्रसार भारती को स्वायत्त बनाने के लिए आपने जो वायदा किया था उस बारे में आपका क्या विचार है?...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैंने एक सीधा प्रश्न पूछा है और आपने टाल मटोल वाला उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके पास रिपोर्ट है। उन्होंने जांच करवाई परन्तु कोई दोषी नहीं पाया गया। फिर कार्यवाही करने का प्रश्न ही कहां उठता है? हमें पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी. उपेन्द्र की बात सुननी चाहिए। वह हमें और अधिक जानकारी देंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले की जांच सभा समिति से करवाने को तैयार है?

[हिन्दी]

प्रो. ओमपाल सिंह निडर : अध्यक्ष महादेय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय दूरदर्शन की भी कोई गरिमा है? यदि इस दूरदर्शन की गरिमा है तो गरिमाविहीन दूरदर्शन कौन सा होता है?

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय यह अत्यधिक दुःखदायी है कि प्रसार भारती विधेयक विगत छः वर्षों से देश में लागू नहीं किया जा सका जबकि देशव्यापी चर्चा के बाद सदन ने थोड़ी बहुत सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया था। उस समय प्रमुख उद्देश्य इलैक्ट्रानिक माध्यमों की स्वायत्तता का था। बाद में मंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाकर अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विचार किया। हममें से कुछ सदस्य उस बैठक में उपस्थित थे। हमने उन छोटे-2 संशोधनों को स्वीकार कर लिया। अब मंत्री जी कह रहें हैं कि कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। परन्तु इलेक्ट्रनिक मीडिया में दिखाई देने वाले इन बड़े-बड़े परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुऐ मुझे लगता है कि कुछ और संशोधन करना मात्र ही पर्याप्त नही हैं। अब सम्पूर्ण अधिनियम पर पुनर्विचार करना होगा। अतः हम सब मिले और यह सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय, संचार सुविधाओं और अन्य

सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी को ही नहीं अपितु उपग्रह टी.वी. केबल नेटवर्क विधेयक संसद के समक्ष लाया जाना चाहिए उपरोक्त सभी पहलुओं को अधिनियम में शामिल करना होगा। ब्रिटेन ने एक व्यापक प्रसारण विधेयक पारित किया है। हमने एक आदर्श विधेयक तैयार किया और उसे विचारार्थ प्रधानमंत्री तथा अन्य पूर्ववर्ती मंत्रियों के पास भेजा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस प्रारूप विधेयक पर विचार कर रहे है या नहीं जा हमने तैयार करके विचारार्थ उनके पास भेजा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एक व्यापक प्रसारण विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा था वह मात्र उस प्रसार भारती विधेयक में छोटे मोटे संशोधनों से ही काम-चलाने वाले हैं जो कि मेरे विचार में आज के सन्दर्भ में संगत नहीं हैं।

श्री सी.एम. इब्राहीम : जी हां महोदय, मैं उनके कथन से सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक बार रिपोर्ट आने के बाद मैं माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी मुद्दों पर विचार करूंगा।

श्री पी. उपेन्द्र : हमने एक नया व्यापक विधेयक पेश करने का सुझाव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप विधेयक के संशोधन पर उस रूप में विचार करने जा रहे है जैसा कि वह अब है या एक नया व्यापक प्रसारण विधेयक लाने के बारे में पुनर्विचार किया जा रहा है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने यह कहा है कि हम एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर सकते है। प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने क बाद हम पुनः चर्चा करना चाहेंगे तथा मैं प्रत्येक सदस्य को इसमें शामिल करना चाहता हूं।

श्री पी. उपेन्द्र : नियुक्त की गई समिति के विचारार्थ नियम क्या हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पहले ही कर दिया है। आप दोबारा क्यों पूछ रहें है?

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : समिति विधेयक के संशोधनों पर विचार कर रहीं है। सरकार व्यापाक विधेयक कैसे ला सकेंगी? आप कहते हैं कि सरकार को अपना मन बना लेना चाहिए। यही मुद्दा हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सुझाव नहीं दें। मंत्री महोदय बेहतर जानतें हैं। आप सुझाव क्यों दे रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने सुझाव नोट कर लिया है।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि तीन सदस्यों वाले एक विशेषज्ञ दल को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तथा कुछ हद तक प्रसार भारती अधिनियम का भविष्य इन सिफारिशों पर निर्भर करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि वायु तरंगें जनता की सम्पत्ति हैं। यह एक ऐतिहासिक विनिर्णय था। इसके परिप्रेक्ष्य में तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी में हो रहे तीव्र परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बड़ी संख्या में लोग निरंतर यह मांग कर रहे हैं कि सरकार की राष्ट्रीय प्रसार नीति होनी चाहिए क्योंकि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत से कम विकासशील देशों ने भी अपनी राष्ट्रीय प्रसार नीति बनाई गई है। उत्तरदायी क्षेत्रों तथा कई संसद संदस्यों द्वारा निरंतर की जा रही मांग को देखते हुए मंत्रालय ने एक उप समिति का गठन किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। इतिहास की बात मत कीजिए। आप बहुत अधिक इतिहास जानते हैं।

श्री रूप चन्द पाल : हां महोदय, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। उस उप समिति की अध्यक्षता संयुक्त मोर्चा सरकार के दो मंत्रियों ने की पहले श्री पी. चिदम्बरम तथा उसके बाद श्री राम विलास पासवान ने। उन्होंने उपग्रह चैनल प्रसार भारती स्वायत्तता, प्रकाशन तथा फिल्म मीडिया तथा बहुत सी ऐसी बातों से संबंधित व्यापक सिफारिशों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस वर्ष 29 मार्च को यह रिपोर्ट तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री तथा हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की गई थी।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही और क्या कोई अध्ययन किया गया है तथा क्या सरकार रिपोर्ट स्वीकार करने और सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में विधान बनाने को तैयार है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या भूतपर्व मंत्री उत्तर देंगे? ...(व्यवधान)

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैंने यह पहले हां स्पष्ट कर दिया है कि विधेयक को सभा के समक्ष लाने से पूर्व हम आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों की साख को कायम रखने वाले सभी विचारों को इसमें सम्मिलित करेंगे।

[हिन्दी]

जिस तरह ऑनरेबिल मैम्बर उपेन्द्र जी ने कहा कि काफी चेंजिज आ गये हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया के वर्कर्स, सरकारी वर्कर्स हैं, वह कारपोरेशन वर्कर नहीं बनना चाहते, उनके व्यूज को भी इसमें इन्वोल्व करना है, क्योंकि 50 हजार वर्कर्स की वहां पर समस्या है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है।

दूसरे जो जमीन पर है, उसको तो हम कण्ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाहर से, ऊपर आकाश से जो चीजें उतर रहीं हैं, जो चीजें आ रही हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसपर भी विचार किया जा सकता है। इस तमाम चीजों को अकेले यूनाइटिड फ्रंट गवर्नमेंट ही करेगी, यह मत समझिएगा। यह चीज ऐसी है कि पूरे सदस्यों की सर्व-सम्मति इसमें आये तो अच्छा है। यह भारत की संस्कृति है, भारत का यह प्रतीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे सदन की राय लेकर यह बिल हम लायें।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी है। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री सी.एम. इब्राहीम : मेरे विचार से आप अंग्रेजी मे उत्तर चाहते हैं।

महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह मेरी समझ में आ गया हैं। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय का प्रश्न है हम इसकी जांच कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न मीडिया नीति के बारे में श्री पासवान की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट का है। वह इसके बारे में ही पूछ रहे हैं।

श्री शरद पवार : यह श्री पी.ए. सांगमा को भेज दी गई थी।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने इसको योजना बनाने हेतु मंत्रालय को दे दिया है तथा युक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद और सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय को तथा श्रमिकों के विचारों को भी ध्यान में रखते हुए हम कार्रवाई करेंगे। हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। यह व्यापक होनी चाहिए। एक रिपोर्ट को आधार मान कर मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मीणा जी, मैंने आपको बुलाया था आप हाउस में नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : मीणाजी मैंने आपकों बुलाया था, आप हाउस में नहीं थे।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मैं ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जोकि हम सबके लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। आज केवल दूरदर्शन ही नहीं है बल्कि विभिन्न अन्य निजी नेटवर्क भी हैं। इन निजी टेलिविजन नेटवर्क द्वारा दिखाए जा रहे अधिकांश कार्यक्रम हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रतिकूल है। ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए भी इतने हानिकारक हैं कि मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रमों का जारी रखना निश्चित तौर पर हमारे अधिक विशेषकर देश में नवयुवकों के लिए प्रतिकुल साबित होगा क्योंकि ये कार्यक्रम हमारी संस्कृति से भिन्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्यक्रमों की बात नहीं कर रहे हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, चूंकि सरकार एक व्यापक अधिनियम – प्रसार भारती अधिनियम – की बात कर रही है – मैं केवल सरकार से यह पूछ रहा हूं कि क्या उसे इस समसया की जानकारी है और क्या उनके पास प्रसार भारती अधिनियम के जरिए इसकी जांच की कोई योजना है, इन नेटवर्क पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना चाहिए ताकि कुछ सीमा तक सांस्कृतिक अतिक्रमण से छुटकारा पाया जा सके।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मैंने बताया था कि संसद के समक्ष प्रसार भारती विधेयक लाने के साथ चैनलों और भारत में आ रही तरंगों से संबंधित इन सभी पहलुओं को हम निश्चित तौर पर ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सुषमा जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री को विचलित न करें। मैं एक और भूतपूर्व मंत्री को बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षजी, आपने यह कहा कि सभी पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रियों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। शायद स्वयं पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री होने के कारण यह एक ब्रदरहुड जैस्चर है। प्रसार भारती को लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता को वर्तमान सरकार के मंत्री ने भी दोहराया है। लेकिन उनका आचरण यह बताता है कि बजाय स्वायत्तता देने के ये सरकारी माध्यमों को सरकारी शिकंजे की जकड़न में जकड़ना चाहते हैं। इसके दो उदाहरण हमारे सामने आये हैं। एक का जिक्र डा. जोशी ने अपने प्रश्न के माध्यम से किया कि किस तरह से एक असुविधाजनक टिप्पणी के कारण इन्होंने 'टुनाइट' को सेंसर किया। दूसरे उदाहरण के रूप में मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछना चाहती हूं कि प्रसार भारती के ऊपर जिस कमेटी का आपने जिक्र किया है, उसने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च को देनी थी, लेकिन अभी तक उसने अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं दी। उन्होंने इसके लिए मेरे कार्यकाल में भी एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि पहले अंतरिम रिपोर्ट पेश करें। तीन सदस्यों को मैंने मीटिंग के लिए बुलाया था उसके बाद यह तय करना था कि एक्सटेंशन दिया जाये या नहीं और दिया जाये तो कब तक देना है। उस निर्णय को पलटकर आपने जुलाई तक एक्सटेंशन देने का निर्णय क्यों किया?

श्री सी.एम. इब्राहीम : माननीय अध्यक्षजी, पहली बात जो कही गयी है, उसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि मैं प्रसार भारती में विश्वास करता हूं, सेंसर भारती में विश्वास नहीं करता हूं। दूसरी चीज, जहां तक अंतरिम रिपोर्ट की बात है तो आपने भी देखा होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आई ही नहीं तो देखती कहां से। उन्होंने अभी तक कोई आंतरिक रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री सी.एम. इब्राहीम : मैं चाहता हूं। मैं थोड़े-थोड़े काम में विश्वास नहीं करता। अगर देना है तो पूरा दें, आधा अब लें, आधा बाद में लें तो इसके कोई माने नहीं हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : फिर तो कभी अंतरिम रिपोर्ट मांगा ही न करें।

श्री सी.एम. इब्राहीम : अंतरिम रिपोर्ट से कोई मतलब पूरा नहीं होता। इससे मेरा भी समय बर्बाद होता इसलिए आधी रिपोर्ट पेश करने के बजाय पूरी रिपोर्ट ही पेश करूंगा।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कोई भी काम अधूरा नहीं करना चाहते हैं और वे पूरा काम चाहते हैं। मुझे याद है कि संसद की इस सभा में ही पी.वी. नरसिंह राव की सरकार ने वचन दिया था कि सरकार एक व्यापक प्रसारण कानून लायेगी जिसमें प्रसार भारती और विनियमकारी प्राधिकरण सम्मिलित होगा और ऐसा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रसार भारती संशोधन पर काम चल रहा है, क्या यह व्यापक प्रसार कानून का अंग बनेगा और क्या इसमें विनियमकारी प्राधिकारण के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और टिप्पणियों को भी शामिल किया जायेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसे संसद के समक्ष लाने में सरकार को कितना समय लगेगा ताकि हमें इस पर चर्चा करने का अवसर मिल सके।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। मैरे विचार से माननीय सदस्य उस समय सभा में उपस्थित नही थे। लेकिन इसका दुबारा उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी। निश्चितरूप से हम एक व्यापक विधेयक लाना चाहते हैं। हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखेंगे।

जहां तक अन्तरिम रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कतिपय मामले हैं जिन पर हमें अन्तरिम रिपोर्ट की आवश्यकता हो, लेकिन इस मामले में, यदि मैं अंतरिम रिपोर्ट मांगता हूं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अंतरिम रिपोर्ट की मांग नहीं की। मैंने उनसे पूरी और अंतिम रिपोर्ट देने को कहा और उन्होंने 31 जुलाई तक समय बढ़ाया है और एक बार रिपोर्ट आ जाने पर जैसा मैंने पहले भी बताया, हम खासतौर पर सभी भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रियों को चर्चा में शामिल करेंगे। मैं उनसे और राजनीतिक दलों के साथ अलग-अलग चर्चा करूंगा। हम सरकार के कार्यक्रम को भी जारी रखेंगे। पूर्व सरकार ने भी यह वचन दिया था। हम जानते हैं। इसीलिए मैंने स्पष्ट किया कि प्रसार भारती विधेयक सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए।

श्री के.पी. सिंहदेव : महोदय, यह वचन दिया गया था कि प्रसार भारती और विनियमकारी प्राधिकरण व्यापक प्रसारण कानून के घटक होंगे, अभिन्न अंग होंगे। क्या यह सरकार प्रसार भारती, व्यापक प्रसारण कानून या विनियमकारी प्राधिकरण को अलग-अलग लायेगी या ये सभी व्यापक प्रसारण कानून के अंग होंगे?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय ने जो कहा है वह यह है कि उन्होंने अभी कोई अंतिम विचार नहीं किया हैं। वे सभी सूचनाओं को एकत्र कर रहे हैं।

श्री के.पी. सिंहदेव : महोदय, वे विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट का उत्तर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न यह नहीं था। वचन यह दिया गया था कि व्यापक प्रसारण कानून में उच्चतम न्यायालय का निर्णय और टिप्पणियां, विनियमकारी प्राधिकरण और प्रसारण भारती सम्मिलित होंगे। व्यापक प्रसारण कानून अभी किस अवस्था में है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें ये सभी बातें शामिल होंगी या क्या इन्हें अलग-अलग लिया जायेगा।

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैं बार बार कह रहा हूं कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त हाने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा कि व्यापक विधेयक लाया जाये या नहीं।

[हिन्दी]

हम देखेंगे कि किस तरह से इसको मिलाया जा सकता है। पार्लियामेंट के सामने लाने के पहले जितने भी सुझाव हैं, हम पहले उनको कंसीडर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि मिलाकर छः पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री सभा में उपस्थित हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन सभी को समान अवसर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

पृथक निकायों का गठन

*25. **डॉ. महादीपक सिंह शाक्य** :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में सरकार द्वारा गठित अनेक समितियों ने आदिवासियों के कल्याण हेतु आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए पृथक निकायों के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए पृथक निकायों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जिनमें अनुसूचित जनजातियां बहुतायत में निवास करती है, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 तथा (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के उपबन्धों के विस्तार के लिए कानून की मुख्य-मुख्य बातों पर सिफारिश एवं विशेषकों की दो अलग-अलग समितियां गठित की थीं।

(ख) और (ग). इन दोनों समितियों ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज दी हैं। ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार विवरण उपर्युक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से मामले पर सक्रियतापूर्वक कार्रवाई कर रहा है। शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय ने भी इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है।

[हिन्दी]

डॉ. महादीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय कल्याण मंत्री जी से पृथक निकायों के संबंध में था। मैंने आपसे पूछा था कि क्या विगत वर्षों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आपने जो समितियां बनाई थीं, क्या उन्होंने कोई सिफारिशें आपके पास पृथक निकायों के गठन के लिए भेजी हैं? आपने उसे स्वीकार किया है कि इस प्रकार की सिफारिशें आपके पास भेजी गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षाणिक शोषण हो रहा है इनमें हम यह महसूस करते हैं कि अभी हम लोग इसे मिटाने में सफल नहीं हुए हैं। इसीलिए इन समितियों ने आपके पास सिफारिशें भेजी कि आप एक अलग से इनका निकाय गठित करें ताकि वह निकाय इस संबंध में अच्छे ढंग से सोच सके। आपने अपने उत्तर में कहा है कि हमारा जो अभी 73-74 वां संशोधन सन् 1992 में हुआ है उस पर लगभग 4 वर्ष हो गए हैं इसमें आप या तो यह कहिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटियां होती हैं उन पर आप विश्वास नहीं करते, इसलिए आपने दूसरे और विशेषज्ञों की समितियां गठित की हैं। मैं आपसे केवल यह पूछना चाहता हूं क्या यह बात सही है कि जो आपने विशेषज्ञों की समितियां गठित की हैं इनमें मात्र वही विशेषज्ञ लिए हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं, क्योंकि इसको वही जानते हैं जो भुक्तभोगी होते हैं, इस बारे में आप बताइए?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, जो दो समितियां गठित की गई उन दोनों समितियों में संसद सदस्य भी थे और एक्सपर्ट्स भी थे। उन्होंने 1995 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद उन समितियों के सुझावों पर जो ट्राइबल एरियाज में शेडयूल 5-6 से संबंधित है और जो शेडयूल 5 के दायरे में आते हैं, उस दायरे में ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट हैं जिसमें स्थानीय संस्थाओं को राज्य शासन की ताकत दी गई है उस भावना को भी साथ रखा जाए और जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो रियायती सदियों पुरानी परम्पराएं हैं अपने साधन, न्याय का तरीका, उस भावना को भी मिला कर उसको एक्सटेंड किया जाए। इस मुद्दे पर उन समितियों की रिपोर्ट आई है। मैंने कहा है कि वह विचाराधीन है और उस पर पूरा गहन अध्ययन हो रहा है।...**(व्यवधान)**

डॉ. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन उसे साफ नहीं किया। मेरा यह कहना है कि समितियों में तो सभी सदस्य होते हैं उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं यह जानना चाहता था कि आपने जो विशेषज्ञ समितियां गठित कीं, जिन विशेषज्ञों को भेजा क्या वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ही हैं, उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है? उनकी संख्या क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप जल्दी में दूसरा सवाल पूछिए।

(व्यवधान)

डॉ. महादीपक सिंह शाक्य : वहीं मैं पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है आपने अपने उत्तर में कहा था कि हमने इसके विचार-विमर्श के लिए राज्य सरकारों से, शहरी विकास रोजगार मंत्रालय से सम्पर्क किया है और हमारा कार्य बड़े जोरों के साथ चल रहा है। आप जो सन् 1992 से 1996 तक कर पाए हैं इसमें मेरा कहना यह है कि आप उसकी सीमा निर्धारित कीजिए।

कि ये निकाय गठित करने के लिए आप समयबद्ध एक योजना बताइये? आप कब तक इसे करना चाहते हैं?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आप साफ जवाब देने का मौका हीं नहीं देते। उस समिति के श्री दलीप सिंह भूरिया अध्यक्ष थे। दूसरा, संयुक्त मोर्चा के कॉमन मिनिमम् प्रोग्राम, रूरल प्रोग्राम में हमने साफ कहा है कि 'संयुक्त मोर्चा सरकार इसका भी अध्ययन करेगी!'

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बीड़ी श्रमिकों को बकाया भविष्य निधि राशि

*22. **श्री के. प्रधानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने बीड़ी श्रमिकों को भविष्य निधि राशि संबंधित प्राधिकारियों के पास कारखाना मालिकों द्वारा नियमित रूप से जमा की जाती है;

(ख) अभी तक राज्यवार कारखाना मालिकों पर बीड़ी श्रमिकों को भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	31-12-95 की स्थिति के अनुसार बीड़ी उद्योग में क.भ.नि के अंशदाताओं की संख्या	31-3-96 की स्थिति के अनुसार क.भ.नि. की बकाया राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,31,021	11.62
2.	बिहार	28,322	201.89
3.	गुजरात	497	1.00
4.	कर्नाटक	2,90,052	14.32
5.	केरल	1,04,608	34.34
6.	मध्य प्रदेश	94,642	26.92
7.	महाराष्ट्र	1,16,558	28.93
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	116	0.17
9.	उड़ीसा	8,894	4.90
10.	राजस्थान	10,720	8.57
11.	तमिलनाडु	3,75,482	152.51
12.	उत्तर प्रदेश	8,270	100.11
13.	पश्चिम बंगाल	44,838	118.66 (उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार पुनः निर्धारणाधीन)

चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया राशि की वसूली के लिए क.अ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की धारा 7क, 8 ख, 14, 14ख के अधीन और भा.द.सं. की धारा 406/409 के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

टी.वी. ट्रांसमीटर

***23. श्री भेरू लाल मीणा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने टी.वी. ट्रांसमीटर चालू किए जाने के लिए तैयार हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ ट्रांसमीटरों का परीक्षण किए जाने के बावजूद इन प्रसारण केन्द्रों से प्रसारण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन ट्रांसमीटरों को कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). फिलहाल, विभिन्न शक्तियों के छयासठ (66) टी.वी. ट्रांसमीटर देश में चालू किए जाने के लिए तैयार हैं। इन ट्रांसमीटरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु मुख्यतः स्टाफ स्वीकृत न होने के कारण इन ट्रांसमीटर परियोजनाओं के चालू होने में विलम्ब हुआ। इन परियोजनाओं को स्टाफ मंजूर किए बिना चालू नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ट्रांसमीटर	स्थान	संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.	कुरनूल	4
	अ.श.ट्रा.	बेल्लमपल्ली	
		पेडननडीपडु	
		कडिरी	
अरूणाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रा.	कालाटंग	3
		चायंगताजो	
		योमचा	

1	2	3	4
बिहार	अ.श.ट्रा.	फूलपारस	2
		नौआमुण्डी	
गुजरात	अ.श.ट्रा.	अमोद	1
		दीसा	
		मंगरौल (सूरत)	
		मोरबी	
गोआ	अ.श.ट्रा.	पणजी (डीडी-II)	1
हरियाणा	अ.श.ट्रा.	रोहतक	1
कर्नाटक	अ.श.ट्रा.	पानाहल्ली	5
		सागर	
		गोकक	
		अरसीकेरे	
		बासव कल्याण	
केरल	अ.श.ट्रा.	थोडूपूजा	2
	अ.अ.श.ट्रा.	देवीकोलम	
मध्य प्रदेश	अ.श.ट्रा.	गडरवारा	4
		सक्ती	
		केलारस	
		नारायणपुर	
महाराष्ट्र	अ.श.ट्रा.	शिरपुर	3
		अहेरी	
		नवापुर	
मणिपुर	अ.श.ट्रा.	मोरेह	1
नागालैण्ड	उ.श.ट्रा.	मोकोकचुंग	1
राजस्थान	उ.श.ट्रा.	जैसलमेर	11
		बाड़मेर (अंतरिम)	
	अ.श.ट्रा.	नोहर	
		माउंट आबू	
		प्रतापगढ़	
		करौली	
		निम्बज	
		राजगढ़	
		बड़ी सादरी	
	अ.अ.श.ट्रा.	नीम का थाना	
उड़ीसा	अ.श.ट्रा.	सोहेला	5
		कबिसूर्यानगर	
	अ.अ.श.ट्रा.	टी. रामपुर	
		बडाबारबिल	
		नयागढ़	

1	2	3	4
तमिलनाडु	अ.श.ट्रा.	पट्टुकोट्टई	5
		अत्तुर	
		कृष्णागिरि	
		शंकरनकोविल	
	अ.अ.श.ट्रा.	वलपराई	
त्रिपुरा	अ.अ.श.ट्रा.	धरमनगर	1
उत्तर प्रदेश	अ.श.ट्रा.	गंज डुंडवारा	9
		कासगंज	
		मऊ रानीपुर	
		नौगढ़	
		औरैया	
		न्यू टेहरी	
		महोबा	
		अथदमा	
		नानापारा	
पश्चिम बंगाल	अ.श.ट्रा.	फरक्का	2
		मुर्शिदाबाद (डीडी-II)	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ शासित प्रदेश)	अ.श.ट्रा.	पोर्ट ब्लेयर (डीडी-II)	1
दादर और नागर हवेली (संघ शासित प्रदेश)	अ.श.ट्रा.	सिलवासा	1
			66

शिक्षा के लिये टी.वी. चैनल

*26. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बच्चों के लिये दूरदर्शन पर वर्षवार कितने कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया;

(ख) क्या सरकार दूरस्थ शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये केवल शिक्षा हेतु एक नया टी.वी. चैनल आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त चैनल कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिये एक चैनल किसी गैर-सरकारी एजेंसी को आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) "मुक्त शिक्षा-प्राप्ति/दूरस्थ शिक्षा के तुरंत विस्तार" पर एक कार्यदल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया है। इस कार्यदल की पहली बैठक दिनांक 29.11.95 को हुई जिसमें शैक्षिक चैनल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की जांच करने और अपेक्षाओं को औपचारिक रूप देने के लिए श्री भास्कर चटर्जी, संयुक्त सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) की अध्यक्षता में एक उपदल गठित करने का निर्णय लिया गया। इस उपदल ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(ग) इस स्थिति में इस चैनल के चालू किए जाने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी निजी क्षेत्र के विमान

*28. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत सरकार से निजी क्षेत्र के विमानों को भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। नेपाल सरकार ने विमान सेवा करार में संशोधन प्रस्तावित किए हैं ताकि भारत के लिए प्रचालन हेतु अतिरिक्त विमान कम्पनियों को नामित किया जा सके।

(ग) इस संबंध में तथा पारस्परिक हित के अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए, भारत-नेपाल के बीच जल्दी ही द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

श्रम उत्पादकता

*29. **श्री नीतीश कुमार** :
श्री जगमोहन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रम उत्पादकता विशेषकर कृषि संबंधी उत्पादकता अन्य देशों के उत्पादकता स्तर की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में श्रम उत्पादकता में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या योजनायें तैयार की गयी हैं और चालू वर्ष में इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). एशियाई उत्पादकता संगठन अपने सदस्य देशों से संबंधित उत्पादकता स्तरों और उनके परिवर्तनों से संबंधित सूचकांक प्रकाशित करता है। वर्ष 1995 में प्रकाशित उत्पादकता स्तरों और उनके परिवर्तनों से संबंधित तुलनात्मक सूचना के अनुसार, वर्ष 1990 से संबंधित भारत संबंधी कृषि में श्रम उत्पादकता 7 देशों से उच्चतर थी और 5 देशों से निम्नतर थी। कृषि से संबंधित एशियाई उत्पादकता संगठन के सदस्य देशों के श्रम उत्पादकता सूचकांक को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

श्रम प्रबंधन नीतियों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में तेज किया जा रहा है ताकि देश में उत्पादकता में सुधार लाया जा सके। इन नीतियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना, आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था, और श्रमिकों का प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण आदि शामिल है।

बीड़ी कर्मकारों, खान कर्मकारों और सिने कर्मकारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याण निधियों को स्थापित किया गया हैं बीड़ी और खान कर्मकारों का स्वास्थ्य देख रेख और परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थलों पर श्रम कल्याण संगठन 12 अस्पतालों (515 बिस्तर) और 222 औषधालयों जिसमें एक चेस्ट क्लिनिक भी शामिल है को संचालित कर रहा है। इन संस्थानों के पास एक सचल यूनिट है। बीड़ी, खान और सिने कर्मकारों के लिए अनेक स्वास्थ्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण और टी.बी. कैंसर, दिमागी बीमारियों, कुष्ठ रोगों से पीड़ित कर्मकारों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता गुर्दा प्रत्यारोपण, प्रसूति प्रसुविधा आदि शामिल है। स्वास्थ्य योजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान कल्याण निधियों से बजट में 21.9 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं। इनमें मान्यता प्राप्त संस्थानों में पांचवीं और उसके ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले खान, बीड़ी और सिने कर्मकारों के बालकों को छात्रवृत्तियां, चौथी कक्षा तक में पढ़ने वाले बालकों को स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तिकाएं और स्टेशनरी आदि को खरीद करने के लिए वित्तीय सहायता, खान प्रबंधनों का स्कूल बसों को खरीद करने के लिए सहायता, पुस्तकालयों के रख रखाव और केन्द्रीय पुस्तकालय संचालित करने के लिए खान प्रबंधनों को सहायता; मान्यताप्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान, खान, बीड़ी कर्मकारों और सिने कर्मकारों आदि की लड़कियों के बेहतर पंजीकरण को बढ़ाया देने के लिए 1.00 रु. प्रति दिन प्रति लड़की की दर से प्रोत्साहन शामिल है। वर्ष 1996-97 के लिए बजट में शिक्षा के लिए मंजूर की गई कुल धनराशि लगभग 11.00 करोड़ रुपये है।

विवरण

वर्ष 1990 के लिए एशियाई देशों के बीच कृषि उत्पादकता सूचकांकों की तुलना

1.	बंगलादेश	56.16
2.	चीन गणराज्य	132.11
3.	फिजी	उपलब्ध नहीं
4.	हांग कांग	158.13
5.	भारत	121.51
6.	इन्डोनेशिया	102.68
7.	जापान	110.72
8.	कोरिया गणराज्य	130.74
9.	मलेशिया	उपलब्ध नहीं

10.	नेपाल	130.15
11.	पाकिस्तान	102.98
12.	फिलीपीन्स	108.83
13.	सिंगापुर	90.99
14.	श्री लंका	127.67
15.	थाइलैंड	118.43

पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

***30. श्री जी.एल. कनौजिया :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को कतिपय संगठनों से भी इस संबंध में सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (च). सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कतिपय संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है। इस संगठनों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1. ओ.पी. बड़वाड़िया, राज्य महा सचिव, भा.ज.पा. अन्य पिछड़ा वर्ग सैल, राजस्थान, जयपुर।
2. महा सचिव, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश।
3. सचिव, जिला वन्नियार संगम तिरूवन्नामलाली।
4. अध्यक्ष, गुलावी नगर झोरकार विकास प्रबन्ध समिति, जयपुर।
5. छत्तीसगढ़ देवागन समाज, रायगढ़, मध्य प्रदेश।
6. ए आई एफ बी सी कर्मचारी कल्याण संघ (महासचिव), मद्रास।
7. सचिव ई आर. पिछड़ा कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन धनबाद, बिहार।
8. सचिव, राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग महासंघ, राजस्थान।
9. रामचन्द्र पटनायक, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कालोनी, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
10. जी.एम. सुधदेशन, चेंगलपट्टु।
12. श्री पी.रमन, हुबली, कर्नाटक।
13. अमित बीरनराम, भूतपूर्व हवलदार, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, बिहार।
14. श्री शैलेन्द्र बागदरे, सहायक अभियन्ता, रीवा, मध्य प्रदेश।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में

***31. श्री केशव महंत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दूरदर्शन द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्रीय भाषाओं की भाषावार कितनी फिल्मों का प्रसारण किया गया;

(ख) क्या कुछ भाषाओं को कम महत्व दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म निर्माताओं से वर्ष 1996-97 में फिल्मों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को समान समय आवंटित करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) :

विवरण

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

भाषा	वर्ष		
	93-94	94-95	95-96
1	2	3	4
असमिया	5	3	3
बंगला	8	8	8
गुजराती	4	3	5
कन्नड़	5	6	5
कोंकणी	1	-	2
मलयालम	5	4	4
मणिपुरी	2	1	2

1	2	3	4
मराठी	5	3	4
उड़िया	7	5	7
पंजाबी	2	1	3
संस्कृत	–	–	1
तमिल	5	6	4
तेलुगु	3	6	8
उर्दू	–	–	1
योग	52	46	57

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). जी, हां। इनको प्रसारण हेतु रखा जाएगा बशर्ते ये पात्रता शर्तें पूरी करते हों।

(च) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों हेतु समय आवंटन में कोई असमानता नहीं है। हालांकि, इस संबंध में संतुलन बनाए रखने का हमेशा प्रयास किया जाता है, इसको ध्यान में रखते हुए कि देश में भाषाई फिल्मों का निर्माण जोकि स्वतः स्फूर्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है, संख्या की दृष्टि से प्रत्येक भाषा में भिन्न-भिन्न है, अनम्य पद्धति से बराबर समय आवंटित करना हमेशा संभव अथवा व्यवहार्य नहीं हो सकेगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

धारावाहिकों का प्रसारण

*32. **श्री सतपाल महाराज :**
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन नेटवर्क पर धारावाहिकों के प्रसारण के लिये क्या मार्ग-निर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न धारावाहिकों के प्रसारण से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) दूरदर्शन, निजी और विदेशी टी.वी. नेटवर्क द्वारा प्रसारित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में अश्लीलता एवं भौंडेपन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) दूरदर्शन पर धारावाहिकों सहित सभी कार्यक्रमों का प्रसारण संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है जिसमें निम्नलिखित अवैध है :-

(1) मित्र देशों की आलोचना;

(2) धर्म अथवा समुदायों पर आक्षेप;

(3) कोई अश्लील अथवा मानहानिकारक;

(4) कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध हिंसा भड़काना;

(5) ऐसी कोई बात जिससे न्यायालय की अवमानना हो;

(6) राष्ट्रपति, राज्यपालों और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध दोषारोपण;

(7) किसी राजनैतिक पार्टी पर नाम से आक्षेप;

(8) किसी राज्य अथवा केन्द्र की कटु आलोचना;

(9) संविधान की अवमानना अथवा हिंसा के सहारे संविधान में परिवर्तन के समर्थन दर्शाने वाली कोई बात, लेकिन संवैधानिक तरीके से परिवर्तनों के समर्थक को रोका नहीं जाना चाहिए।

(ख) वर्षवार अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1994-95	206.147
1995-96	285.21
अप्रैल-मई, 1996	44.84

(ग) दूरदर्शन प्रसारण पूर्व इन सभी कार्यक्रमों का पूर्वदर्शन करता है ताकि वे हिंसा और अश्लीलता के बारे में प्रसारण संहिता के प्रावधान के अनुरूप हों। विदेशी उपग्रह चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रम भारत सरकार के कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं।

एयर कार्गो कारपोरेशन की स्थापना

*33. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री विनय कटियार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमान परिवहन सेवाओं की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एयर कार्गो कारपोरेशन की स्थापना के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ ने सुझाव दिया है कि कार्गो सुविधाओं में किए जाने वाले

निवेश को विमानपत्तनों में किए जाने वाले समग्र निवेश से अलग रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्गो सैक्टर में किया जाने वाला निवेश एक हवाई कार्गो निगम के माध्यम से किया जाये।

ये सुझाव औपचारिक रूप से न तो वाणिज्य मंत्रालय को दिए गए हैं और न ही नागर विमानन मंत्रालय को। ये सुझाव वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ की ओर से नौवीं योजना के लिए तैयार किए गए एप्रोच पेपर में समाविष्ट हैं।

(ग) ये सुझाव व्यवहार्य प्रतीत नहीं होते क्योंकि इस परिस्थिति में एक अलग कार्गो निगम को वित्तपोषण करने से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का संसाधन बेस ही नष्ट हो जाएगा। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्रमुख विमानपत्तनों पर कार्गो परिसरों के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं जबकि मौजूदा कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से उन्नयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मैला ढोने की प्रथा

***34. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा देश में अभी भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई नई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। सिर पर मैला ढोने की प्रथा देश में अभी भी चल रही है।

(ख) और (ग). हाथ से मैला साफ करने की अमानवीय प्रथा की समाप्ति आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात् 31 मार्च, 1997 तक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मक्ति एवं पुनर्वास योजना मार्च, 1992 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

- सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम और सर्वेक्षण के माध्यम से वैकल्पिक व्यवसायों के प्रति उनकी अभिरूचि।
- पहचान किए गए व्यवसायों में प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थियों को ट्राइज्म की दरों पर वजीफे दिए जाते हैं।
- पुनर्वास संबंधी वित्तीय पैकेज में 50,000/- रुपए तक निवेश का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए की पूंजी आर्थिक सहायता अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, प्रदान की जाती हैं इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 15 प्रतिशत सीमान्त ऋण 4 प्रतिशत के रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। शेष धनराशि के लिए रियायती डी.आर.आई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण दिए जाने का प्रावधान है।

इस योजना के निचले स्तर पर कार्यान्वयन के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम नोडल एजेंसी हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग कार्य के साथ साथ समन्वय और योजना को कार्यान्वित करने में अनुसूचित जाति विकास निगमों के साथ सहयोग करने का दायित्व सौंपा गया है। योजना के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर/उप आयुक्त उत्तरदायी हैं।

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर जब तक जिन सफाई कर्मचारियों की पहचान की गई है उनकी संख्या 7,86,941 है। वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (लक्ष्य) के दौरान प्रशिक्षित और पुनर्वासित लाभार्थियों की संख्या विवरण-I में दी गई है। राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण-I

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

क्र.सं.	अभिज्ञात राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सफाई कर्मचारियों की संख्या	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96 (लक्ष्य)	
			प्रशिक्षित	पुनर्वासित	प्रशिक्षित	पुनर्वासित	प्रशिक्षित	पुनर्वासित	प्रशिक्षित	पुनर्वासित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	7453	710	1083	153	1406	313	1937	-	-
2.	असम	16873	-	-	-	-	37	61	-	-
3.	बिहार	40249	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	गुजरात	62842	-	33	-	973	790	1221	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	हरियाणा	18436	–	–	833	1295	3000	4000	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	4760	115	10	151	130	127	158	–	–
7.	जम्मू और कश्मीर	4150	20	–	273	7	–	40	–	–
8.	कर्नाटक	5825	–	166	107	–	–	–	–	–
9.	केरला	1339	–	–	144	166	12	94	–	–
10.	मध्य प्रदेश	80072	11395	10194	10892	12383	8717	15661	15000	15000
11.	महाराष्ट्र	126691	1128	1675	644	2792	2098	3481	–	6000
12.	उड़ीसा	17122	209	26	1080	872	705	888	2000	4000
13.	पंजाब	31290	130	–	4102	1138	291	375	4000	3000
14.	राजस्थान	57786	528	178	2147	1543	2181	2096	3000	10000
15.	तमिलनाडु	35561	–	–	500	2556	3461	4987	–	14000
16.	उत्तर प्रदेश	226189	1867	4620	1065	15213	3505	29665	20000	70000
17.	पश्चिम बंगाल	30000	–	–	103	–	–	–	–	–
18.	दिल्ली	17420	–	505	13	196	121	303	–	–
19.	नागालैंड	1800	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	मेघालय	607	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	पाडिचेरी	476	–	93	–	93	–	–	–	–
	कुल	786941	16288	18583	13266	40820	25358	64967	44000	122000

विवरण–II

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियां को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2.00	2.55	4.59	0.62	–
2.	असम	0.125	2.02	–	–	–
3.	बिहार	3.50	3.13	–	–	–
4.	गुजरात	2.50	1.86	2.00	–	–
5.	हरियाणा	1.50	1.76	7.14	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	0.60	2.53	देय नहीं	–	–
7.	जम्मू और कश्मीर	0.025	1.00	देय नहीं	–	–
8.	कर्नाटक	1.75	3.99	-तदैव-	–	–
9.	केरल	0.25	0.30	-तदैव-	–	–
10.	मध्य प्रदेश	4.00	13.36	12.26	15.89	20.18

1	2	3	4	5	6	7
11.	महाराष्ट्र	3.70	6.59	3.78	5.00	5.80
12.	उड़ीसा	3.50	0.58	1.19	–	2.56
13.	पंजाब	3.50	0.58	देय नहीं	–	2.55
14.	राजस्थान	4.75	1.01	2.27	–	6.86
15.	तमिलनाडु	5.00	0.80	देय नहीं	2.44	13.85
16.	उत्तर प्रदेश	8.00	14.94	37.63	45.05	32.16
17.	पश्चिम बंगाल	2.00	3.63	–	–	–
18.	दिल्ली	3.75	0.05	देय नहीं	–	–
19.	पांडिचेरी	0.025	0.05	–	–	–
20.	नागालैंड	–	–	0.11	–	–
21.	मेघालय	0.025	–	–	–	–
	कुल	50.50	60.73	70.97	73.00	89.96

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग को संरक्षण

*35. **श्री पी.आर.दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर ध्यान दिए बिना कि फिल्म किस भाषा की है, संपूर्ण फिल्म उद्योग को बचाने के लिए इस बात पर विचार करेगी कि किसी भी फिल्म की वीडियो प्रति उस समय तक जारी न की जाये जब तक कि वह फिल्म बाजार में रिलीज न हो जाये और उस फिल्म के रिलीज होने की तारीख से 60 दिन तक चल न जाये;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आवश्यक कानून बनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का फिल्म उद्योग को किस प्रकार से संरक्षण देने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). फिल्मों के निर्माण और वितरण पर नियंत्रण स्वयं फिल्म उद्योग द्वारा रखा जाता है जोकि निजी क्षेत्र में है। इसलिए, सेल्लुलाएड एवं वीडियो दोनों प्रकार की फीचर फिल्मों को रिलीज करने वाली पद्धति उन्हें ही सुनिश्चित करनी है। सरकार का फिल्म रिलीज करने के बारे में कोई कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विजय केलकर समिति

*36. **श्री अमर पाल सिंह** :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के वित्तीय पुनर्गठन हेतु गठित की गई विजय केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में विमानों की संख्या

*37. **डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में इस समय एयरबस-300 और एयरबस-320 मॉडल के कितने-कितने विमान परिचालन में हैं;

(ख) उन विमानों की जीवन अवधि (लाइफ-स्पैन) कितनी है जिनकी परिचालन अवधि पूरी हो चुकी है;

(ग) उन विमानों के स्थान पर नये विमान शामिल करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या है, जिन्होंने अपनी परिचालन अवधि पूरी कर ली है; और

(घ) हवाई यात्रा में सुरक्षा और उचित समय पर इनकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान ए-300 और ए-320 शामिल करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क)

	विमानों की संख्या	
	ए-300	ए-320
एयर इंडिया	3	-
इंडियन एयरलाइन्स	10	30

(ख) और (ग). विमान के लिए कोई मियाद निश्चित नहीं की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय के विनियमों के अनुसार, विमान की उड़नयोग्यता की शर्त के अधीन उसका प्रचालन जारी रह सकता है।

(घ) इस समय एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइन्स का प्रतिस्थापन अथवा क्षमता में वृद्धि हेतु ए-300 या ए-320 प्रकार के नये विमान प्राप्त करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को घाटा

*38. **श्री सोहनवीर :**
कुमारी उमा भारती :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को कितना घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और किन मार्गों पर घाटा हो रहा है;

(ग) घाटे की पूर्ति करने और इन्हें लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार नागर विमानन के विकास के लिए इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को विलय करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क)

वर्ष	निवल लाभ/(हानि)	
	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
		(करोड़ रुपयों में)
1993-94	201.90	(258.46)
1994-95	40.80	(188.73)
1995-96	(244.00)×	(134.25)×
1996-97 (मई, 1996 तक)	(93.80)×	(25.00)×

×(अनन्तिम)

(ख) एयर इंडिया को वर्ष 1995-96 के दौरान, नये विमानों पर ब्याज तथा मूल्य ह्रास, बढ़ी हुई प्रतियोगिता के कारण आय में कमी, अवतरण, हैंडलिंग तथा दिक्चालन संबंधी बढ़े हुए प्रभारों, अभियंताओं द्वारा आन्दोलन, रुपए के मूल्य का ह्रास आदि कारणों से व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ। एयर इंडिया को इस महाद्वीप, कनाडा, यू.के. अफ्रीका के लिए अपने प्रचालनों पर तथा यू.एस.ए. और सिंगापुर के लिए भारवाही प्रचालनों के कारण घाटा होता रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स को ए-320 विमान बेड़े के प्रचालन बन्द करने, ट्रेक मार्गों पर गैर-सरकारी विमान कम्पनियों के प्रवेश, विमान चालकों के पलायन, प्रतिकूल विनिमय उतार-चढ़ावों आदि के कारण घाटा होता रहा हैं इंडियन एयरलाइन्स को पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टेशनों, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के संयोजी मार्गों पर घाटा होता रहा है।

(ग) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स, और अधिक यात्रियों को आकृष्ट करने तथा राजस्व में वृद्धि के लिए अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही है।

(घ) और (ङ). सरकार एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के अधिकाधिक एकीकृत कार्य-संचालन संबंधी आवश्यकता को समझती है जिससे वे एक-दूसरे की क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सकें।

सीमावर्ती क्षेत्रों में टी.वी. ट्रांसमीटर

*39. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिले पड़ौसी देशों द्वारा अपने उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्रों से किये जा रहे दुष्प्रचार से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए सीमावर्ती जिलों में उच्च शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). पड़ौसी देशों द्वारा सीमा पार से प्रसारित किए जा रहे प्रचार का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने राजस्थान सहित ऐसे क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने की एक योजना प्रारंभ की हैं अन्य बातों के साथ-साथ संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, इस योजना में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चार 10 कि.वा. तथा एक कि.वा. उ.श.ट्रां., आठ अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 35 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है। हालांकि, सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले से चालू हैं, तथापि, तीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, एक रामेश्वरम (10 कि. वा.) में, एक भुज में (प्रतिबंधित टावर ऊंचाई सहित 10 कि.वा.) तथा एक गंगटोक (1 कि.वा.) में भी परिचालन के लिए तैयार किया गया है। जैसलमेर (10 कि.वा.) तथा बाड़मेर (1 कि.वा. अंतरिम स्थापना) में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है और स्टाफ की मंजूरी मिलने पर ही इन्हें चालू किया जा सकेगा।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां "सीमावर्ती क्षेत्र टेलीविजन कवरेज स्कीम" के अंतर्गत टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार था/है

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	10 कि.वा.	1 कि.वा.	100 वाट	2×100 वाट
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	अनीनी अलोंग बोम्डीला चंगलांग दपोरिजी खोन्सा नाम्सई रोईंग सेप्पा तवांग जीरो
2.	बिहार	–	–	फोरवेसगंज मधुबनी मोतीहरी सीतामढ़ी	
3.	मिजोरम	–	–	–	सैहा
4.	गुजरात	भुज	–	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	–	–	बिलासपुर धर्मशाला मण्डी	चम्बा हमीरपुर कल्पा केलोंग ऊना

1	2	3	4	5	6
6.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	भवरपा डोडा खलाटसे कुपवाड़ा किश्तवार पहलगाम रामबन उधमपुर
7.	मणिपुर	–	–	–	चन्देल सेनापति तामेनग्लोंग
8.	मेघालय	–	–	जोवई	नोंगस्टोइन
9.	नागालैण्ड	–	–	–	मोन बोग जुन्हेबीटी
10.	राजस्थान	बाड़मेर जैसलमैर	–	–	–
11.	सिक्किम	–	गंगटोक	–	ग्यालासंग यगन नामची
12.	तमिलनाडु	रामेश्वरम	–	–	–
	कुल	4	1	8	35

[अनुवाद]

बाल श्रम

*40. **श्री मोहन रावले** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बाल श्रम कानून में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त संशोधन कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन), अधिनियम, 1986 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। सितम्बर, 1995 में नई दिल्ली में देश के सबसे अधिक बाल श्रम वाले जिलों के कलक्टरों के लिए आयोजित कार्यशाला में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम को और अधिक कठोर और कारगर बनाने की अनेक सिफारिशें की गयी थीं। चूंकि अधिनियम में संशोधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श आवश्यक है अतः इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना कठिन होगा।

दूरदर्शन चैनल, कलकत्ता

201. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेट्रो और अन्य चैनल के कार्यक्रमों को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से आगे प्रसारित करने का है;

(ख) क्या राज्य के लोग इसकी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या राज्य के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है अथवा उठाये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से आगे मैट्रो चैनल (डीडी-2) सेवा का विस्तार करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर करते हुए प्रारंभ में राज्यों की राजधानियों तथा देश के प्रमुख शहरों में इस सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है वर्तमान में इस सेवा को कलकत्ता स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-2) द्वारा पश्चिम बंगाल में रिले किया जा रहा है। इस सेवा को रिले करने के लिए वर्तमान में मुर्शिदाबाद में एक अतिरिक्त अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है। पश्चिम बंगाल में मैट्रो चैनल सेवा का और विस्तार संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। तथापि यह सेवा उपयुक्त डिश एन्टीना पद्धति का उपयोग करके उपग्रह के जरिए सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में उपलब्ध है।

कम शक्ति के ट्रांसमीटर

202. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में रोहतक में कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या हरियाणा में मेहम में स्थापित कम शक्ति का ट्रांसमीटर अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहा है;

(ङ) क्या मेहम और रोहतक में कम शक्ति के ट्रांसमीटर केन्द्रों के इष्टतम उपयोग के लिए वहां पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). रोहतक में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है। तथापि, इसको चालू करना परियोजना के संचालन तथा रखरखाव के लिए स्टाफ की मंजूरी के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

(घ) से (च). हालांकि स्टाफ मंजूरी के लंबित रहते मेहम स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले ही चालू कर दिया गया है फिर भी, दूरदर्शन नेटवर्क में अन्य स्थान से अन्तरिम स्टाफ को लगा कर के इस परियोजना को चलाया जा रहा है जिसके कारण केवल सीमित ट्रांसमिशन उपलब्ध हो रहा है। पूरी क्षमता के साथ ट्रांसमीटर को चलाना इस परियोजना के लिए स्टाफ की मंजूरी उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

राजस्थान में विमान सेवा का विस्तार

203. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में विमान सेवाएं बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). दिल्ली और मुम्बई से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए विद्यमान बिमान सेवाओं की आवृत्तियों में और वृद्धि करने तथा जैसलमेर के लिए विमान सेवा आरंभ करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) क्षमता और कर्मीदल सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, इंडियन एयरलाइन्स, इस समय विमान सेवाओं में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लिए/से प्रचालनों के लिए गैर-सरकारी विमान कंपनियों को रियायतें देने की पेशकश किए जाने का पता चला है।

दूरदर्शन के चैनलों का घाटा

204. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार टी.वी. और अन्य विदेशी दूरदर्शन चैनलों की शुरूआत से पहले दूरदर्शन के डी.डी.1 और डी.डी.2 चैनल विज्ञापनों के माध्यम से काफी धन अर्जित कर रहे थे जो कि इस समय विदेशी चैनल द्वारा अर्जित किया जा रहा है;

(ख) विदेशी चैनलों पर दूरदर्शन के विज्ञापनों के प्रसारण के कारण दूरदर्शन की कुल कितना घाटा हो रहा है; और

(ग) सरकार का विचार इस घाटे को किस प्रकार पूरा करने का है ताकि भविष्य में दूरदर्शन सुचारू रूप से कार्य कर सके?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). विदेशी उपग्रह चैनलों के आगमन के कारण दूरदर्शन की विज्ञापन आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जैसाकि विगत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा अर्जित विज्ञापन राजस्व के निम्नलिखित आंकड़ों से सुस्पष्ट है :

वर्ष	राजस्व (करोड़ों में)
1993-94	372.98 रुपए
1994-95	398.02 रुपए
1995-96	430.13 रुपए

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार के लिए सतत् प्रयासरत है जिससे कि अधिकतम संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया जा सके तथा विज्ञापनदाताओं के लिए इसे लागत प्रभावी माध्यम बनाया जा सके।

कालीकट विमानपत्तन से हज के लिए उड़ाने

205. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट विमानपत्तन से हजयात्रा के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विमानपत्तन से इस वर्ष हजयात्रा के लिए कितनी उड़ानों की व्यवस्था की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). कालीकट हवाई अड्डे से हज के लिए उड़ानें शुरू करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि 1995 तथा 1996 के दौरान हज के लिए उड़ानें बी-747 किस्म के विमान से प्रचालित की गई हैं, अतः तकनीकी रूप से इस प्रकार की उड़ानें कालीकट से प्रचालित करना व्यवहार्य नहीं हो पाया है।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

206. **श्री सौम्य रंजन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने होटलों, मोटलों और विश्राम गृहों (गेस्ट हाउसों) के निर्माण हेतु उड़ीसा को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 1995-96 के दौरान कितने होटलों, मोटलों और विश्राम गृहों (गेस्ट हाउसों) का निर्माण किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त कुमार जेना) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग, भारत सरकार होटलों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, लेकिन यह राज्य सरकारों को पर्यटक लाजों, मार्गस्थ सुख सुविधाओं, यात्री निवासों, कैफेटेरियों और कुछ टेन्ट वाले आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है उड़ीसा राज्य को 1995-96 के दौरान इन प्रयोजनों के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	धौली में सुख-सुविधा केन्द्र	20.26 लाख रु.
2.	बदरामा में पर्यटक लाज	36.41 लाख रु.
3.	बरकुल में फ्लोटिंग रेस्तरां	42.89 लाख रु.
4.	बीच क्लीनर उपकरण, पुरी, उड़ीसा	9.30 लाख रु.
	कुल	108.86 लाख रु.

बंधुआ मजदूर

207. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों ने बंधुआ श्रमिकों विशेष रूप से बाल मजदूर पर रोक लगाने में असफल रहने पर भारत की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुक्त कराए गए बंधुआ बाल मजदूरों की वर्षवार संख्या क्या है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में बंधुआ मजदूरों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जून, 1995 में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेन के 81वें सत्र में मानक अनुप्रयोज्यता समिति द्वारा बलात श्रम से संबंधित अभिसमय संख्या 29 पर विचार-विमर्श किया गया था।.समिति ने सरकार से अनुरोध किया कि बाल श्रम और बंधुआ श्रम के उन्मूलन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए हर संभव प्रयास करें। पूरे देश में बंधित श्रम प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा दी गयी सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसरण में किए गए विभिन्न संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक उपायों के बारे में सम्पूर्ण तथ्यगत स्थिति से समिति को पूरी तरह से अवगत करवा दिया गया है।

(ग) आठ भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुल 1,524 बंधुआ बाल श्रमिकों की पहचान की गयी है और उन्हें पुनर्वासित करवाया गया है।

(घ) सरकार ने पूरे देश में बंधित श्रम प्रथा के समूल उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पहचान किए गए श्रमिकों को समयबद्ध तरीके से पुनर्वासित किया जाता है और सरकार द्वारा केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तर पर स्थिति का गहनता से प्रबोधन किया जाता है। 1978 से प्रारम्भ केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों की पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 50:50 आधार

पर सहायता प्रदान की जाती है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मात्रा को 1.4.1995 से 6,250/- रु. से बढ़ाकर 10,000/- रु. प्रति बंधुआ श्रमिक कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों के साथ जोड़ें। कुछ राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश बंधुआ बाल श्रमिकों को आश्रय स्कूलों/आवासीय स्कूलों आदि जिनमें उन्हें अध्ययन हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती है, मैं उन्हें दाखिला दिलाकर अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण

208. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक दिल्ली में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता का संख्या-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के बारे में कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई निगरानी दल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान किए गये व्यय का संस्थान-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	औ.प्र.सं.का नाम	वर्ष-वार व्यय (रुपए में) 1993-94	1994-95	1995-96
1.	औ.प्र.स. सिरी फोर्ट	5341152	4788358	6098292
2.	औ.प्र.स., जाफरपुर	1745687	2073333	2352850
3.	औ.प्र.स. मोरी गेट	1802000	1992309	2216049

(ख) से (घ). दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के दुरूपयोग की कोई शिकायत उसे प्राप्त नहीं हुई है तथा इस प्रयोजनार्थ उसने निगरानी दल की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ङ) उपर्युक्त प्रस्तुत उत्तरों के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

209. **श्री एस.डी. एम.आर. वाडियार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कर्नाटक में दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आठवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार कितनी प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). जी, हां। कर्नाटक में टी.वी. सेवा को और अधिक सुदृढ़ करने के विचार से एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र एवं विभिन्न शक्तियों 12 टी.वी. ट्रांसमीटरों को दूरदर्शन की आठवीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों के एक भाग के रूप में सेवा के लिए चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न शक्तियों के 18 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन में, विभिन्न क्रियाकलाप शामिल हैं जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, स्थल का अधिग्रहण, आवर्तिता स्वीकृति, भवन एवं टावर का निर्माण तथा उपकरण, आदि की प्राप्ति, ये स्कीमें विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयनाधीन हैं।

आकाशवाणी केन्द्र, आसनसोल

210. **श्री हाराधन राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान आसनसोल, पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी केन्द्र शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). आसनसोल में 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर और रिसीविंग सुविधाओं सहित एक रिले केन्द्र के अगस्त, 96 तक चालू करने के लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनायें

211. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में लागू की गयी कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनायें कब से लागू की गई हैं;

(ग) क्या इन सभी योजनाओं ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की पुनरीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). योजनाओं के ब्यौरे तथा इनके प्रारम्भ होने का वर्ष अनुबंध में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ). जी, हां, पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 1224.60 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले योजनाओं के अंतर्गत 1223.43 करोड़ रुपए प्रदान किए गए।

(ङ) और (च). प्रत्येक वर्ष योजना आयोग के साथ योजना विचार-विमर्श करते समय इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

आदिवासी विकास हेतु कार्य नीतियों की समीक्षा करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 339 (1) के अंतर्गत एक आयोग स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष
1.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	तीसरी पंचवर्षीय योजना
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कों के लिए होस्टल	1989-90
3.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	1990-91
4.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	1993-94
5.	अनुसूचित जनजाति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	1953-54
6.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1992-93
7.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	
	(1) आदिवासी अनुसंधान के संस्थानों को अनुदान तथा अनुसंधान फैलोशिपों को पुरस्कार	1979-80
	(2) अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाएं	
8.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	1992-93
9.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान/ट्राइफेड को मूल्य सहायता	1987
10.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	5वीं पंचवर्षीय योजना
11.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	1974-75

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मीडिया नीति

212. **श्री रूप चंद पाल :**
श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने राष्ट्रीय मीडिया नीति के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप समिति ने परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्री को उप समिति के कार्यकरण के नियमों एवं शर्तों के अनुसार विचार करने के लिए 29 मार्च, 1996 को "राष्ट्रीय मीडिया नीति पर एक व्यावहारिक दस्तावेज" प्रस्तुत कर दिया है। इसी बीच लोक सभा भंग हो गई तथा नई लोक सभा के गठन के लिए आम चुनाव हुए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की परामर्शदात्री समिति अभी गठित की जानी है। परामर्शदात्री

समिति का गठन होते ही राष्ट्रीय मीडिया नीति पर व्यावहारिक दस्तावेज को विचारार्थ/चर्चा के होते ही राष्ट्रीय मीडिया नीति पर व्यावहारिक दस्तावेज को विचारार्थ/चर्चा के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सिफारिशों का एक सार विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण

प्रसारण में भारतीय संस्कृति व रीति-रिवाजों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की ओर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए तथा देश की विकासात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए। प्रसारण में भारतीय व्यक्तित्व को दिखाया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.1.)

9.2 सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के प्रसारणों पर नजर रखने के लिए एक विनियामक निकाय होना चाहिए। इस संबंध में उप-समिति ने यह नोट किया है कि विनियमन का ढांचा तैयार करते समय जो कि एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी प्राधिकरण के रूप में हो, संसद द्वारा 1990 में सर्वसम्मति से पारित प्रसार भारती अधिनियम के प्रावधानों की ध्यान में रखा जाना चाहिए। उप-समिति की यह स्पष्ट राय है कि सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के प्रावधानों को कमजोर किया जा सके। कार्यक्रम विज्ञापन संहिता और अन्य अनुबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस विनियमन निकाय की स्थापना की जा सकती है। यह निकाय अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य सार्वजनिक शिकायतों की सुनवाई के साथ-साथ इस प्रकार की शिकायतों के संदर्भ में प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के लिए भी कोई कारगर तरीका ढूंढ़ सकता है।

(अनुच्छेद 6.4.1.2)

9.3 विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, पंचायतों/स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों आदि द्वारा चलाए जाने वाले गैर-व्यावसायिक प्रसारण केन्द्रों की स्थापना को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.3)

9.4 उप-समिति यह मानती है कि सार्वजनिक प्रसारण के लिए सरकारी समर्थन के रूप में पर्याप्त आर्थिक सहायता आवश्यक है। कार्यक्रमों अथवा सॉफ्टवेयर की विषयवस्तु कई बार आर्थिक सहायता द्वारा निर्देशित होती है। इसीलिए उप-समिति सशक्त रूप से यह सिफारिश करती है कि इस पहलू के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए तथा एक संस्थागत प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.4)

9.5 राष्ट्रीय प्रसारकों-आकाशवाणी और दूरदर्शन-को ऐसी उच्च गुणवत्ता प्राप्त सार्वजनिक सेवा प्रसारण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करता हो तथा गणतंत्र दिवस परेड जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए कवरेज भी उपलब्ध कराता हो। राष्ट्रीय प्रसारकों की पहुंच को ध्यान में रखते हुए उनको गणतंत्र दिवस की परेड, स्वतंत्रता दिवस, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति का संबोधन जैसे राष्ट्र कार्यक्रमों की कवरेज के मामले में महत्व और विशिष्ट दायित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.5)

9.6 राष्ट्रीय प्रसारकों के अधिकारों/दायित्वों और विशिष्टता को कानून के जरिए संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.6)

9.7 यद्यपि रेडियो और टेलीविजन के लिए विस्तृत नीतिगत प्रस्ताव होना चाहिए, परंतु दोनों मीडिया की पहुंच और प्रभाव में अंतर को ध्यान में रखते हुए थोड़ी-बहुत भिन्नता/अंतर रखा जा सकता है। कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता यदि एक नहीं तो समान होनी चाहिए। विज्ञापन देते समय दर्शक/श्रोता की रुचि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जनता के अनुकूल एक नई निर्माण विधि का विकास किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.7)

9.8 यहां सुझाए गए नीति ढांचे की तर्ज पर भारतीय निजी क्षेत्र/राज्य सरकार/गैर सरकारी संस्थान/स्थानीय स्वशासन की प्रसारण के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.8)

9.9 यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रावधान रखे जाने चाहिए कि निजी प्रसारण का नियंत्रण मुद्रण माध्यम (प्रिंट मीडिया) अथवा अन्य माध्यमों में प्रमुख साझेदारी रखने वाली कंपनियों के हाथ में न हो। अतः बहु-स्वामित्व जैसे प्रतिबंधों की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.9)

9.10 निजी प्रसारण के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कंपनियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी पूंजी की भागीदारी की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.10)

9.11 कानून में समुचित प्रावधानों के जरिए निजी चैनल तक जन-साधारण पहुंच सुलभ कराई जानी चाहिए।

(अनुच्छेद 6.4.1.11)

9.12 आकाशीय तरंगों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए इसके उपयोग को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। उप-समिति ने महसूस किया है कि भारतीय आकाश की अखंडता क्षेत्रीय अखंडता की तरह महत्वपूर्ण है। यह विनियामक प्राधिकरण संसद द्वारा पारित एक कानून के जरिए जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए। यह निकाय अनुच्छेद 6.4.1.2 में उल्लिखित विनियामक

निकाय (रेगुलेटरी बाडी) के कार्यों को शामिल कर सकता है अथवा अनुच्छेद 6.4.1.2 में उल्लिखित विनियामक निकाय के अंतर्गत आकाशीय तरंगों को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से एक अलग निकाय हो सकता है।

(अनुच्छेद 6.5.1)

9.13 शीर्ष विनियामक निकाय (अपेक्स रेगुलेटरी बाडी) को समाज के सभी वर्गों एवं अभिरुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी सार्वजनिक प्राधिकरण होना चाहिए और लोक हित में आकाशीय तरंगों के उपयोग को नियंत्रित एवं विनियमित करना चाहिए तथा उनके अधिकारों के हस्तक्षेप को रोकना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.5.2)

9.14 विदेशी उपग्रह चैनलों को भारतीय कानून के दायरे में लाने के उद्देश्य से इनको उक्त विनियामक निकाय की परिधि में भी लिया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.5.3)

9.15 उप-समिति ने यह अनुभव किया कि आकाशीय तरंगों के विषय में अन्य देशों के साथ बहुपक्षीय/क्षेत्रीय समझौते बढ़ाने के लिए विशेषकर सॉफ्टवेयर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न करने चाहिए।

(अनुच्छेद 6.5.4)

9.16 उप-समिति ने यह माना है कि टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों को पहले से सेंसर करना मुश्किल है क्योंकि इनके लिए व्यापक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। फिर भी, निजी प्रसारण/विदेशी चैनलों को भारतीय कानून की सीमा में लाकर अहस्तक्षेप की नीति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

(अनुच्छेद 6.5.5)

9.17 उप-समिति ने यह महसूस किया है कि प्रदेश/क्षेत्र-विशेष के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम, विशेषकर टेलीविजन के कार्यक्रमों और विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार को कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण, कार्यक्रम में स्वायत्तता और इसके लिए पांच क्षेत्रों (दक्षिण, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और उत्तरी) के गठन के संबंध में वर्गीज समिति की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर विचार करना चाहिए।

(अनुच्छेद 6.5.6)

9.18 इस बात का ध्यान रखा जाये कि गैर-सरकारी प्रसारणकर्ता चैनलों में परिवर्तन कर, खासकर उन चैनलों में जो ज्यादा लाभ देने वाले हों, एकाधिकार प्राप्त न कर लें।

(अनुच्छेद 6.5.7)

9.19 राष्ट्रीय फिल्म नीति के लिए गठित कार्य दल द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय फिल्म नीति के मुख्य उद्देश्यों का उप-समिति अनुमोदन करती है, (देखिए अनुच्छेद 7.6.2) और उन्हें यहां फिर दोहराती है। क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म नीति की औपचारिक घोषणा से लाभ पहुंचेगा, इसलिए उप-समिति चाहती है कि सरकार इस संबंध में तत्काल कदम उठाये।

(अनुच्छेद 7.12.1.1)

9.20 जबकि प्राक्कलन समिति और स्थायी समिति ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की कार्यप्रणाली की पूरी तरह जांच कर ली है, हम उनके सुझावों में कुछ और वृद्धि न कर केवल उन्हें ही मानने की सिफारिश करते हैं। इन सुझावों की चर्चा अन्यत्र हुई है (देखिए परिशिष्ट 7 और अनुच्छेद 7.9.5 और 7.9.6)। उप-समिति चाहती है कि फिल्मों में विशिष्ट नेताओं की छवि बिगाड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से संबंधित निर्देशों में परिवर्तन करे।

(अनुच्छेद 7.12.1.2)

9.21 फिल्म प्रभाग और निजी निर्माताओं द्वारा अच्छे लघु चित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फिल्म प्रभाग को अपने वृत्तचित्रों की गुणवत्ता बढ़ाकर और रोचक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उप-समिति का सुझाव है कि सरकार को भारतीय वृत्तचित्रों आंदोलन के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस संबंध में उप-समिति यह मानती है कि फिल्म प्रभाग को ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाने का काम अपने पैनल पर रखे स्वतंत्र निर्माताओं को सौंपना चाहिए। दूसरे, दूरदर्शन को वृत्तचित्रों के निर्माण का कार्य फिल्म प्रभाग और दूसरी एजेंसियों से करवाना चाहिए।

(अनुच्छेद 7.12.1.3)

9.22 ऐसा कहा जाता है कि दूरदर्शन पर वृत्तचित्र दिखाने के लिए प्रयोजकों के मिलने में बहुत कठिनाई होगी। उप-समिति की सिफारिश है कि यदि प्रायोजक न भी मिलें तो भी दूरदर्शन 'प्राइम टाइम' में रोज कम-से-कम आधा घंटा का समय वृत्तचित्र दिखाने के लिए नियत कर दें।

(अनुच्छेद 7.12.1.4)

9.23 उप-समिति का यह भी सुझाव है कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में वृत्तचित्रों के प्रदर्शन की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए धन के आबंटन पर विचार करे।

(अनुच्छेद 7.12.1.5)

9.24 बाल फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उप-समिति का सुझाव है कि एनिमेशन फिल्मों के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा ढांचागत सुविधाएं विकसित की जायें।

(अनुच्छेद 7.12.1.6)

9.25 उप-समिति यह भी सिफारिश करती है कि देश के प्रत्येक जिले में बाल फिल्मों के प्रदर्शन के अधिक-से-अधिक अवसर तलाश किए जायें।

(अनुच्छेद 7.12.1.7)

9.26 बैठकों के दौरान फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह बताया कि हालांकि दादा साहब फाल्के नवार्ड के लिए सरकार ने भारतीय फिल्म परिसंघ से सिफारिशें मांगी थीं लेकिन उन्हें माना नहीं गया। उप-समिति को यह बताया गया है कि इस संबंध में सरकार के पास फिल्म उद्योग सहित हर तरफ से सिफारिशें आती हैं और अवार्ड के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव मंत्रालय में उच्च स्तर पर होता है। सरकार के निर्णय को और प्रमाणिक बनाने के लिए उप-समिति यह सुझाव देती है कि सरकार एक लघु समिति का गठन करे जिसमें फिल्मी दुनिया के साथ ही अनेक विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल हों, और यह लघु समिति पुरस्कार के लिए प्राप्त सभी नामों पर विचार करके किसी एक व्यक्ति का दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए सिफारिश करे।

(अनुच्छेद 7.12.1.8)

9.27 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की शुरूआत 1953 में क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने और सुरूचिपूर्ण तथा सामाजिक चेतना जागृत करने में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। उप-समिति यह समझती है कि जिन फिल्मों को अवार्ड मिले उन्हें देश के सभी राज्यों और बड़े-बड़े शहरों में दिखाया जाना चाहिए जिससे उस क्षेत्र-विशेष की जनता को उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हो। केन्द्र सरकार को अवार्ड प्राप्त फिल्मों के समारोह के लिए राज्य सरकारों को फंड देने का भी प्रबंध करना चाहिए।

(अनुच्छेद 7.12.1.9)

9.28 उच्च स्तरीय समिति (1990) की सिफारिशों को पूरी तरह अमल करवाने के लिए उप-समिति के सामने बहुत-सी गवाहियां पेश की गई। इस संबंध में उप-समिति की यह राय है कि इस विषय पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।

(अनुच्छेद 7.12.1.10)

9.29 उप-समिति का सुझाव है कि राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को चाहिए कि वे फिल्म उद्योग की सहायता के लिए मनोरंजन कर में कुछ सुधार करें।

(अनुच्छेद 7.12.1.11)

9.30 बातचीत के दौरान उप-समिति के समक्ष फिल्म उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों ने यह निवेदन किया कि कच्चे माल के आयात पर उच्च लागत को देखते हुए सीमा शुल्क को अगर खत्म नहीं किया जा सकता हो तो इसे घटा दिया जाना चाहिए। उप-समिति सिफारिश करती है कि कच्चे माल पर लगने वाला शुल्क इस वास्तविकता को देखते हुए खत्म कर दिया जाना चाहिए कि देश में कच्चे माल के निर्माण की कोई सुविधा नहीं है।

(अनुच्छेद 7.12.1.12)

9.31 उप-समिति के समक्ष कुछ गवाहों ने टेलीविजन और वीडियो के आने के बाद थिएटरों की कमी और सिनेमाघरों के बंद होने पर चिंता व्यक्त की। प्रदर्शन सुविधाओं की कमी से निबटने के लिए उप-समिति का सुझाव है कि सिनेमा थिऐटरों को व्यावसायिक परिसरों में परिवर्तित किया जा रहा हो, वहां स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर जो परिसर बन रहा है उसमें कम से कम एक लघु-थिऐटर जरूर हो। उप-समिति यह भी सिफारिश करती है कि अधिक से अधिक बहुविध थिएटर परिसरों को प्रोत्साहित किया जाए।

(अनुच्छेद 7.12.1.13)

9.32 उप-समिति सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और अन्य एजेंसियां बड़े-बड़े थिएटरों की बजाय 400 से 500 लोगों की क्षमता वाले थिऐटरों के निर्माण को प्रोत्साहित करे।

(अनुच्छेद 7.12.1.14)

9.33 बैठकों के दौरान सिनेकर्मियों के प्रतिनिधियों ने फिल्म उद्योग को 'उद्योग' घोषित करने का निवेदन किया, ताकि उद्योग के कर्मचारी निर्माताओं द्वारा शोषित न हो सकें। उप-समिति का विचार है कि फिल्म उद्योग के कर्मचारियों के लिए श्रमिक कल्याण उपाय शुरू किए जाने से उनकी स्थिति में काफी सुधार होगा। इसीलिए उप-समिति सिफारिश करती है कि सिर्फ संस्थागत वित्त प्रबंध के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि श्रमिकों के कल्याण से संबंधित श्रमिक कानूनों को लागू करने के लिए भी फिल्म उद्योग को एक उद्योग घोषित किया जाए।

(अनुच्छेद 7.12.1.15)

9.34 सिनेमा के संरक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की है। कुछ समाचार-पत्रों में महत्वपूर्ण फिल्मों की क्षति और उसके गुम होने की रिपोर्ट छपी है। उप-समिति का सुझाव है कि अभिलेखागार सभी उत्कृष्ट फिल्में हासिल करने और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के वास्ते तुरंत कदम उठाए।

(अनुच्छेद 7.12.1.16)

9.35 उप-समिति यह भी सुझाव देती है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार फिल्म प्रभाग से पुराने वृत्त-चित्र जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए ले ले।

(अनुच्छेद 7.12.1.17)

9.36 आजकल विभिन्न विश्वविद्यालयों ने फिल्म बोध पाठ्यक्रम शुरू किया है तथा नई फिल्म समितियां बन रही हैं। लेकिन सरकार भारतीय फिल्म समिति परिसंघ को अपनी गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष सिर्फ 3 लाख रुपए देती है। यह बिल्कुल अपर्याप्त है। उप-समिति सिफारिश करती है कि सरकार वित्त सहित सभी सुविधाएं देकर फिल्म समिति आंदोलन को प्रोत्साहन दे। भारतीय फिल्म समिति परिसंघ को दी जाने वाली सहायता अनुदान की राशि पर्याप्त बढ़ायी जानी चाहिए।

(अनुच्छेद 7.12.1.18)

9.37 कुछ गवाहों ने उप-समिति को बताया कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले फिल्मी गानों की रायल्टी दर 2 रुपए प्रति गीत है, जोकि काफी समय पहले निर्धारित किया गया था। समय अंतराल और

फिल्मी गीतों के फिल्मांकन में बढ़ती हुई लागत को देखते हुए उप-समिति सिफारिश करती है कि आकाशवाणी द्वारा इसे संशोधित कर बढ़ाया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 7.12.1.19)

9.38. पत्रकारों के लिए एक आचार-संहिता बनाने और भारतीय प्रेस परिषद को और अधिक अधिकार देने से संबंधित सुझावों के बारे में उप-समिति का विचार है कि उचित निर्णय के लिए यह मामला प्रेस परिषद पर छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रेस परिषद को पर्याप्त अधिकारों से अपने आप को लैस करना चाहिए ताकि वह साम्प्रदायिकता फैलाने वालों, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवहेलना करने वालों और अन्य अवांछित गतिविधियों में संलग्न लोगों से निबट सके।

(अनुच्छेद 8.4.1.1)

9.39 भारतीय भाषा प्रेस तथा लघु एवं मझौले समाचार-पत्रों को बढ़ना चाहिए। इसलिए उप-समिति सिफारिश करती है कि सरकार इन वर्गों के प्रेस के आधुनिकीकरण में सहायता करके उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयास करे।

(अनुच्छेद 8.4.1.2)

9.40 किसी भी समाचार-पत्र की वित्तीय व्यवहार्यता बड़ी हद तक उसको प्राप्त विज्ञापन-राजस्व पर निर्भर करता है। सरकार की विज्ञापन नीति और दर तार्किक और एकसमान होनी चाहिए, ताकि समाचार-पत्रों को प्रभावित करने के यंत्र के रूप में विज्ञापन के संभावित प्रयोग के खतरे को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे प्रेस की आजादी प्रभावित होगी।

(अनुच्छेद 8.4.1.3)

9.41 हालांकि अखबारी कागज के आयात को सामान्य खुले लाइसेंस (ओ.जी.एल) के तहत रखा गया है। फिर भी इस बात की जरूरत महसूस की जाती है कि लघु और मझोले समाचार-पत्रों की ओर से अखबारी कागज के आयात के लिए एक 'नोडल' एजेंसी हो, क्योंकि इन समाचार-पत्रों के पास आवश्यक ढांचा और इस तरह के आयात के लिए मोलभाव करने की शक्ति नहीं है।

(अनुच्छेद 8.4.1.4)

9.42 पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता एक और पहलू है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। प्रेस अब अपने स्वभाव में अधिक व्यावसायिक हो गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न घटनाओं को रिपोर्ट करने और वास्तविक परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या करने में प्रेस सक्षम हो सके, यह अत्यावश्यक है कि अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं, ताकि पत्रकार व्यापक शैक्षिक तैयारी और पत्रकारिता में विशेष प्रशिक्षण ले सके।

(अनुच्छेद 8.4.1.5)

9.43 भारतीय संवाद समितियां राष्ट्रीय समाचारों को विदेशों में फैलाने और भारत में फैलाने के लिए विदेशी समाचारों को एकत्र करने जैसे कार्यों को प्रभावशाली तरीके से करने में सक्षम नहीं है। आज भी अग्रणी समाचार पत्रों के अंतर्राष्ट्रीय समाचार खंड में विदेशी संवाद समितियों का वर्चस्व कायम है। सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि वह अनुमति दे कि संवाद समितियां इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकें। इस सिलसिले में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, 1976 के अवसर पर जो प्रयास किए गए थे, वैसे ही प्रयास फिर से किए जाने चाहिए। इन प्रयासों के नतीजे में तीसरी दुनिया के देशों के बीच समाचारों के आदान-प्रदान के लिए 'नयूज पूल' की स्थापना हुई थी।

(अनुच्छेद 8.4.1.6)

9.44 भारतीय संवाद समितियों को मजबूत करने के लिए उप-समिति सिफारिश करती है कि पर्याप्त इक्विटी आधार के साथ संवाद समितियों के निगम बनाने के पहले प्रेस आयोग के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।

(अनुच्छेद 8.4.1.7)

9.45 मालिकों के व्यापारिक और अन्य हितों से अलग करके संपादकों और संपादकीय विषयों की आजादी प्रेस द्वारा खुद या भारतीय प्रेस परिषद द्वारा उपयुक्त संस्थागत तरीके या दिशा-निर्देश बनाकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाचारपत्र उद्योग से अन्य उद्योग को धन हस्तांतरित करने के मुद्दे की जांच होनी चाहिए।

(अनुच्छेद 8.4.1.8)

9.46 उप-समिति का विचार है कि प्रिंट मीडिया (मुद्रण माध्यम) को व्यावसायिक बनाने की दिशा में पत्रकारों को सहकारिता समितियों के द्वारा आसान शर्तों पर पर्याप्त संस्थागत वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(अनुच्छेद 8.4.1.9)

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति

213. श्री सुकदेव पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति, मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों तथा संस्थाओं में उनके लिए निर्धारित कोटे के अनुरूप की जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस दिशा में सुधार लाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण रोस्टरों को निर्धारित किया गया है कि संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति उनके लिए निर्धारित कोटा के अनुसार हो;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण योजनाएं

214. श्री राधा मोहन सिंह : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए बिहार के पिछड़े क्षेत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को किस तारीख से लागू किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त योजनाओं की पुनरीक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याण संबंधी योजनाओं के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). इन योजनाओं की समीक्षा मूल्याकन अध्ययनों, बैठकों तथा सम्मेलनों एवं संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आपसी संबंधी के माध्यम से आवधिक रूप से की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	आरम्भ होने का वर्ष
1.	अनुसूचित जाति के लड़कों के छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1989-90
2.	अनुसूचित जाति लड़कियों के छात्रावास की केन्द्र प्रायोजित योजना	तीसरी पंचवर्षीय योजना
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंकों की केन्द्र प्रायोजित योजना	1978-79
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन योजना	1987-88
5.	सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति की राष्ट्रीय योजना	1991-92
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	1969-70
7.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1979-80
8.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर के अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता की योजना	1978-79
9.	अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	1953-54
10.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	1976-77
11.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	1943-44
12.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बच्चे के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	1977-78
13.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	1992-93
14.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य टीडीसीसी को सहायता अनुदान	1992-93
15.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	पांचवीं पंचवर्षीय योजना
16.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत सहायता अनुदान	-तदैव-
17.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	तीसरी योजना
18.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	1989-90
19.	अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम विद्यालय	1990-91
20.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर	1993-94
21.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	1953-54

राष्ट्रीय पारिश्रमिक नीति

215. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में श्रमिकों के कल्याण और लाभ के लिए एक राष्ट्रीय पारिश्रमिक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) सरकार के समक्ष राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण वार्ताओं और समझौतों के माध्यम से किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, सरकार मजदूरी के निर्धारण और संशोधन के लिए, कतिपय क्षेत्रों में वेतन बोर्डों का भी गठन करती है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1940 के अंतर्गत किया जाता है। न्यूनतम मजूदरी अधिनियम के अंतर्गत राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। अधिनियम में मजदूरी की न्यूनतम दरों के आवधिक संशोधन के लिए व्यवस्था है।

फिल्मों को सेंसर किया जाना

216. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों को सेंसर करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देश काफी विस्तृत हैं तथा नए मार्ग निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है सरकार द्वारा इन दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाती है।

मजदूर सहकारी समितियां

217. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द पड़े औद्योगिक संस्थाओं का कार्यभार संभालने हेतु देश में कितनी मजदूरी सहकारी समितियों का गठन किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ऐसी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के प्रबंन्धन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के सदंर्भ भेजना आवश्यक है। कर्मकार सहकारी समितियों के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का पुनरूज्जीवन अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित उपायों में एक है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार बी आई एफ आर ने अब तक कर्मकार सहकारी समितियों के माध्यम से रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरूज्जीवन के लिए पांच योजनाएं स्वीकृत की हैं। ये हैं :—

1. न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स
2. कमानी टयूक्स *
3. पाउडर मेटल्स
4. एच.ई.एस. लि.
5. के.एम.ए. लि.

क्रमांक 1, 3, 4, और 5 पर उल्लिखित कम्पनियां जिनके लिए पुनरूज्जीवन योजनाएं स्वीकृत की गई थी, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

* क्रमांक 2 पर उल्लिखित मामला, जिसके लिए पहले संस्वीकृत पुनरूज्जीवन योजना को 26.5.95 से असफल घोषित कर दिया गया है, और इस समय उसकी जांच की जा रही है। श्रम मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी सहकारी समितियों के माध्यम से पुनर्वासन योजनाओं को एक सामान्य नीति के रूप में प्रोत्साहित करता है।

[अनुवाद]

सभी भाषाओं में समाचारों का प्रसारण

218. **श्री आर.वी.राई :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में किन-किन भाषाओं को शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अभी तक दूरदर्शन पर इन सभी भाषाओं में समाचार प्रसारित करना शुरू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में समाचार प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।

(ख) से (घ). दूरदर्शन सिन्धी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली के अतिरिक्त इन सभी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। जनशक्ति, हार्डवेयर, अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण फिलहाल इन चार भाषाओं में समाचार प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बाल फिल्में

219. **श्री रमेश चेन्नित्तल्ला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए बहुत ही कम बाल फिल्में तैयार की जाती हैं और दिखाई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो अधिक बाल फिल्में तैयार करने के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम बाल फिल्म के लिए एक पुरस्कार देती है। भारतीय बाल फिल्म समिति (इसे अब राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र अथवा संक्षेप में रा.बा.एवं यु.च.चि.के. कहा जाता है) विभिन्न भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण करने के लिए स्थापित की गई है। 1995-96 में, इसे बाल फिल्मों के निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत 160 लाख रु. की सहायता अनुदान राशि दी गई थी। फिल्म उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति (1990) की एक सिफारिश जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फिल्म के रूप में प्रमाणित फिल्मों पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा मनोरंजन कर से छूट देने पर विचार किया जाना है।

बेरोजगारी की समस्या

220. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शिक्षा के स्तर-वार और राज्य-वार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) चालू योजनावधि और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उनके लिये कितनी नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख). 1991-92 एवं 1993 के अंत तक देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर (नवीनतम उपलब्ध) शिक्षा के स्तरवार रोजगार चाहने वालों की संख्या (यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों) से संबंधित विवरणी एवं वर्ष, 1991, 1992 एवं 1993 के दौरान नियुक्तियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में आठवें प्लान अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 8.5 मिलियन तथा 1997-2002 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 9.5 मिलियन रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। इस रोजगार विकास दर की प्राप्ति के लिए योजना में, रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों एवं सब-सैक्टरों यथा कृषि संबंधी तथा ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण अवसंरचना, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण सैक्टर, अनौपचारिक सैक्टर एवं सेवा सैक्टर संबंधी रोजगार नीति का परिकल्पना की गई है। जारी की गई तथा चल रही आई आर डी पी, जे आर वाई एवं एन आर वाई योजनाओं के अतिरिक्त आठवीं योजनावधि में नई रोजगार योजनाएं जैसे रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस), प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) तथा के वी आई सी की 20 लाख नौकरियों की योजना आरम्भ की गई है। प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में, जनता के गरीब तबकों के लिए मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रोजगार सृजन भी एक घटक है।

विवरण

शिक्षित (मैट्रिक एवं इससे उपर)

देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या तथा की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजार में)

क्र.सं.		31 दिसम्बर तक चालू रजिस्टर पर						वर्ष के दौरान नियुक्तियों नियुक्तियों की संख्या					
		1991		1992		1993		1991		1992		1993	
		मैट्रिक तथा इससे ऊपर लेकिन स्नातक से कम	स्नातक (स्नात्कोत्तर सहित)	मैट्रिक तथा इससे ऊपर लेकिन स्नातक से कम	स्नातक (स्नात्कोत्तर सहित)	मैट्रिक तथा इससे ऊपर लेकिन स्नातक से कम	स्नातक (स्नात्कोत्तर सहित)	मैट्रिक तथा इससे ऊपर लेकिन स्नातक से कम	स्नातक (स्नात्कोत्तर सहित)	मैट्रिक तथा इससे ऊपर लेकिन स्नातक से कम	स्नातक (स्नात्कोत्तर सहित)	मैट्रिक तथा इससे ऊपर लेकिन स्नातक से कम	स्नातक (स्नात्कोत्तर सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	1665.3	284.8	1636.5	309.2	1708.5	327.2	3.0	3.1	4.2	2.3	3.5	0.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.3	0.1	0.2	*	0.2	*	–	*	*	*	*	–
3.	असम	671.7	87.5	692.5	92.3	706.9	92.4	1.0	0.4	0.7	0.4	0.5	0.1
4.	बिहार	1835.1	390.3	1818.1	359.5	1869.2	383.1	2.0	0.4	1.3	0.2	0.7	0.1
5.	गोवा	63.4	10.8	69.7	12.0	73.1	12.3	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1
6.	गुजरात	558.1	73.0	602.2	74.5	562.7	70.5	7.5	1.9	13.2	2.9	7.3	1.9
7.	हरियाणा	334.7	63.0	352.0	67.3	369.0	67.9	1.5	0.8	1.0	0.6	1.0	0.3
8.	हिमाचल प्रदेश	256.7	39.1	275.9	45.1	296.1	45.6	1.7	0.7	1.9	0.7	2.0	0.7
9.	जम्मू और कश्मीर	30.2	13.8	35.0	13.9	43.7	17.2	0.1	0.1	*	0.1	*	*
10.	कर्नाटक	713.9	152.0	814.6	149.7	838.4	165.5	4.2	0.7	4.7	1.0	7.1	1.2
11.	केरल	2099.9	187.7	2103.8	194.9	2384.0	220.0	9.2	4.6	8.5	5.7	6.7	3.7
12.	मध्य प्रदेश	1159.3	233.7	1184.8	233.2	1196.5	245.9	4.4	1.2	4.5	1:4	5.8	2.9
13.	महाराष्ट्र	1839.6	257.2	1975.9	270.4	2030.9	269.2	12.5	4.4	12.5	4.8	9.4	4.6
14.	मणिपुर	109.1	24.7	118.5	25.8	127.5	27.8	0.1	0.1	*	*	0.2	*
15.	मेघालय	9.2	1.8	9.5	1.8	10.6	2.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16.	मिजोरम	11.4	2.1	12.7	2.3	14.6	2.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
17.	नागालैंड	12.5	1.3	9.0	1.4	11.1	1.0	0.1	*	0.1	*	0.1	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	383.4	119.8	419.8	133.3	402.6	129.8	3.5	1.2	3.2	1.4	1.8	0.8
19.	पंजाब	356.4	111.4	355.7	111.0	331.3	100.6	1.5	1.1	1.4	0.7	1.3	0.4
20.	राजस्थान	378.8	151.8	400.8	147.3	375.0	150.7	4.6	4.8	4.9	5.5	2.7	4.2
21.	सिक्किम**												
22.	तमिलनाडु	1681.3	386.8	1776.2	449.4	1909.7	445.5	15.4	8.5	16.4	6.4	6.1	2.9
23.	त्रिपुरा	44.0	9.5	46.9	11.2	47.0	11.3	0.1	*	0.4	0.3	0.1	*
24.	उत्तर प्रदेश	1502.0	400.9	1429.6	364.1	1340.4	339.1	3.6	2.4	3.6	1.8	3.3	3.5
25.	पश्चिम बंगाल	2311.7	548.7	2356.2	574.0	2394.8	568.6	2.8	2.5	2.6	2.4	1.4	1.0
संघ शासित प्रदेश													
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6.8	1.8	6.8	1.8	6.8	1.8	0.2	0.3	0.2	0.3	–	–
27.	चंडीगढ़	65.7	23.8	67.6	24.6	66.4	24.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
28.	दादर और नगर हवेली	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	*	*	*	*	–	–
29.	दिल्ली	460.2	218.6	465.7	222.6	471.9	223.5	3.2	2.0	1.6	0.9	1.9	0.9
30.	दमन और दीव	1.0	0.3	1.3	0.4	0.8	0.4	0.1	0.1	*	*	0.1	0.1
31.	लक्षद्वीप	1.6	0.1	1.6	0.1	1.6	0.1	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	63.1	10.5	61.5	11.6	66.5	12.2	0.1	*	0.1	0.1	0.1	0.3
	कुल	18627.3	3807.2	19101.2	3905.1	19658.6	3958.3	83.6	42.0	88.0	40.4	63.8	31.5

नोट : 1. * पचास से कम के आंकड़े।

2. ** इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

3. पूर्णांकों के कारण आंकड़े कुल योग में न जोड़े जायें।

गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

221. **श्री हरिन पाठक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में स्थिति वर्तमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, राज्य में, कामगारों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का गुजरात में कुछ और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). गुजरात राज्य में 9 क.रा.बी. अस्पताल कार्य कर रहे हैं। जहां कहीं आवश्यक है, बीमित व्यक्तियों को पर्याप्त इन्डोर उपचार मुहैया करवाने के लिए सरकारी/निजी अस्पतालों में बिस्तर भी आरक्षित करवाए गए हैं। इसी बीच, क.रा.बी. निगम दो अस्पतालों-वापी और जामनगर प्रत्येक में एक-एक-का निर्माण करवा रहा है। इन दो अस्पतालों के निर्माण के लिए निगम ने 489.98 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। नरोडा स्थित 225 बिस्तरों वाले चेस्ट अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल में परिवर्तित किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी क.रा.बी.नि. में प्राप्त हुआ है।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रंगीन एक्सरे मशीनें

222. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाई जाने वाली रंगीन मशीनों की योजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना में कोई रूचि नहीं दिखा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय आगमन हाल में सामान की जांच करने के लिए 4 रंगीन एक्सरे मशीनें संस्थापित की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, सीमा शुल्क विभाग द्वारा इन मशीनों को प्राप्त करने में कुछ विलंब हो गया।

(ङ) दो मशीनें पहले ही दिनांक 17.6.96 को चालू कर दी गयी हैं तथा अन्य दो को शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

पेंशन योजना

223. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजदूर संघों तथा अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ कर्मचारी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के बारे में आगे कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उक्त योजना को लागू करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग). जबकि 16.11.1995 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के आरंभ होने से पूर्व और पश्चात् केन्द्रीय व्यवसाय व संघों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई थी परन्तु गत दो माह के दौरान योजना के संबंध में उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई है। योजना कार्यान्वयनाधीन है और 68,000 से अधिक मामले में पेंशन का संवितरण कर दिया गया है।

बाल श्रम

224. **श्री दादा बाबू राव परांजपे** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जनवरी, 1995 को दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ख) इसमें किन-किन मुद्दों पर मतैक्य था;

(ग) किन-किन मुद्दों पर अन्य देशों ने नीतिगत मतभेद प्रकट किए थे; और

(घ) भारत में बाल श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) 19 से 23 जनवरी, 1995 तक नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के श्रम मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(1) रोजगार और मानव संसाधनों के क्षेत्र में समानान्तर सहयोग,

(2) गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों में रोजगार, कामकाजी परिस्थितियों और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का प्रभाव, और

(3) संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का सामाजिक प्रभाव।

(ख) और (ग). सम्मेलन में व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् दिल्ली घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम को सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। उपर्युक्त दस्तावेजों के माध्यम से सम्मेलन ने सामाजिक खण्ड को लागू करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा श्रम मानकों के प्रवर्तन के बीच संबंध स्थापित करने वाले प्रयासों के बारे में गहन चिन्ता व्यक्त की । सम्मेलन ने श्रम और रोजगार संबंधी विवक्षाओं वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच समानान्तर सहयोग संबंधी कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। सम्मेलन ने यह भी महसूस किया कि समायोजन उपायों को तैयार करते समय प्रत्येक देश और सामाजिक प्रतिभागियों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संरचनात्मक समायोजन के सामाजिक आयामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए, और मानवीय क्षति को न्यूनतम करने के लिए उनकी अनुप्रयोज्यता के परिणामों को बारीकी से मानीटर किया जाना चाहिए।

(घ) 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में कामकाजी बालकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। सरकार की नीति कारखानों, खानों और जोखिमकारी नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने और इस अवस्था पर अन्य नियोजनों में बालकों की कामकाजी दशाओं को विनियमित करने की है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 का उद्देश्य इस लक्ष्य को हासिल करना है। श्रम मंत्रालय ने जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में सन् 2002 तक बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए हाल ही में एक प्रमुख कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधि प्रदान की गयी है।

विमान दुर्घटनाएं

225. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी 1996 से आज तक देश में तथा विदेश में, इंडियन एयरलाइन्स वायुदूत, एयर इंडिया तथा अन्य विमानन कंपनियों के कितने वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितनी जाने गई तथा संपत्ति आदि का कितना नुकसान हुआ;

(ग) प्रत्येक मृतक के आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; और

(ङ) इस प्रकार की विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (सी. एम. इब्राहीम) : (क) उक्त अवधि में केवल अर्चना एयरवेज का ही एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जबकि वह दिनांक 18.5.1996 को दिल्ली से कानपुर की उड़ान प्रचालित कर रहा था।

(ख) कोई जान नहीं गई। विमान को पर्याप्त क्षति पहुंची। इससे हवाई अड्डे की चारदीवारी का एक भाग भी टूट गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(ङ) विमान सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से, विमान दुर्घटनाओं और जोखिम वाली घटनाओं की जांच से उत्पन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन, उड़ान रिकार्डरों की मॉनीटरिंग, नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं को जारी करने, प्रचालकों की सुरक्षा आडिट करने, सुरक्षा संगोष्ठियां/बैठकें आयोजित करने, विमानक्षेत्रों का निरीक्षण करने जैसे उपाय लगातार किए जाते हैं।

विजयवाड़ा विमान पत्तन

226. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा विमान पत्तन पर हवाई पट्टी का पुर्ननिर्माण करने और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) उक्त विमान पत्तन को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या देश में बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बोइंग, एवरो और डोरनियर विमान चलाने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विजयवाड़ा विमानपत्तन पर निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है :

(1) बी. 737 विमान के प्रचालन के लिए मौजूदा धावनपथ का सुदृढ़ीकरण।

(2) 75 आने वाले और 75 प्रस्थान करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण।

(3) डॉपलर अति उच्चावृति सर्वपरास, दिक्चालन सुविधा की व्यवस्था।

(ग) वर्ष 1996-97 में 3 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(घ) हवाई अड्डे के दिसम्बर, 1999 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च). इस समय हवाई अड्डा बी-737 विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तथापि, विमान कम्पनियां विजयवाड़ा के लिए/से छोटे विमानों का प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ग्रामीण विकलांगों के लिए जिला पुनर्वास योजना

227. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण विकलांगों के लिए एकमुश्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु 1985 के शुरू में जिला पुनर्वास योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) सरकार ने ग्रामीण विकलांगों के लिए एकमुश्त व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 1982-83 में जिला पुनर्वास केन्द्र योजना प्रारम्भ की थी।

(ख) और (ग). जिला पुनर्वास केन्द्र योजना निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2. हरियाणा	भिवानी
3. कर्नाटक	मैसूर
4. मध्य प्रदेश	बिलासपुर
5. महाराष्ट्र	विरार
6. उड़ीसा	भुवनेश्वर
7. राजस्थान	कोटा
8. तमिलनाडु	चेंगलपट्टू
9. उत्तर प्रदेश	सीतापुर तथा जगदीशपुर
10. पश्चिम बंगाल	खड़गपुर

जिला पुनर्वास केन्द्रों को प्रोत्साहित करने के लिए बम्बई, कटक, मद्रास तथा लखनऊ में चार क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र तथा नई दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रशासनिक तथा समन्वय यूनिट स्थापित की गई है।

विकलांग पुनर्वास केन्द्र योजना के तहत इसके आरम्भ होने से (फरवरी 1996 तक) ग्रामीण विकलांगों को निम्नलिखित पुनर्वास सेवाएं प्रदान की गई हैं :—

संचालित मूल्यांकन पुनर्वास क्लीनिकों की कुल संख्या	—	15526
पहचान किए गए तथा मूल्यांकित किए गए विकलांगों की कुल संख्या	—	218747
लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या	—	97,676

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों के विकास के लिए विदेशी सहायता

228. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विदेशी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का इस संबंध में ब्याज की दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन पर्यटक स्थलों पर उक्त विदेशी सहायता राज्य-वार व्यय की गई है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ किन शर्तों पर यह विदेशी सहायता प्रदान की गई है?

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त कुमार जेना) : (क) से (घ). सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अभिनिर्धारित बौद्ध यात्री परिपथों सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग (ओईसीएफ) से दिसम्बर, 1988 में एक ऋण समझौता किया। सरकार ने जनवरी, 1992 में भी महाराष्ट्र के अजंता तथा एलौरा के संरक्षण एवं विकास हेतु विदेशी आर्थिक कोष के साथ एक ऋण समझौता किया।

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष, उत्तर प्रदेश तथा बिहार परियोजनाओं के लिए 7.76 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगा। परियोजना के प्रमुख घटक : राष्ट्रीय एवं राज्जीय राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण करना, भू-दृश्यांकन, जल एवं विद्युत आपूर्ति को बढ़ाना तथा मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करना है। यह 10 वर्ष की रियायत अवधि के साथ 2.5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 20 वर्षों में अदा करना होगा। उत्तर प्रदेश में अभिनिर्धारित स्थानों में सारनाथ, कुशीनगर, पिपर-हवा तथा श्रावस्ती हैं एवं बिहार से बोधगया, नालन्दा, राजगीर तथा वैशाली शामिल किए गए हैं।

अजंता एवं एलौरा परियोजना के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष ने 3745 मिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता दी है। यह

ऋण 10 वर्ष की रियायत अवधि के साथ 2.6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 20 वर्षों में अदा करना है। इस परियोजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं-वनारोपण, औरंगाबाद में हवाई पत्तन सुविधाओं का उन्नयन करना, सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार, जलापूर्ति एवं सीवरेज का संवर्धन, विद्युत आपूर्ति का सुधार, स्मारकों एवं अतिथि प्रबंधन सुविधाओं का संरक्षण करना।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम से प्राप्त परियोजनाएं

229. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार के राज्य अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम से मंजूरी हेतु कुछ परियोजनाएं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम के माध्यम से प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने कितनी परियोजनाएं अब तक मंजूर की है; और

(घ) शेष परियोजनाएं कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम से वित्तीय सहायता के लिए 13 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्राप्त परियोजनाओं का विवरण तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) परियोजना की वित्तीय सीमा पर निर्भर रहते हुए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम के प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। प्राप्त की गई 13 परियोजनाओं में से अब तक 3 परियोजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं।

(घ) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम स्वीकृत राशि के लिए ब्लाक सरकारी गारंटी के अभाव में, मंजूर की गई 3 परियोजनाओं के ऋण का उपयोग नहीं कर पाया है। शेष प्रस्तावित परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य तथा उनको स्वीकृत पहले मंजूर किए गए ऋणों का उपयोग किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	यूनिटों की संख्या	कुल लागत	एन एम डी एफ सी का शेयर	स्थिति
1.	फोटो कापी यूनिट	1500	1425.00	1275.00	अनुमोदित
2.	ऑटोरिक्शा	1500	1425.00	1275.00	-तदैव-
3.	विविध उत्पादन	1500	1425.00	1275.00	-तदैव-
4.	टी.बी./टेप मरम्मत यूनिट	1000	275.00	245.00	लम्बित
5.	फास्ट फूड कैंटीन	120	54.03	48.34	-तदैव-
6.	वास्तुकला परामर्श	150	80.44	71.97	-तदैव-
7.	तेल एक्सपैलर परियोजना	1000	950.00	850.00	-तदैव-
8.	प्लास्टिक/रबड़ मर उत्पादन	1000	95.00	85.00	-तदैव-
9.	मुर्गी पालन	200	90.00	80.00	-तदैव-
10.	जूता निर्माण यूनिट	700	498.75	446.25	-तदैव-
11.	ईंट भट्टा परियोजना	500	475.00	425.00	-तदैव-
12.	कूलर बॉडी निर्माण यूनिट	500	475.00	425.00	-तदैव-
13.	मछली पालन परियोजना	500	140.00	125.00	-तदैव-
		10170	7408.22	6626.56	

निजी विमान कम्पनियां

230. श्री रतिलाल वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक विमान-क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक ने कितना पूंजी निवेश किया है; और

(ख) प्रत्येक निजी विमान कम्पनी के कितने विमान चल रहे हैं और किन-किन मार्गों पर चल रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). अनुसूचित गैर-सरकारी विमानकंपनियों के नाम तथा अन्य अपेक्षित विवरणों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

परमिट जारी करने की तिथि, अधिकृत इक्विटी पूंजी, विमान बेड़ा तथा निजी एयरलाइनों द्वारा जोड़े गए स्टेशन

अनुसूचित निजी एयरलाइनों के नाम	परमिट जारी करने की तिथि	अभिदत्त इक्विटी पूंजी (करोड़ रुपए में)	विमान-बेड़ा	जोड़े गए स्टेशन
1. अर्चना एयरवेज	20.11.94	50.00	3 एल-410 (प्रचालनात्मक-1)	दिल्ली, कानपुर, कुल्लू, शिमला
2. ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	20.11.1994	21.70	4 बी-737 (प्रचालनात्मक-3)	बंबई, कलकत्ता, कोचीन, कोयम्बतूर, हैदराबाद, मद्रास, मंगलोर, नागपुर, पोर्टब्लेयर, पुणे, विशाखापटनम
3. जेट एयरवेज	13.02.1995	30.00	9 बी-737 (सभी प्रचालनात्मक)	अहमदाबाद, बागडोगरा, बंगलौर, बंबई, कलकत्ता, कालीकट, कोचीन, कोयम्बतूर, दिल्ली, गुवाहटी, गोवा, हैदराबाद, जोरहाट, मद्रास, मंगलोर
4. मोदीलुफ्थ	20.11.1994	24.20	6 बी-737 (सभी प्रचालनात्मक)	बंगलौर, बंबई, कलकत्ता, कालीकट, कोचीन, दिल्ली, गोवा, जयपुर, जम्मू, लेह, लखनऊ, श्रीनगर, वाराणसी
5. एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	20.11.1994	14.83	8 एफ-27 (सभी प्रचालानात्मक-5)	अगत्ती, औरंगाबाद, बंगलौर, भावनगर, भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, कोचीन कोयम्बतूर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गुवाहटी, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जामनगर, जोरहाट, कान्डला, केशोद, लीलाबाड़ी, मद्रास, मदुरै, मंगलोर, नागपुर, पटना, पोरबन्दर, पुणे, राजकोट, सिल्चर, तेजपुर, त्रिचन्नापल्ली, तुतीकोरिन, बड़ोदरा, वाराणसी, विशाखापट्टनम
6. सहारा इंडिया एयरलाइंस	01.01.1996	15.22	3 बी-737 (प्रचालनात्मक-2)	अहमदाबाद, बागडोगरा, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गुवाहटी, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, वाराणसी
7. स्काईलाइन एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस*	20.11.1994	16.22	4 बी-737 (सभी प्रचालानात्मक)	अहमदाबाद, बागडोगरा, बंगलोर, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गोवा, इंदौर, जयपुर, मद्रास, बंगलोर।

* पहले मैसर्स दयानिया एयरवेज

विमानों का बीमा

231. **श्री पंकज चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्ट-वेस्ट एअरलाइंस अपने विमानों को बीमा कराये बिना उड़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस ने जून, 1996 में दो दिन तक वैध बीमा कराए बिना उड़ानें प्रचालित की थी। इस विषय में उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। एयरलाइंस से उत्तर प्राप्त हो जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन

232. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त कुमार जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर छावनी में दुर्घटना

233. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 18 मई, 1996 को कानपुर छावनी में असैनिक हवाई अड्डे पर अर्चना एअरवेज का एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में अब तक कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की सेवाएं

234. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को 6-7 वर्षों की सेवा के उपरान्त भी नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को कब तक नियमित किये जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त कुमार जेना) : (क) से (ग). आजकल भारत पर्यटन विकास निगम में पांच वर्षों से अधिक, अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले 23 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी अस्थायी कार्यों, जैसे यूटिलिटी वर्क्स, हलवाई, वेटर आदि में तदर्थ आधार पर या संविदात्मक गतिविधि में लगे हैं। इन कर्मचारियों को मुख्यतः नियमित/स्वीकृत रिक्तियों के अभाव में, संविदात्मक गतिविधियों के नियमित करने और कोर्ट मामलों के निपटान के कारण अभी तक नियमित नहीं किया जा सका। इसे देखते हुए यह संभव नहीं है कि इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा रखी जाये।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के माल परिवहन में कमी

235. **प्रो. अजीत मेहता** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के माल यातायात क्षेत्र में निरंतर कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप इसे भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अब तक एयर इंडिया के माल यातायात में कितने प्रतिशत कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप एयरलाइन्स को तुलनात्मक रूप से कितना घाटा हुआ है;

(ग) माल यातायात में कमी आने के कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं। एयर इंडिया द्वारा अर्जित कार्गो राजस्व में विगत कुछ वर्षों से लगातार संवृद्धि हो रही है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

लघु फिल्मों के लिए निधियों का दुरुपयोग

236. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1996-97 के लिए रायल्टी कार्यक्रमों के लिए (लघु फिल्मों के लिए) निर्धारित धनराशि कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है और लघु फिल्मों के लिए निर्धारित धनराशि में से दो अंग्रेजी फिल्में खरीदी गई हैं, जैसा कि दिनांक 29 मई, 1996 के दौरान "जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) अपराधी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान को कल्याण योजनाओं हेतु आबंटित राशि

237. श्री ताराचंद भगोरा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष राजस्थान की अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) योजना के अनुसार कितने परिवारों को लाभ होना था तथा वास्तव में लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आंवटित राशि का पूर्णतया उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को आबंटित धनराशि का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता की राशि		
		(1993-94)	(1994-95)	(1995-96)
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जाति के लड़कों के होस्टल की केन्द्र प्रायोजित योजना	2.52	7.58	220.01
2.	अनुसूचित जाति की लड़कियों के होस्टल की केन्द्र प्रायोजित योजना	5.055	-	12.78
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंकों की केन्द्र प्रायोजित योजना।	10.00	15.00	9.97
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए योग्यता-उन्नयन।	5.85	8.32	-
5.	सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय मुक्ति तथा पुनर्वास योजना	227.00	-	686.00
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोंचिग तथा सम्बद्ध योजना	22.94	4.60	-
7.	विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1829.89	887.365	1828.2613
8.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को शेयर पूंजी	18.60	9.80	74.95

1	2	3	4	5
9.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट मेरिट छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना	348.02	311.68	665.40
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना	51.00	39.88	57.50
11.	अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना	30.08	37.77	63.82
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	44.34	-	-
13.	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2664.68	2202.79	2819.04
14.	अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	576.75	600.00	600.00
15.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	61.40	30.00	-
16.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	12.25	-	66.74
17.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	35.75	-	-
18.	अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम स्कूल	-	24.50	-

[अनुवाद]

राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ ए.ए.एस. लिमिटेड का संयुक्त उद्यम

238. श्री सुरेश कलमाडी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (ए.ए.एस.एल) का हानि/लाभ के आधार पर राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ विमान सेवाएं शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) इसमें कौन-कौन से राज्य शामिल हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). एयरलाइन एलाइड सर्विसिस लिमिटेड (एएएसएल) की राज्य सरकारों के साथ भी संयुक्त रूप से सेवाएं प्रचालित करने की योजनाएं हैं। इस प्रकार के संयुक्त उद्यम प्रचालन से सम्बन्धित शर्तों को संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, अंतिम रूप दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में लम्बित परियोजनाएं

239. श्री संदीपान थोरात : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के लिए आधारभूत नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार के कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का विस्तार/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह मुख्यतः अपेक्षित आधारभूत संसाधनों/सुविधाओं/धनराशि, आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने से संबंधित 27 प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में स्थित आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं के ब्यौरों और अवस्थिति को दर्शाने वाला विवरण

	परियोजना/स्कीम		अवस्थिति	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
	1		2	3
	आकाशवाणी			
	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित उस्मानाबाद में स्थानीय रेडियो केन्द्र		पूर्ण	267.7
	परभणी स्थित स्थायी टाइप-I स्टूडियो		तकनीकी रूप से तैयार	180.50
	परभणी स्थित 2×10 कि.वा.मी.वे. के उन्नयन/बदलने की स्कीम		प्रतिष्ठापना का कार्य प्रगति पर है	166.20
*	मुम्बई स्थित स्टूडियो (भाग 2) का आधुनिकीकरण तथा पुनर्सज्जिकरण		कार्य प्रगति पर है	160.10
*	मुम्बई स्थित 5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर दूसरा स्टीरियो चैनल		अग्रिम स्तर पर	310.60
	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देश्यीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित मालवा में स्थानीय रेडियो केन्द्र		स्थल चयनित भवन योजना तैयार की जा रही है	327.00
	दूरदर्शन			
	अ.श.ट्रां.	अमबेट	कार्यान्वयनाधीन	100.00
	अ.श.ट्रां.	नवापुर	पूर्ण	20.50
	अ.श.ट्रां.	अहेरी	पूर्ण	20.00
	अ.श.ट्रां.	उमरखेड	कार्यान्वयनाधीन	21.50
	अ.श.ट्रां.	खोपोली	कार्यान्वयनाधीन	57.00
	अ.श.ट्रां.	मानगांव	कार्यान्वयनाधीन	97.00
	अ.श.ट्रां.	सताना	कार्यान्वयनाधीन	97.00
	अ.श.ट्रां.	राजापुर	चालू	—
	अ.श.ट्रां.	सिरोंचे	कार्यान्वयनाधीन	97.00
	अ.श.ट्रां.	चिकोली	कार्यान्वयनाधीन	97.00
	अ.श.ट्रां.	आर्वी	चालू	
	अ.श.ट्रां.	महाड	कार्यान्वयनाधीन	97.00
	अ.श.ट्रां.	चांदूर	कार्यान्वयनाधीन	97.00
	अ.अ.श.ट्रां.			
		मालवा	कार्यान्वयनाधीन	83.00
		मलकापुर	कार्यान्वयनाधीन	83.00
		भोकार	कार्यान्वयनाधीन	83.00

टिप्पणी :

अ.श.ट्रां.—अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

अ.अ.श.ट्रां.—अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

पर्यटक सूचना कार्यालय

240. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को देश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार करने तथा और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त कुमार जेना) : (क) और (ख). जी, हां। आज तक देश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों के बारे में अद्यतन जानकारी संभावित विदेशी पर्यटकों को संसार के विभिन्न भागों में स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से दी जाती है।

संभावित पर्यटकों के साथ सीधे सम्पर्क करके और प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दी जाती है।

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट

241. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के बारे में 8 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2153 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की रिपोर्ट अब तक प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न अनियमितताओं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो सीबीआई को इस जांच कार्य में कितना समय लगेगा और जांच कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) आरंभ में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले को जून, 1996 तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। तथापि, जांच पूरी होने में कुछ और समय लग सकता है।

केरल में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

242. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी स्थानवार कितनी परियोजनाएं अब तक पूरी की जा चुकी हैं और कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ख) लम्बित परियोजनाओं को कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य में जिन-जिन स्थानों पर नये टीवी ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) वर्तमान में केरल राज्य में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 22 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त थोडुपुझा में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रां.) परियोजना तथा देवी कोलाम में एक अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रां.) परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित स्थापना कार्य भी पूरा हो गया है। राज्य में टी.वी सेवा का और अधिक विस्तार करने की दृष्टि से 2 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अर्थात आदूर और एक अट्टापाडी में एक-एक तथा कालीकट के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (स्थाई सेट-अप) स्थापित करने की स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) आदूर तथा अट्टापाडी में अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से सम्बन्धित संस्थापना कार्य के 1996-97 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है जबकि कालीकट के उच्च शक्ति (10 कि.वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर (स्थाई सेट-अप) के 1997-1998 के अन्त तक पूरा होने की आशा है, बशर्ते कि आधार-भूत सुविधा उपलब्ध हो और स्थले पर सिविल निर्माण कार्य समय पर पूरा हो।

(ग) केरल के कन्नौर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 2 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एक पाला में (डी डी-1) तथा एक कन्नौर (डी डी-2 सेवा को रिले करने के लिए) तथा 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एक एराटूपेट्टा में तथा एक मुण्डाकायाम में स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन स्कीमों को अनुमोदन कर दिया जाए और धनराशि उपलब्ध हो।

नई श्रम नीति

243. श्री एस.डी.एम.आर वाडियार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई श्रम नीति को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नई श्रम नीति को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). योजना आयोग ने सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में नौवीं पंचवर्षीय

योजना तैयार करने के लिए श्रम नीति संबंधी एक कार्यदल का गहन किया है। कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :–

(1) श्रम नीति और श्रम विधान के विद्यमान ढांचे की पुनरीक्षा करना तथा बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की उभर रही आवश्यकताओं के संदर्भ में समुचित संशोधनों का सुझाव देना जिससे स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित किया जा सके और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके।

(2) संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा पद्धतियों संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा करना एवं असंगठित कर्मकारों, महिला कर्मकारों, कृषि श्रमिकों, बंधुआ श्रमिकों आदि के विशेष संदर्भ के साथ समुचित कार्यक्रमों की सिफारिशें करना।

(3) बाल श्रम उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा करना और इस प्रक्रिया की गति तेज करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(4) व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुचित कार्यक्रमों का सुझाव देना।

(5) एक समुचित मजदूरी नीति की सिफारिश करना।

कार्यदल श्रम नीति पर योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्तुत करेगा।

पश्चिम बंगाल से वायु सेवा

244. श्री हाराधन राय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता और बागडोगरा से आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया, माल्दा, कूच बिहार, बलूरघाटा को जाने वाली उड़ानों को पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों से आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से भी अवगत है कि ऐसी सेवाएं आरंभ करने के लिए इन स्थानों पर विमान-पट्टियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एक गैर-सरकारी कम्पनी का कलकत्ता को बागडोगरा, माल्दा और कूचबिहार से विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया और बलूरघाट को विमान सेवा से जोड़ने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). हल्दिया को छोड़कर, इन सभी स्थानों पर हवाई पट्टियां उपलब्ध हैं। तथापि सेवाओं को आरंभ करने से पूर्व विमान की किस्म के अनुसार इन हवाई पट्टियों को प्रचालनात्मक दृष्टि से उपयुक्त बनाया जाना है।

तेल भरने की सुविधा

245. श्री सौम्य रंजन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक विमान-पत्तनों पर विदेशी विमानों में तेल भरने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान तेल की कुल कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई है और घरेलू विमानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या विदेशी विमानों को आपूर्ति किये जाने वाले ईंधन की दरें घरेलू विमानों की ईंधन दरों से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी हां।

(ख) विगत छः माह में विदेशी विमानों को कुल लगभग 555304 किलोमीटर विमानन टर्बाइन ईंधन की (ए.टी.एफ.) आपूर्ति की गयी। जहां तक घरेलू विमानों का सम्बन्ध है, उनकी मांग के अनुसार उन्हें पूरा तेल दिया गया था।

(ग) और (घ). विदेशी विमानों को दिए गए विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का मूल्य 227.19 अमरीकी डॉलर प्रति किलोमीटर अर्थात् । अमरीकी डॉलर 35 रुपए की परिवर्तन-दर पर 7951.65 रुपए प्रति किलोमीटर है।

जहां तक घरेलू विमानों को दिए गए तेल के मूल्य का सम्बन्ध है यह विमानपत्तन की स्थिति पर निर्भर करते हुए 12069.13 रुपए प्रति किलोमीटर और 12895 रुपए प्रति किलोमीटर (बिक्रीकर और अन्य करों को छोड़कर) के बीच आता है।

[हिन्दी]

खेतिहर मजदूर

246. श्री पवन दीवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर मजदूरों की राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्रवार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मजदूरों के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी-कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी नीति के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). कृषि श्रमिकों की संख्या और विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरों से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न हैं।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन हेतु समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सिक्किम राज्य, जहां इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की कारगरता में सुधार लाने हेतु विभिन्न उपाय करने के लिए कहती रहती है। इस संबंध में सुझाये गये उपायों में अधिनियम के प्रवर्तन, निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने, विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन समिति गठित करने, रेडियो, प्रेस आदि जैसे विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अधिनियम के उपबंधों को व्यापक प्रचार देने के लिए राजस्व, कृषि, सहकारिता आदि अन्य विभागों के अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग करना शामिल है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नियत कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कृषि कर्मकारों की संख्या (हजारों में)	अकुशल कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11625	30.00 रु. से 36.60 प्रति दिन (क्षेत्रों के अनुसार) (12-2-96)
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	21.00 रु. से 24.00 रु. प्रति दिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1-11-90)
3.	असम	845	1134.00 रु. से प्रतिमाह या 984.00 रु. प्रति माह भोजन, आवास और कपड़ा सहित (1.2.92)
4.	बिहार	9513	27.30 रु. प्रति दिन (21.12.95)
5.	गोवा	35	46.00 रु. प्रति दिन (8.5.95)
6.	गुजरात	3231	15.00 रु. प्रति दिन (1.8.90)
7.	हरियाणा	897	48.57 रु. प्रति दिन भोजन सहित या 52.57 रु. प्रति दिन बिना भोजन (1.7.95)
8.	हिमाचल प्रदेश	59	45.75 रु. प्रति दिन (1.3.96)
9.	जम्मू और कश्मीर	–	30.00 रु. प्रति दिन (13.3.95)
10.	कर्नाटक	5000	26.00 रु. प्रति दिन (12.7.88)
11.	केरल	2120	30.00 रु. प्रति दिन महिलाओं हेतु 40.20 रु. प्रति दिन पुरूषों हेतु (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	5863	35.30 रु. प्रति दिन (1-10-95)

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	8313	20.00 रु. प्रति दिन से 29.00 रु. प्रति दिन (क्षेत्रों के अनुसार) (26.6.94)
14.	मणिपुर	47	40.90 रु. प्रति दिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और 37.90 रु. प्रति दिन पहाड़ी क्षेत्र के अलावा क्षेत्र के लिए (23.12.88)
15.	मेघालय	89	35.00 रु. प्रति दिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	10	35.00 रु. प्रति दिन (11.6.93)
17.	नागालैंड	7	25.00 रु. प्रति दिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	2967	25.00 रु. प्रति दिन (1.7.90)
19.	पंजाब	1453	55.58 रु. प्रति दिन बिना भोजन या 49.53 रु. प्रति दिन भोजन सहित (1.9.95)
20.	राजस्थान	1392	32.00 रु. प्रति दिन (जनवरी, 95)
21.	सिक्किम	13	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	7899	20.00 रु. प्रति दिन (6.4.93)
23.	त्रिपुरा	188	26.65 रु. प्रति दिन (15.5.95)
24.	उत्तर प्रदेश	7833	33.00 रु. प्रति दिन से 35.00 रु. प्रति दिन (7.1.92)
25.	पश्चिम बंगाल	5055	37.00 रु. प्रति दिन 27.80 रु. प्रति दिन दो मुख्य भोजन सहित (1.10.94)
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	27.00 रु. प्रति दिन (अंडमान) 28.00 रु. प्रति दिन (निकोबार) (13.8.92)
27.	चंडीगढ़	2	39.42 रु. प्रति दिन भोजन सहित या 43.25 रु. प्रति दिन बिना भोजन (1.3.92)
28.	दादरा और नागर हवेली	6	40.00 रु. प्रति दिन (18.5.95)

1	2	3	4
29.	दिल्ली	25	59.45 रु. प्रति दिन (1.8.95)
30.	दमन और दीव	1	35.00 रु. प्रति दिन (8.5.95)
31.	लक्षद्वीप	–	30.00 रु. प्रति दिन (1.1.93)
32.	पांडिचेरी	7	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	–	20.00 रु. से 22.00 रु. प्रति दिन (24.7.95)
	(ii) माहे क्षेत्र		30.00 रु. प्रति दिन हल्के कार्य हेतु 40.20 रु. प्रति दिन भारी कार्य हेतु (24.7.95)
	(iii) यनम क्षेत्र		19.25 रु. से 26.25 रु. प्रति दिन (24.7.95)
	(iv) करईकल		20.00 रु. से 22.00 रु. प्रति दिन (24.7.95)
33.	केन्द्रीय क्षेत्र		55.53 रु. प्रति दिन (1.4.96)

मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय न्यास

247. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों का कल्याण सरकार का ध्यान लम्बे समय से आकर्षित करता रहा है। मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित जिस मुख्य समस्या का समाधान करना पड़ता है वह यह है कि ऐसे व्यक्तियों के माता-पिताओं अथवा अभिभावकों की मृत्यु के बाद उनके देखभाल की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। "मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1995" नामक विधेयक दसवीं लोक सभा में 6.12.1995 को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सका और इसकी अवधि समाप्त हो गई।

इस न्यास का प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास करना, इस प्रकार के देखभाल संबंधी कार्य में लगे संगठनों को सहयोग और सहायता प्रदान करना तथा इस उद्देश्य के लिए वसीयत की गई सम्पत्ति प्राप्त करना व उनका प्रबंध करना होगा।

(ग) यह न्यास निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा :—

(1) मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास का प्रबंध करना;

(2) मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों के लिए गृहों और सेवा संस्थाओं की स्थापना करना;

(3) मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों को देखभाल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों को दिशानिर्देश, सहयोग और सहायता प्रदान करना;

(4) अभिभावकत्व और फोस्टर देखभाल प्रदान करना;

(5) परिवारों, अभिभावक संघों, एवं स्वैच्छिक संगठनों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत करना और सहायता प्रदान करना;

(6) माता-पिताओं द्वारा उनके मानसिक रूप से मन्द और प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित बच्चों के अनुरक्षण के लिए वसीयत की गई सम्पत्ति प्राप्त करना; और

(7) मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल और पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधी ऐसे अन्य कार्यकलाप शुरू करना।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 107 (5) में दिए गए उपबंध के अनुसार 11वीं लोक सभा के गठन के परिणामस्वरूप दसवीं लोक सभा में दिनांक 6.12.1995 को प्रस्तुत किए गए मानसिक अवरूद्धता तथा प्रमस्तिष्क अंगघात पीड़ित व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1995 की अवधि समाप्त हो गई है। इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इसे यथा संभव शीघ्र लोक सभा में पुनः प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सुरक्षित हवाई यात्रा योजना

248. श्री सत्यदेव सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने हेतु सरकार के विचारार्थ कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). यद्यपि, इस समय, कोई योजना विशेष विचाराधीन नहीं है, फिर भी यात्रियों की सुरक्षित विमान यात्रा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विमान दुर्घटनाओं और जोखिम वाली घटनाओं की जांच से उत्पन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन, उड़ान रिकार्डरों की मॉनीटरिंग, नागर विमानन सम्बन्धी अपेक्षाओं को जारी करने, प्रचालकों की सुरक्षा जांच करने, सुरक्षा संगोष्ठियां/बैठकें आयोजित करने, विमानक्षेत्रों का निरीक्षण जैसे कदम लगातार उठाए जाते हैं।

गैर सरकारी संगठन

249. श्री नीतिश कुमार :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज कल्याण गतिविधियों में लगे गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वित्तपोषित, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों की कुल संख्या कितनी है, जो समाज कल्याण परियोजनाओं में लगे हैं;

(घ) क्या सरकार ने समय-समय पर इन संगठनों द्वारा चलाई जा रही समाज कल्याण परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(च) ऐसे संगठनों की प्रतिशतता कितनी है जिनके कार्य को संतोषजनक पाया गया?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी हां। सरकार द्वारा यथामान्य स्वैच्छिक संगठनों की राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण में एक निर्णायक महत्व की भूमिका रहती है। इससे भी अधिक, उनकी भूमिका तथा उनका शामिल होना भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के जनादेश को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। सरकार यह महसूस करती है कि अच्छे स्वैच्छिक संगठनों को न केवल उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए बल्कि इनका सोच समझकर निर्माण भी किया जाना चाहिए।

(ग) 1605

(घ) से (च). इन संगठनों द्वारा शुरू की जा रही समाज कल्याण परियोजनाओं का निर्धारण और मानीटरिंग कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा किया जाता है तथा मूल्यांकन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है। कभी-कभी सरकार के अधिकारी इन संगठनों का निरीक्षण करते हैं। उनके कार्य के संतोषजनक मूल्यांकन के बारे में राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। भारत सरकार केवल उन्हीं संगठनों को सहायता प्रदान करती है जिनका कार्य संतोषजनक होता है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

250. श्री केशव महन्त : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने छात्रावास हैं;

(ख) इन विद्यार्थियों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए क्या ये छात्रावास पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश में और अधिक छात्रावास खोलने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार उक्त छात्रावास किन-किन स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कार्य कर रहे छात्रावासों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं सतत प्रकार की योजनाएं हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अतिरिक्त छात्रावास मंजूर किए जाते हैं।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान इन योजनाओं के तहत बजट प्रावधान इस प्रकार हैं :—

करोड़ रुपए

1. अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण	10.00
2. अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	7.00
3. अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण	3.5
4. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	3.50

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता, योजना संबंधी पद्धति के अनुसार दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावासों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2759
2.	असम	254
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	बिहार	719
5.	गुजरात	1180
6.	गोवा	–
7.	हिमाचल प्रदेश	10
8.	हरियाणा	5
9.	जम्मू और कश्मीर	10
10.	कर्नाटक	1953
11.	केरल	231
12.	महाराष्ट्र	2425
13.	मध्य प्रदेश	4046
14.	मिजोरम	–
15.	मणिपुर	7
16.	मेघालय	39
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	1470
19.	पंजाब	31
20.	राजस्थान	460
21.	सिक्किम	26
22.	तमिलनाडु	994
23.	त्रिपुरा	40
24.	उत्तर प्रदेश	62
25.	पश्चिम बंगाल	861
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5
27.	चंडीगढ़	–
28.	दादर और नगर हवेली	10
29.	दिल्ली	2
30.	दमन व द्वीव	–
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पांडिचेरी	21
	कुल	17624

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

251. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त योजना लागू कर दिये जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को सरल बनाने और बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

(1) निशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार) संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक उपबन्ध है कि समुचित सरकार प्रत्येक स्थापना में कम से कम 3 प्रतिशत विकलांगता वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगी। जिनमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में निम्नलिखित विकलांगताओं से पीड़ितों के लिए प्रत्येक में एक प्रतिशत का आरक्षण होगा:

(क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि

(ख) श्रवण विकृति तथा

(ग) चलन संबंधी विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्काघांत।

विकलांगता व्यक्तियों के लिए समूह "ग" तथा "घ" में कुछ आरक्षण कानून के लागू होने से पहले भी रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा तदनुसार आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विकलांगों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में "आयु की छूट" तथा "चिकित्सा संबंधी मानक" में छूट भी दी जाती है।

(2) रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को विशेषरूप से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 47 विशेष रोजगार कार्यालय तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों में 41 विशेष सैल विद्यमान हैं।

(3) विकलांगों की शेष योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने तथा उनकी रोजगार प्रदान करने 17 व्यावसायी पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(4) विकलांग व्यक्तियों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उनको निम्नलिखित मामलों में छूट प्रदान की गई है :—

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बिक्री स्टालों, की ओस्को तथा दुकानों का आवंटन;

(ख) ब्याज की रियायती दरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण;

(ग) सार्वजनिक टेलिफोन बूथों के आबंटन में वरीयता;

(घ) पेट्रोल पम्पों, मिट्टी के तेल के डिपोओं इत्यादि के वितरण में आरक्षण।

(5) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना स्व-रोजगार परियोजना को शुरू करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को समर्थ बनाने हेतु रियायती दरों पर वित्त का अतिरिक्त माध्यम प्रदान करने के लिए की जा रही है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

252. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 83वां वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन जिनेवा में सम्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (अ.श्र.सं.) के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 83वां सत्र 4 से 20 जून, 1996 तक जेनेवा में आयोजित हुआ था। भारत सहित 159 देशों की सरकारों, नियोजकों और कर्मकारों के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडलों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को अंगीकार किया गया :—

(1) घरेलू कार्य के बारे में अभिसमय और सिफारिश जिसमें घरेलू कार्य के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति के अंगीकरण, क्रियान्वयन और आवधिक समीक्षा का सुझाव है जिसका उद्देश्य घरेलू कर्मकारों की स्थिति में सुधार लाना है;

(2) सतत आर्थिक वृद्धि के माध्यम से पूर्ण नियोजन का उद्देश्य प्राप्त करना;

(3) सरकारों और जहां उपयुक्त हो नियोजक और कर्मकार संगठन से औपचारिक नीतियां तैयार करने और प्राथमिकता निर्धारित करने के संबंध में बाल श्रम पर संकल्प अंगीकार किया गया ताकि बाल श्रम के सर्वाधिक असहनीय पहलुओं को तत्काल समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

भारत से मलेशिया के लिए उड़ान

253. श्री सोहन वीर सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से मलेशिया के लिए इस समय साप्ताहिक उड़ानें कितनी हैं;

(ख) क्या इन दोनों देशों के बीच वर्तमान उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच प्रस्तावित अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानों की संख्या कितनी है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इस समय भारत और मलेशिया के बीच दोनों पक्षों के नामित वाहनों द्वारा प्रति सप्ताह 13 उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). अप्रैल, 1996 में बातचीत हुई थी लेकिन कोई करार नहीं हो सका।

कमजोर वर्गों हेतु कल्याण योजनाएं

254. श्री महेन्द्र सिंह भाटी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई कल्याण योजनाओं और इन योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). संबंधित सूचना राजस्थान सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष लम्बित मामले

255. श्री मोहन रावले :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रमिक न्यायालय तथा राज्य स्तरीय श्रमिक न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) इन मामलों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन लम्बित मामलों के शीघ्र निबटान हेतु क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम का लाभ

256. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम को कुल कितना लाभ हुआ है और इसमें इसके होटलों का कितना योगदान है;

(ख) क्या इन होटलों का कार्य निष्पादन संतोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) सूचना निम्न प्रकार से दी गई है :—

वर्ष	कर लगने से पहले का लाभ		कर लगने के पश्चात भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ (होटल प्रभाग के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)
	भा.प.वि.नि.	होटल प्रभाग	
	(करोड़ रुपयों में)		(करोड़ रुपयों में)
1993-94	24.02	8.29	12.21
1994-95	43.17	22.71	28.37
1995-96	65.19	39.64	43.50

(अनन्तिम)

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। तथापि, कार्य निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। तथापि, कार्य निष्पादन में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और इस बारे में उठाए गए कदमों में आक्रामक मार्किटिंग, होटलों के ग्रेड बढ़ाने/सुधार करने, होटलों को पुनः बनाने, परिचालन लागत पर नियंत्रण, प्रशिक्षण प्रदान करके मानव संसाधन का विकास आदि सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

बिहार में निजी विमान सेवाएं

257. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के लिए पटना और गया से यात्रियों के लिए निजी विमान कम्पनियों एयर टैक्सियों और छोटे विमान चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन सेवाओं के संचालन हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) फिलहाल बिहार में पटना और गया से अन्य तीर्थस्थानों को कोई भी गैर-सरकारी विमान कम्पनी प्रचालन नहीं कर रही है। तथापि, एक गैर-सरकारी कम्पनी ने पटना और वाराणसी के बीच उड़ानें प्रचालित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, एक और गैर-सरकारी प्रचालक ने गया को प्रचालन करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता

258. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साक्षरता की राष्ट्रीय औसत की तुलना में देश के जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन जनजातीय बहुल क्षेत्रों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है जिनमें साक्षरता का स्तर बहुत अधिक और बहुत कम है और यह कितने-कितने प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार ने साक्षरता के इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जिनमें साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है लेकिन कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें साक्षरता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सामान्य साक्षरता तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता की सबसे अधिक प्रतिशतता मिजोरम राज्य में 82.71% है। अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता की न्यूनतम प्रतिशतता आन्ध्र प्रदेश राज्य में 17.16% है।

(घ) और (ङ). सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. आदिवासी आवासीय क्षेत्रों में मानदंडों में छूट वाले स्कूल खोलना।
2. आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत आदिवासी जनसंख्या को शामिल करना।
3. आदिवासी क्षेत्रों को अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल करना।
4. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी जिलों को शामिल करना।

इस योजना के अंतर्गत जिला साक्षरता समितियों को 4:1 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि 80% वित्तीय देयता शिक्षा विभाग की है जबकि राज्य सरकार अनुमोदित व्यय का केवल 20% वहन करती है। आदिवासी जिलों के रूप में अभिज्ञात छियासठ जिलों (1991 की जनगणना के अनुसार जिन जिलों में आदिवासी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40% है) में से 30 जिले सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

5. **दोपहर का भोजन** रोजगार आश्वासन योजना के तहत शामिल किए गए 2446 ब्लॉकों में से, 1082 इ.ए.एस. ब्लाक समेकित आदिवासी विकास परियोजना ब्लॉक हैं। वर्ष 1996-97 तक 2005 कम महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों को शामिल करने का प्रावधान है जिनमें आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं।
6. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम**—यह योजना आदिवासियों सहित समाज के वंचित वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल देती है।
7. **आदिवासी बच्चों के लिए आदिवासी बोलियों में प्राथमिक शिक्षा**—राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान आदिवासी बच्चों के लिए उनकी स्थानीय बोलियों में पाठ्य पुस्तकें तैयार करते हैं और इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए सहायक पाठ्य सामग्री भी तैयार किए जाते हैं।
8. **महिला समस्या योजना**—इस योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से शक्ति प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है।
9. **लोक जम्बिश**—इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है। ग्रामीण स्तर पर माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाता है। बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और पोशाक दिए जाते हैं।

विवरण

साक्षरता दरें 1991

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72	17.16	25.25	8.68
अरुणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	34.45	44.00	24.94
असम	52.89	61.87	43.03	49.16	58.93	38.98
बिहार	38.48	52.49	22.89	26.78	38.40	14.75
गोवा	75.51	83.64	67.09	42.91	54.43	29.01
गुजरात	61.29	73.13	48.64	36.45	48.25	24.20
हरियाणा	55.85	69.10	40.47	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	47.09	62.74	31.18
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	36.01	47.95	23.57
केरल	89.81	93.62	86.17	57.22	63.38	51.07
मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85	21.54	32.16	10.73
महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	36.79	49.09	24.03
मणिपुर	59.89	71.63	47.60	51.63	62.39	44.48
मेघालय	49.10	53.12	44.85	46.71	49.78	43.63
मिजोरम	82.27	85.61	78.60	82.71	86.66	78.70
नागालैंड	61.65	67.62	54.75	60.59	66.27	54.51
उड़ीसा	49.09	63.09	34.68	22.31	34.44	10.21
पंजाब	58.51	65.66	50.41	–	–	–
राजस्थान	38.55	54.99	20.44	19.44	33.29	4.42
सिक्किम	56.94	65.74	46.69	59.01	66.80	50.17
तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33	27.89	35.25	20.23
त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	40.37	52.88	27.34
उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31	35.70	49.95	19.86
पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56	27.78	40.07	14.98
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	73.02	78.99	65.46	56.62	64.16	48.74
चंडीगढ़	77.81	82.04	72.34	–	–	–
दादर व नगर हवेली	40.71	53.56	26.98	28.21	40.75	16.94
दमन और दीव	71.20	82.66	59.40	52.91	63.58	41.49
दिल्ली	75.29	82.01	66.99	–	–	–
लक्षद्वीप	81.78	90.18	72.89	80.58	89.50	71.72
पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63	–	–	–
भारत	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19

स्रोत : भारत की जनगणना 1991। जम्मू और कश्मीर में अंतिम जनगणना नहीं कराई गई।

[अनुवाद]

पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

259. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस तिथि से अन्तरिम राहत का भुगतान कर दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) कब तक इसका भुगतान कर दिये जाने की संभावना है और कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्रों तथा समाचार-एजेन्सी कर्मचारियों के लिए 2.9.94 को गठित वेतन बोर्ड ने 20.4.95 से मूल वेतन में 15% की अंतरिम वृद्धि की संस्तुति के साथ वेतन के अंतरिम दर के बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सरकार ने फरवरी, 1998 में वर्तमान मूल वेतन में 15% से 20% की दर से वृद्धि करने का निर्णय लिया। वेतन की अंतरिम दर के भुगतान के संबंध में अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जाएगी।

विदेशी नेटवर्क को "अपलिंकिंग" अधिकार

260. **डा. कृपासिंधु भोई :**
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री इन्नान मोल्लाह :
श्री संदीपान थोरात :
श्री ई. अहमद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी टेलीविजन नेटवर्कों को अपलिंकिंग सुविधाएं देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न भारतीय कम्पनियों से चर्चा की है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) विदेशी नेटवर्क का दूरदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). अपलिंकिंग सुविधाओं की मांग करने वाली भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री ने एक बैठक की थी। तथापि, कोई निर्णय नहीं लिया गया।

बाल श्रमिक

261. **श्री हरिन पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व श्रम रिपोर्ट, 1992 की सूचना के अनुसार भारत में संभवतः सबसे बड़ी संख्या में कामकाजी बालक हैं।

प्रायोजन शुल्क अदा करने के आधार पर धारावाहिकों का प्रसारण

262. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोजन शुल्क अदा करने के आधार पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए धारावाहिकों को श्रेणीबद्ध करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रमों की तुलना में दूरदर्शन के अपने कार्यक्रमों के प्रसारण का ब्यौरा क्या है और विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रायोजन शुल्क कितना है;

(ग) क्या प्रायोजित कार्यक्रमों को वर्गीकरण में निम्न दर्जा दिए जाने के परिणामस्वरूप दूरदर्शन को राजस्व की हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी हानि हुई है; और

(ङ) दूरदर्शन को ऋण से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में विमान सेवा

263. **श्री चन्देश पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात के विभिन्न विमानपत्तनों से विमान सेवाएं जोड़ने के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों और विभिन्न अन्य संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। कांडला और सूरत से हवाई सम्पर्क व्यवस्था करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) आधारभूत संरचना सम्बन्धी कठिनाइयों, कम भार-गुणक और प्रचालन कर्मीदल की अत्यधिक कमी के कारण इन हवाई अड्डों की सेवा शुरू करने की इंडियन एयरलाइन्स की कोई योजना नहीं हैं। तथापि, एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स ने कांडला हवाई अड्डे से प्रचालन शुरू कर दिए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटक स्थल

264. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** :
श्री ललित उरांव :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भेजे गए प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित/अस्वीकार कर दिए गए हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त राज्यों को प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पर्यटन के विकास के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के गुण-दोष और निधियों की उपलब्धता और उनसे प्राप्त विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

वर्ष 1996-97 के लिए विभाग ने बिहार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार-विमर्श पर आधारित 69.00 लाख रु. की लागत की तीन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। तथापि, अभी तक राज्य सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के लिए 282.25 लाख रुपयों की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

1993-94	53.61 लाख रु.
1994-95	112.12 लाख रु.
1995-96	116.52 लाख रु.

धनराशि का आवंटन

265. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम को 1994-95 और 1995-96 के दौरान कोई आवंटन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम ने वर्ष 1994-95 में 12 योजनाओं के संबंध में बिहार पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम को 1012.805 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया। वर्ष 1995-96 के दौरान, राज्य निगम ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम को ऋण की स्वीकृति के लिए कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है तथा इसलिए वर्ष के दौरान कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

विमान यातायात क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागेदारी

266. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुला आकाश नीति के लागू होने के पश्चात् विमान यातायात क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागेदारी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खुला आकाश नीति संबंधी नियमों और नीति का ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किया गया;

(घ) क्या चार्टर्ड के.सी.सी. एयरलाइन्स को गत दिनों से बंद कर दिया गया है और अनेक बड़ी निजी एयरलाइनों का प्रबंधन भी अस्त-व्यस्त हो गया है;

(ङ) क्या विमानन उद्योग को लगभग पांच करोड़ डालर का घाटा हुआ है जो कि इसके द्वारा अर्जित आय से भी अधिक है;

(च) यदि हां, तो घाटा संबंधी और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 01 मार्च, 1994 से अंतर्देशीय सैक्टरों पर गैर-सरकारी विमानकंपनियों को प्रचालन करने की अनुमति दे दी गई है। गैर-सरकारी विमान परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत और अपेक्षाएं वैमानिकी सूचना परिपत्र और नागर विमानन अपेक्षाओं के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं।

(घ) "के.सी.सी. एयरलाइंस" नाम की कोई विमानकंपनी नहीं है। तथापि, विमान उपलब्ध न होने के कारण के.सी.वी. एयरवेज ने प्रचालन निलम्बित कर दिए हैं।

(ङ), (च) और (छ). गैर सरकारी प्रचालकों को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, आवेदक की अच्छी वित्तीय स्थिति सहित विमान सेवा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद ही विमान परिवहन सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

बाल श्रम उन्मूलन

267. **श्री जगमोहन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण द्वारा अब तक किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) बाल श्रमिकों के कितने माता-पिताओं को उनकी नियोजनीयता में सुधार लाने के लिए दक्षता-उन्मुख प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) इसके फलस्वरूप बाल श्रमिकों की संख्या में यदि कोई कमी आई है, तो कितनी?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 26 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण गठित किया गया था। अपने आरंभ से ही राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने भारत सरकार को योजनाओं और कार्य क्रमों की समीक्षा के पश्चात् सिफारिश की है कि भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना, रोजगार आश्वासन योजना आदि जैसी योजनाओं को बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में संकेन्द्रित किया जाना चाहिए जिससे बाल श्रम की समस्या से व्यापक और प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

इसने, बाल श्रमिकों को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न सहयोगी कारकों की भी गहराई से जांच की और एक ऐसे दृष्टिकोण की सिफारिश की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के उपाय शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के "बाल श्रम पहचान, मुक्ति और पुनर्वास संबंधी परिपत्र" में समाविष्ट सिफारिशों सभी राज्य सरकारों को अनुपालन के लिए भेजी गई थीं।

राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की कि देश के सर्वाधिक बाल श्रम बहुल जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आरंभ की जानी चाहिएं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में श्रम मंत्रालय ने 1.5 लाख बालकों को शामिल करने के लिए 76 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं आरंभ की हैं। इसके अतिरिक्त जोखिम की तीव्रता के अनुसार बाल श्रम का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए 123 बाल श्रम बहुल जिलों को धन दिया गया है। बाल श्रम प्रथा के विरूद्ध समाज को संवेदनशील बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान आरंभ करने के लिए श्रम मंत्रालय के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने अनुमोदन प्रदान किया। इसे आरंभ कर दिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की कि बालकों को संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों को राज्य सरकारों द्वारा जोरदार रूप से प्रदर्शित किया जाये। इसे, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सभी राज्य सरकारों को संसूचित कर दिया गया था।

(ख) और (ग). चूंकि यह परियोजनाएं पिछले वर्ष के दौरान ही मंजूर की गई हैं अतः अभिमुखिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अभिभावकों को शामिल करने की सीमा और इसके परिणामस्वरूप बाल श्रम में कमी की सीमा का अनुपालन लगाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता

269. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों तथा मूक एवं बधिरों के कल्याण में रत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक संगठन को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इस संबंध में कितने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार को इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनुदान राशि का दुरूपयोग करने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इन संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की है अथवा इनकी गतिविधियों की कोई जांच कराई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) छः। कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि निर्णय निधियों की उपलब्धता सहित अनेक कारकों पर निर्भर करेगा।

(घ) से (छ). राजधानी जनरल मजदूर एकता यूनियन, दिल्ली से आल इंडिया डेफ एंड सोसायटी, इन्स्टीच्यूटशनल एरिया, कड़कड़ी मोड़, विकास मार्ग एक्शटेंशन, नई दिल्ली-110092 के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुदानों के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से शिकायत की जांच करने तथा रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है। उसकी प्रतीक्षा हैं।

विवरण

क्र.सं.	संगठन/व्यक्ति का नाम और पता	विकलांगता की श्रेणी	1993-94	1994-95	1995
1	2	3	4	5	6
1.	स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ नार्दन इण्डिया बलवीर सक्सेना मार्ग, समीप जनरल राजस स्कूल हौजखास, नई दिल्ली-16	सीपी, स्पेस्टिक	18.75	22.11	33.4
2.	आल इण्डिया डीफ एंड डेम्ब सोसाइटी नं. 4 और 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, विकास मार्ग एक्सटेंशन कड़कड़ी मोड़ दिल्ली-92	एच एच	—	0.72	—
3.	आल इण्डिया फेडेरेशन ऑफ दी डीफ 18, नौर्थन कम्पलैक्स, नई दिल्ली।	एच एच	5.39	4.34	4.20
4.	दिल्ली एसोसिएशन ऑफ दी डीफ 92, कमला मार्किट, नई दिल्ली।	एच एच	—	—	—
5.	हैन्डीकप्ड वोमैन वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर-14 समीप पॉवर हाऊस रोहिणि दिल्ली।	एच एच	2.08	3.59	3.01
6.	एसोसिएशन फॉर एडवांसमन्ट एंड रिहबलिटेशन हैन्डीकाप्ड 224, बसन्त बिहार, नई दिल्ली	एच एच	2.47	4.88	4.86
7.	एसोसिएशन ऑफ नेशनल ब्रादरहुड फॉर सोशल वेलफेर, 21-22, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-48	एम आर	—	4.34	3.54
8.	बलवंत राय मेहता विद्या भवन, मस्जिद मोड, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।	एम आर	8.03	2.16	2.20
9.	दिल्ली सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ मेन्टली रिटायर्डड चिल्ड्रन, ओखला मार्ग, ओखला नई दिल्ली-25	एम आर	5.59	5.91	3.95
10.	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, जामिया मिलिया इसलामिया जामिया नगर, नई दिल्ली।	एम आर	0.48	2.14	2.30
11.	इकलात सोसाइटी फॉर दी वेलफयर ऑफ एम आर 16-ई/33, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।	एम आर	2.07	1.99	2.18
12.	फेडरेशन फॉर दी वेलफेयर एम आर शहीद जीत सिंह मार्ग, स्पेशल इन्सटीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।	एम आर	8.13	10.08	11.22
13.	पेरेन्टस एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ एम आर चिल्ड्रन विद मेन्टल हैण्डीकैप्ट जैनिटक्स यूनिट बाल विभाग ए.आई.आई.एम.एस. अन्सारी नगर नई दिल्ली।	—	0.44	1.32	
14.	सहाधन, जे-32, साऊथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली	एम आर	—	—	—

1	2	3	4	5	6
15.	तमन्ना, डी-6, बसंत बिहार, नई दिल्ली	एम आर	5.37	6.66	7.01
16.	सहजवानी सोसाइटी फार मेन्टल हैल्थ ए-6, इन्सटीट्यूशनल एरिया सत्संग बिहार मार्ग, नई दिल्ली।	एम आर	2.07	2.21	2.45
17.	अक्षय प्रतिष्ठान पॉकेट-3, सेक्टर-डी बसंत कुंज, नई दिल्ली-110071	ओ एच	2.62	3.73	4.75
18.	श्री देवसाहा बाबा शिक्षा समिति, बी-1603, शास्त्री नगर, दिल्ली-52	ओ एच	—	0.25	—
19.	अमर ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट, एच-192, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।	ओ एच	10.14	20.35	18.11
20.	प्रभा इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्टस एंड क्राफ्टस फॉर हैण्डीकेप्ट पर्सनस आराम बाग लेन, पहाड़गंज, नई दिल्ली।	ओ एच एच एच	1.42	2.41	—
21.	अखिल भारतीय मैत्री संघ, सेक्टर-ई, बी-3 ब्लॉक, रघुवीर नगर, नई दिल्ली	वी एच	3.42	5.71	5.58
22.	आल इण्डिया कनफैड्रेशन ऑफ दा ब्लाइंड बरेली भवन, इन्सटिट्येशनल एरिया, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-85	बी एच	2.21	2.07	2.17
23.	भारतीय ब्लाइंड एजूकेशन कल्चर वेलफेयर सोसाइटी 61/18, 11 तेलीवाड़ा, शाहदरा दिल्ली-32।	बीएच	—	0.78	2.34
24.	ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग समीप ओबराय इन्टर कोनटिनेंटल नई दिल्ली।	बीएच	—	6.91	3.91
25.	इन्स्टीट्यशनल फार दी ब्लाइंड पंचकुइया रोड, नई दिल्ली	बी एच	4.13	4.72	6.30
26.	जनता आदर्श अन्ध विद्यालय सिरि फोर्ड रोड, सादिक नगर, नई दिल्ली।	वी एच	2.81	1.17	4.84
27.	नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, सेक्टर-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।	वी एच	9.53	8.30	10.39
28.	नेशनल फेडरेशन ऑफ दी ब्लाइंड 2322, लक्ष्मी नरायन स्ट्रीट, पहाडगंज, नई दिल्ली।	वी एच	10.34	11.31	11.99
29.	हिन्दकुष्ठ निवारण संघ, नई दिल्ली	एल.सी.	0.93	1.16	2.42

[अनुवाद]

श्रमिकों का पुनर्वास

270. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों के बंद होने के कारण श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें पुनः रोजगार दिये जाने और उनके पुनर्वास हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995 के दौरान उत्तर प्रदेश में 9 इकाइयां बंद की गई और इसी अवधि के दौरान 968 कर्मकार इससे प्रभावित हुए।

(ग) सरकार ने औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की है। यह निधि अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों के बंद होने और उनकी पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों के पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन की योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से देश भर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारी सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उद्योगों के बंद होने से प्रभावित कर्मकार, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही रोजगार सृजन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में लम्बित परियोजनाएं

271. **श्री ताराचन्द भगोरा :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दूरदर्शन ट्रांसमीटर्स/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानवार कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और कितनी परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार का प्राथमिकता के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य में स्थापित की जाने वाली नई परियोजनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग). राजस्थान राज्य में आकाशवाणी ने 16 रेडियों केन्द्र चालू किए हैं और दूरदर्शन ने 63 ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों सहित राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्थान और स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं।

विवरण

1. **आकाशवाणी**	**तकनीकी रूप से तैयार**	**कार्यान्वयनाधीन**
	माउंट आबू में 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा., बहुउद्देश्यीय स्टूडियों एवं स्टाफ क्वाटर्स	न्यू टाइप-4 स्टूडियो जयपुर। जयपुर में स्टीरियो चैनल सहित कि.वां. एफ.एम. ट्रांसमीटर और स्टूडियो।
		जोधपुर में वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के लिए 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.। चितौड़गढ़ में 6 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (3 कि.वा. से उन्नयन)
2. **दूरदर्शन**	उ.श.ट्रा.बाड़मेर (अंतरिम स्थापना)	उ.श.ट्रा. बाड़मेर (स्थायी स्थापना)
	उ.श.ट्रां., जैसलमेर	उ.श.ट्रा., जोधपुर
	अ.श.ट्रा.	**अ.श.ट्रा.**
	नोहर	हिंडौन
	माउंट आबू	मकराना
	प्रतापगढ़	फलोडी
	कुरौली	केसारयाजी
	नीमज	तीबी
	राजगढ़	
	बारी-सदरी	
	शाहपुरा	
	अ.अ.श.ट्रां.	**अ.अ.श.ट्रां.**
	नीम का थाना	गंगापुर(भीलवाड़ा)
		लालसोट
		लक्ष्मणगढ़

शब्दावली व.प्र.से.-वाणिज्यिक प्रसारण सेवा
उ.श.ट्रां.-उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अ.श.ट्रां.-अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ.अ.श.ट्रा.-अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

कृषि श्रमिकों के लिए कल्याण योजना

272. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई ओर इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा श्रम कल्याण कानूनों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग). केन्द्रीय श्रम मंत्री और प्रधान मंत्री ने कर्मकारों के (1) कृषि श्रमिकों के लिए श्रम संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा (2) एक समान न्यूनतम मजदूरी, (3) गुप्त मतदान के आधार पर व्यवसाय संघों को मान्यता (4) बाल श्रम का उन्मूलन (5) औद्योगिक विवादों ओर व्यवसाय संघ अधिनियमों आदि में संशोधन जैसे संबंधित मामलों पर व्यवसाय संघों के विचारों को सुनने के लिए 24 जून, 1996 को केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। व्यवसाय संघ के नेताओं ने देश में औद्योगिक समरसत्ता बनाए रखने के लिए एक उचित और अनुकूल वातावरण के सृजन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रोजगार और रोजगार लाभों के संरक्षण और सृजन; औ. एवं वि. पुनर्निर्मा. बोर्ड के कार्यों की समीक्षा; एनटीसी मिलों के पुनरूजीवन; कृषि कर्मकारों के लिए व्यापकविधान; बाल श्रम के उन्मूलन हेतु व्यापक उपाय आदि किए जाने पर जोर दिया । व्यवसाय संघ के नेताओं की इच्छाओं के सम्मान में, श्रम कल्याण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए श्रम निरीक्षणों को तेज करने और श्रम प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में पर्यटन हेतु केन्द्रीय सहायता

273. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार मे केन्द्र सरकार से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास हेतु केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजनावधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क), (ख) और (ग). जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में पर्यटन की आधारिक संरचना के विकास के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के वर्ष-वार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
राजस्थान			
1.	बाडमेर में पर्यटक परिसर	12.90	7.50
2.	जैसलमेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	8.46	7.46
3.	जोधपुर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	10.70	9.70
4.	बीकानेर में पर्यटक स्वागत केन्द्र	7.18	6.50
5.	बीकानेर में फास्ट फूड केन्द्र	6.00	5.00
6.	सीकर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	4.74	2.30
7.	विश्राम स्थली, अजमेर में तीर्थ शेड :		
	(i) रैन बसेरा	10.28	6.00
	(ii) पक्का ढांचा	24.38	23.38

1	2	3	4
8.	विश्राम स्थली, अजमेर में जन-सुविधाएं	8.48	4.00
9.	जैसलमेर में दो स्थानों पर जन-सुविधाएं	7.36	3.68
10.	जैसलमेर में कैंपिंग साइट	10.55	5.27
11.	गाजनेर में कैंपिंग साइट	10.55	5.00
12.	कुम्बलगढ़ में कैंपिंग साइट	10.55	5.32
13.	चित्तौड़गढ़ की प्रकाश पुंज व्यवस्था (फेस-II)	6.87	3.00
14.	झालावाड़ उत्सव	5.18	4.00
15.	शिल्पग्राम क्राफ्ट मेला	1.00	0.50
16.	प्रचार सहायता	8.13	8.13
	कुल	153.31	106.74

वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	अवमुक्त राशि
राजस्थान			
1.	जैसलमेर किले का संरक्षण (कुल लागत का 50% जिसमें पर्यटन विभाग का हिस्सा 40 लाख रु. तक सीमित है)	39.88	39.88
2.	जैसलमेर में पर्यटक बंगला (चरण-II)	11.24	5.75
3.	जोधपुर में फास्ट फूड केन्द्र	7.11	3.50
4.	पोखरन में पर्यटक बंगला (फेस-II)	7.83	4.00
5.	डेचू में मार्गस्थ सुविधाएं	4.74	2.50
6.	बीकानेर में पर्यटक बंगला (फेस-II)	12.00	6.00
7.	बाड़मेर में पर्यटक परिसर	10.35	5.00
8.	रतनगढ़ में पर्यटक गृह	10.06	5.00
9.	गंगानगर में पर्यटक परिसर	16.54	8.00
10.	उदयपुर में पर्यटक बंगला (फेस-II)	18.60	9.30
11.	सरिस्का में पर्यटक बंगला (फेस-II)	12.54	6.00
12.	सलासर में मार्गस्थ सुविधाएं	4.74	2.50
13.	ब्यावर में पर्यटक लॉज	9.09	5.50
14.	मोती मागरी, उदयपुर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	24.25	10.00
15.	राम बाग गोल्फ क्लब, जयपुर का उन्नयन	38.22	10.00
16.	जैसलमेर किले की प्रकाश पुंज व्यवस्था	38.24	10.00
	कुल	260.43	132.93

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	अवमुक्त राशि
राजस्थान			
1.	हनुमान गढ़ में पर्यटक बंगला	18.76	9.00
2.	भीलवाडा में पर्यटक बंगला	18.76	9.00
3.	संचौर में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	10.80	5.00
4.	बाप्प में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	10.92	5.00
5.	शिल्पग्राम उत्सव के लिए वित्तीय सहायता	4.05	4.05
6.	शिल्पग्राम उत्सव 1992	2.00	2.00
7.	अजमेर में यात्रिका	26.99	7.69
8.	विश्राम-स्थली में तीर्थ शेड (पक्का ढांचा)	24.38	11.38
9.	महंदीपुर-का-बालाजी में यात्रिका	15.38	5.00
10.	कैलादेवी में यात्रिका	20.24	5.00
11.	झालावाड, राजस्थान में कैंपिंग साइट के लिए वित्तीय सहायता	10.50	4.25
12.	पैलेस-ऑन-व्हील्स	500.00	500.00
	कुल	662.78	567.37

वर्ष 1995-96 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाए/स्कीम

क्र.सं.	परियोजना स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	उपयुक्त राशि
राजस्थान			
1.	बलेसर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	5.50	2.70
2.	फतेहगढ़ में मार्गस्थ सुविधाएं	4.58	2.25
3.	छोहटन में पर्यटक कुटीरें	18.27	0.10
4.	चन्दन में मार्गस्थ सुविधाएं	4.58	2.25
5.	झुनझुनु, शाकम्बरी माता और लोहारगढ़ में पर्यटक सुख-सुविधाएं	5.70	0.02
6.	मेडता में मिडवे	11.94	5.00
7.	चार स्थानों में शौचालय सुविधाएं	5.20	0.04
8.	किराडु में पर्यटक रिजार्ट	18.27	0.10
9.	खिचान में पर्यटक परिसर	29.15	0.50
10.	महावीर तीबा में पर्यटक रिज़ार्ट	18.26	0.50
11.	फालोदी में पर्यटक सुख-सुविधाएं	10.80	4.90
12.	फतेहगढ़ में मार्गस्थ सुविधाएं	4.58	2.25
	कुल	136.83	20.61

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

274. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सम्पन्न विगत अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में क्या-क्या कमियां देखी गई;

(ख) इन्हें रोकने के लिए क्या-क्या उपचारात्मक उपाए किए गए;

(ग) क्या भारत ने हाल ही में इस प्रकार के किसी समारोह में भाग में लिया था;

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ङ) भारत में पिछले समारोह को आयोजित करने पर तथा जिस समारोह में भारत ने विदेश में भाग लिया उस पर कुल कितना व्यय हुआ?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जनवरी, 1996 में दिल्ली में आयोजित पछिले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई.एफ. एफ.आई., 96) में कोई भारी कमी नहीं देखी गई।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत ने हाल ही में अप्रैल, 96 तथा जून 96 के बीच विदेश में 18 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में "खागोरो बोहू दूर" फिल्म में अपने अभिनय के लिए श्री विष्णु खार्गोरिया ने सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार जीता। इस फिल्म ने विशेष जूरी का पुरस्कार भी जीता। फिल्म "बैंडिट क्वीन" ने किने अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हरारे (जिम्बाब्वे) में निम्नलिखित तीन पुरस्कार जीते :-

(1) सुश्री सीमा विश्वास ने सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। (2) सर्वोत्तम फिल्म के लिए मोन्टे कार्लो थिएटर-ट्राफी तथा (3) "प्रतियोगिता में शामिल किसी राष्ट्र की कला, समाज तथा संस्कृति का अधिकतम प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म" के लिए जिम्बाबवे का राजनयिक दूत वर्ग पुरस्कार।

(ङ) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह"96 के लिए 215 लाख रु. का बजट मंजूर किया गया था। इस समारोह के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी 25 लाख रु. का अंशदान दिया। माल भाड़े, प्रिन्टों की प्राप्ति, विदेश में 18वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जिसमें भारत ने हाल ही में भाग लिया, में भाग लेने हेतु भारत के प्रतिनिधियों को भेजने आदि पर 2.05 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

कालीकट हवाई अड्डे पर कार्गो काम्प्लैक्स

275. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर एक कार्गो काम्प्लेक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा उसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसरण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कालीकट हवाई अड्डे पर 67.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक एकीकृत कार्गो टर्मिनल की स्थापना के संबंध में लगभग 1710 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र का चयन किया गया है। इस सुविधा के चालू होने तक, अंतरिम उपाय के रूप में, हाल ही में खाली किए गए अन्तेंदशीय आगमन हाल को निर्यात शेड/ बहिर्गामी अन्तर्देशीय कार्गो क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर लिया जाएगा जिसमें सीमा-शुल्क जांच तथा कार्गो की छंानबीन की सुविधा होगी।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विकास

276. **श्री केशव महन्त** :
डॉ. अरुण कुमार शर्मा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक सींग वाले गैंडों की आश्रय स्थली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक पर्यटक काम्प्लैक्स के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राष्ट्रीय उद्यान में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटन एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण, पर्यटक रूचि के स्थानों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत होती रहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भी एक पर्यटक परिसर के रूप में विकास किया गया है तथा राज्य सरकार को नीचे दिए गए विवरण के अनुसर विभिन्न योजना अवधियों के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुविधाओं की उपलब्धता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

1. 1970-71 - काजीरंगा में वन गृह (24.23 लाख रु.)
2. 1985-86 - वन्य जीवन के अवलोकन के लिए मिनी बसों तथा हाथियों की खरीद (6.38 लाख रु.)
3. 1990-91 - काजीरंगा में पर्यटक कुटीर (14.81 लाख रु.)

4. 1991-92 - काजीरंगा में पर्यटक कुटीर का उन्नयन (4.20 लाख रु.)

5. 1992-93 - काजीरंगा में तम्बुओं में आवास (14.77 लाख रु.)

6. 1995-96 - काजीरंगा में पर्यटक स्वागत केन्द्र (25.86 लाख रु.)

(ग) सुविधाओं की उपलब्धता के अतिरिक्त, स्वदेशी व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में उक्त स्थान के प्रचार के लिए संवर्धनात्मक पुस्तिकाएं निकाली जाती हैं। पर्यटन विभाग, मीडिया संपर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र को देखने आने के लिए विदेशों से मीडिया सदस्य तथा यात्रा अभिकर्ताओं को आमंत्रित करता है।

श्रमिकों का पुनर्वास

277. **श्री वीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री प्रभु दयाल कठैरिया :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये; और

(ख) इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार 1994-95 के दौरान बन्द की गयी इकाइयों की संख्या क्रमशः 228 और 94 तथा इसी अवधि के दौरान प्रभावित कर्मकारों की संख्या क्रमशः 21394 और 8164 है।

(ख) सरकार ने औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है। निधि में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों की पुनर्संरचना तथा बंदी से प्रभावित कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन संबंधी योजनाओं के लिए सहायता का प्रावधान है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से पूरे देश में बड़ी संख्या में कर्मचारी सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उद्योगों की बंदी से प्रभावित कर्मकार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही रोजगार सृजन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं।

बाल श्रम

278. **डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उन सात उद्योगों पर जुर्माना लगाया है, जिनमें बाल श्रमिक काम कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय को यह जानकारी देने हेतु सरकार को कोई निर्देश भी दिए हैं कि देश में बाल श्रम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उठाए गये कदमों के बारे में न्यायालय को जानकारी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भारत में आये पर्यटक

279. **श्री सोहन वीर :**
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पर्यटक भारत आये और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जो विदेशी पर्यटक भारत आए, उनकी संख्या तथा पर्यटन से हुई अनुमानित विदेशी मुद्रा आय नीचे दिए अनुसार है :-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	अनुमानित विदेशी मुद्रा आय (रु. करोड़ों में)
1993	17,64,830	6141.81
1994	18,86,433	7103.53
1995	21,23,683	8640.02

(ख) और (ग). पर्यटन का विकास एक सतत् प्रक्रिया है तथा प्रत्येक वर्ष योजना प्रस्तावों का यह एक हिस्सा होता है। विभाग ने देश में पर्यटन के विकास हेतु निजी क्षेत्र सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा आरम्भ किए जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करते हुए हाल ही में एक प्रारूप नीतिपत्र तैयार किया है।

(घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें मुख्यतः, निवासियों तथा अतिथियों की सुरक्षा से संबंद्ध है क्योंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने यात्रा अभिकर्ताओं, टूअर प्रचालकों, पर्यटक परिवहन प्रचालकों, गाइडों आदि के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जो पर्यटकों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगे कैमरों का कार्य न करना

280. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रतीक्षालयों (लाउन्ज) में स्थापित कैमरे खराब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कैमरों के स्थान पर नई तथा अति उन्नत कार्य-प्रणाली स्थापित किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर लाउन्जों में लगाए गए कैमरों की उपयोगिता अवधि समाप्त हो चुकी है और शीघ्र ही इनकी जगह नए कैमरे लगाए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ). आगामी 6 से 8 माह की अवधि में 62 लाख रुपए की अनुमानित लागत से आधुनिकतम कैमरे वाली एक नई प्रणाली लगाई जाएगी।

"मकाउ" के साथ समझौता

281. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से "मकाउ" तक विमान सेवा आरंभ करने के लिये "मकाउ" देश के साथ किसी समझौते/संधि पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). एक विमान सेवा करार को अंतिम रूप देने के लिए "मकाउ" के साथ शीघ्र ही द्विपक्षीय विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राज्यीय यात्रा सर्किट

282. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय यात्रा सर्किटों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन यात्रा सर्किटों में पर्याप्त आधार-भूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख). पर्यटक केन्द्रों तथा यात्रा परिपथों का अभिनिर्धारण तथा विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को, अन्तर्राज्यीय परिपथों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे कि उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। इस संबंध में अभिनिर्धारित किए गए कुछ परिपथों में विंटर पैराडाइज (चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को शामिल करते हुए) तथा उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश परिपथ (आगरा-ग्वालियर-झांसी-ओरछा-खजुराहो एवं पन्ना को शामिल करते हुए (दक्षिण परिपथ) केरल एवं तमिलनाडु को शामिल करते हुए) बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ शामिल हैं।

(ग) और (घ). पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को उनसे प्राप्त परियोजनाओं के गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कुछ परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों के लिए कुल योजना परिव्यय

283. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमानमल लोढा :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि से लेकर अब तक जनजातीय विकास परियोजनाओं पर कुल योजना परिव्यय की तुलना में कितना वास्तविक व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जनजातीय लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास निर्धारित लक्ष्यों और अब तक किये गये निवेश के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्र के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने जनजातीय उप-योजनाओं की कमियों का पता लगाने हेतु इनके मूल्यांकन की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) राज्य योजना के अंतर्गत तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम प्रस्तुक के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में किए गए आवंटन और अनुदान के जरिए पांचवीं योजना से सातवीं योजना तक अनुसूचित जनजातियों के विकास पर व्यय 13022.57 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के मुकाबले लगभग 13,743.27 करोड़ रुपए है। आठवीं योजना के लिए प्रत्याशित व्यय 16853.13 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग). सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग का एक विचारार्थ विषय आदिवासी उप योजना दृष्टिकोण तथा जांच और समुचित विकल्प की सिफारिशों सहित आदिवासी विकास के लिए विकास संबंधी कार्यनीतियों की समीक्षा करना है।

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनंतिम वास्तविक लक्ष्य 11.37 लाख अनुसूचित जनजाति परिवार निर्धारित किया गया है, जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अंतर्गत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के विकास पर वित्तीय लक्ष्य जिसके व्यय होने की संभावना है, 42,72,03 करोड़ रुपए है।

(ङ) और (च). जैसा भाग (ख) तथा (ग) में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

देश में नए हवाई अड्डे

284. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ नए हवाई अड्डे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने गए स्थानों का स्थल वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). बंगलौर के पास देवनाहल्ली, मंगलौर और कोच्चि (नेदुम्बसरी) में नए विमानपत्तनों के निर्माण का प्रस्ताव है। सम्बन्धित राज्य सरकारें निजी क्षेत्र की भागीदारी से इन विमानपत्तनों को विकसित कर रही है।

इनके अतिरिक्त, लक्षद्वीप में आंदरोध, मेघालय में तूरा, मिजोरम में लेंगपुई, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर, महाराष्ट्र में शिरडी और सिंधुदुर्ग, जम्मू-कश्मीर में कारगिल और किश्तवाड़, पंजाब में फिल्लौर तथा राजस्थान में अजमेर में विमानपत्तनों के निर्माण के प्रस्ताव हैं।

उड़ीसा में टी.वी. ट्रांसमीटर

285. श्री सौम्य रंजन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर, उड़ीसा स्थित टी.वी. ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी है और इसके अंतर्गत कितना प्रसारण क्षेत्र आता है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कोई नया टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उड़ीसा में किसी ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भुवनेश्वर में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर विशेष रूप से कटक में स्थापित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर द्वारा कवर न किए जाने वाले क्षेत्रों को स्थलीय रूप से डीडी-2 (मैट्रो) सेवा उपलब्ध करवाता है।

(ख) और (ग). जी, हां। अपेक्षित ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). जी, हां। हालांकि सम्बलपुर स्थित मौजूदा उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर को 1 कि.वा. से 10 कि.वा. शक्ति में उन्नयित करने की स्कीम वर्तमान में कार्यान्वयनधीन है जबकि बहरामपुर स्थित मौजूदा अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम मंजूर कर दी जाए।

विवरण

उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्थान	टी.वी. परियोजना
1	2	3
1.	बलेश्वर	उ.श.ट्रा
2.	सम्बलपुर	उ.श.ट्रा
3.	बेरहामपुर	उ.श.ट्रा

1	2	3
4.	नयागढ़	अ.श.ट्रा
5.	सोनेपुर	अ.श.ट्रा
6.	मोहाना	अ.श.ट्रा
7.	तुशारा/सैनथाला	अ.श.ट्रा
8.	बिरमित्रापुर	अ.श.ट्रा
9.	कविसूर्यानगर	अ.श.ट्रा
10.	सोहेला	अ.श.ट्रा
11.	उमरकोट	अ.श.ट्रा
12.	कोटपड	अ.श.ट्रा
13.	गोंडिया (कपिलास)	अ.श.ट्रा
14.	खरियार	अ.श.ट्रा
15.	पडुआ	अ.श.ट्रा
16.	करोंजिया	अ.श.ट्रा
17.	कुलाड	अ.श.ट्रा
18.	पटनागढ़	अ.श.ट्रा
19.	राजगंगापुर	अ.श.ट्रा
20.	सिमलगुडा	अ.श.ट्रा
21.	जलपारा	अ.श.ट्रा
22.	बहालडा	अ.श.ट्रा
23.	ओल	अ.अ.श.ट्रा
24.	थोमल रामपुर	अ.अ.श.ट्रा
25.	चित्राकोंडा	अ.अ.श.ट्रा
26.	बडाबरबिल	अ.अ.श.ट्रा
27.	बरपल्ली	अ.अ.श.ट्रा
28.	नगची	अ.अ.श.ट्रा
29.	मचकुंड	अ.अ.श.ट्रा
30.	काशीपुर	अ.अ.श.ट्रा
31.	लांजीगढ़	अ.अ.श.ट्रा
32.	जयपटना	अ.अ.श.ट्रा
33.	सिमलीपलमढ़	अ.अ.श.ट्रा
34.	उदयगिरि	अ.अ.श.ट्रा
35.	सुकिन्डा	अ.अ.श.ट्रा
36.	कोकसारा	अ.अ.श.ट्रा
37.	कलमपुर	अ.अ.श.ट्रा
38.	पाईकमल	अ.अ.श.ट्रा
39.	धेनकन्नाल	ट्रान्सपोजर
40.	चांदीपाडा	ट्रान्सपोजर

सेंसर बोर्ड में फिल्म उद्योग के सदस्यों को सम्मिलित करना

286. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सेंसर बोर्ड में शामिल किए जाने के लिए फिल्म उद्योग द्वारा नामित कुछ सदस्यों को सम्मिलित करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या संसदीय स्थायी समिति सेंसर बोर्ड को किसी भी निहित स्वार्थ से मुक्त रखने के संबंध में मंत्रालय की सिफारिशों पर ध्यान देती है;

(घ) यदि हां, तो क्या फिल्म उद्योग द्वारा नामित सदस्य उस सिफारिश का अनुपालन करते हैं; और

(ङ) इस संबंध में उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता हैं। इसमें एक अध्यक्ष तथा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम 12 तथा अधिक से अधिक 25 अन्य सदस्य होंगे। लगभग छह सदस्य फिल्म उद्योग से सम्बद्ध होते हैं।

(ग) से (ङ). संचार संबंधी स्थायी समिति (1994-95) (दसवीं लोक सभा) ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि बोर्ड में सदस्य फिलम उद्योग से नहीं होने चाहिए।

केन्द्र सरकार के विचार से जो व्यक्ति लोगों पर फिल्मों के प्रभाव को समझने योग्य होते हैं उनको बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः फिल्मों से संबंद्ध व्यक्तियों सहित समाज के प्रतिनिधिक समूहों के व्यक्तियों को बोर्ड में शामिल किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों के रूप में फिल्म उद्योग के व्यक्तियों की नियुक्ति करने पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। बोर्ड के सदस्य केवल पुनरीक्षण समितियों के स्तर तक ही संबंद्ध होते हैं। पुनरीक्षण समिति में एक अध्यक्ष तथा नौ से अधिक सदस्य शामिल नहीं होते जो बोर्ड अथवा इसके सलाहकार पैनलों के सदस्य होते हैं। समितियों के गठन को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी हमेशा फिल्म उद्योग सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायपूर्ण मिश्रण के साथ समितियों का गठन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय सरकार द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना अपेक्षित होता है। अतः सरकार द्वारा सिफारिश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया।

संचार संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में अपने इस दृष्टिकोण को दोहराया है कि फिल्म उद्योग से किसी भी सदस्य की बोर्ड में नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस सिफारिश का अन्तिम उत्तर अभी भेजा जाना है।

[हिन्दी]

बिहार सरकार को केन्द्रीय राजसहायता

287. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार में होटल खोलने के लिए राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग). इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में होटल खोलने के लिए कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार एक दो तथा तीन सितारा श्रेणी की अनुमोदित होटल परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए ऋणों पर 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की ब्याज इमदाद देती है, जोकि राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, पर्यटन वित्त निगम और आई एफ सी आई के माध्यम से वितरित की जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार में विभिन्न होटल परियोजनाओं के लिए 16,11,902/- रुपए की राशि को ब्याज इमदाद के रूप में रिलीज किया गया।

[अनुवाद]

लेह के लिए अनियमित विमान सेवा

288. **श्री जगमोहन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह (लद्दाख) के लिए विमान सेवा लगातार अनियमित होती जा रही हैं;

(ख) चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान उड़ानों में कितनी बार चार घंटों से अधिक का विलम्ब हुआ अथवा वे रद्द कर दी गई; और

(ग) विमान सेवा को नियमित बनाने के लिए क्या उपाचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनवरी, 1996 से मई, 1996 तक की अवधि में इंडियन एयरलाइन्स की तीन उड़ानें चार घंटे से अधिक विलम्ब से गई तथा 20 उड़ानें रद्द हुई थीं।

(ग) सभी तकनीकी विलम्बों के कारणों का पता लगाने हेतु उनकी जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है, उपचारी कार्रवाई भी की जाती है। जहां इन विलम्बों को समाप्त या कम किया जा सकता हो, उन क्षेत्रों का पता लगाने हेतु पिछले 24 घंटों में हुए विलम्बों की प्रतिदिन नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु जारी की गयी धनराशि

289. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में केरल को अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु "विशेष केन्द्रीय सहायता" के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) 1995-96 के लिए इस योजना के अंतर्गत केरल हेतु कुल कितना बजटीय प्रावधान किया गया है और इस अवधि में कितनी राशि वास्तविक रूप से जारी की गई; और

(ग) 1996-97 के लिए इस योजना के अंतर्गत कितना बजटीय प्रावधान किया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) 508.81 लाख रुपए।

(ख) निम्नलिखित कारणों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अग्रिम बजटीय परिव्यय निर्धारित नहीं किया जा सका :-

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित पिछड़ेपन तथा प्रयास सहित कुछ निर्धारित मानदण्डों के आधार पर बांटी जाती है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए ली जा रही है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर सूचना सामान्यतया केन्द्र सरकार द्वारा, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में, प्राप्त की जाती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, किए जा रहे प्रयासों में वर्ष दर वर्ष कम या अधिक भिन्नता आती रहती है। 1995-96 में केरल को वास्तव में प्रदान की गई राशि 492.73 लाख रुपए थी।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कारणों से, किसी भी राज्य को, इस योजना के तहत कोई भी बजटीय परिव्यय नहीं किया गया। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पिछड़ेपन के आधार पर 1996-97 के लिए केरल को विशेष केन्द्रीय सहायता की 287.98 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदान की गई।

बाल श्रमिक

290. **श्री केशव महन्त :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री अमर पाल सिंह :
कुमारी उमा भारती :
डा. अरुण कुमार शर्मा :
श्री एन. डेनिस :
श्री जगतबीर सिंह द्रोण :
श्री पंकज चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कारखानों में और घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत बाल श्रमिकों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है;

(घ) देश में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) बाल श्रम की समस्या को कब तक पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया जाएगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) विभिन्न कारखानों में और घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग). बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची के भाग "क" और "ख" में समाविष्ट 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। दिनांक 26.5.1993 की एक अधिसूचना के माध्यम से बालकों की कामकाजी दशाओं को उन सभी नियोजनों में विनियमित किया गया है जो बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिषद्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). जबकि अन्तिम लक्ष्य बाल श्रम प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है, इसलिए पहली नजर में सन् 2000 ई. तक जोखिमकारी नियोजनों में लगे अनुमानतः 20 लाख बालकों को प्रगामी रूप से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन का कार्य लिया गया है। अब तक, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बच्चों को परिधि में लेते हुए 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सरकार ने नियोजनों में बाल श्रम के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए किसी समय-सीमा को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

एन.एच.एफ.डी.सी की स्थापना

291. **डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) की स्थापना केन्द्र और राज्यों की समान भागीदारी के आधार पर करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को 1996 में राज्यों के कल्याण मंत्रियों की बैठक में प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लाभ/आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों, स्वरोजगार तथा अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपए (केवल चार सौ करोड़ रुपए) होगी जो प्रत्येक 1000/- रुपए (एक हजार रुपए) के 40 लाख (चालीस लाख रुपए) इक्विटी शेयरों में विभक्त होगी। प्रदत्त पूंजी 200 करोड़ रुपए होगी। शुरू में समस्त इक्विटी भारत सरकार द्वारा धारित होगी।

(ख) निगम की स्थापना संबंधी निर्णय 1996 में आयोजित राज्यों के कल्याण मंत्रियों की बैठक से पहले ही लिया जा चुका था; तथापि, राज्यों के कल्याण मंत्रियों द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों ही की इक्विटी के साथ अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक की जाए।

(ग) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक कार्यकलाप की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू करने, उच्चतर/तकनीकी शिक्षा आदि प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करेगा। इस निगम को यथा सम्भव शीघ्र कार्यशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति

292. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत गांवों में बिजली देने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों में ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) चालू योजना की शेष अवधि में सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी. पी.) तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी विशेष संघटक योजनाओं के तहत शुरू की गई अनुसूचित जातियों के लिए आय सृजन की आर्थिक विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती हैं इसी प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों हेतु उनकी उप योजना को सहायता देने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा राज्य आदिवासी क्षेत्रों में पृथक-पृथक परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सामान्यतः अनुसूचित जाति बस्तियों/स्थानों के विद्युतीकरण के लिए घरों में कनेक्शन देने के लिए, पम्प सेटों आदि को चलाने के लिए विशेष संघटक योजना के आवंटन को निर्धारित करते हैं। यह इस क्षेत्र के अंतर्गत विशेष संघटक योजना के सांकेतिक आवंटन को रोकने के लिए है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी है कि अनुसूचित जाति के लोग बिखरे हुए हैं। तथापि, विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार पत्र

293. **श्री सौम्य रंजन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार प्रकाशित होने वाले छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन समाचारपत्रों को अखबारी कागज की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो अखबारी कागज के आबंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) उन सभी समाचार पत्रों जो भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत के नामों, भाषाओं, प्रकाशन स्थलों, स्वामित्व, प्रसार आंकड़ों आदि से सम्बन्धित ब्यौरे पांच वर्ष में एक बार संकलित किए जाते हैं। नवीनतम प्रकाशित पुस्तक "प्रेस इन इण्डिया, 1991 है जो संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध है। आगामी संस्करण अर्थात प्रेस इन इण्डिया, 1996 का प्रकाशन सितम्बर, 1996 के बाद किया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदौर-दिल्ली और भोपाल-दिल्ली मार्गों पर उड़ानें

294. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर-दिल्ली और भोपाल-दिल्ली मार्गों पर रविवार को कोई उड़ान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). एन ई पी सी एयरलाइन्स भोपाल-दिल्ली सैक्टर पर रविवार को प्रचालन करती है। रविवार को इन्दौर से दिल्ली के लिए कोई उड़ान नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

295. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों की क्षमता को बढ़ाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार का विचार राज्य में किसी नये प्रसारण केंद्र की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो उनकी क्षमता बताते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नये केंद्र की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) विवरण-I में दिए गए ब्यौरों के अनुसार वर्तमान में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 42 टी.वी. ट्रांसमीटर बिहार में परिचालित है।

(ख) से (घ). हालांकि मोतीहारी, जमशेदपुर तथा देवगढ़ स्थित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाने की परिकल्पना है, तथापि, विवरण-II के अनुसार वर्तमान में 7 अतिरिक्त अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर बिहार में कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ङ) संसाधनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य समय 2 से 4 वर्ष भिन्न-भिन्न है।

विवरण-I

बिहार स्थित मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर

उ.शा.ट्रा.	अ.श.ट्रा	ट्रान्सपोसर
1	2	3
डाल्टनगंज	औरंगाबाद	रामगढ़ हिल
कटिहार	बेगुसराय	
मुजफ्फरपुर	बेरित्या	
पटना	भागलपुर	
रांची	बोकारो	
	बक्सर	
	चायबासा	
	दरभंगा	
	देवगढ़	
	धनबाद	
	डुमका	
	फोरबिसगंज	
	गया	
	घाटशिला	
	गिरीडीह	
	गोड्डा	
	गोपालगंज	
	गुमला	
	हजारीबाग	
	जमशेदपुर	
	जमुई	
	खगड़िया, लौहारदगा	
	माधेपुरा	
	मधुबनी	
	मोतीहारी	
	मुंगेर	
	नवादा	
	रकसौला	
	सहरसा	
	सासाराम	
	सीमामढ़ी	
	सिवान	
	शेखपुरा	
	सोपाल	
	पटना (डीडी-2)	

क्षमता : उ.श.ट्रा = 10 कि.वा./1 कि.वा.
अ.श.ट्रा = 300वा/100 वा.
ट्रान्सपोसर = 10वा.

विवरण-II

बिहार में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर

अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.
नौमंडी	घरवा
कोडरमा	सिमडेगा
फूलपारास	
सरायकैला	
लखीसराय	
मुशावनी	
सिकन्दरा	

क्षमता :- अ.श.ट्रा = 300 वा/100 वा.
अ.अ.श.ट्रा. = 10वा.

[अनुवाद]

बोरझार हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

296. श्री केशव महन्त : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी में बोरझार हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा भी उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा यहां प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुवाहाटी में बोरझार पर निम्नलिखित निर्माण कार्य शुरू किए हैं :

(1) मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है और एक समय में 750 आने वाले तथा 750 प्रस्थान करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका परिवर्धन किया जा रहा है।

(2) अधिक संख्या में विमानों को स्थान देने के लिए एप्रन का विस्तार करके उसे 800 फुट×300 फुट से बढ़ाकर 950 फुट×350 फुट करना।

(3) आधुनिकतम रडार उपस्कर की स्थापना।

(4) धावनपथ को 9000 फुट से बढ़ाकर 12000 फुट करना।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

होटलों में कमरों की कमी

297. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में होटलों में कमरों की कमी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग). जी, हां। बंबई और दिल्ली महानगरों में होटल कमरों की विशेष रूप से कमी है। होटलों का निर्माण करना मुख्यतया प्राइवेट सेक्टर का कार्यकलाप है परन्तु विभाग की एक स्कीम है जिसके द्वारा होटल परियोजनाएं/होटल एक से पांच सितारा डीलक्स श्रेणी में अनुमोदित किए जाते हैं और अधिक होटलों को मान्यता प्राप्त श्रेणी में लाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय लाभ मुहैया किए जाते हैं। सरकार इस संबंध में सामान्यतया एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

[हिन्दी]

अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना

298. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सभी बड़े शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार विभिन्न राजनीतिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार से अजमेर में हवाई अड्डे की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अजमेर में हवाई अड्डे के विकास के लिए राजस्थान राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह 460 एकड़ भूमि अभिग्रहीत करके उसे निःशुल्क प्राधिकरण को सौंप दे।

राजस्थान में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

299. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर, राजस्थान में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र कब स्थापित किए गए थे;

(ख) उक्त केन्द्रों के विकास पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार को उक्त केन्द्रों से विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण करने और दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या सरकार का इन केन्द्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इन केन्द्रों का विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अजमेर स्थित आकाशवाणी केन्द्र 11.12.1955 को चालू किया गया था जबकि दूरदर्शन का अल्प शक्ति ट्रांसमीटर 22.8.1984 से कार्य कर रहा है।

(ख) आकाशवाणी ने अजमेर में ट्रांसमीटर के उन्नयन/प्रतिस्थापन पर लगभग 208.51 लाख रुपए व्यय किए हैं जबकि दूरदर्शन ने अभी तक 20.33 लाख रुपए खर्च किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

300. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चालू वर्ष के दौरान नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) क्या सरकार का उक्त राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर अनुमानित लागत कितनी आएगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). चालू वर्ष के दौरान मंजेरी (मल्लापुरम) में 285 लाख रुपए की अनुमानित पूंजी लागत पर 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टर सहित एक स्थानीय रेडियो केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). 294.13 लाख रुपए तथा 524.98 लाख रुपए की अनुमानित पूंजीगत लागत पर क्रमशः त्रिवेन्द्रम स्थित मौजूदा 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के स्थान पर 2×5 कि.वा.एफ. एम. ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है तथा एलैप्पी स्थित मौजूदा 100 कि. वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2×100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में श्रमिक

301. श्री नीतीश कुमार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 75 प्रतिशत से अधिक श्रमिक वर्ग अपना जीवन यापन निजी क्षेत्रों के माध्यम से करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविकता क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं पर चालू वर्ष में कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.एण्ड टी.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 31.3.94 की स्थिति के अनुसार संगठित निजी क्षेत्र में 79.30 लाख व्यक्ति नियोजित थे जबकि संगठित क्षेत्र में कुल 273. 75 लाख व्यक्ति नियोजित थे।

(ग) और (घ). संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों के संरक्षण और कल्याण के लिए अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं। विभिन्न श्रम कानूनों के उपबंधों के अनुसार नियोजकों द्वारा अपने श्रमिकों के कल्याण के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

302. श्री मोहन रावले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में +2स्तर पर केन्द्रीय प्रोयोजित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आरम्भ किये गये सभी 30 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों कां शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नहीं लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शेष व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को उक्त अधिनियम 1961 के अन्तर्गत लाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 10+2 स्तर पर केन्द्र प्रवर्तित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारम्भ किये गये 30 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में से 23 पाठ्यक्रम पहले ही शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत आते हैं। सात व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा, इलैक्ट्रानिक टेक्नालोजी, मेकेनिकल टेकनालोजी, आटो इंजनियरिंग तकनीशियन, मरम्मत, इलैक्ट्रीकल मोटरों की रीवाईंडिंग तथा अनुरक्षण, बागवानी, नानबाई व हलवाई तथा पाकशास्त्र को अभी शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नहीं लाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि बाकी, सात व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी एक या दूसरे रूप में व्यवसाय शिक्षुता हेतु पहले ही उपलब्ध है, पुनरावृत्ति से बचने के लिये इसे शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत लाना वयवहार्य नहीं समझा गया।

मध्य प्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर

303. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डा. सत्यनारायण जटिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर कम शक्ति के ट्रांसमीटर और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार, मध्य प्रदेश में इस समय 10 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। इन ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त, इन्दौर, जगदलपुर और ग्वालियर में टी.वी. स्टूडियों (कार्यक्रम निर्माण सुविधा) भी कार्यान्वयनाधीन हैं। तथापि, इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों और अन्य आधार-भूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

मध्य प्रदेश में इस समय कार्यान्वयनाधीन टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं

अ.श.ट्रा.

गदरवाड़ा

बडा मलहेरा

केलारस

शक्ति

नारायणपुर

गरोठ

सारंगगढ़

भानपुरा

सीतामऊ

पिपरिया

अ.अ.श.ट्रा.

सिंगरौली

कोयलीबेड़ा

पेंडरा रोड

डायमंड माइनिंग प्रोजक्ट

मोडकपाल

बीजापुर

खान सुरक्षा

304. **श्री राजेन्द्र कुमार** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में सुरक्षा के बारे में मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्थापित उपसमिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख). श्रम मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने 13-4-96 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हालांकि रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर विचार प्रारम्भ हो चुका है, रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के संबंध में सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया जाना अपेक्षित है। अतः रिपोर्ट में वर्णित किन्हीं सिफारिशों पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

उपग्रह सुविधाएं पट्टे पर देना

305. **श्री ई. अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत के स्वामित्व वाले उपग्रहों को व्यक्तियों या फर्मों को समय आधार पर पट्टे पर दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विदेशों के स्वामित्व वाले उपग्रहों को भारतीय व्यक्तियों या फर्मों को पट्टे पर दिए जाने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने किसी व्यक्ति या फर्मों के उपग्रह "अपलिंक" को भारत में कहीं समय के आधार पर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार की नीति में व्यक्तियों अथवा फर्मों को उपग्रह के इनसैट सिरीज पर ट्रांसपोन्डर पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल

306. **श्री सौम्य रंजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों/औषधालयों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के और अधिक अस्पताल/औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). भुवनेश्वर और राऊरकेला में 50-50 बिस्तरों वाले जो दो अस्पताल निर्माणाधीन हैं उनके 1996-197 के दौरान कार्यारम्भ करमे की संभावना है। क.रा.बी. निगम के चरणबद्ध कार्यक्रम के अधीन पुरी, कुरामुण्डा और लक्ष्मी नगर में प्रत्येक स्थान पर एक एक क.रा.बी. औषधालय भी स्थापित किये जाने की संभावना है।

विवरण

अस्पताल :

1. क.रा.बी. अस्पताल, चौदवार
2. क.रा.बी. अस्पताल, केनसावहल
3. क.रा.बी. अस्पताल, ब्रजराज नगर
4. क.रा.बी. अस्पताल, जयकापुर

औषधालय :

1. क.रा.बी. औषधालय, बारबिल
2. क.रा.बी. औषधालय, तंरग
3. क.रा.बी. औषधालय, बारडोल
4. क.रा.बी. औषधालय, शहीद नगर (भुवनेश्वर)
5. क.रा.बी. औषधालय, ब्रजराज नगर
6. क.रा.बी. औषधालय, टी.पी. मिल्स क्षेत्र, चोदवार
7. क.रा.बी. औषधालय, हीराकुंड
8. क.रा.बी. औषधालय, चोदवार के प्रॉगण में क.रा.बी. औषधालय
9. क.रा.बी. औषधालय, जयकापुर
10. क.रा.बी. औषधालय, कनसाबहल
10. क.रा.बी. औषधालय, राजगंगपुर
12. क.रा.बी. औषधालय, राऊरकेला-4
13. क.रा.बी. औषधालय, तेलगपेठ
14. क.रा.बी. औषधालय, खापुरिया
15. क.रा.बी. औषधालय, राजाबगीचा
16. क.रा.बी. औषधालय, चान्दनी चौक
17. क.रा.बी. औषधालय, पारादीप
18. क.रा.बी. औषधालय, पो.पो.एल. क्षेत्र
19. क.रा.बी. औषधालय, नुपातना
20. क.रा.बी. औषधालय, भगत पुर
21. क.रा.बी. औषधालय, धनमंडल
22. क.रा.बी. औषधालय, जजपुर रोड
23. क.रा.बी. औषधालय, तिरतोल
24. क.रा.बी. औषधालय, जगतपुर
25. क.रा.बी. औषधालय, अनवेस्वर
26. क.रा.बी. औषधालय, खुर्दा
27. क.रा.बी. औषधालय, रंदिया
28. क.रा.बी. औषधालय, चरम्पा
29. क.रा.बी. औषधालय, बालासौर
30. क.रा.बी. औषधालय, बालगोपालपुर
31. क.रा.बी. औषधालय, छानपुर
32. क.रा.बी. औषधालय, गोविन्दपुर
33. क.रा.बी. औषधालय, थनकनवल
34. क.रा.बी. औषधालय, अंगुल
35. क.रा.बी. औषधालय, नगजम
36. क.रा.बी. औषधालय, बेरहामपुर
37. क.रा.बी. औषधालय, अलका
38. क.रा.बी. औषधालय, जयपोर
39. क.रा.बी. औषधालय, सोनपुर
40. क.रा.बी. औषधालय, बालनगीर
41. क.रा.बी. औषधालय, तोरा
42. क.रा.बी. औषधालय, सम्बलपुर
43. क.रा.बी. औषधालय, झरसुगुडा
44. क.रा.बी. औषधालय, राजगगपुर-II
45. क.रा.बी. औषधालय, कालगांव
46. क.रा.बी. औषधालय, सीआईएसएफ कालोनी (राऊरकेला)
47. क.रा.बी. औषधालय, एफसीआई कालोनी (राऊरकेला)
48. क.रा.बी. औषधालय, एफसीआई
49. क.रा.बी. औषधालय, आईडीएल कैमिकल्स
50. क.रा.बी. औषधालय, किरोई
51. क.रा.बी. औषधालय, ब्राहमणीपाल
52. क.रा.बी. औषधालय, बरोप्रदा

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद मैं शून्य काल की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय क्या आप पत्र रखने की इजाजत पहले दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यही अच्छा होगा क्योंकि मंत्रियों को जाना है तथा उन्हें कुछ कार्य भी करने हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1996 आदि।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1996, जो 20 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 28/96]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 29/96]

प्रसूति प्रसुविधा [खानें और सर्कस] (संशोधन) नियम, 1996, आदि

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधा (खानें और सर्कस) (संशोधन) नियम, 1996, जो 31 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 30/96]

(2) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजनाएं 1996, जो 28 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधीसूचना संख्या सा.का.नि. 134 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 31/96]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1996-97 के वित्तीय प्राक्कलनों और कार्य-निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 32/96]

(4) वाणिज्य पोतो में न्यूनतम मानकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 147 को पुष्टि और इस कन्वेशन के अपबंधों के क्रियान्वयन के बारे में की गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 33/96]

अपराह्न 12.02 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :-

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब हम शून्य काल की चर्चा करेंगे।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह प्रश्न उठाता हूं तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी। वास्तव में मुझे कुछ खेद और दुःख के साथ इस प्रश्न को दोबारा उठाना पड़ रहा है तथा मैंने इसे औपचारिक तौर पर एक अन्य स्थगन प्रस्ताव के साथ उठाया है। मैंने आपके विचारार्थ ऐसा मुद्दा रखा है जिसकी कल तक इजाजत नहीं थी चूंकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के सम्पूर्ण प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव पर आप आज विचार करें तथा स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति दें जिसके लिए मैंने एक अतिरिक्त तथा नया स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका स्थगन.प्रस्ताव मिल गया है तथा मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं बाद में आपको मौका दूंगा।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मुझे यह स्वीकार्य है लेकिन क्योंकि स्थगन प्रस्ताव अपने आप में ही स्थगन से संबंधित है और इसलिए जब आप कहते हैं कि जब सभा अपना शेष कार्य कर लेगी, तब आप इस पर विचार करेंगे तो स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्य काल प्रारम्भ हो चुका है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आमतौर पर यह शून्य काल के दौरान ही होता है....

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण आपने इस मुद्दे को उठाया है। पहले मुझे आपकी सूचना देखने दो और उसके बाद मैं आपको समय दूंगा।

श्री जसवंत सिंह : स्थगन प्रस्ताव केवल शून्य काल के दौरान ही उठाया जा सकता है।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, हम भी सदस्य हैं तथा हमें भी मामले उठाने का हक है। ऐसा नहीं है कि केवल विपक्षी दल के सदस्य ही ऐसा कर सकते है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने नियम 193 के अंतर्गत इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है।

हम मामले पर चर्चा करने में रूचि रखते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह ने स्थगन प्रस्ताव की एक नई सूचना दी है। मुझे अभी इसे देखना है।

(व्यवधान)

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : यह पहले से ही कार्यसूची में है। इसलिए आप हमें इसे शून्य काल के दौरान उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दे रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : स्थगन प्रस्ताव सूचीबद्ध कार्य के लिए है न कि गैर सूचीबद्ध कार्य के लिए। अब हम गैर सूचीबद्ध कार्य में व्यस्त हैं। सूचीबद्ध कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। अब शून्य काल के कार्य से लिया जाना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमने कल स्थगन प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया था लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की गई/नियम मुझे अतिरिक्त और नया स्थगन प्रस्ताव लाने से नहीं रोकते जबकि मेरा पहला स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है लेकिन नियम यह भी नहीं कहते कि अध्यक्ष को इस पर तुरंत फैसला देना होता है।

श्री जसवंत सिंह : यह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : जब आपके सामने मोशन है तो उस पर बहस कब होगी...**(व्यवधान)** आप हम लोगों की राय लीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह स्वीकार कर लिया है कि सदस्य को स्थगन प्रस्ताव की नई सूचना देने का अधिकार है। मैंने इस स्थिति को स्वीकार किया है कि सदस्य को इसे देने का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेर विचार से आपने मेरे विनिर्णय को नहीं समझा है।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बारांबकी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका दिया जाएगा।

[अनुवाद]

चूंकि यह मामला कल उठाया गया था तथा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था, मैने 193 के अंतर्गत चर्चा का निर्णय दिया। दोबारा श्री जसवंत सिंह ने एक नई सूचना दी है। अतः प्रश्न यह है कि क्या किसी सदस्य को नई सूचना देने का अधिकार है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसे अधिकार है। ऐसा नियमों में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल रूल की बात मत करिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा ही कहा है। सदस्य को सूचना देने का अधिकार है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री राम सागर : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में आपने मुझे बुलाया है तो बीच में इनको क्यों बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अभी पाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है उसे लेकर है कि उन्हें स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नियम 60 में इसका उल्लेख है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि रूल 60 के आधार पर ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, मेरी बात सुनिए। रूल 60 में यह है कि अगर आपके पास ऐडजर्नमेंट मोशन आया है तो पहले एडजर्नमैंट मोशन पर सदन की राय लेनी चाहिए। अगर आप उस पर विचार कर रहे हैं तो हमें बता दीजिये कि आपका क्या विचार है? अभी आपने कहा कि कल आपने विचार करके यह तय किया कि 193 के तहत बहस होगी। हमें 193 स्वीकार है या नहीं यह बात अपनी जगह अलग है। लेकिन कल आपने क़हा था कि ऍडजर्नमेंट मोशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके मन में क्या बात है? जब उनका मोशन सुबह आपके हाथ में है और अगर वह मोशन सदन में बहस के लिये लेने वाले हैं तो सदन की राय लेना आपके लिये अनिवार्य है। मोशन देने का हमारा अधिकार है और वह अधिकार किसी की मेहरबानी से नहीं है। सदन के नियमों के अनुसार एक सदस्य को यह अधिकार है। मैं पूरी नम्रता के साथ कह रहा हूं कि जब उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर यह दायित्व है कि हमें बता दीजिये कि उस मोशन का क्या हो रहा है। अगर श्री जसवंत सिंह जी ने मोशन दिया है तो नियम 60 के आधार पर हमें यह मोशन मूव करने की इजाजत दीजिये। यदि इजाजत नहीं देते है तो फिर आगे जाईये। यह मोशन क्यों होना चाहिये, इसको बताने के लिये हमें मोका दीजिये। जिनको विरोध करना है, उनको भी मौका दीजिये। इस बारे में मैं कौल एंव शकधर को उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उधर जाने की जरूरत नहीं है। यह रूल इतना साफ है।

[अनुवाद]

श्री फर्नान्डीज आप वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं, इसको समझे बगैर आप नहीं कह सकते। मेरे पास किताब है- पार्लियामेट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो शायद 1991 का एडीशन है जिसके पेज 111 पर लिखा हुआ है-

> "यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के किसी विनिर्णय के संबंध में सभा में कोई निवेदन करना चाहे तो अध्यक्ष इस बात का समाधान करके कि इससे सभा की कार्यवाही में अनुचित रूप से बाधा नहीं पड़ेगी उसे अपनी बात कहने की अनुमति दे सकता है।"

अभी एक स्थिति बनी है। कल प्रोसीडिग्स ऑफ दॉ हाऊस नहीं चली। आज भी हम अपने को एक अजीब स्थिति में पा रहे हैं। सारा देश उत्तेजित है और हम सदन में उत्तेजित हैं।

अगर अपनी बात इस सदन में नहीं रख सकते, जो स्थगन प्रस्ताव यहां रखा है, वह विचार के लिये अगर नहीं आता है तो फिर इस सदन में एक अलग स्थिति बन जायेगी। हम लोग अपने आप को एक विचित्र स्थिति में पा रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं, 184 मंजूर नहीं तो फिर क्या अविश्वास का प्रस्ताव लाये? वह इनके हाथ में नहीं है। लेकिन इस तरह से इस सदन की अवहेलना करना, देश के लोगों की सोच की अवहेलना करना, यह बात नहीं चल सकती है। इसलिये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो प्रस्ताव श्री जसवंत सिंह जी ने यहां पर

रखा है, उस प्रस्ताव को बहस के लिये लीजिये। उस पर कोई लम्बे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय हमें भी बोलने का अधिकार है। जो श्री जार्ज फर्नान्डीज कह रहे हैं वह पूर्णतः गलत और असंगत है...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : महोदय आपने अपने स्वविवेक से पहले ही यह विनिर्णय दिया है कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी तथा यह आपकी कार्यसूची में हैं मैं अपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उसी विषय पर नयी सूचना दी जा सकती है जबकि एक नियम विशेष के अंतर्गत वह नियम सूचीबद्ध किया गया है... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई बात है जिसे अध्यक्ष के विनिर्णय को अन्तिम कहा जा सकता है...**(व्यवधान)**

श्री जसंवत सिंह : महोदय, मेरे विचार में उनसे यह सुनना काफी सुखद है "विपक्ष से" क्योंकि अब वे सत्ता पक्ष में है। कृपया मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाईए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको मुझे सलाह नहीं देनी है। कृपया अपने साथियों को, अपने सदस्यों को निर्मंत्रित कीजिए। श्री जसवंत सिंह हमें भाषण मत दीजिए।

महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई बात है जिसे अध्यक्ष के विनिर्णय अन्तिम माना जाए। कल हमने इस सभा में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा प्रदर्शन करके आपके विनिर्णय को सीधे चुनौती देते हुए देखा तथा वे सभा में अध्यक्ष के आसन के पास जमा हो गए थे। भा.ज.पा. के नेता चुपचाप बैठे रहे। यह सभा में अध्यक्ष के विनिर्माय को एक चुनौती थी तथा सभा को स्थगित करना पड़ा।

आज हमने दूसरा तरीका देखा। जो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया जा सकता, उसे वे अब अप्रत्यक्ष तौर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल मजाक है। वे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के बारे मैं आपके निमार्ण को चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसको चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब दूसरे प्रयास के आग्रह को लेकर वे इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं। कुछ मानदंड हैं। हम यहा इस प्रकार कार्य नहीं कर सकते हैं...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : कौन सी शक्ति सदस्यों को नया स्थगन प्रस्ताव लाने से रोकती है? कौन सा नियम है? ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : कम से कम यह आशा हमसे की जाती है कि हम अध्यक्ष महोदय का सम्मान करें। कल क्या हुआ था?. ..**(व्यवधान)** जैसे ही आपने अपना विनिर्णय दिया कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी, प्रर्दशन शुरू हो गया। वे आपके विनिर्णय के विरुद्ध, सरकार को चुनौती दे रहे थे। मेरा विनम्र आग्रह है कि इस सभा में गड़बड़ पैदा न की जाए। यदि वे किसी विषय पर गंभीर हैं, उचित वातावरण में उचित तरीके से चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए गंभीर मामले हैं। हमने भी कल कहा था कि इस पर चर्चा हो। ऐसा लगता है, वे चर्चा नहीं चाहते हैं...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : आप कीमतों में कमी नहीं चाहते हैं। हम कीमतों में कमी चाहते हैं हम बढ़े हुए मूल्यों में कमी चाहते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : 14 दिन के लिए खड़े होकर आपने सदन की कार्यवाही को रोका था। आप हमें बता रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं नियम 58 के विषय में बात करना चाहता हूं जिसके अर्न्तगत कल आपने विनिर्णय दिया था। मैं सदन को नियम 58 के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो कि बहुत स्पष्ट है। मैं कल किए गए प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि हम कांग्रेसी विपक्ष द्वारा आयोजित इन प्रदर्शनों के अभ्यस्त हैं...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : पश्चिम बंगाल में।

श्री पी.आर. दासमुंशी : हम जानते है कि अतीत में क्या हुआ हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : नियम 5 (पांच) इस प्रकार है:-

> "प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो"

कृपया मुझे इसकी व्याख्या करने की अनुमति दें।...**(व्यवधान)** कल इस पर चर्चा की अनुमति दी गई, इसी चर्चा के आधार पर आपने अपना विनिर्णय दिया। अतः नियम 58 के अन्तर्गत यह मामला दुबारा नहीं उठाया जा सकता। आप नियम पढ़ लीजिए। इसे दुबारा कैसे उठाया जा सकता है? आपने इसकी अनुमति दी, इस पर चर्चा हुई और चर्चा के सम्पन्न होने पर आपने अपना विनिर्णय दिया। यदि आप फिर से इस पर चर्चा की अनुमति देंगे तो आप भविष्य में सभा को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : श्री पी.आर. दासमुंशी के समर्थन में एक बात और है। उन्होंने नियम 58 (पांच) का उल्लेख किया है। मैं नियम 58 (एक) एक की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जो इस प्रकार है:-

> "एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा"

उसी विषय अर्थात मूल्य-वृद्धि के बारे में फिर वही प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब वे यह नहीं कह सकते कि वह उस मूल्य-वृद्धि की बात कर रहे हैं जो आज और कल के बीच हुई।

मैं नहीं समझता कि वह इसी मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। अब वस्तुतः वह उस मूल्य-वृद्धि के फलस्वरूप पैदा हुई और मुझे नहीं लगता कि वह जिस तरह से इस पर इस नियम के अन्तर्गत चर्चा करा सकते हैं और इस तरह नोटिस दे सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं 'कौल और शकधर' की पुस्तक के पृष्ठ 451 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री ई. अहमद को बोलने की अनुमति दी है। आप उनके पश्चात् अपने विचार व्यक्त कीजिए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय मैं नियम 60 के अन्तर्गत व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस ने नियम 60 के अन्तर्गत इसे उचित ठहराने के लिए एक विस्तृत भाषण दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की है कि आपने अपनी सहमति नहीं की है... आप इस पर विचार करेंगे...**(व्यवधान)** मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए यहां मैं नियम 60 उद्धृत करता हूं:-

> "अध्यक्ष यदि नियम 56 के अन्तर्गत सम्मति दें और यह ठहराये कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल है तो वह सम्बन्धित सदस्य को पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा।"

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : आप पैरा 2 पढ़े...**(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : जार्ज महोदय, अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय नहीं दिया। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि श्री जार्ज ने पृष्ठ 111 से उद्धृत किया है। मैं भी उसी पृष्ठ से उद्धृत कर रहा हूं और विपक्ष के माननीय नेता की जिम्मेदारी है कि वह देखें कि उनके दल के लोग इन नियमों का अनुसरण करें पृष्ठ 111 में यह कहा गाया है जैसा कि पहले कहा गया है अध्यक्ष के विनिर्णय को एक समग्र प्रस्ताव के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी कोई मूल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और आपने अध्यक्ष के आदेश को उद्धृत किया है।

दूसरे जो सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय का का विरोध करता है वह सदन और अध्यक्ष दोनों की अवमामना करता है। आप कल से यही कर रहे हैं। आप कल से सदन और अध्यक्ष दोनों की अवमानना कर रहे हैं।

तीसरे, अध्यक्ष का विनिर्णय चाहे वह सदन में विभागीय संचिका पर दिया गया हो बराबर बाध्यकारी होता है। उसके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह अपने निर्णय के लिए कारण बताए।

महोदय जब श्री जसवन्त सिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति मांगी है, जब तक अध्यक्ष महोदय; यह अनुमति प्रदान नहीं करते किसी सदस्य को इसे सदन में उठाने का हक नहीं हैं। अतः कल प्रमुख विपक्षी दल ने यह दिखा दिया है कि--मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक स्पष्ट कारण है कि इस देश में में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को कैसे अवरूद्ध किया जाता है। विपक्षी दल ने कार्य-प्रणाली की अवहेलना की है इसकी आज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं सदन से धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं "कौल और शकधर" के पृष्ठ 451 के साथ नियम 50 मेल खाता है। इस पृष्ठ का आखिरी पैरा इस प्रकार है:-

> "यह निर्णय दिया गया है कि ऐसे किसी विषय पर रखा जाने वाला स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है जोकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उठाया जा सके या बजट पर चर्चा के दौरान उठाय जा सके, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर उठाया जा सके और उसी सत्र में आने वाले लोक-महत्व के विषय, जैसे कि खाद्य-स्थिति आदि, सम्बन्धी प्रस्ताव पर उठाया जा सके। उसी प्रकार जो विषय किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जा सकता हो, जैसे कि ध्यान आकर्षण सूचना, प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, आधे-घण्टे की चर्चा अल्प अवधि की चर्चा आदि उसे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता।"

मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह नियम 58 के साथ मेल खाता है। चूंकि हम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कर चुके हैं, अतः उसी प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति निषिद्ध है। "कौल और शकधर" से जो मैंने उद्धृत किया है यह उसका मतव्य है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दें और गैर-सूचीबद्ध विषय पर चर्चा आरम्भ करें।

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : मैं इस सम्मानीय सभा से जानना चाहता हूं कि क्या पहले भी ऐसा कोई उदाहरण है जब अध्यक्ष के अन्तिम विनिर्णय दिए जाने के बावजूद इतना वाद-विवाद किया गया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हैं, आप पिछले रिकार्ड देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष जी, आपने तो फैसला दे दिया कि जसवंत सिंह दूसरा प्रस्ताव दे सकते हैं आपके द्वारा ऐसा फैसला होने के बाद माननीय सोमनाथ जी हों या और कोई माननीय सदस्य हों, उसी फैसले को चैलेंज कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं। चर्चा इस बात की हो सकती है कि अभी जीरो ऑवर पहले चले या यह प्रस्ताव। जब एडजर्नमेंट मोशन होता है तो पहले एडजर्नमेंट मोशन की लेना चाहिए, इस प्रकार के नियम हैं, इस प्रकार के संकेत हैं। दिक्कत यह है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले इस प्रकार की चर्चा नहीं चाहते और प्राइस राइजिंग को समर्थन दे रहे हैं तथा चर्चा के लिए टाल-मटोल कर रहे हैं। इसलिए आपने जो एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा कराने के लिए हां कही है उस पर कृपया आप तुरंत विचार कीजिए और उसके बाद जो भी बातें होंगी, उनकी चर्चा हो सकती है।

[अनुवाद]

प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्ताव को अन्य कार्यों पर वरीयता दी जानी चाहिए।

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : क्या आप विपक्षी दलों से परामर्श की उपेक्षा कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी माननीय सदस्यों की राय जाननी होती है।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : वह नियम 58 उद्धृत कर रहे हैं। वह तभी लागू होगा यदि मामले पर चर्चा पहले ही की जा चुकी हो। कल जिन विषयों पर चर्चा हुई, वह यह थे कि प्रस्ताव की अनुमति दी जा सकती है या नहीं और यह अधिकार क्षेत्र में है अथवा नहीं, परन्तु मामले के गुणदोषों पर विचार नहीं किया गया। दूसरे, सुबह आपने यह भी विनिर्णय दिया था कि प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह प्रस्ताव पेश कर सके। जैसा कि श्री जसवन्त सिंह ने कहा हमारा केवल यही अनुरोध है कि चूंकि प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है अतः आप निर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो बस इतना ही कहा है कि प्रत्येक सदस्य को प्रस्ताव की सूचना देने का अधिकार है।

श्री सत्यपाल जैन : हम भी यही निवेदन कर रहे हैं कि जैसे श्री जसवन्त सिंह ने संकेत किया है कि स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय और अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप कृपया निर्णय दें, या तो आप अनुमति दें या इन्कार कर दें। यदि स्थगन प्रस्ताव लम्बित रहता है और हम सदन की कार्यवाही जारी रखते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से असका अभिप्राय यह हुआ कि स्थगन पर विचार नहीं किया जा रहा। हमारा आग्रह तो इतना ही है कि आप या तो स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें या इसे रद्द करें। परन्तु लम्बित रखने का मतलब होगा कि स्थगन प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से रद्द करें। परन्तु लम्बित रखने का मतलब होगा कि स्थगन प्रस्ताव को अप्रत्यक्ष रूप से रद्द किया जा रहा हैं।

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप) : आपने कल अपना निर्णय दे दिया था। पूरे एक घंटे तक हम अनियंत्रित सदस्यों को देखा था। अपने 30 वर्ष के अनुभव में मैंने यह पहली बार देख...(**व्यवधान**) मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं तो अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके कह रहा हूं। कृपया धीरज रखें, हमने आपकी बात सुनी है। आपको भी हमारी बात सुननी चाहिए।

मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पहले ही एक विषय पर चर्चा चल रही है। आपके विनिर्णय के अनुसार, नियम 193 के अन्तर्गत आपने दो सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की गई है। एक सदस्य द्वारा अपने अधिकार के प्रयोग का अर्थ दूसरे सदस्यों के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। पहले ही वही विषय सूचीबद्ध किया जा चुका हैं। क्या आप या कोई अन्य सदस्य सदन की सम्मति के बिना उस अधिकार के हनन का निर्णय ले सकता है? इसका समाधान किया जाना है। कल उन्होंने स्थगन की सूचना दी थी फिर एक घंटे की चर्चा के बाद आपने यह कहा था कि इस पर नियम 193 कि अन्तर्गत चर्चा की जाएगी। फिर बात वही की वहीं पहुंच गई हैं।

अतः आपको इस स्थगन प्रस्ताव पर विनिर्णय लेना ही पड़ेगा। आप कृपया इसका समाधान करें और देखें कि हम नियम 193 के अन्तर्गत इस पर विचार करें।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय नियम 31(i) के अनुसार विषय सूची होती है और वह महासचिव द्वारा तैयार की जाती है। असकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य को दी जाती-है। आज के कार्य सूची में बीजेपी के दो सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत सूचनाओं पर नियम 193 के अन्तर्गत विचार होना है। मैं गुजरात में उनकी पार्टी के मतभेदों के बारें में नही जानता। मुझे लगता है कि वह इस सदन तक भी पहुंच गए हैं। बी.जे.पी. के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का उसी दल के सदस्य विरोध कर रहे हैं। आपने कल ही स्थगन प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। अब हमें सूचीबाह्य कार्य को शुरू करना चाहिए। हमें प्रस्ताव पेश करने और लोकहित के अविलम्बनीय मामलों के सम्बन्ध में प्रस्ताव करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय मैंने अपने मित्र और विख्यात वकील के उत्तेजित रूप को देख रहा हूं। परन्तु जब वह उत्तेजित होते हैं तो अपनी तर्कशक्ति खो देते हैं।

मैं एक सीधा सा निवेदन करना चाहता हूं मुझे इस सदन को सदस्य होने के नाते और संसद सदस्य के अधिकर-क्षेत्र के अन्तर्गत एक नया स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अधिकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां तक कि निरर्थक प्रस्ताव भी

श्री जसवन्त सिंह : यह सुविचारित है या निरर्थक है इसका मूल्याकंन तो माननीय सदस्य की सीट के साथ बदल जाता है। यदि वह यहां उपस्थित होते तो यह बहुत ही सुविचारित प्रस्ताव होता अब चूंकि वह वहां बैठे हैं अतः उन्हें यह अनुचित और असुविधाजनक लगता है। वास्तविक तथ्य तो यह है।...(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैं उनकी मानसिक पीड़ा जानता हूं। श्री जसवंत सिंह ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उनका शासन मात्र तेरह दिन चलेगा। मैं उनका कष्ट समझ सकता हूं। आज वह स्वयं को सारे देश से कटा हुआ पा रहे हैं। ऐसे सब प्रश्नों को उठा कर उनकी पार्टी भारतीय राजनीति में केन्द्रीय स्थान पाने का भरसक प्रयास कर रही है...(**व्यवधान**) वह अपने बारे में बात क्यों नहीं करते? संसद के इतिहास में ऐसा प्रस्ताव पहली बार पेश हुआ ...(**व्यवधान**) आपको कम से कम नियमों की तो अच्छी जानकारी है साथ ही आपके पास उद्धृत करने की सुविधा भी है। विपक्षी नेता के पास एक अच्छी सन्दर्भ सेवा है। ऐसा कोई वाक्य, कोई घटना बताइए, जब कोई प्रस्ताव, जो एक दिन अस्वीकृत किया गया था और दूसरे दिन पुनः लाया गया हो, जब अध्यक्ष महोदय ने कुछ और निर्णय दिया हो।

श्री जसवन्त सिंह : मैं विनम्रता के नाते मैं एक अच्छे मित्र की बात से सहमत हुआ था ऐसा नहीं कि मैं उन पर किसी तरह का हमला करना चाहता था। यह कि मैं अकेला हूं, वह पुनः विचार का प्रश्न करता है। मैं अपने अकेलापन की चिन्ता नहीं इसकी चिंता उनकी पार्टी को है। मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। मुझे अधिकार प्राप्त है और उसी अधिकार से मैंने आपके विचारार्थ स्थगत प्रस्ताव पर नया नोटिस दिया है क्योंकि कल जो स्थगन प्रस्तुत प्रस्ताव किया गया था उस पर चर्चा नहीं हुई थी। उसे आपने अस्वीकृत कर दिया था। अतः प्रथमतः मैं इसे प्रस्तुत करने का अधिकार हैं। आप इसे स्वीकार करें अथवा न करें, यह भिन्न मामला है। मेरे मित्र उपेन्द्र अथवा निर्मलदा अथवा अन्य द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था जब नियम 193 के अन्तर्गत एक मद सूची में शामिल की गई है, तो क्या उस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव के लिए मेरा नोटिस की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं? मैं यह कहना चाहता हूं कि आज नियम 193 के अतर्गत सूची बद्ध मद कल के निर्णय पर आधारित है। जो स्थगन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, उसकी भाषा भिन्न है। और वास्तव में, महोदय, कल और आज के बीच बहुत कुछ नया घट गया है, जिससे हम चिन्तित हैं। अब, हमें यह पता लगा है कि आलोचनात्मक प्रभाव के रूप में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, हमने काफी चर्चा कर ली है। एक और सदस्य के बोलने के पश्चात मैं विनिर्णय दूंगा। जसवन्त सिंह जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि आखिरकार हम आपके साथ तर्क क्यों कर रहे हैं, हम अपने मित्र सोमनाथ जी सहित सत्ता पक्ष के साथ तर्क-वितक क्यों कर रहे हैं? सभा के नियमों के विशेष उपबन्धों के अन्तर्गत चर्चा के लिए क्यों दलीलें दे रहे हैं? हम विशेष नियमों, चाहे स्थगन प्रस्ताव हो अथवा नियम 184 हो, के लिए दलील दें रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि चर्चा के दौरान ही इसकी निन्दा हो।

[हिन्दी]

जो कुछ भी आप निर्णय दें, सर आंखों पर है। हम कभी चैलेंच नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

लेकिन यदि एक निरर्थक चर्चा होती है, एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है जो 10000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व लगाने में संबंधित है और सत्ता पक्ष मिलकर उस पर केवल एक ऐसी चर्चा करवाना चाहता है जिसका कोई सिर पैर ही न हो, तो उसका क्या फायदा? इसीलिए, हमने पुनः स्थगन प्रस्ताव रखा है क्योंकि हम आपसे बहस करना चाहते हैं और हम अब भी सत्ता पक्ष से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वह इस विषय पर पुनर्विचार करे और इस मुद्दे पर चर्चा, स्थगन प्रस्ताव के रूप में कहे ताकि हम दृढतापूर्वक और जोर शोर से अपनी बात कह सकें। इस विषय पर आपके द्वारा विचार हेतु हमने ये संसदीय तरीके अपनाये हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, कल से इस मुद्दे पर बहस हो रही है। हम लोग वास्तविकता को झुठलाना चाहते हैं। उससे नियम हमारे लिए सहायक नहीं होंगे। श्री जसवन्त सिंह जी ने एक बात कही, जो काम किया है, उस पर स्वाभाविक प्रवृत्ति सैंसर करने की है। मैं भी ऐसा ही समझता हूं। जो सरकार ने किया, वह किसी तरह से उचित नहीं था।

विद्वान वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं। जो कारण उन्होंने कल दिये, शायद कोई भी आदमी, जिसको संसदीय परम्परा का थोड़ा भी ज्ञान हो तो वह उस भाषा में उसका जवाब नहीं देता। बी.जे.पी. क्या है? आईसोलेटेड है, अलग है। ये सवाल अलग हैं, राजनीतिक झगड़ा अलग है, संसद को चलाने का मामला दूसरा है। आज इस तरफ से लोग सैंसर को चाहते हैं। और उस तरफ से सैंसर को मानने को तैयार नहीं हैं। झगड़ा केवल यह नहीं है। इसमें नियमों, कायदों और मोटी-मोटी किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग आपस में मिलकर कोई रास्ता नहीं निकालते हैं तो दूसरा रास्ता यही है कि आप उस रास्ते को निकालिये।

अध्यक्ष महोदय, कल आपने पुराने उद्धरणों को दिया और सब देने के बाद आपने कहा कि नियम 193 के अधीन इस पर बहस होगी। वह आपने आज के ऑर्डर पेपर पर रख दिया है। श्री जसवन्त सिंह जी काफी विद्वान हैं और वे संसदीय परम्परा को जानते हैं। उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया और उस रास्ते से उन्होंने दूसरा कामरोको प्रस्ताव दे दिया। आपने कहा कि उनको कामरोको प्रस्ताव देने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे, अगर मैं थोड़ी धृष्टता करूं। आपको उसी समय यह कहना चाहिए था कि हमने कल इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। यह ऑर्डर पेपर पर है। आप इस सवाल को मत उठाइये। लेकिन उध्यक्ष महोदय, आप भी सदन को निरर्थक रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जीरो आवर में इस पर दो घंटे या तीन घंटे बहस कराइये। इससे न तो सदन की महत्ता बढ़ती है, न गौरव बढ़ता है और न बुनियादी सवाल पर कोई बहस आगे बढ़ती है। जिस पर कल से यह झगड़ा चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप या तो दोनों पक्षों को बैठाकार अभी कोई रास्ता निकालिये या मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि अगर वह वोट नहीं कराना चाहते तो आपको वोट कराकर क्या मिलने वाला हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं, वह सब बहस में कहिये। मैं समझता हूं कि उनके पास उसका जवाब नहीं है कि उन्होंने दस दिन पहले ये कीमतें क्यों बढ़ायी। अच्छी अंग्रेजी बोल देने से संसदीय परंपराओं का पालन नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कमजोरी है तो उस कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। उसमें कोई राजनैतिक सवाल उठाकर इस मामले को हम लोग और पेचीदा न बनाएं। मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि आर्डर पेपर पर यह आ गया है, जसवंत सिंह जी भी यह जानते हैं कि आर्डर पेपर पर आने पर अध्यक्ष महोदय उसी सवाल पर दूसरा

सवाल उठाने की अनुमति नहीं दे सकते और आपके अधिकार को स्वीकार करते हैं। आपके अधिकार को स्वीकार करना और अनुमति देने में अन्तर है। आपने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया अध्यक्ष महोदय, कल आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया था उसके अनुसार इसपर बहस चलाइए, इस मामले को और आगे मत बढ़ाइए। ...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महादेय, मुझे यह चर्चा सुनकर बड़ा खेद हो रहा है। इस सदन में या दूसरे सदन में कम से कम चालीस साल से मुझे जुड़े रहने का अवसर मिला है। लेकिन इस तरह का गतिरोध पहले कभी पैदा नहीं होने दिया गया। एडजर्नमेंट मोशन दिए जाते हैं, कभी स्पीकर ऐलाऊ करते हैं कभी डिसऐलाऊ करते हैं। फिर चर्चा के दूसरे रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष महोदय, आप कहें कि सरकार की निन्दा नहीं कर सकते और ऐसा प्रस्ताव नहीं ला सकते जिसमें निन्दा का तत्व मिला हुआ है तो यह बात न तो चेयर से आनी चाहिए और न यह बात हम स्वीकार कर सकते हैं। प्रतिपक्ष यहां है किसलिए? अगर सरकार निन्दा के तत्व से डरेगी तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए कल एक रास्ता निकाला था कि अच्छा ठीक है, अगर आप कामरोको प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहे तो हम नियम 184 का मोशन दे देते हैं और नियम 184 का मोशन दिया हुआ है। आपने उसको भी अस्वीकार कर दिया है, कामरोको प्रस्ताव भी रद्द कर दिया और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम नियम 193 में चर्चा करें, किसी और नियम के अनुसार नहीं। यह स्थिति स्वीकार नहीं हो सकती। आखिर नियम सदस्यों को अपनी बात को जितना प्रभावी ढंग से वे कह सकते हैं कहना चाहते हैं, उसका मौका देते हैं। यह सरकार निन्दा से क्यों डर रही है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बहस से क्यों भाग रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम बहस से नहीं भाग रहे हैं, बहस होगी तो निन्दा भी होगी।...(व्यवधान) अध्यक्ष महादेय, क्षमा कीजिए, आपको मालूम है कल कांग्रेस के सदस्य प्रश्न काल के दौरान यहां पर आ गए थे। अब हमें उपदेश दिए जा रहे हैं। कल हमारे सदस्य भी प्रश्न काल के दौरान आ सकते थे।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाद में आए थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बाद में आए क्योंकि आपने हमें मजबूर किया। हम आना नहीं चाहते थे। सदन ठीक से चले, सदन में चर्चा हो। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हमें जनता की भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित करने का मौका मिलना चाहिए। इस बारे में कोई मनमानी स्वीकार नहीं हो सकती। हमें अपने धर्म का पालन करना है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो कल तक इधर बैठे थे उनके मुंह से कुछ बातें अच्छी नहीं लगती।...(व्यवधान) यह चर्चा हमें कहां ले जाएगी। हम प्रतिपक्ष में हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमारे साथ समता दल है, अकाली दल है, हरियाणा विकास पार्टी है, शिव सेना है। मान लीजिए इतनी संख्या न होती, मैं अगर अकेला होता, मैं इस सदन का सदस्य हूं, मैं जनता द्वारा चुनकार आया हूं। मैं हर एक नियम का लाभ उठाकर अपनी बात कहने का मौका ढूंढूंगा और आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि चर्चा किस ढंग से होगी, यह भी सत्ता पक्ष तय करेगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सहमँत नहीं हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे मालूम है। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप इतने लोग खड़े होकर मेरा मुंह बन्द नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक (कटक) : अपा धमकी मत दो।...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि मैंने कोई ऐसी बात कही है, जिससे माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हैं...(व्यवधान)

श्री वासुदेव आचार्य : कही है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, कृपया विपक्ष के नेता खड़े हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त हो जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, अभी भी वह अपने आपको विपक्ष में मानते हैं। वह विपक्षी हैं, सदा यही करते रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : धमकी तो उधर से दी जा रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे आप बात पूरी भी नहीं करने देंगे?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र चर्चा से चलता है। चर्चा हो, यह जरूरी है, मगर चर्चा किस तरह से हो, यह भी जरूरी है। आखिर नियमों में चर्चा के लिए इतनी अलग-अलग व्यवस्थाएं क्यों की गई हैं, हम अगर चाहें तो किसी नियम का उपयोग करके आपसे अनुरोध

कर सकते हैं कि आप हमें चर्चा करने का मौका दीजिए। उस चर्चा में निन्दा का तत्व है और उस निन्दा के तत्व के कारण सत्ता पक्ष मुसीबत में पड़ने वाले हैं तो यह देखना हमारा काम नहीं है। हम यहां उसको मुसीबत में डालने के लिए आये हैं। आप मुझे क्षमा करिये, हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, हम आपकी अवहेलना कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल सही बात है।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एसी बात कहना चाहता हूं, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि काम रोको प्रस्ताव लिया जायेगा।...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : जवाब दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम उसके बल पर चल रहे थे और कल भी मैंने यह कहा था। जब कांग्रेस के सदस्यों न आपत्ति खड़ी की तो मैंने कहा कि हमारा काम रोको प्रस्ताव आने वाला है, आप उसमें समर्थन दीजिए। कल आप ने अचानक काम रोको प्रस्ताव रद्द कर दिया। हमें सुना भी नहीं और हम फिर से पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं तो हम पर अरोप लगाया जा रहा है कि हम आपके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। हम आपके अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहते, लेकिन हम अपने अधिकारों का भी समर्पण नहीं करेंगे। चन्द्रशेखर जी ने एक बात कही, अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चा का रूप इस तरह का करने में सत्ता पक्ष को और उसके समर्थक दलों को क्या आपत्ति है कि जिसके अन्त में वोट हो जाय। क्या आपत्ति स्पीकार साहब को आप अलग रखिए, लेकिन आपको आपत्ति क्या है? अगर सारा सदन एक राय का हो जाय कि आप ऐसा मोशन लाइये और हम वोट करके उस मोशन को गिरा देंगे तो स्पीकर साहब, आप टार्गेट बनेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता।

अगर सारा सदन इस तरह का मोशन लाने के पक्ष में है, तो ठीक है, उसमें निंदा भी होगी। आखिर कब तक सरकार निंदा से बचेगी। यह बजट सत्र है, कदम-कदम पर वोट होगा। आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। फिर इस मामले में वोट से क्यों कतरा रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर : आज छोड़ दीजिए, फिर कर लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज क्यों छोड़ दें?

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, इसलिए, क्योंकि अभी अटलजी ने एक बात कही है जिसे सुनकार कम से कम में स्तब्ध हूं। अंदरूनी बातों की जानकारी हमें नहीं होती उनकी जानकारी न होने के कारण कभी-कभी हम लोग जो निवेदन करना चाहते हैं, वह उचित नहीं होता। अगर मैं जानता कि कोई अंदरूनी सहमति थी और उसे तोड़ा गया तो मैं आपसे निवेदन नहीं करता। मैं बिलकुल स्पष्ट कहना चाहता हूं।...**(व्यवधान)** मेरा दूसरा वाक्य भी सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय लिया है और इस सदन को अगर चलाना है, चाहे उस निर्णय से कितनी भी सहमति हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज छोड़ दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे पूछता हूं अगर सदन को चलाना है तो क्या प्रतिपक्ष को ही चलाना है, सत्तापक्ष को नहीं चलाना है?

श्री चन्द्रशेखर : मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों से नहीं कर रहा हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : यानि आपने सत्तापक्ष को क्या बना दिया कि उसको निवेदन करने लायक भी नहीं समझते, वे इस हालत में हैं?

श्री चन्द्रशेखर : मैं सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष किसी से भी निवेदन करने के लायक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अटलजी से निवेदन कर रहा हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपने सत्तापक्ष को इस लायक भी नहीं रखा कि उससे निवेदन कर सकें।

श्री चन्द्रशेखर : यह गुरू-शिष्य का मामला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं फिर से अपील करना चाहूंगा, अभी लंच के लिए सदन की बैठक स्थगित हो जायेगी। आप अपने कमरे में बुलाकर बात कर कर सकते हैं। हमें यह जरूर शिकायत है कि कल के बाद...**(व्यवधान)**

श्री राम सागर (बाराबंकी) : संसद के अधिवेशन को शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं। कितने ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। विपक्ष के लोग उन पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। यह कोई तरीका नहीं है। हम छोटे सदस्यों ने भी अपनी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। आपका शून्य काल में नाम है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप बुला लीजिए, कोई रास्ता निकालिए। रास्ता निकालने के लिए हम उत्सुक हैं। यह गतिरोध नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम यह अधिकार नहीं छोड़ सकते कि मोशन नहीं आ सकता जिसमें सरकार की निंदा हो रही है। प्रतिपक्ष कैसे यह अधिकार छोड़ सकता है। आप रास्ता निकालिए, हम उसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय हमने तर्क, वितर्क और नियम सुने हैं। अपनी पार्टी की ओर से, मैं चर्चा में शामिल था। यह हमारे लिए एक नयी बात थी जब श्री वाजपेयी, जो बहुत ही सम्मानीय हैं, और शक्तिशाली विपक्ष के नेता हैं, ने हमारे समक्ष एक नयी जानकारी रखी कि यह आश्वासन दिया गया था कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी स्तर पर; किसी भी बैठक में, मुझे यह जानकारी नहीं थी कि उन्हें ऐसा आश्वासन किसी के द्वारा दिया गया था। यदि उन्हें सत्तापक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था, तो उन्हें आकर हमें बताना चाहिए था। इस कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्य व्यर्थ है। यदि आपकी

समझ है, तो उसका आदर किया जाना चाहिए लेकिन किस व्यक्ति ने जिसने उन्हें ऐसा कहा? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे मैं कुछ भावुक हूं। शायद आप इसे पसन्द न करें, शायद सदस्य इसे पसन्द न करें लेकिन चूंकि आप अध्यक्ष हैं, ऐसे तरीकों से अध्यक्ष महोदय से निर्णय करवाने की प्रवृत्ति है, जो संसदीय लोकतन्त्र में वांछनीय नहीं है।

यदि कोई यह सोचता है कि इस तरह से कार्य किया जा सकता है, तो हम इसकी रक्षा करने और इससे निपटने के लिए यहां हैं। यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि हमें शिवसेना और अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है। हम भी यहां हैं। हर बार वे तर्क-वितर्क करते हैं। आप केवल उनकी बात मानते हैं। क्या इन 310 सदस्यों का कोई महत्व नहीं है? यह क्या है? यह किस तरह का तर्क है? सभी को यह बात उद्वेलित कर रही है। वे फायदा उठाना चाहते हैं ...**(व्यवधान)** मैंने आपके नेता के भाषण में व्यवधान नहीं डाला है।

अब, वे इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। पिछले दो दिनों में उन्होंने पहले ही इस सरकार की निन्दा की है। उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे सभी ने सुना है। राष्ट्र को इस मुद्दे पर उनके रूप का पता है। चूंकि वे स्वीकार नहीं करते, हम भी जो दिया गया है उसे स्वीकार नहीं करते। श्री वाजपेयी ने कहा है कि उनका कर्त्तव्य था कि वह इस सरकार को हटायें। इस समय तक, इस सरकार को बनाये रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हम यहां हैं...**(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : क्या आप मूल्य वृद्धि का समर्थन कर सकते हैं? क्या आप मूल्य वृद्धि का समर्थन करते हैं? ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : जब गुजरात में आपकी पार्टी में मतभेद था, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे का समर्थन किया था? ...**(व्यवधान)** अतः, यह प्रश्न नहीं है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका निर्णय इस सभा में अगले पांच वर्षों तक होने वाली घटनाओं को प्रभावित करेगा। अतः, कृपया बहुत जागरूक रहिए। आपके निर्णय देने से पूर्व, इस सदन के सदस्य और अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया नियमों को पढ़िए। कार्य सूची में शामिल कार्य मदों को सभा की सहमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। यह अब सभा का मामला है। हर बार निर्णय आप ही लेते हैं और यदि ऐसी ही स्थिति है तो इस विषय को निर्णय के लिए सभा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कृपया इस तरह सभा का और समय नष्ट न कीजिए। यह मेरा सुझाव है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, भोजनावकाश से पूर्व हमारे पास कुछ समय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज सुबह एक विमान दुर्घटना हुई है और माननीय नागर विमानन मंत्री एक व्यक्तव्य देना चाहते हैं।

अपराह्न 12.58 बजे

भुंतर हवाई अड्डे के निकट कांडी में हुई विमान दुर्घटना के बारे में व्यक्तव्य

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे गहन दुख और खेद के साथ, सभा को यह सूचित करना है कि एक निजी कंपनी अर्चना एयरवेज, का एल-410 किस्म का एक विमान, पंजीकरण सं. वी.टी.ई.टी. सी., भुन्तर हवाई अड्डे के दक्षिण में 38 किलोमीटर दर कांडी में दुर्घटना ग्रस्त हो गया है। सत्रह सीटों वाला यह विमान शिमला से भुन्तर की उड़ान पर था। इस विमान में नौ लोग थे (छः यात्री और तीन चालक दल के सदस्य) बताया गया है कि उक्त विमान का भुन्तर हवाई अड्डे से अंतिम सम्पर्क 08.53 बजे था। इसका भुन्तर आने का अनुमानित समय 08.54 बजे का था। अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, विमान एक पहाड़ी की चोटी से टकराया था।

इस समय यात्रियों ओर चालक दल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारतीय वायुसेना द्वारा खोज और बचाव कार्य किया जा रहा है। मन्डी जिला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दुर्घटना स्थल पर मुआयने के लिए गए हैं।

दुर्घटना के कारणों की प्रारम्भिक जांच महानिदेशक नागर विमानन द्वारा प्रारम्भ की गई है और वायु सुरक्षा के निदेशक को विमान नियम 1937 के नियम 71 के अन्तर्गत दुर्घटना निरीक्षक नियुक्त किया गया है। जैसे ही और ब्यौरा उपलब्ध होगा मैं सभा को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : क्या वहां केन्द्र सरकार ने कोई बचाव दल भेजा है अथवा नहीं?

अपराह्न 1.00 बजे

श्री सी.एम. इब्राहीम : महोदय, मैंने भारतीय वायुसेना के जवानों से संपर्क किया है। 12.30 बजे अपराह्न तक वहां अत्यधिक बादल थे, जिसके कारण विमान की खोज नहीं हो सकी। लेकिन मौके पर जाकर जांच की जा रही है। मैंने अपने सभी अधिकारियों से कहा है, कि यदि बादल छट जाते हैं, तो मेरा भी उक्त स्थल का दौरा करने का विचार है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : क्या यह वही स्थान है जहां सुरेन्द्र नाथ जी का प्लेन क्रेश हुआ था?

श्री सी.एम. इब्राहीम : हां, वही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2 बजे तक स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.05 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बारे में—जारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस मामले को निपटाना होगा जिसे लंच के पूर्व उठाया गया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा।

आपने बड़ी सहृदयता से हममें से कुछ लोगों के साथ मामले पर भोजनावकाश के दौरान आगे चर्चा करने की इच्छा जताई थी। हम अध्यक्ष पीठ की स्थिति का ध्यान रखते हैं और हमेशा उसे उच्च सम्मान देते हैं। अध्यक्षपीठ के साथ हमारा कभी भी कोई भी विरोध नहीं रहा है। हमारा विरोध तो सत्ता पक्ष के साथ रहा है और अभी भी है।

संसदीय कार्य मंत्री एक कुशल और कर्मठ मंत्री हैं। वह मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उन्हें, मेरे ख्याल से, अपने उन 15 सहभागियों के साथ परामर्श करना पड़ता है जो सरकार में हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें सभा को चलाना है।

(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : महोदय, हम आपको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो मामला लंच के पूर्व उठाया गया था उसे अभी तक निपटाया नहीं गया है। मुझे उस मामले को निपटाना होगा।

(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार : यदि अध्यक्ष पीठ कह रहे हैं कि मामला अभी तक नहीं निपटाया गया है, तो क्या करना चाहिए? ...**(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : महोदय, हमारे संसदीय कार्यमंत्री बड़े कर्मठ और कुशल हैं तथा इन दिनों सभा के शांत नेता भी हैं। मैं उनकी परेशानियों को समझता हूं। उन्हें एक दृष्टिकोण पर पहुंचने के लिए 15-16 विभिन्न समूहों के साथ परामर्श करना होता है। मुझे इसका ध्यान है। हमारी कठिनाई यह है कि हम इस पर खुली बहस करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद, आप अध्यक्ष पीठ से जो भी विनिर्णय देंगे, उसे हम मानेंगे। उस बारे में अन्य कोई भी विकल्प नहीं है और आपके विनिर्णय को चुनौती देने का उद्देश्य हमारा कभी भी नहीं रहा है।

लेकिन महोदय, हम आपसे अपील करते हैं कि सरकार और उसके समर्थकों द्वारा इस विषय पर चर्चा से बचने की यह कार्यप्रणाली स्पष्टतः उनकी घबराहट की द्योतक है...**(व्यवधान)** हमने कहा है कि पहले डेढ़ दिन इसी विषय पर जोरदार चर्चा की जानी चाहिए लेकिन वे 10,000 करोड़ रु. के इस अतिरिक्त आदान के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने से भी भाग रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आप जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, लंच के पूर्व हम श्री जसवंत सिंह द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना के बारे में चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान अनेक व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए हैं।

श्री फर्नान्डीज ने नियम 68 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : महोदय, मैं यहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने आपको देख लिया है।

प्रक्रिया नियमों का नियम 60 तभी सामने आता है जब अध्यक्ष नियम 56 के अंतर्गत अपनी स्वीकृति देता है। अतः उनके द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न लागू नहीं होता।

फिर श्री दासमुन्शी ने भी नियम 58 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। नियम 58 में उस प्रस्ताव के बारे में जिक्र है जिस पर चर्चा सत्र में एक बार की गई हो। हमने अभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है और, इसलिए, मैं सदस्य के नए स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के अधिकार को वैध करार देता हूं। नए स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के लिए सदस्य के अधिकार और अध्यक्ष द्वारा नियम 56 के अंतर्गत स्वीकृति देने के बीच अन्तर है। अतः श्री दासमुन्शी द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता।

हां, श्री अहमद ने असल में नियम 60 की व्याख्या की है।

मैं अपना विनिर्णय देते समय उनकी व्याख्या को ध्यान में रखूंगा।

अब, श्री जसवंत सिंह के स्थगन प्रस्ताव का मामला आता है। इस बारे में नई सूचना देने के उनके अधिकार को वैध करार देते हुए माननीय सदस्य का कहना था कि प्रस्ताव की शब्दावली और भाषा कल के प्रस्ताव से भिन्न है। मैंने प्रस्ताव का अध्ययन बहुत अच्छी

तरह से किया है। यद्यपि शब्दावली और भाषा भिन्न है, फिर भी मैं समझता हूं कि उसकी विषयवस्तु और तथ्य वही हैं। अतः उसी विषयवस्तु और तथ्य वाले प्रस्ताव पर निर्णय ले लेने के बाद, मैं स्थगन प्रस्ताव पेश करने की स्वीकृति नहीं दे सकता हूं। हम इस मुद्दे को 4 बजे नियम 193 के अंतर्गत लेंगे।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

अपराह्न 2.11 बजे

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पूरे देश में अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सुनिश्चित रोजगार योजना बनाई है। इस हेतु सरकार ने बजट में भारी धन की व्यवस्था की है। लेकिन इस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है। सुनिश्चित रोजगार योजना में कहा गया था कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिये पर-सम्पत्ति सृजित की जायेगी। उस क्षेत्र में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी गणना होगी और उन मजदूरों को एक कार्ड दिया जायेगा जिसमें उनको एक साल में 100 दिन रोजगार दिये जाने की गारंटी होगी। लेकिन इस प्रकार की पुनीत योजना के लक्ष्यों का हल नहीं हो रहा है और सारा का सारा काम ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराया जा रहा है। इससे मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना की एक खास बात यह है देशभर में चल रही इस योजना में जन-प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। जिलाधिकारी उनकी कोई राय नहीं लेते हैं और जिन अधिकारियों को बजट दिया गया है, उसमें भारी कमीशन देकर ठेकेदारों से काम कराते हैं। इस प्रकार से इस बजट का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत मजदूर नहीं लिये जा रहे हैं बल्कि ठेकेदारी प्रथा से काम कराया जा रहा है। सरकारी बजट की लूट की जा रही है मेरा ख्याल है कि इस सदन के सभी सदस्यों की इस बात में दिलचस्पी होगी। क्योंकि यह योजना पूरे देश से संबंधित है, इसलिये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि इस पुनीत योजना के लिये सारे जन-प्रतिनिधियों को नहीं, तो कम से कम एमपीज को शामिल किया जाये ताकि वे अपने सुझाव दे सकें। ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रशासन की मनमानी हो रही है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिये और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यवाही करे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान गुजरात की नर्मदा योजना की ओर खींचना चाहता हूं। गत 20 वर्षों से गुजरात की आम जनता, मजदूर, व्यापारी, किसान और सब लोग इस योजना को पूरा होते देखने के लिये तरस रहे हैं। जो आर्थिक सहायता गुजरात को पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उन्हें जो काम करना चाहिए, वह मध्य प्रदेश द्वारा नहीं होता है। पुनर्वास का काम जो मध्य प्रदेश को करना चाहिए, वह नहीं कर पाए। परिणामस्वरूप कभी-कभी पुनर्वास के प्रश्न को लेकर नर्मदा के काम को रोका जाता है। मध्य प्रदेश द्वारा गुजरात को जो अर्थिक सहायता देनी चाहिए वह भी नहीं मिल रही है। यह सवाल गुजरात का नहीं है। नर्मदा योजना पूरी होने से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान चार राज्यों को लाभ होने वाला है। आज गुजरात में बिजली न होने से किसान परेशान हैं। बिजली की कमी होने से किसान को दस घण्टे बिजली नहीं मिल पा रही है। पीने का पानी वहां नहीं मिल रहा है। अगर नर्मदा योजना पूरी जो जाती है तो किसान को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है, बिजली मिल सकती है। गुजरात में पीने के लिए खुदाई का पानी ही मिलता है। वहां मीठा पानी भी दे सकते हैं। कच्छ में भी लोग बिना पानी के तरस रहे हैं। हर तीन साल में एक बार गुजरात में अकाल पड़ता है। वर्षों से गुजरात के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि नर्मदा योजना का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। इसके लिए भारत सरकार की ओर से जो आर्थिक सहायता दी जानी है वह शीघ्र दे और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश द्वारा गुजरात को जो फंड मिलना चाहिए उसको दिलाने के लिए भी आदेश करें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, 1994 से छोटी सिगरेटों पर की गई कर की भारी कमी से लाखों बीड़ी कामगारों की हालत दयनीय हो गई है और सरकारी राजकोष की लागत पर बहुराष्ट्रीय आई टी सी कंपनियां भारी लाभ कमा रही हैं। कर में की गई इस कमी से अधिकाधिक लोग बीड़ी की बजाय छोटी-सिगरेटों का सहारा लेने लगे हैं जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी कामगार बेरोजगार हो गए हैं और उनके वेतन काफी कम हो गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करती हूं कि वह या तो छोटी-सिगरेटों पर अत्यधिक कर लगाएं या फिर छोटी-सिगरेटों के उत्पादन लाइसेंस को रद्द करें ताकि इनको बाजार में बेचा न जा सके।

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : अध्यक्ष, महोदय, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में मचेडा अकेला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से पान के उत्पादनकर्ता और उसके व्यापारी अपना-अपना माल टोकरियों में भरकर पूरे देश में विभिन्न जगहों पर भेजते हैं। वहां पर पान का उत्पादन और उसका व्यापार लाखों-लाख लोगों की आजीविका का साधन है। ये पान की पत्तियां बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। मचेडा स्टेशन पर प्रतिदिन लगभग दो हजार टोकरियां आती हैं। इन टोकरियों का प्रतिदिन भेजा जाना आवश्यक है अन्यथा इससे भारी हानि होगी। इसलिए, इन टोकरियों को ले जाने के लिए कुर्ला एक्सप्रेस, सांभलपुर एक्सप्रेस, हैदराबाद एक्सप्रेस और अहमदाबाद एक्सप्रेस में वी.पी.पी. व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन रेल विभाग पान के उत्पादनकर्ताओं

और उसके व्यापारियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं देता है। अतः, प्रभावित लोग काफी लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह अपने कार्यालय को स्टेशन पर एकत्र होने वाली पान की टोकरियों को प्रतिदिन भेजने के लिए व्यवस्था करने का अनुदेश दें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूरे बिहार में जो दो हजार करोड़ रुपए का ऐनिमल हसबेंडरी स्कैम है, उसके मुख्य अभियुक्त एस.बी. सिन्हा, विजय मलिक और मोहम्मद सईद हैं। पूरे अनुसंधान के क्रम में जेल से उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था।...**(व्यवधान)** यह केस इस समय सी.बी.आई. की इनक्वायरी में है..।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह राज्य का मामला है। यह सी.बी. आई. के पास है

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। वे मुख्य अभियुक्त हैं सी.बी.आई. जांच केस में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन सी.बी.आई. है, उन अभियुक्तों की हत्या करने की कोशिश की गई। उनकी वैन पर गोली चलाई गई और उस वैन में जाने वाले अभियुक्त जो हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले में लिप्त हैं, उनसे ऐसे ऐविडेन्स जो राज्य सरकार के पास आने वाले हैं, वैसे लोगों पर सरकारी सुरक्षा में जाते समय गोली चलाई जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं कहा है कि मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं कह रहा हूं कि साक्ष्य को नष्ट किया जा रहा है। वे लोग कारागार से न्यायालय तक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ऐसे सभी लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है जिनके पास पशुपालन घोटाले से संबंधित कोई जानकारी है। यह काफी महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभियुक्तों को बचाने में असमर्थ हैं। उस घोटाले में अंतर्गत धनराशि 2,000 करोड़ रु. है। उन अभियुक्तों को मार डालने का प्रयास किया गया है जिनके पास समूचे प्रकरण का साक्ष्य है। उनकी रक्षा की जानी चाहिए ताकि इस मामले के मुख्य सबूतों को मामले का अंतिम फैसला होने तक नष्ट न किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान आज बहुत समस्या में है। अभी पिछले दिनों 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ गए थे और वहां उन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों के भुगतान का आधा पैसा केन्द्रीय सरकार से दिलवाया जाएगा परन्तु इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की विषम समस्या को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठायें। उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति शासन है। गन्ना किसान परेशानी में हैं। किसान के ऊपर जो कर्जा है, उसकी वसूली के लिये उसे प्रताड़ित किया जाता है जबकि उसकी पर्चियों का भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यह भुगतान लगभग 1100 करोड़ रुपए का है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में जाकर जो वादा किया है, उसे तत्काल पूरा करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, समय देने के लिये बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद वैस्टर्न रेलवे का प्रमुख केन्द्र है और गुजरात की राजनैतिक राजधानी भी है। लगभग पिछले दो टर्म से मैं लगातार अहमदाबाद को डिवीजन का दर्जा देने के लिये संसद में प्रश्न उठाता रहा हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि विगत 10 मार्च को तत्कालीन रेल मंत्री, श्री सुरेश कलमाड़ी जी ने अहमदाबाद आकर, एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए घोषणा की थी कि इसे डिवीजन का स्वरूप दिया जाएगा लेकिन आज मुझे यह कहते हुए दुख है कि उस घोषणा को 4 महीने बीत गये, वह घोषणा सिर्फ पब्लिक फंक्शन तक सीमित होकर, कागजों तक सीमित होकर रह गई है।

अहमदाबाद देश का छठे नम्बर का शहर है और पश्चिम रेलवे का मुख्य केन्द्र है लेकिन अभी तक वहां डिवीजन बनाने का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो सके, अहमदाबाद डिवीजन का कार्य शुरू कराया जाए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री यहां नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1997 से राष्ट्र द्वारा इस धरती के महान सपूत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मनाई जाने वाली जन्म शताब्दी की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। आज 11 जुलाई, 1996 है। इसलिए केवल कुछ ही माह शेष बचे हैं। पूर्व सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। अब नई सरकार आ गई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी ताकि देश नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म-शताब्दी सही ढंग से मना सके। मैं यह भी अनुरोध करूंगी कि अगले वर्ष 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। वह इस देश के महान सपूत थे। उन्हें इस देश की सरकार से कोई सम्मान नहीं मिला है। यह एक सच्चाई है।

इस देश के लोगों को यह नहीं मालूम नहीं है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस कहां हैं। सरकार को मामले की जांच करनी चाहिए और

इस देश के लोगों को यह पता चलना चाहिए उनके बारे में वास्तविक सच क्या है। सरकार को एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि इस देश के छात्र, युवक और सभी लोग नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जन्म शताब्दी सही ढंग से मना सकें। मैं सरकार से उस अवसर पर एक विशेष सिक्का जारी करने तथा उनकी जन्म-शती का विशेष प्रचार-प्रसार करने का भी अनुरोध करती हूं ताकि लोगों को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके।

महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगी। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इण्डियन आर्मी शुरू की। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि फोर्ट विलियम, कलकत्ता का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस फोर्ट, कलकत्ता कर दिया जाय और देहरादून मिलिट्री अकादमी का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अकादमी कर दिया जाय। देश के हित में, दूरदर्शन, समाचार-माध्यमों और सरकारी विभागों जैसे कि मानव संसाधन विकास विभाग, संचार विभाग और वित्त विभाग को एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि कार्यक्रम तुरन्त राज्यों तक पहुंच सकें। यह सभी स्तरों अर्थात् स्कूल स्तर, प्राथमिक स्तर तथा नीति निर्माण स्तर पर पहुंचना चाहिये। उनकी जन्म शताब्दी उपयुक्त ढंग से मनायी जानी चाहिये ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम सब उसमें शामिल हों।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। सच्चाई तो यह है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में पहले एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी।

कुमारी ममता उस समिति की सदस्य हैं और मैं भी इस समिति का सदस्य हूं। कुछ कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन वह लागू नहीं हो सका। आज मेरा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि उन्हें समिति के सभापति होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समिति की तुरंत बैठक बुलानी चाहिए और उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जो चर्चा किये जाने की प्रक्रिया में था। जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर भी उप समिति में चर्चा हो।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : महोदय, सभा के सारे दलों की इस मुद्दे पर एक राय है। कृपया यह भावना सरकार तक पहुंचा दीजिए ताकि प्रधानमंत्री तुरंत कार्यवाही कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है कि मुझे एक संदेश देना है।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सेरमपुर) : महोदय आपकी अनुमति से मैं अति महत्वपूर्ण मसला अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण महिलाओं को इस देश के कानून से संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा को आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मैं एक उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं।

कुछ दिन पहले जंगीपाड़ा खण्ड में जो पश्चिम बंगाल राज्य में आता है तीन व्यक्ति मारे गये। इन व्यक्तियों की मृत्यु के तुरंत बाद मृतकों की पत्नियों तथा अन्य लोग भी संरक्षण प्राप्त करने हेतु पुलिस थाने गये थे। लेकिन दुर्भाग्यवश...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : महोदय, उन्हें यह मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा में उठाना चाहिये। यह पश्चिम बंगाल विधान सभा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह के मसले यहां न लायें।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : महोदय मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। ये बातें बड़ी गंभीर हैं। महिलाओं को थाने से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें लात मार कर बाहर किया गया...**(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : महोदय, यह बात सच नहीं है...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह बात बिल्कुल सच है मैंने उस जगह का दौरा किया है।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य हम पश्चिम बंगाल के नहीं वरन भारत के नागरिक हैं। यदि राज्य सरकार लोगों को संरक्षण देने में विफल हो जाती है तो मैं केन्द्र सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध क्यों न करूं?...**(व्यवधान)** हम इस देश के नागरिक हैं। हम पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं हैं। स्थानीय पुलिस ने उन महिलाओं को बहुत बुरी तरह पीटा। हमने शिकायत भी दर्ज की उसके बावजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तो इस मुद्दे को मैं संसद में क्यों न लाऊं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के ऊपर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले पांच वर्षों में कई घोटाले हुए हैं। लेकिन इन दिनों सबसे बड़ा घोटाला कोयले में हो रहा है। हजारों करोड़ रुपयों का कोयले में घोटाला चल रहा है। डब्ल्यू.सी.एल. और कोल इंडिया लिमिटेड का स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पर 5-6 हजार टन कोयला उन्हें दिया जा रहा है जो स्माल स्केल इंडस्ट्री नहीं हैं। मेरे पास लिस्ट है, लाखों टन कोयला उन लोगों को ब्लैक-मार्केट के लिए, चोरी से बेचने के लिए दिया जा रहा है, जबकि इंडस्ट्रीज को मिलता नहीं है।

यह पूरे देश की परिस्थिति है। कोल इंडिया की कम से कम आठ सबसीडियरीज हैं और आठों में ऐसा हो रहा है। डब्ल्यू.सी.एल. के पूरे कागजात मेरे पास हैं। इसका लाखों टन कोयला, जो मध्यस्थ लोग हैं, जो चोर लोग हैं, उनके माध्यम से बेचा जाता है। छोटे उद्योगों को मिलता नहीं है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम पर, क्रिकेट के नाम पर, कोल कंडी के नाम पर सात-सात हजार टन कोयला एक-एक के नाम पर जा रहा है। नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों को ऐसे परमिट दिए गए हैं। मैंने इस मामले में स्वयं जाकर

इन्वेस्टीगेशन किया है। इसमें स्टेट के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट के अधिकारी, सी.डब्ल्यू.सी. के अधिकारी, कोल इंडिया के अधिकारी और खून चूसने वाले व्यापारियों का नैक्सस है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा घोटाला है कि यदि इसकी सी.बी.आई. से जांच करवाई जाए, तो यह पांच-सात हजार करोड़ का रैकेट निकलेगा। मैं समझता हूं कि यदि इस घोटाले की डिटेल में जांच की जाए, तो यह आज तक का सबसे बड़ा रैकेट निकलेगा। इसलिए मैं शासन से मांग करता हूं कि इसकी सी.बी.आई. से डिटेल जांच करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली चीज नहीं है। यह कोयला एसेंश्यल कमोडिटीज में आता है। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच की जाए। इसका मैंने नोटिस भी दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक ने नोटिस दिये हैं। मुझे 52 नोटिस प्राप्त हुये हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : इसमें जो नैक्सस है, उसको तोड़ना चाहिए। कोल इंडिया के अधिकारी, डब्ल्यू.सी.एल. के अधिकारी, डी. आई.सी. के अधिकारी और व्यापारियों का यह नैक्सन है जिसको तोड़ा जाना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह दी। अब कृपया आप बैठ जाएं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, यदि इसकी जांच की जाए तो यह हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और इस घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए।

डा. राम लखन सिंह (भिंड) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सोनगिरि जैनियों का एक पवित्र-स्थल है।

अध्यक्ष महोदय, पहला निवेदन तो मेरा यह है कि जिस विभाग से सम्बन्धित बात मैं कहने जा रहा हूं उस विभाग के मंत्री महोदय ही यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि संबंधित मंत्री को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में मेरे कहने का क्या औचित्य है।

महोदय, दतिया जिले में सोनागिरि नाम का जैन समुदाय का एक पवित्र स्थल है। वहां पर कुछ दिन पहले तक पठानकोट और मालवा जैसी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां रुकती थीं, लेकिन कुछ दिन पूर्व से इन गाड़ियों का रूकना भी वहां बन्द कर दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय रेल मंत्री महोदय को निर्देश दें कि वहां पर उन गाड़ियों को यथावत रोका जाए।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। कृपया आप अपना पाइंट रखिए।

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, नए लोगों को भी मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : नए सदस्यों को भी मौका दे रहा हूं। बोलने वालों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि जीरो आवर में बोलने के लिए भी बैलट करना ही पड़ेगा।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में 100 करोड़ रुपए की पैडी का घोटाला आज ही न्यूज पेपर के जरिए प्रकाश में आया है। इस देश में सुना है कि धन के बहुत स्कैंडल हुए हैं और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अनेक स्कैंडल प्रकाश में आ चुके हैं, लेकिन आज यह पैडी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्कैंडल नोटिस में आया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार के एफ. सी.आई. ने 1 लाख 93 हजार टन पैडी गायब कर दी है। क्या यह सही है? मैंने पंजाब में लोगों को किडनैप करते देखा है। मगर यहां तो पैडी को ही किडनैप कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसका महत्व इसलिए है कि पंजाब के लोगों को पिछले साल उनकी सुपरफाइन पैडी को फाइन पैडी डिक्लेयर कर दिया गया और इस प्रकार से उनको 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कम दाम दिया गया और इस प्रकार से पिछले साल पंजाब के किसानों की जेब में से हजारों करोड़ रुपए सरकार के इस निगम ने निकाल लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जांच होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो गन्ने की फसल है उसका भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक हो गया। अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सभा में एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। असम में एक माह पूर्व जातीय हिंसा में एक सौ से अधिक गांवों को जला दिया गया था जिससे दो लाख से अधिक लोग बेघरबार हो गए हैं। कई सौ लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। अब लोग शिविरों में रह रहे हैं। जानकारी मिली है कि राहत शिविरों में 200 से अधिक लोग मर चुके हैं। लोगों का उनके सम्बद्ध गांवों में पुनर्वास करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गए हैं। समुचित सुरक्षा के साथ गांववासी अपने गांवों में जाने के लिये तैयार हैं। वे कृषि कार्यों में भी सहायता पाने के इच्छुक हैं।

यह जातीय संघर्ष काफी लम्बे समय से चला आ रहा है। तुरन्त उपयुक्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है नहीं तो भविष्य में अधिक समस्याएं पैदा हो जायेंगी। सीमापार से आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों के साथ आ रहे हैं और प्रति दिन मासूम गांववासियों की हत्या कर रहे हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सीमा क्षेत्र की सम्पूर्ण समस्या का अध्ययन करने के लिये और इन लोगों के पुनर्वास के लिये उपयुक्त कार्यवाही हेतु सरकार को सलाह देने के लिये एक संसदीय शिष्टमण्डल वहां भेजें ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण जातीय हिंसा की भविष्य में पुनरावृति न हो सके।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले औरंगाबाद के संबंध में कहना चाहता हूं। औरंगाबाद जिला बहुत उग्र प्रभावित जिला है। जिले के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं हैं जिससे जिले के अधिकांश ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के अभाव में जिले के श्रमिकों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। जहां उनका शोषण होता है। औरंगाबाद जिले के किसी भी प्रखंड को सुनिश्चित व सघन रोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया जबकि सिंचित एरिया को सुनिश्चित रोजगार योजना में जोड़ दिया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि औरंगाबाद के सभी प्रखंडों को सुनिश्चित व सघन रोजगार योजना में जोड़ा जाये।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख भरी घटना आपके सामने रख रहा हूं। हमारे साथी स्वामी जी भी वहां के एम.पी. हैं। हरियाणा में आज से दस दिन पहले अखबार में आया कि एक किसान ने 30 हजार रुपया कर्ज लिया था और उस कर्ज को लेने के लिए सहकारिता बैंक से कुछ लोग उस आदमी के पास आये। यह घटना नीलोखेड़ी गांव के पास एक गांव की है। वे लोग उस आदमी को गाड़ी में बैठाकर ले गये। तीन दिन बाद उसकी लाश नहर में पाई गयी। जब मैंने अखबार में उस खबर को पढ़ा तो मैं उसके घर गया। मैं बहुत भावुक हो गया कि 30 हजार रुपये के लिए एक किसान की मौत इस बुरी दशा से हुई। मैं उस गांव गया और गांव वालों से मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि वे लोग मारुति लेकर आये थे और उसे बुलाकर गाड़ी में बैठाकर ले गये। गांव वालों ने, सरपंच ने व उसके परिवार के लोगों ने भी उनसे कहा कि आप हमें एक महीने का समय दीजिये, हम आपकी किश्त वापिस कर देंगे लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जब मैंने उसकी बॉडी देखी तो उस पर खून के दाग थे। वहां के जो सरकारी अधिकारी थे, उनका कहना था कि वह गाड़ी से नहर में कूद गया। अगर वह डूबकर मरता तो उसका पेट फूलता, सर नहीं फूटता, छाती में चोट नहीं आती। मैं उसकी फोटो लेकर आया जिसे मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। उसका सारा शरीर खून से लथपथ था।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक गरीब किसान जो कि 30 हजार रुपये के कर्ज की किश्त नहीं दे पाया, उसका परिवार आज इस दुख से गुजर रहा है। इस देश में हजारों-करोड़ों किसानों पर क्या गुजर रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। इस समय सरकार में श्री चिदम्बरम जी बैठे हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे हरियाणा सरकार से बातचीत करके विस्तार से पता लगायें कि उसकी मृत्यु कैसे हुई? और उसके परिवार को कुछ राहत दी जाये।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : अध्यक्ष जी, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी इसलिए है कि इन्दौर औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नगर है। लेकिन रेलवे की दृष्टि से बहुत उपेक्षित है। गत 15 दिनों से दिल्ली आने वाली जो इन्दौर-निजामुद्दीन गाड़ी है, वह कैंसिल है। इसलिये मैं कल यहां नहीं आ सकी। बाकी की जो गाड़ियां हैं, वे उस ट्रैक से शुरू हो गयी हैं लेकिन यह इन्दौर-निजामुद्दीन गाड़ी अभी तक बंद है। वहां प्लेन सर्विस भी लेट है। कई रेलें जो हम चाहते हैं, वे भी नहीं चलतीं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि वह गाड़ी जो दिल्ली आने के लिए एकमेव गाड़ी है, उसे चालू किया जाये क्योंकि रेल की दृष्टि से आज इन्दौर दिल्ली से पूरी तरह से कटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, गत 15 दिनों से यह इन्दौर-निजामुद्दीन गाड़ी बंद पड़ी हुई है। मैं पुनः आपको कह रही हूं क्योंकि इसकी वजह से मैं कल लोकसभा में नहीं आ सकी। अतः आप तुरंत उस रेलगाड़ी को चालू करवायें।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेता आमरण अनशन पर हैं। उनकी मांग है कि पांचवें वेतन आयोग का रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत की जाए और अंतरिम राहत की एक और किश्त अदा की जाए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया हुआ है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। हां, प्रत्येक को अति संक्षेप में अपनी बात रखनी चाहये।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बिजली की बहुत बुरी हालत है, लोगों को 40-40 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। इस समय जो हालत है* किसी को मालूम नहीं है। आप जाकर

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

देखिए। यहां पर भी एक माननीय सदस्य ने आपको शिकायत की थी। ...(**व्यवधान**) आप कोई इन्क्वायरी करायें, मालूम करें। इन लोगों ने दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन की बुरी हालत कर रखी है और कोई नहीं सुनता*...(**व्यवधान**)

श्री विजय गोयल (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, एक मैम्बर ने दूसरे मैम्बर पर आरोप लगाया है। यह ठीक नहीं है।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। अगर यह अनुज्ञेय नहीं है, तो इसको हटा दिया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, कृपया समाप्त कीजिए। मेरे विचार से आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : इन्होंने अपने शब्दों में यह बोला है*... (**व्यवधान**) मैं चाहता हूं कि ये अपने शब्द वापिस लें।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कहना ठीक नहीं है। इसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा। सभा में अपने साथियों के खिलाफ आरोप लगाना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसमें गलत क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कहा है कि मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट बिका हुआ है। मैंने तो यही कहा है कि काम नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : दिल्ली में बिजली गुल हो जाने का मुद्दा उठाया गया है। हम स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में बिजली की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। परन्तु, इसके कारण क्या हैं? हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये। मैं एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना देने की इच्छा रखता हूं। हम इसे उठायेंगे। वे चर्चा कर सकते हैं। हम बतायेंगे कि कमियां कहां हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।...(**व्यवधान**)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकालने के आदेश दे दिये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने 45 मिनट चर्चा कर ली है। प्रातःकाल आपको बोलने का अवसर मिला है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल में अपने संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद की ओर दिलाना चाहता हूं। 24-25 जून को वहां बहुत भयंकर बारिश हुई जिसके बाद राजस्थान की ओर से डैम भी टूट गया। आगरा बाढ़ से बहुत प्रभावित है। वहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 20 लोग मरे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग उसमें मरे हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि उनके लिए लाख-लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। प्राकृतिक आपदा आने पर जो रुपये दिए जाते हैं, उनके लिए उसकी व्यवस्था की जाए।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम शून्य काल को दिवस के अन्त तक तो नहीं बढ़ा सकते। यह सम्भव नहीं है। कृपया मुझे सहयोग दीजिये। हमें 52 नोटिस प्राप्त हुये हैं। मैं प्रत्येक को अवसर नहीं दे सकता हूं। आपको मेरी परेशानी समझनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, मैंने सूचना दी है। आप देखें कि कर्नाटक के संबंध में यह मामला अति महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय है। कृपया, मुझे अवसर दीजिये। आप उसको पढ़कर ही निर्णय लीजिये। अगर आप यह कह दें कि यह दुबारा नहीं उठाया जा सकता है तो मैं आपकी बात से सहमत होकर अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। आप कृपया उसको पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पढ़ लिया है।

श्री एस. बंगरप्पा : आपका निर्णय क्या है? अगर आप यह कह दें कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अति महत्वपूर्ण है। यह दो राज्यों के बीच का मामला है। हाल ही में, इस सबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है और उसके अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। मैं नहीं समझता कि आज ही इसको उठाना आवश्यक है। मैं आपको कल प्रातः अवसर दूंगा। आप कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश की जनता जानना चाहती हूं कि बोधगया में जो 400 नरमुण्ड मिले हैं, वह नरमुण्ड किनके हैं। बिहार सरकार इस पर चुप लगाए बैठी है, केन्द्र सरकार चुप लगाए बैठी है। बिहार के उक्त स्थान पर हमेशा दलितों को हजारों की संख्या में मारा जा रहा है। वहां के गरीब, दलित किसान प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों को भाग रहे हैं।

इस मामले में शून्य प्रहर में चर्चा कराकर शीघ्र कार्रवाई की मैं मांग करता हूं।

अपराह्न 2.47 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रामघाट रोड पर बने रेलवे गेट पर भूमिगत पैदल पार पथ के निर्माण की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो रामघाट रोड है, वह एक अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग है तथा इस पर रेलवे के फाटक के पास कोई ऊपरी पैदल पार पथ नहीं है, जिससे आये दिन यहां पर सैकड़ों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण इस पुल को खूनी ब्रिज का नाम भी दिया गया है। वहां से 24 घण्टे में करीब 200 ट्रेन आती-जाती हैं। यह दिल्ली-कलकत्ता की मेन लाइन है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि रामघाट रोड पर ऊपरिगामी पुल मार्ग का अतिशीघ्र निर्माण करने के आदेश दे।

अपराह्न 2.49 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए।)

(दो) भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष जी, वैस्टर्न रेलवे के भावनगर रेलवे डिवीजन पर भावनगर-तारापुर बड़ी रेलवे लाइन के लिए वर्षों से मांग हो रही है।

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन बिछाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व ट्रैफिक एवं इंजीनियरिंग सर्वे भी हो चुका है। इस तरह सर्वे पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है।

भावनगर की 'सौराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स' एवं अनेक सामाजिक, शैक्षिणिक, सांस्कृतिक, राजकीय एवं रेल संस्थाओं ने समय-समय पर मांग की है एवं आन्दोलन किए हैं।

भावनगर-तारापुर रेलवे ब्राडगेज बनने से मुसाफिरों का दूरी का अंतर भी बहुत घट जाएगा एवं भावनगर डिवीजन का न सिर्फ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात का बल्कि दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं देश के अन्य मार्गों से सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

अब देश में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य हो रहा है तो भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन को भी बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिए।

भावनगर स्टेट रेलवे थी, उसके बाद सौराष्ट्र रेलवे बनी, फिर वैस्टर्न रेलवे और भावनगर राज्य के महाराजा ने इस भावनगर-तारापुर बड़ी रेलवे लाइन के लिए कुछ करोड़ रुपया रिजर्व भी रखा था। फिर भी आज तक यह भावनगर-तारापुर ब्राडगेज लाइन नहीं बनी। 1977-1979 के बीच सरकार ने भी रेल बजट में प्रावधान रखा था, फिर भी यह काम नहीं हुआ।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यह लाइन तुरन्त बनाई जाए।

[अनुवाद]

(तीन) आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में आए तूफान से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में आए समुद्री तूफान और वर्षा के कारण राज्य में काफी नुकसान हुआ है। कुल 87 लोगों की जानें गई हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिला तो चित्तूर है जहां मरने वालों की संख्या 37 है। दरारें आने के कारण कदनपल्ली शहर में 26 लोग बाढ़ में बह गए। तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान पूर्वी गोदावरी जिले में हुआ जहां 13 लोगों की मृत्यु हो गई। कुरनूल में 11, महबूबनगर में 8, नेल्लोर में 5, कृष्णा और कुड्डपह जिलों में 4-4 और गुन्तूर में 3 तथा अनंतपुर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य में कुल नुकसान 50 करोड़ रुपए का हुआ। राज्य के 11 प्रभावित जिलों में केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

लगभग पिछले पांच वर्षों से राज्य में तूफान और बाढ़ के कारण काफी नुकसान हो रहा है। 1990-95 की अवधि के दौरान 58 जिले प्रभावित हुए और 2245 गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए। राज्य में कुल 26.05 लाख लोग प्रभावित हुए। केन्द्र ने बहुत कम सहायता उपलब्ध कराई है। इसके कारण आधे प्रभावित लोगों को भी पर्याप्त मुआवजा

राशि नहीं दी जा सकी है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में तूफान से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत दी जाए। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार कोई तंत्र बनाए ताकि लोगों को अग्रिम चेतावनी दी जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में तत्काल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अतिरिक्त केन्द्र और राज्य को मिलकर एक ऐसा फारमूला बनाना चाहिये ताकि उन लोगों को तत्काल सहायता दी जा सके जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य मर गए हैं, मकानों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

(चार) गोरखपुर-गोंडा रेल लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : गोरखपुर-गोंडा के आमान परिवर्तन की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि यह क्षेत्र नेपाल की सरहद पर बसा होने के कारण बहुत ही पिछड़ा एवम् गरीब है। इस कारण यहां की बहुसंख्यक आबादी रोजी-रोटी कमाने बाहर जाती है। इसी क्षेत्र से नेपाल के आने-जाने का रास्ता है। आबादी का दबाव बहुत अधिक है। कपिलवस्तु, लुम्बनी, श्रावस्ती ऐसे मशहूर बौद्धतीर्थ स्थल यहीं पर हैं। बड़ी लाइन होने पर गोरखपुर-लखनऊ मेन लाइन पर भी ट्रेन्स का दबाव कम हो जायेगा। इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आमान-परिवर्तन का काम शीघ्र शुरू किया जाए और आगामी रेल बजट में इसका प्रावधान भी किया जाए।

(पांच) सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सोन नहर का आधुनिकीकरण का प्रश्न सरकार के समक्ष वर्षों से लम्बित पड़ा है। इन्द्रपुरी डेहरी आन सोन से पटना तक बड़ी नहर स्थित है, यह हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होकर जाती है। नहर का तटबंध किनारा इतना जर्जर हो गया है कि अधिक पानी छूटने पर नहर के दोनों किनारे टूटने लगते हैं और नहर के किनारे के गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

नहर की गहराई भरती जा रही है और किनारा टूटने जा रहा है। ऐसी स्थिति नहर क्षेत्र के लोगों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण कभी-कभी सुखाड़ की स्थिति हो जाती है और पर्याप्त खेती नहीं होती है।

इस संदर्भ में जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था लेकिन अभी तक समिति की सकारात्मक कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाए एवम् इसके लिए बिहार सरकार को विशेष निधि प्रदान की जाए।

(छः) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जल निकास प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री शिम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में बरसात के समय सीवर लाइन न होने के कारण पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों की जानें जाती हैं। अधीक्षण अभियंता निर्माण मंडल उत्तर प्रदेश, जल निगम इलाहाबाद के माध्यम से पत्रांक 2455/लेखा-8/95 दिनांक 30.4.1990 द्वारा 5.00 लाख रुपये धन भी प्राप्त हुआ था। इसके उपरांत योजना का विस्तृत (प्राक्कलन) अनुमानित लागत रुपये 1291.66 लाख वितरित कर मुख्य अभियंता महोदय के पत्र संख्या 5123/अपै.वि.स्वी./46 दिनांक 14.12.1990 के द्वारा तकनीकी स्वीकृतोपरांत जल निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। केवल धन आर्बोटित होना है।

अस्तु मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर नगर में जलोत्सारण व्यवस्था हेतु इसी वित्तीय वर्ष में धन एवम् आंकलन की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने के आदेश उत्तर प्रदेश शासन को देने का कष्ट करें।

(सात) मुंगेर, बिहार में गंगा नदी पर सड़क व रेल पुल के निर्माण करने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : बिहार में मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा नदी बहती है, उस पर सड़क सह रेल पुल निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जब मुंगेर गये थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुंगेर में गंगा पुल बनेगा। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जब चुनाव में मुंगेर गई थीं तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनेगा। लेकिन अभी तक तक केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। मैं इसी सवाल पर 1994 में 25 अक्तूबर से 6 नबम्बर तक अनश्चितकालीन भूख हड़ताल पर था। तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवम् वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि योजना आयोग 1995-96 के बजट में मुंगेर में गंगा पुल निर्माण के लिए प्रावधान करेगा। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस सम्बन्ध में रेलवे के साथ एग्रीमेंट हुआ है और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय दोनों मिलकर धन आर्बोटित करेंगे, लेकिन अभी तक इस पुल के निर्माण के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर सड़क सह-रेल पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

अपराह्न 2.55 बजे

[अनुवाद]

निक्षेपागार विधेयक

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिभूतियों के निक्षेपागारों का विनियमन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिभूतियों के निक्षेपागारों का विनियमन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.55 $^{1}/_{2}$ बजे

निक्षेपागार (तीसरा) अध्यादेश, 1996 के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निक्षेपागार (तीसरा) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 36/96]

अपराह्न 2.56 बजे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : श्री रमाकान्त डी. खलप विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगेंगे।

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मुझे खेद है कि सम्बन्धित मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं श्री रमाकान्त खलप की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मंत्री महोदय, जिनके नाम में यह मद सूचीबद्ध है, सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं? क्या हम कारण जान सकते हैं?

सभापति महोदय : अब सम्बन्धित मंत्री महोदय आ गये हैं। उन्हें विधेयक पुरःस्थापित करने दिया जाये।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : मैं, जब मेरा काम पुकारा गया था, सभा में उपस्थित न होने के लिए क्षमा चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमाकान्त डी. खल्लप : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.58 बजे

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया

श्री रमाकांत डी. खल्लप : मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन तीसरा अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 35/96]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

अपराह्न 2.59 बजे

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खल्लप) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमाकांत डी. खल्लप : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प–जारी

सभापति महोदय : अगली मद माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प है। अब श्री जगमोहन अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : नहीं, महोदय। कल मैं अपने विचार प्रकट कर रहा था। मेरे विचार से शोरगुल के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया था...**(व्यवधान)** मैंने अपना भाषण भी शुरू कर दिया था।...**(व्यवधान)**।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे रुकने का संकेत दिया था क्योंकि वे अपनी व्यवस्था सुबह देना चाहते थे। मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे दो मिनट और दिये... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री नामग्याल अब वे अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करने जा रहे हैं और उसके बाद आप सभा में विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं अपनी अंतिम बात पर था। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता था वह यह थी कि इस बारे में दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह वास्तव में सही नहीं है। आप, निसंदेह चुनाव करा सकते हैं लेकिन मूल बात यह है कि उसके साथ-साथ कई अन्य कार्य भी करने होंगे।

अब, यदि आप 1995 के आंकड़े देखते हैं तो ये सभी संसद के प्रश्नों पर आधारित हैं, ये आंकड़े समाचार पत्रों के नहीं हैं—आप देख सकते हैं कि 1995 में सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं, 1995 में सुरक्षा बलों पर सबसे अधिक हमले हुए हैं, 1995 में सबसे अधिक लम्बे समय तक बन्धक संकट रहा है, 1995 में गोलाबारी के सबसे अधिक मामले घटित हुए हैं, 1995 में पवित्र स्थलों का सबसे अधिक मनमाना विनाश हुआ है और 1995 में आन्तरिक गड़बड़ी के सबसे अधिक मामले हुए हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सर, व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री जगमोहन : कृपया मुझे स्पष्ट करने दें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : पाइंट यह है कि माननीय जगमोहन जी जो कह रहे हैं उसे कोई नोट भी कर रहा है या नहीं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, मिनिस्टर बैठे हुए हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : प्रधान मंत्री जी के अधीन कश्मीर का मामला है। कल कश्मीर का मामला चल रहा था तो स्वयं प्रधान मंत्री जी विराजमान थे। आज न तो गृह मंत्री जी हैं, न गृह राज्य मंत्री जी हैं–यह गंभीर बात है कि कश्मीर जैसे सेन्सिटिव विषय को नोट करने के लिए कोई नहीं है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जगमोहन जी आप बोलिये।

प्रो. रासा सिंह रावत : इस मामले में गंभीरता बरती जाए।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यह बहुत अधिक जरूरी है। इस सभा को मालूम होना चाहिए कि गृह मंत्री की ओर से वास्तव में कौन इस मामले को नोट कर रहा है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, नोट कर रहे हैं। मंत्री महोदय, श्री यादव ने सभी बातों को नोट किया है। सांविधिक संकल्प प्रधान मंत्री महोदय ने पुरःस्थापित किया है न कि गृह मंत्री ने। हमें भी उसी गम्भीरता से इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए। श्री जगमोहन को सुनिए। वह एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इस बारे में गम्भीर होना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : वह एक गम्भीर मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है। सम्बन्धित मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। कोई भी इस बारे में गम्भीर नहीं है ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया श्री जगमोहन को बोलने दें।

श्री जगमोहन : 1995 में आन्तरिक सुरक्षा के प्रत्येक पहलू के बारे में सबसे खराब घटनाएं घटित हुई हैं। अब मैं 1995 के कुछ आंकड़े बताता हूं: 2768 व्यक्ति मारे गए, 2570 बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए, मारे गए सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या 1994 में 198 से बढ़कर 1995 में 234 हो गई और 1995 में 1994 की अपेक्षा 211 अधिक नागरिक मारे गए थे। मैं दूसरे आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति बिगड़ती जा रही है जबकि प्रतिदिन बहुत अच्छी स्थिति बतायी जा रही है ...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : जब आप राज्यपाल थे तब क्या स्थिति थी? आप जम्मू और कश्मीर के दो बार राज्यपाल थे। उस समय क्या स्थिति थी?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: हमारे नियंत्रण के बाद स्थिति बिगड़ी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न पहुंचाएं।

श्री जगमोहन : मैंने हार नहीं मानी है। वास्तव में, मैं उन्हें मुझे सही साबित करने के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि सच कड़वा होता है। वे केवल सच बता रहे हैं। यही एक आम आदमी की प्रतिक्रिया है। मै। यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें वह सब कहने दीजिए जो वे कहना चाहते हैं। इस नारों से सच को छुपाया नहीं जा सकता। मैं वास्तविक आंकड़े बता रहा हूं। 1996 के पहले चार महीनों के आंकड़ों को देखिए। 1996 के पहले चार महीनों में 1183 व्यक्ति मारे गए और अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या 302 है। 1996 के पहले चार महीनों में 775 बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं, 333 निजी मकानों को जलाया गया, 110 दुकानों को जलाया गया। बम विस्फोट की 317 और राकेट हमलों की 25 घटनाएं हुई हैं और हम हर समय केवल बातें करते रहे हैं। पिछले जून के महीने में भी, 8 जून को सेना के पांच जवान मारे गये। डोडा हत्याकांड में, मैंने पिछली बार जो बात उठाई थी, और पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। प्रतिदिन व्यक्ति मारे जा रहे हैं और गह संख्या पहले से काफी अधिक है। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि केवल चुनाव करने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। चुनाव कराये जा सकते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न यह है कि हमने नागरिक प्रशासन के पुनर्गठन के लिए अन्य उपाय भी करने हैं और यह देखना है कि वे लोग जो सशस्त्र बलों में रह कर के आन्तरिक गड़बड़ी फैला रहे हैं, उनका सफाया करना है। मेरे पास 10 सूत्री कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के प्रत्येक प्रभाव पर विस्तार से जांच करनी है। एक सूची कार्यवाही या दो सूत्री कार्यवाही से स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैंने अनुच्छेद 370 और स्वायत्तता के बारे में अपनी बातें पहले ही कह दी हैं और मैं उसके बारे में और अधिक नहीं कहना चाहता।

क्षेत्रीय असमानता के बारे में, मुझे जम्मू और लद्दाख के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना है लेकिन यह काम मैं अपने प्रतिष्ठित मित्र पर छोड़ता हूं। वह अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है वह लद्दाख के बारे में बोलेंगे। एक अन्य प्रतिष्ठित मित्र श्री चमन लाल जम्मू के बारे में बोलेंगे और मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा। मैं केवल अनुच्छेद 370 के बारे में बोलना चाहता हूं। अनुच्छेद 370 के बारे में कई गलत बातें की जाती हैं कि 'हम इसे सशक्त बनायेंगे। हम ऐसा करेंगे।' ठीक है, मैं पंडितजी के 1952 के भाषण से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने स्वयं 24 जुलाई, 1952 के दिल्ली समझौते के बारे में कहा है जिसका मैंने आज संदर्भ दिया। उन्होंने कहा था, "यह असामान्य उपबंध है और यह किसी भी तरह से अंतिम नहीं है।" मैं सभा में दिये गए उनके वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूं। श्री बजाज को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था इसे धीरे-धीरे हटाया जा रहा है और जो कुछ थोड़ा रह जायेगा, उसे भी समय के साथ हटा दिया जायेगा।

उन्होंने ऐसा कहा था। अब हम नब्बे प्रतिशत उसका उलट कर रहे हैं। पंडित जी ने जो कहा था हम उसके प्रतिकूल जा रहे हैं। इस तरह से ये मुद्दे हैं। हमें समस्याओं को जटिल नहीं बनाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीन बातें हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। पहला यह कि स्वायत्तता के बारे में कोई वचन न दें जो भविष्य में समस्या खड़ी करेगा। दूसरा यह कि केवल चुनाव से समस्या हल नहीं होगी और तीसरा यह कि इसके साथ-साथ अन्य अनुरूप कार्यवाही भी करें और यह न भूलें कि अनुच्छेद 370 के क्या प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि हर वह गलती न करें जो हमने पहले की थी।

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, 18 जुलाई 1990 को सदर ने जम्मू-कश्मीर के लिए जो हुक्मनामा भारत की आईन की दफा 356 के तहत जारी किया था, उसे बदस्तूर 6 महीने तक बढ़ाने के लिए इस ऐवान में मंजूरी के लिये लाया गया है। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, हम छह साल से बदस्तूर गवर्नर राज और सदर राज जम्मू-कश्मीर पर नाफिज करते आए हैं।

और इसी सदन के जरिये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह आखिरी बार होगा क्योंकि प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा ने इस ऐवान में रिजोल्यूशन पेश करते हुये एश्योरेंस दिया है कि जम्मू-कश्मीर में असेम्बली इलैक्शन्स सितम्बर के आखिर तक

किये जायेंगे। इसके लिये मैं प्राईम मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। यही नहीं साथिका प्राईम मिनिस्टर श्री पी.वी. नरसिंह राव को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिये डैमोक्रेटिक प्रोसैस की शुरूआत की और वहां पर पार्लियामेंटरी इलैक्शन्स कराये। मैं इस सबके लिये जनरल के.वी. कृष्ण राव का नाम न लेकन उनके साथ बेइन्साफी करूंगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस मामले में अच्छा रोल किया है। हालात को नार्मल बनाने के लिये और जम्मू-कश्मीर में पार्लिमेंटरी इलैक्शन्स कराने के लिये उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। पिछले 5 साल के बक्फे में जम्मू-कश्मीर के लोगों को पहली बार इस ऐवान में नुमाइन्दगी करने का मौका मिला है और इस दौरान वहां के लोगों ने जो तकलीफें उठाई, उनको हाईलाईट करने का यहां पर मौका मिल रहा है।

मान्यवर, पिछले 6 सालों में लोगों ने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया है। वहां पर पाकिस्तान के हजारों लोग जो आजाद कश्मीर के बाशिन्दे थे, अफगान बाशिन्दे थे और दूसरे फारेनर्स मुजाहिदीन के नाम पर कश्मीर में माडर्न हथियार लेकर दाखिल हुये। इस दौरान वहां के हालात में धड़म-भड़म करते रहे। इन लोगों ने इस्लाम के नाम पर कत्लोगारत, लूटमार, औरतों की बेईज्जती, किडनैपिंग करते रहे। आपको तो मालूम ही है कि अभी तक एक साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, चार फारेन नेशनल्स उन लोगों के कब्जे में हैं जिनको छोड़ा नहीं गया है। अब मैं समझता हूं कि वहां के लोग पाकिस्तान की इस साजिश को समझ चुके हैं और यह जान गये हैं कि उनका मुस्तक्बिल सैकुलर इंडिया के साथ नहीं, थियोक्रेटिक पाकिस्तान के साथ है। कश्मीर के फ्यूचर के बारे में पिछले 6 सालों में बहुत कुछ सुनने और देखने का मौका मिला है। कुछ लोग जब अपनी अल्लीयत, काबलियत के बिना कश्मीर में सैकुलर डैमोक्रेटिक निजाम चलाने में नाकामयाब रहे, इसलिये नतीजे के तौर पर मिलिटैंसी को जन्म दिया तो मुख्तलिफ मौकों पर मुतलिफ बातें करते आये हैं।

मसलन प्री 53 की बात करते हैं और इंटरनल ऑटोनोमी की बात करते हैं। इन्होंने हमेशा सेंटर को ब्लैकमेल किया और आज भी वह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं।

मान्यवर, हम लद्दाख के लोग इस तजबीज...(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, मेरा एक पॉइंट ऑफ इनफॉर्मेशन है। जिस वक्त की ये चर्चा कर रहे हैं, क्या उस वक्त उस सरकार को इनका तावुन नहीं था? इनके तावुन के बिना वह सरकार कैसे चल सकती है।...(व्यवधान)

श्री पी. नामग्याल : उसका भी मैं जवाब दूंगा। उस वक्त तो आप उनके चमचे बने हुए थे।...(व्यवधान) मान्यवर, हम लद्दाख के लोग ऐसी तजबीज की खिलाफत करते आए हैं और करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि जम्मू के लोग भी ऐसी तजबीज को नहीं मानेंगे। अगर सरकार अपने मन में ऐसी कोई तजवीज पर सोच-विचार करने का इरादा रखती है तो मैं समझता हूं कि इसका नतीजा भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। यह भारत को टुकड़े-टुकड़े करने की तरफ ले जाएगा। लिहाजा देश को टुकड़े होने से बचाना है और इसके लिए अगर ऐसी तजवीज पर आप तवज्जह देंगे या उसको आप डिसकस करेंगे या उस पर कुछ करने की सोच रखते हैं तो इसका रिपरकशन मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है। लिहाजा हम इसकी शिद्दत से मुखालिफस करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि तीन सबजैक्ट यानी डिफेंस, ऐक्स्टर्नल अफेयर्स और कम्यूनिकेशंस के अलावा सारे सबजैक्ट वहां के लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में आ जाएंगे और उस नतीजे में वहां जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए जीना हराम हो जाएगा। काफी देर से उनकी बालादस्ती को हम बरदास्त करते आए हैं और इसी का नतीजा है कि हमारे इलाके में भी आवाजें उठती रहीं। वहां के लिए ऑटोनॉमस स्टेट या यूनियन टैरिटरी के लिए लोगों ने डिमाण्ड की। लद्दाख में ऑटोनोमस हिल के लिए मांग की और जिसे हमने हासिल भी कर लिया। इसलिए अगर तीन सब्जैक्ट के सिवाय बाकी चीजें सेंटर के हाथ में नहीं होंगी, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम, कोर्ट, कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमीशन वगैरह कई ऐसे इंपोर्टेण्ट सब्जैक्ट कश्मीर से हट जाएंगे। वहां की माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट ऐक्जिसटेंट नहीं रहेगा। इसलिए लद्दाख के लोग इस बात की शिदत के साथ मुखालिफत करते हैं।

मान्यवर, हाल में माननीय डिफेन्स मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कश्मीर को फुल ऑटोनोमी दी जाएगी। मौजूदा सरकार ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा है कि कश्मीर के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी। बाद में यह भी कहा गया कि वहां के इलैक्टैड रिप्रेंजेटेटिव्ज ही फैसला करेंगे क्योंकि असेम्बली का चुनाव होने के बाद वे लोग फैसला करेंगे कि वहां के लिए क्या करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात साफ नहीं है कि सरकार के मन में क्या है। लिहाजा आपको इस पर गंभीरता के साथ सोचना होगा। फर्ज कीजिए कल चुनाव होता है और हम एक्सपैक्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा।

जिस तरह आपने पार्लियामेंट के फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराये, हम तवक्को रखते हैं कि उसी तरह असैम्बली के इलैक्शन भी फ्री एंड फेयर होंगे लेकिन उस सूरत में कुछ ससैशनिस्ट एलीमेंट्स, जैसे हुरियत संगठन हैं, जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, अगर वहां पावर में आ गए और वे टू-थर्ड मैजोरिटी से ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जायेंगे, उसका क्या हश्र होगा, आपको इस बारे में गम्भीरता से सोचना होगा क्योंकि हम वहां जो सिस्टम चाहते हैं, जो मौजूदा सिस्टम वहां पर है, क्या उसमें कुछ तब्दीली लाई जाए-इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले में आपको गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपकी पार्टी के तीन या चार अन्य सदस्यों को बोलना है और आपने पहले ही 12 मिनट ले लिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल : जितना जल्दी हो सकेगा, मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा।

जम्मू-कश्मीर के तीन हिस्से हैं-जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख-और इन तीनों हिस्सों में रहने वाले लोगों के मुताबिक कल्चर हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेज हैं और डिफरैंट एथनिक ग्रुप्स हैं। तीन कल्चर्स होते हुए भी, अलग-अलग लैंग्वेजेज बोलने वाले हम लोग युनाइटिड जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। अगर हम जम्मू-कश्मीर के बारे में कोई फैसला लेना चाहते हैं तो हमें तीनों हिस्सों के लोगों के हित का ख्याल रखते हुए, वहां के तीनों हिस्सों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज के साथ सलाह-मशविरा करके ही कोई फैसला लेना होगा। अगर आपने सिर्फ कश्मीर वैली के लोगों से सलाह करके ही कोई फैसला लिया तो उसके फार-रीचिंग कान्सीक्वैन्सेज होंगे और हम लद्दाख के लोग ऐसा कोई फैसला नहीं चाहेंगे जो हमारे हितों के खिलाफ हो।

आपको पता होना चाहिए कि 16 मार्च, 1846 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह के दरम्यान 'ट्रीटी ऑफ अमृतसर' हुई थी, जिसकी रूह से कश्मीर वैली को 75 लाख नानकशाही यानी सिख करेंसी में खरीदा गया था, लद्दाख उसमें इन्क्लूड नहीं था। इसलिये मैंने कहा कि हिस्टोरिकल पर्सपैक्टिव में जाकर आपको सोचना होगा। 1834 में लद्दाख को डोगरा फौज ने अपने कब्जे में लिया और जम्मू स्टेट का एक हिस्सा बनाया था। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम कोई अलग या अलहदा कुछ चाहते हैं, ऐसी कोई भी बात आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिये, हम भारत देश को और कश्मीर के तीनों हिस्सों को एक मानकर उसकी यूनिटी चाहते हैं। अगर आप कश्मीर वैली को ख्याल में रखते हुए उसे कुछ देना चाहते हैं तो उसके तीनों हिस्सों को बराबरी के आधार पर देखते हुए कुछ देना होगा, कोई फैसला करना होगा। जिस तरह आपने हमारे लद्दाख के लिये ऑटोनोमस हिल कांसिल दी है, मैं चाहता हूं कि कश्मीर समस्या का यदि आप कोई सौल्यूशन चाहते हैं तो आपको स्टेट कांस्ट्रीट्यूशन के अंदर कोई ऑटोनोमस हिल कौंसिल देनी चाहिये। अलबत्ता हमें जो कौंसिल मिली है, हम समझते हैं कि उसे जो पावर्स अंडर एग्रीमेंट मिलनी चाहिए थीं, वे अभी तक नहीं मिली हैं। वहां के ब्यूरोक्रेट्स हमारे लिये बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एग्रीमेंट में जो कुछ तय हुआ था, वहां के लोगों को वह प्राप्त नहीं हो रहा है। वहां रूल बनाने में दिक्कत आ रही है, हमारे सामने कैश-फ्लो में मुश्किलात आ रही हैं। आपको अगर कुछ करना है तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए उनको ज्यादा पावर देंगे तो मैं समझता हूं कि यह स्टेट की उन्नति के लिए भी फायदेमंद रहेगी और स्टेट का इंडियन यूनियन के साथ रहने के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल : मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि कौंसिल के चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसलर को जो स्टेटस देना था वह भी नहीं दिया जा रहा है। हमें वहां के लिए कुछ रूल्स फ्रैम करने थे, वे भी नहीं हो रहे हैं। उनका क्या प्रोजेक्शन होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वह भी नहीं हो रहा है और स्टेट वालों को यह कहा जा रहा है कि यह इश्यू गवर्नमेंट के पास है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे इस इश्यू को देखें और वहां की जो मुश्किलात हैं उनको भी देखें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने वहां की कौंसिल के डेपुटेशन आए थे उनके साथ वार्ता में एक हाई-पावर टीम यहां से भेजने का फैसला लिया था। वह टीम लद्दाख गई भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि फ्लाइट कौंसिल होने की वजह से दो बार उनका जाना मंसूख हो गया और उसके बाद इलैक्शन अनाउंस हो गए तथा हमारा यह इश्यू रह गया। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा लद्दाख कौंसिल की प्रोब्लम्स को देखने के लिए जो हाई-पावर टीम भेजनी थी उसको दुबारा भेजा जाए। इन्हीं लफ्जों के साथ, यह जो प्रेजिडेंट रूल का रिजोल्यूशन आया है उसकी मैं ताईद उस उम्मीद के साथ करता हूं कि असैम्बली इलैक्शन जल्दी होंगे और वहां नोर्मलिटी जल्दी से जल्दी कायम होगी।

[अनुवाद]

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर के बारे में पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं अपने प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर घाटी के लोगों में नई आशा और विश्वास का संचार करने के लिए की गई साहसिक पहल के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि उनके द्वारा किए गए राज्य के दौरे से वहां एक नए अध्याय की शुरूआत हुई है।

महोदय, मेरे पास सीमित समय होने के कारण मैं उन सभी मुद्दों को नहीं छूना चाहता हूं जिसे श्री जगमोहन ने हमारे समक्ष रखा है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को संयुक्त प्रयास के माध्यम से नहीं जीता जा सकता। वही काम तो संयुक्त मोर्चे की सरकार हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व में करने का प्रयास कर रही है।

महोदय, मैं स्वयं को केवल एक बात तक सीमित रखना चाहता हूं और वह यह है कि जब भी हम जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनावों के बारे में सोचते हैं तभी एकाएक स्वायत्तता, स्वायत्तता की सीमाओं की बात सामने आ खड़ी होती है। माननीय सदस्य ने हमें जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्वायत्तता दिए जाने के बारे में आगाह किया है। खतरा इसी में निहित है। यह काफी हद तक सच है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के बारे में स्वायत्तता के प्रश्न पर अलग से चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार ऐतिहासिक कार्य केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करना होना चाहिए। केन्द्र राज्य संबंधों में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने के लिए यह काफी उपयुक्त समय है। हमें अपने महान लोगों में उनकी विविधता और एकता के साथ ही विश्वास पैदा करना होगा। हमें अपने विगत के अनुभवों से अवश्य ही कुछ सबक सीखने चाहिए। निःसंदेह, हमारे देश के दुश्मन शक्तियां सीमाओं पर कार्य कर रही हैं। उन्हें साम्प्रज्यवादी और नव-उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा खुल्लम-खुल्ला और चोरी छिपे भी सहायता प्रदान की जा रही है। वे हमारे महान देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। यह बिल्कुल सच बात है। हमें उनका किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए? मेरी राय में, हमें विभिन्न राज्यों के देशभक्तों को एकजुट करना होगा। जो हानि हमने महान सिख समुदाय को पहुंचाई थी उसका नतीजा हमने भुगता है। हम सिर्फ उनसे अलग हो गए थे और पृथकतावादी शक्तियों ने हमारी उस त्रुटि का भरपूर फायदा उठाया था। हमें अपनी त्रुटियों के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी थी? हम अब उनका दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं और हमें अवश्य ही उन सभी के दिल जीतने चाहिए। मैं कहूंगा कि हमें यही मानदण्ड जम्मू और कश्मीर के लोगों पर लागू करना चाहिए।

मुझे शेरे-कश्मीर की याद है। वह देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में किसी से भी पीछे नहीं थे। वह एक महान भारतीय थे। हमें इतिहास के पृष्ठों को पढ़ना चाहिए। क्या हमने अतीत में गलतियां नहीं की हैं? क्या हमने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है? क्या हमने कुछ काम ऐसे नहीं किए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे? मैं अपने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि दे रहे हैं। हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन उनका बलिदान, बन्दूकों और हमारे सशस्त्र बलों की शक्ति ही इस महान मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और न ही होनी चाहिए। उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें कुछ प्रत्यक्ष सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मैं केरल से निर्वाचित हुआ हूं। वहां की जनसंख्या करीब 3.8 करोड़ हैं। उनकी अपनी भावनाएं एवं महत्वाकांक्षाएं हैं। कभी कभार उनमें कड़वाहट देखने को मिलती है। उसके अनेक कारण हैं। संयुक्त मोर्चे का न्यूनतम साझा कार्यक्रम सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए उद्दिष्ट है। हम उसकी प्राप्ति मौजूदा केन्द्र-राज्य संबंधों के रहते कैसे कर सकते हैं? क्या आप बिना कुछ तात्कालिक मूलभूत सुधार किए इस विशाल उप-महाद्वीप के लिए कोई आर्थिक कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं? आप लोगों को विश्वास में ले सकते हैं। वे महान देशभक्त लोग हैं। उन्हें भारत से प्यार है। वे देशभक्ति के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। आप तमिलनाडु के महान लोगों को देखिए। हम आपने तेलुगू स्वाभिमान के बारे में सुन रखा है। वे विकास करना चाहते हैं; वे आगे आना चाहते हैं; वे अपने लिए योजना निर्माण करना चाहते हैं। मैं यह बात केरल में प्राप्त मुझे अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं। हमारे पास धन के विशाल संसाधन हैं। हमारे पास सर्वाधिक शिक्षित और बुद्धिमान जनशक्ति है फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। हम औद्योगिक क्षेत्र में, आधारभूत सुविधाओं और हर मामले में पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि केरल काफी दूर है। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि यह भारत के माथे पर तथा अरब सागर पर एक कलंक है तो वे रास्ते से भटक गए हैं। हमारे 3 करोड़ शक्तिशाली लोग हैं। हमारी आदि शंकराचार्य की भूमि है। हमने भारतीय राष्ट्र को महान विभूतियां प्रदान की हैं। लेकिन केन्द्र-राज्य संबंधों की यह प्रणाली, यह व्यवस्था जहां कुछ केन्द्र के पास है, इसे बदलना होगा।

हो सकता है कि जब हमारे नेताओं ने 1950 के दशक में संविधान को अंगीकार किया था तो उस समय वो ठीक रहे हों लेकिन अब पचास वर्ष बीत चुके हैं। इन पचास वर्षों में काफी कुछ बदल गया है। लोग आगे बढ़ने को व्याकुल हैं। हम विश्व में हो रही तरक्की की अनदेखी नहीं कर सकते। इन सभी बातों पर विचार करते हुए यह अब अनिवार्य और महत्वपूर्ण हो गया है कि केन्द्र-राज्य संबंधों को तत्काल फिर से परिभाषित किया जाये।

राज्यों को शक्तियां देने में हिचकिचाएं नहीं। ऐसा करके आप इस महान देश को मजबूती प्रदान करेंगे और राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता संरक्षित रहेगी। इस महान देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने का केवल वही एक जरिया है। कश्मीर के चुनाव को इस नजरिए से देखिए।

मैं प्रधान मंत्री जी को एक बार पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लोगों से घुलने मिलने, उनकी बातें सुनने, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जानने तथा उनकी कड़वाहट को समझने के लिए पहल की है। इससे वह लोगों की समस्याओं का हल उनके हिसाब से कर सकेंगे, न कि उस तरह से जैसाकि किसी ने सुझाया है, जो हमें युद्ध में धकेल देगा। उस तरह से तो देश के टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस नजरिए में परिवर्तन लाना होगा।

हमारे प्रधानमंत्री को अपने पांच वर्षों के सेवाकाल के दौरान जो कुछ करना है उनमें से अधिकांश के बारे में वह दिग्भ्रमित नहीं हैं। हम शायद कुछ भी नहीं कर सके लेकिन यदि आप एक बात कर दें ओर वह है-राज्यों को और शक्तियां देने के लिए केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार, यदि केवल यह एक काम कर दें तो इतिहास इस बात का गवाह होगा कि आपने सही मौके पर सही काम किया है। यदि संयुक्त

मोर्चे की सरकार यह काम कर सकती है तो यह एक ऐतिहासिक कार्य होगा। उस संदर्भ में हमें कश्मीर के लोगों के दिलों को अवश्य ही जीतना होगा। वे हमारे भाई हैं। सीमा पर काम कर रही साम्राज्यवादी, नव-उपनिवेशवादी और विरोधी ताकतों का खुलासा किया जा सकता है। अतः कश्मीर के लोगों से प्यार कीजिए, उनके साथ घुलिए-मिलिए और उनका हृदय जीतिए। जब चुनाव हों और सम्पन्न हों जाएं तो आप कृपया केन्द्र-राज्य संबंधों पर विचार-विमर्श तथा इसका हल एक समूचे राष्ट्रीय कार्य के परिप्रेक्ष्य में कीजिए, न कि जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में अलग से चर्चा करके।

श्री जगमोहन : सभापति महोदय, मैं एक केवल बात कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य का कहना है कि मैंने कहा है कि कश्मीर के लोगों का दिल संयुक्त प्रयास से नहीं जीता जा सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : सभापति महोदय, सरकार ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मांग की है और मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के विषय में कोई वैचारिक मतभेद हैं। यह अच्छी बात है कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए संविधान संकल्प लाया गया है, साथ में इससे आशा की यह किरण भी जगी है कि कश्मीर में नागरिक सरकार की स्थापना होने जा रही है।

माननीय प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव सितम्बर में अथवा ज्यादा से ज्यादा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में करा लिए जायेंगे। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

जबकि हमें इस बात का दुख है कि कश्मीर पिछले छः वर्षों से राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है, हमें इस बात की खुशी है कि संयुक्त मोर्चे के न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने लोगों में एक नये उत्साह का संचार किया है और मैं सरकार को यह विशेष उत्साह पैदा करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मुझे संयुक्त मोर्चे के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को उन कुछ बातों को पढ़ने की अनुमति दी जाये जिसने न केवल जम्मू और कश्मीर के लोगों में अपितु सभी स्थानों के लोगों में उत्साह का संचार किया है। जम्मू और कश्मीर के बारे में संयुक्त मोर्चे का न्यूनतम साझा कार्यक्रम इस प्रकार है :—

> "जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान केवल वहां के लोगों से परामर्श करके तथा संविधान के अनुच्छेद 370 का आदर करते हुए और लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर की समस्या का समाधान राज्य के लोगों को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करके किया जाएगा।"

महोदय, ये वे शब्द हैं जिससे, मैं कहूंगा कि लोगों में काफी उत्साह पैदा हुआ है। मै यहां सदन के प्रत्येक वर्ग से अपील करूंगा और महोदय आपके जरिए मैं समूचे देश से अपील करूंगा कि हमें संयुक्त मोर्चे के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में व्यक्त की गई महान भावनाओं के साथ आपस में लड़-झगड़ के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

स्वायत्तता के बारे में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अभिव्यक्ति अधिकतम स्वायत्तता को लेकर विवाद किया जा रहा है लेकिन इस मोड़ पर आकर अगर हम ऐसे प्रश्नों को उठाऐंगे तो, देश को तथा स्वयं जम्मू और कश्मीर को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हमें एक होकर आगे बढ़ना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कश्मीर पर हमारा ध्यान अविभाजित रूप से केन्द्रित हो। जम्मू और कश्मीर में इस समय नागरिक सरकार का गठन स्वयं जम्मू और कश्मीर के हित में है तथा इस बात पर जरूरत से ज्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू और कश्मीर में नागरिक सरकार आवश्यक है ताकि कश्मीर के लोग स्वयं आपका प्रशासन चला सकें तथा वहां मौजूदा सुरक्षा बलों पर भी नियन्त्रण रख सकें।

सभापति महोदय, जैसाकि हमें बताया गया है, वहां पर चुनाव अधिक से अधिक अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक करा लिए जाएंगे। तथापि, मैं यहां एक तथ्य की ओर इंगित करना तथा बल देना चाहूंगा कि इन चुनावों में हमें इस बात के हर संभव प्रयास करने चाहिए कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। ये चुनाव न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए।

पिछले संसदीय चुनावों के बारे में अनेक आरोप लगाए गए हैं। मैं इन आरोपों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप भी लगाए गए हैं कि मतदान जोर जबरदस्ती से करवाया गया और कदाचार के भी आरोप लगे हैं। हमारे पास अनेक रिपोर्टें हैं। यहां, मेरे पास 8 जून, 1996 की 'मेनस्ट्रीम' पत्रिका, खंड 34, अंक 27 है। इसके अलावा यहां मेरे पास उस चार सदस्यीय दल द्वारा लिखे हुए लेख हैं जिसने चुनावों के दौरान वहां का दौरा किया था और जो वहां की स्थिति का चश्मदीद गवाह है। वहां के बारे में छपी रिपोर्टें अवाक कर देने वाली हैं। उन्हें पढ़कर एक किनारे नहीं रखा जा सकता। मुझे प्रधान मंत्री जी से तथा सरकार से अवश्य कहना चाहिए कि वह बातों का अध्ययन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समुचित एवं पर्याप्त कदम उठाएं।

महोदय, मुझे बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि संसदीय चुनावों में सबसे पहले संभवतः हमारी प्रेस को ही हानि उठानी पड़ी। उदाहरण के लिए मेरे विचार से 17 अप्रैल या उसके आसपास एक परिपत्र जारी किया गया था तथा सरकार के परिपत्र में दैनिक अखबारों के सम्पादकों को हिदायतें दी गई थीं कि वे अलगाववादियों के विचारों को न छापें। अलगाववादियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी तथा उन्होंने धमकी दी कि यदि इनके विचारों को नहीं छापा गया और यदि वे केवल सरकार के दृष्टिकोण को ही छापते हैं तो अलगाववादी उन्हें अपना कार्य नहीं करने देंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि दैनिक समाचारपत्रों ने कई दिन तक समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द रखा। केवल यही नहीं, प्रैस की दशा बहुत ही भयंकर थी।

मतदान के दिन भी हमें यह आश्चर्यचकित रिपोर्ट मिली कि श्रीनगर में प्रैस के उन तीस व्यक्तियों पर हमारी सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा हमला किया गया जोकि चुनावों को कवर कर रहे थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान रखना होगा, कश्मीर के प्रश्न पर निरंतर ध्यान देना होगा ताकि यह देखा जाए कि मामलों पर उचित ध्यान दिया जाए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। हमें लोगों का विश्वास जीतना होगा तथा उन्हें निष्पक्ष चुनावों का आश्वासन देना होगा। कई दल हैं जिन्होंने संसदीय चुनावों में भाग नहीं लिया। यह हमारे लिए चुनौती है और मुझे प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना है कि वे उनको चुनावों में भाग लेने के लिए राजी करने हेतु उनके साथ बातचीत करें। प्रत्येक दल चुनावों में भाग ले ताकि उसका पूर्ण वैधता और पूर्ण प्रजातांत्रिक महत्व हो।

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, जब आप घंटी बजायेंगे, मैं बीस मिनट के भीतर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। इसलिए आपको इसके बारे में बहुत अधीर होने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : मैंने सोचा था कि आप बीस सैकेण्ड में समाप्त कर लेंगे न कि बीस मिनट में।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं आपकी सीमाएं और कठिनाईयां जानता हूं। मैं आपके धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करूंगा। यह कहते हुए समाप्त कर रहा हूं कि सरकार के लिए ऐसी योजना के बारे में दोबारा विचार करना आवश्यक है कि हम किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने जा रहे हैं। संसदीय चुनावों के दौरान हुई हेराफेरी और अनियमितताओं को सुधारा जाए तथा प्रत्येक दल को इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राजी किया जाए। अन्यथा, हमारे पास पिछले संसदीय चुनावों की आश्चर्यचकित कर देने वाली रिपोर्ट है जिनको अति अप्रजातांत्रिक चुनाव की संज्ञा दी गई है। सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए और हम अल्लाह के विश्वास को लेकर आगे बढ़ें। मैं सरकार को शुभ कामनाएं देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाबे चेयरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति राज को और छः महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव हाऊस के सामने है। इस पर सदन में मुख्तलिफ सदस्यों ने अपने-अपने विचारों का इजहार किया है। मैं समझता हूं पिछले छः साल से जम्मू-कश्मीर के अंदर नौकरशाही का, राष्ट्रपति का राज है। विधान सभा और लोक सभा के चुनावों की बात तो दूर रही, अर्से से वहां पंचायतों के भी चुनाव नहीं हुए, लोकल बाडीज के भी चुनाव नहीं हुए। वहां कोई भी पद्धति लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं कर रही है। मैं समझता हूं इन छः सालों में वहां की आम जनता यह महसूस करती है कि वहां जमहूरियतदार नए सिरे से खड़े हों और एक लोकप्रिय सरकार बने। मुझे यह कहने में खुशी है कि राष्ट्रपति राज के दौरान सबसे पहले कांग्रेस जमायत ने वहां पोलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। मिलीटेंट ताकतें मैदान से भागीं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां, खासकर मिलीटेंट अफेक्टेड एरिया में अपनी कारगुजारी दिखायें। इसी तरह कई जमायतें तरह-तरह के बहाने तलाशने लगीं, लेकिन कांग्रेस जमायत वह जमायत है जिसके सदस्यों ने अपने आपको खतरे में डालकर कश्मीर वैली में ही नहीं, दूसरी जगहों पर जोकि मिलीटेंट अफेक्टेड एरिया थे, वहां पोलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। जो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज थे, वहां पोलिटिकल प्रौसेस शुरू किया और लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया। यह खुशी की बात है कि दिसम्बर में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेम्बली में चुनाव कराने के बारे में सोचा और ऐलान होने वाला था, लेकिन कुछ पार्टियों ने बॉयकाट किया और वे इलेक्शन रह गये। लेकिन अब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, वहां गैर-मजहबी तौर पर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और कई इलाकों में खासकर कश्मीर वैली में और जम्मू के इलाकों में जहां मिलिटेंसी थी, जितनी परसेंटेज में लोगों ने वोट डाले, शायद मैं समझता हूं कि नार्मल हालात से भी ज्यादा लोग वोट डालने आये। मैं जम्मू-कश्मीर की जनता खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन सब लोगों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान के थ्रैट को, मिलिटेंसी के थ्रैट को नजरअंदाज किया और भारी तादाद में वोट डालने के लिए आये। यह कहना कि वहां इंसाफ से इलेक्शन नहीं हुए, अपनी-अपनी राय होती है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और लोगों को इस हद तक प्रोटेक्शन दिया कि अगर वे वोट डालने के लिए जाना चाहें तो वे जा सकते हैं और लोग भारी तादाद में आये और औरतों तथा मर्दों ने सबने अपने-अपने एरियाज में वोट डाले। यह भी खुशी की बात है कि आज हमारे जो तीनों रीजन से एम.पी. चुनकर आये हैं, इस समय हाऊस में मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी पिछले दिनों श्रीनगर गये थे। उन्होंने तमाम पार्टियों के नुमाइंदों की मीटिंग की थी और वहां उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर के अन्दर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जायेगा जिससे जम्मू-कश्मीर के तीनों रीजन्स की यूनिटों में कोई फर्क आये। ये जो मुखलिफ मजाहिब को मानने वाले लोग वहां रहते हैं, उनमें किसी किस्म का कोई फर्क न आये। मैं प्रधान मंत्री जी के इस यकीन दिलाने की सराहना करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि यह जो ऑटोनोमी की चर्चा चल रही है, हमारे जो मकबूल डार साहब जो अभी मिनिस्टर नामजद हुए हैं, जिन्होंने कल ही ओथ ली हैं, उनके बयान की मैं तारीफ करता हूं कि जहां-जहां भी हम कैम्पेन के लिए गये, किसी भी इलाके में किसी भी वोटर ने किसी भी ऑटोनोमी की कोई डिमाण्ड नहीं की बल्कि हमारे वोटर तो यह चाहते हैं कि उनका जो पिछड़ापन है, उनके लोगों में जो अनएम्प्लायमेंट है, वह दूर हो, वहां अमन होना चाहिए और वहां डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑटोनोमी का जो इश्यू उठाया हुआ है, वह उन लोगों ने उठाया हुआ है जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके और वे अपने आप को रीहैबिलिटेट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे

इश्यू हाथ में लें जिससे वे रीहैबिलिटेट हो जायें और अपने आपको रीहैबिलिटेट करते हुए वे मुल्क को डीस्टेबिलाइज करना चाहते हैं। चन्द पार्टियों को, चन्द लोगों को रीहैबिलिटेट करते-करते अपने मुल्क को डीस्टैबिलाइज नहीं करें और किसी प्रैशर में नहीं आयें जिससे वहां के हालात और खराब न हों।

अपराह्न 4.00 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं समझता हूं कि दफा 370 जिसका हमें हक मिला है, उसमें हमारी स्थिति काफी महफूज हैं और वहां जो 370 दफा है, उसको अगर बरकरार रखा जाये तो हमारे लोग काफी हद तक मुत्मइन हैं और रहेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत जो लोग महसूस करते हैं, वह यह है कि हमारी रियासत में अमन हो, सेकुलरिज्म मजबूत हो और भाईचारा मजबूत हो और हमारी तरक्की जो पांच-छः साल से रुकी हुई है, उस तरक्की की तरफ ध्यान दिया जाये। मैं अर्ज करना चाहता हूं खास तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पनसुफी का जो इलाका है, वहां जो आम लोग हैं, जो मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, वहां किसी भी तरह से ऑटोनोमी की कोई डिमाण्ड नहीं है बल्कि हमारे लोग चाहते हैं कि मुगल रोड जो है, उसकी ताबीर का काम जल्दी से हो। जम्मू में हमारे लोग यह चाहते हैं कि वहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलहदा से जल्दी बने और जम्मू के लोगों की जो डोगरी जुबान है, उसको आठवें शैड्यूल में लाया जाये तथा जम्मू शहर को "बी" क्लास सिटी का दर्जा दिया जाये। देश में 1947 के जो रिफ्यूजी वहां हैं, उनके परमानेंट सेटलमेंट का यह इश्यू है। हमारे लोग यह चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो वादा किया गया है कि प्रत्येक परिवार को 25-25 हजार रुपये की ग्रांट दी जाएगी और उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, वह पूरा किया जाए। हमारे 1971 के छम्ब इलाके के रिफ्यूजीज हैं उनके रिहेबिलिटेशन का मसला है और पाकिस्तान से आए हुए कुछ लोग हैं जो डोरमिटरी में हैं उनको हुकूक देने का मसला है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों के जो मसले हैं उनको हल किया जाए। हमारे लोगों का बेरोजगारी का मसला है। लाखों पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार हैं। मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो दूसरे राज्यों में पैसा लगा रही हैं, एन.आर.आईज हैं जो दूसरे राज्यों में पैसा लगा रहे हैं वे हमारे यहां भी इन्वेस्टमेंट करें। जो विदेशों में लेबर और टेक्निशियन्ज भारत सरकार द्वारा भेजे जाते हैं जम्मू-कश्मीर की भी उसमें हिस्सेदारी हो। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हमारे पासपोर्ट और वीजा सिस्टम को आसान बनाया जाए जिससे बेरोजगार लोग भी बाहर जाकर काम कर सकें, उनको रोजगार मिल सके। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

श्री जगमोहन जी का मैं बहुत आदर करता हूं। लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि इन्होंने अपने समय में असेम्बली को डिजोल्व करके भारी गलती की थी, वरना दो-चार साल पहले ही वहां अच्छे हालात हो जाते। इन्होंने शुरू में ही असेम्बली को डिजोल्व करके जनतंत्र को नुकसान पहुंचाया। अगर ऐसा न किया होता तो वहां पर एक पॉपुलर गवर्जमेंट स्थापित हो जाती और ऐसे हालात पैदा न होते।...**(व्यवधान)** अब अगर असेम्बली के चुनाव हो जाते हैं तो हालात बहुत तेजी से सुधर जाएंगे और हालात सामान्य होने से जम्मू-कश्मीर को बहुत बड़ा फायदा होगा। वहां लोगों को सहूलियतें मिलेंगी। मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस रेजूल्यूशन की ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

बजट से पहले पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में भारी वृद्धि

अध्यक्ष महोदय : अब पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में भारी वृद्धि के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा प्रारंभ करेंगे। मुझे विपक्ष के नेता से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने श्री जसवंत सिंह को चर्चा प्रारंभ करने का अनुरोध किया है हालांकि चर्चा विपक्ष के नेता तथा डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय के नाम से होनी है। चर्चा की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है इसलिए हम चर्चा प्रारंभ करेंगे तथा श्री जसवंत सिंह चर्चा प्रारंभ करेंगे।

श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी (दमदम) : आपने श्री जसवंत सिंह को चर्चा आरंभ करने की अनुमति दे दी है?

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। मैंने आपके नेता के साथ परामर्श करके अनुरोध को स्वीकार किया है। इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : चलने दीजिए। दो घंटे के टाइम से क्या है।

अध्यक्ष महोदय : बी.ए.सी. का जो डिसीजन है वह तो बढाना ही पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समय की पाबंदी का पालन करने की कोशिश करूंगा। प्रारंभ में ही मैं यह आवश्यक समझता हूं कि मैं उचित वाद-विवाद के तरीके के बारे में उठाई गई उन आपत्तियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को पुनः

दोहराऊं। यह पुनरावृत्ति नहीं है, यह केवल इस पर बल देना है। हमने यथास्थिति को स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, हमने इसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि हम अपनी चिन्ता की असल बात कह रहे हैं। हमारी चिन्ता मूल्य वृद्धि, सीमित मूल्य वृद्धि से संबंधित है तथा मैं इसकी असल बात की विस्तृत व्याख्या करूंगा। हमने प्रक्रिया के बारे में तथा सरकार की निंदा करने के बारे में अपनी बात कही है। यह अब उन पर है जोकि विपक्ष में होने का दिखावा करते हैं जबकि वास्तव में वे सरकार के हिमायती हैं मेरे विख्यात बैरिस्टर मित्र की तरह अपनी नेकनीयती को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं।

हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम स्वतंत्र भारत में किसी सरकार द्वारा अब तक उठाए गए अभूतपूर्व और संभवतः एकमात्र ऐसे कदम की बात कर रहे हैं जोकि लागू किए गए मूल्यों की शक्ल में उठाया गया है जोकि इस वर्ष की शेष अवधि में 9,700 करोड़ रुपये है। और पूरे वर्ष की बात करें तो यह लगभग 12,900 करोड़ रुपये होगा। कभी भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है जबकि सम्पूर्ण वर्ष में लागू किए गए मूल्यों के माध्यम से एक आकस्मिक कदम द्वारा हमने नागरिकों की जेब से तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये निकालने की बात की है। यदि इसमें आप वे पहलू भी शामिल कर दें, जोकि अपरिहार्य है, जैसे उत्पाद शुल्क और बिक्री कर, तो देश के नागरिकों पर इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। तथा असहनीय होगा। मैं इसकी व्याख्या करूंगा कि कैसे? हमारी चिन्ता इस बात पर भी है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि स्वतः 7-10 दिन में ही चाहे उसके कोई सीधे परिणाम थे या सभी ट्रांसपोर्ट से संबंधित मदें जोकि दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल में आती हैं चाहे वह खाद्यान्न हो, चाहे गेहूं, चावल, सब्जियां, इन सभी पर समान रूप से लागू हैं-चाहे वह छोटी वस्तु है या बड़ी, सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मेरे जिले में आज पेट्रोल ऐश-आराम की चीज बन गया है क्योंकि मूल्य चाहे जो भी है और ग्रामीण भारत में पेट्रोल डीजल के संबंध में सरकार ने पुनः विचार करके चाहे जो भी किया हो आज ग्रामीण राजस्थान के कुछ भागों में यह 28.00 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की दर से बिक रहा है। अब सरकार ने पुनः विचार करने के बाद चाहे कीमत कम कर दी हो लेकिन पेट्रोल पम्प और डीलर इसको लागू नहीं कर रहे हैं। उन सभी विभिन्न पहलुओं या कठिनाइयों की व्याख्या नहीं कर सकता हूं जोकि इस कदम विशेष से भारत के नागरिकों को उठानी पड़ी है। हमें कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें बजट से पहले एक ही बार में 9,700 करोड़ रुपये बढ़ाए गए। कठिनाई, अस्वीकार्य कठिनाई के अलावा लोगों के क्या मामले हैं। मैं दोबारा फिर नागरिकों की बात करूंगा। पहला मामला मैं इसे केवल उल्लिखित करूंगा और आगे बात कहूंगा-लागू किए गए मूल्यों और संसदीय नियंत्रण का है। मैं वैधता की बात नहीं कर रहा हूं। आपने उसे नकार दिया है। यह वैद्यता नहीं है। यह इस प्रकार इस स्तर तथा असीमित मूल्य वृद्धि में संलिप्त होने की यथार्थता है जिसमें एक वर्ष में लोगों से तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये लेने की बात है तथा संसद की इस बारे में कोई शक्ति नहीं है। इस संबंध में संसद सरकार की निंदा भी नहीं कर सकती है। यह हमारी चिंता का एक विषय है। महोदय, यदि ऐसी वृद्धि बजट सत्र के पहले होती है तब हमारी चिंता बढ़ जाती है क्योंकि जिस बात पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है वह संसदीय प्रभुत्ता की है। संसद को विशेषकर वित्त, अर्थव्यवस्था, मूल्यों के बारे में कार्यकारी से प्रश्न करने का अधिकार है। लेकिन साथ-साथ इस सभा का देश के वित्तीय प्रबंध के प्रति भी कुछ कर्त्तव्य हैं।

इसलिए यदि सरकार जान बूझकर ऐसे कार्य करती है तो हम निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करेंगे। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा। यह मुद्दा मेरे मित्र द्वारा उठाया गया है जोकि पहले पेट्रोलियम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सभापति थे जिसने एकमत होकर सिफारिश की थी। यह संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश है जिसको सरकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है तथा संसद द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया गया है दुर्भाग्यवश संसद को उस सिफारिश पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर पर कहा है। उस स्थायी समिति ने जब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो यह परिकल्पना नहीं की थी कि यह सरकार आने वाली है। वे तब सरकार में थे तथा समिति के सभापति ने सरकार को यह सलाह दी थी कि भविष्य में कभी भी सरकार संसद का सामना किए बगैर लागू किए जा चुके मूल्य नहीं बढ़ाएगी सरकार ने स्थायी समिति की एकमत से की गई सिफारिश का उल्लंघन किया है उसे नजरअंदाज किया है।

महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बढ़ोतरी की सीमा से है तथा विपक्ष के माननीय नेता ने इसकी प्रतिशतता दी है। मैं इसकी बात करके सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर खाना पकाने की गैस की कीमत 30 प्रतिशत बढ़ गई है, पेट्रोल की 30 प्रतिशत, नेप्था की 10 प्रतिशत तथा डीजल की 30 प्रतिशत बढ़ गई है। इन प्रतिशतताओं की तार्किकता के कारण यह असीमित वृद्धि हुई, जिसके बारे में मैं कुछ देर बाद बात करूंगा।

दूसरी बात समय की है मैंने समय के बारे में काफी लंबे समय तक बात की है। मैं इसकी बात फिर करूंगा। इस मूल्य वृद्धि की तर्किकता में 'आयल फूल मैंनेजमैंट' तथा मूल्यों के सम्पूर्ण प्रबंध का प्रश्न आता है। लेकिन अति महत्वपूर्ण पहलू जिसके बारे में मेरे विचार से सरकार चुप रही है तथा मुझे हैरानी नहीं है कि सरकार के नए साथी, जोकि अस्थायी तौर पर वहां उनके समर्थकों के रूप में बैठे हैं, भी चुप रहे हैं, यह प्रश्न है कि हालांकि मूल्य बढ़ा दिए गए हैं इसके लिए केवल इस सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि मैं अपनी आगे के भाषण में इसका भी ब्यौरा दूंगा, ऐसा पहले भी हुआ है-लेकिन इस सरकार द्वारा बीते दिनों में साथ-साथ कार्यकुशलता संबंधी मानदंडों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया हैं। देश के

लोगों के साथ कोई सलाह नहीं की गई है। इन दिनों अंग्रेजी समाचार पत्रों में आ रहे विज्ञापनों के आलावा सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वे अपूर्ण विज्ञापन हैं। वे स्थिति को आधा ही दर्शाते हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उन्हें मूल्यों में वृद्धि करने के साथ-साथ कार्यकुशलता बढ़ाने सम्बन्धी नियम भी कार्यान्वित करने होंगे।

महोदय, मेरे विचार से, मूल्य-वृद्धि का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जहां मूल्य-वृद्धि की गई है, वहां साथ-साथ उत्पादन की लागत को कम करने और कार्य कुशलता बढ़ाने के एक समयबद्ध कार्यक्रम के सुझाव भी निश्चित रूप से तैयार किए जाने चाहिए थे।

हम स्थिति को और बेहतर ढंग से समझ सकते थे, यदि सरकार वृद्धि की मात्रा आदि पर युक्तिसंगत विचार करने के साथ उपरोक्त सभी बातों पर भी ध्यान देती।

महोदय, यह सब तेल उद्योग विकास पहलुओं और तेल पूल रिजर्व खाते की पूर्ण अव्यवस्था के फलस्वरूप घटित हुआ है। मैं बताता हूं कि देश का यह हाल क्यों हुआ। इसमें सन्देह नहीं है कि इस सरकार ने विवेकपूर्ण ढंग से कार्य नहीं किया है। यह पिछली कांग्रेस सरकार की सतत असफलता लगातार अविवेकशीलता और निरन्तर उत्तरदायित्व के निर्वहन में कमी का प्रतिबिम्ब है। कांग्रेस के सदस्य इस सरकार को इस समस्त परिस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि आज तेल पूल रिजर्व खाते की जो खराब स्थिति है, सम्पूर्ण तेल उद्योग की जो दुर्गति है, यह सब पूर्व कांग्रेस सरकार की पूर्ण खराब प्रबन्धन के कारण है। कांग्रेस पार्टी सम्पूर्ण तेल-जगत के लिए एक नीति बनाने की बजाय, रसाइयों, नौकरों, नाईयां, सम्बन्धियों कां पेट्रोल पम्प डीजल स्टेशन और गैस एजेन्सियां बांटती रही। कांग्रेस सरकार द्वारा गलत ढंग से बांटे गए इन साधनों की संख्या की कोई सूची मेरे पास नहीं है। यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुल समय का एक चौथाई भाग भी तेल क्षेत्र जैसे इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र सहित ऊर्जा क्षेत्र के प्रबन्धन पर लगाया गया होता, तो सरकार को राजनीतिक रूप से इतनी गम्भीर स्थिति का सामना न करना पड़ता।

उन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। यह उनका अपना उत्तरदायित्व है। मेरा आरोप है कि यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि लम्बे समय से एक नीति का अभाव रहा है तथा कांग्रेस का कुशासन चलता रहा है। सबसे खराब और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश के अन्दर तेल का उत्पादन 50 प्रतिशत गिर गया है। यह सब घरेलू उत्पादन सुविधा के खराब प्रबन्धन, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और तेल शोधक उत्पादन क्षमता में कमी के फलस्वरूप हुआ। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार को ही इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। निःसन्देह हमने कहा है कि इस काल में मांग में वृद्धि हुई है। परन्तु इसके पीछे और भी कारण थे और वह कारण था रुपए का अवमूल्यन वास्तव में 1991 और 1996 के बीच में रुपए का दो बार अवमूल्यन हुआ और मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि कैसे वे इस सम्पूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस चर्चा में अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा कि तेल पूल रिजर्व खाते का वास्तविक उद्देश्य क्या है। माननीय सदस्य पहले ही इस बात से अवगत हैं कि यह एक पूल है.....

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी यह बात जानते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय मंत्री जी यह भली भान्ति जानते हैं। यह पेट्रोलियम उत्पादों पर अधिभार लगाने के कारण शुरू हुआ। सिद्धान्तः इन्हें आत्म-निर्भर माना जाता है और इसका निर्गम इसके मानक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यदि हम वर्तमान स्थिति में अपने आप को पाएं, तो यह एक बहुत ही गंभीर तथा कुप्रबन्धन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 1988-1989 तक इस विशेष खाते में बचत की स्थित थी। इसके बाद एक बड़ा कदम उठाया गया। वह यह कि कच्चे तेल पर उपकर 600 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ा कर 900 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया गया। आदरणीय मंत्री जी मेरे द्वारा उद्धृत आकड़ों में सुधार कर सकते हैं। उपकर में वृद्धि से लगभग 20,000 करोड़ रुपए तेल उद्योग के विकासार्थ एकत्रित हुए। ये 20,000 करोड़ रुपये बेकार में खर्च किए गए। इस, और अन्य कारणों से ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके लिए कांग्रेस आरोप लगा रही है जबकि वही इसके लिए जिम्मेदार हैं और वही यह कह रहे हैं कि यह सरकार उन कुकृत्यों के लिए जिम्मेदार है यह वस्तुतः बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है।

कुछ माननीय सदस्य : हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मुझे नहीं पता कि किन मुद्दों पर वह इनका समर्थन करते हैं और किन मुद्दों पर विरोध करते हैं...(**व्यवधान**) इस सबके कारण मार्च 1991 में, तेल पूल खाते में सभी कम्पनियों के दावे का अनुमान तीन हजार करोड़ रुपए था। जुलाई 1991 में नई सरकार का गठन हुआ। उस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिए। यह उस सरकार का पहला कदम था। फिर, उन्होंने उस मूल्य-वृद्धि को रोकना चाहा और उन्होंने तत्काल भारतीय रुपए का अवमूल्यन कर दिया उस सरकार द्वारा उठाए गए प्रारम्भिक कदमों में से एक यह भी था। रुपए के अवमूल्यन के फलस्वरूप, तेल पूल खाते में फिर भारी गिरावट आई।

मार्च 1991 से मार्च 1992 तक, एक और वर्ष में तेल कम्पनियों को देय राशि बढ़कर लगभग 2100 करोड़ रुपए हो गई और घाटा लगभग 5100 करोड़ रुपये हो गया। तत्पश्चात् कांग्रेस सरकार ने सितम्बर 1992 में मूल्यों में फिर वृद्धि कर दी। यह कैसे सुनियोजित किया गया, मुझे नहीं मालूम । सितम्बर, 1992 में मूल्य वृद्धि के एकदम पश्चात् सरकार ने व्यापार कारणों से रुपए की परिवर्तनीयता के बारे में निर्णय लिया और फलस्वरूप फिर घाटा हुआ, तत्पश्चात् मार्च 1994 में तेल कम्पनियों को देय राशि 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

जनवरी-फरवरी 1994 में, कांग्रेस सरकार ने तेल कम्पनियों को देय बकाया राशि जुटाने हेतु तेल के मूल्य फिर बढ़ा दिए। तीसरी बार तेल मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद, उन्होंने साथ ही साथ कच्चे तेल

और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया और साथ ही उत्पाद शुल्क संरचना में भी परिवर्तन कर दिया। यदि आप पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के सम्पूर्ण इतिहास पर दृष्टिपात करें, जिसका यह वर्ष सबसे बड़ा उदाहरण है तो आपको यहा अविश्वसनीय लगेगा। इन साथ-साथ उठाए गए कदमों के कारण तेल मूल्य खाते में कोई और वृद्धि नहीं हुई अब हम अपनी वर्तमान चिन्ता को व्यक्त कर रहे हैं। वर्ष 1995 की आखिरी तिमाही में रुपए का मूल्य अमरीकी डालर के तुलना मे कम हो गया। इस कमी के कारण तेल कम्पनियों के संचयी दावों की अनुमानित राशि मार्च 1996 में 5708 करोड़ रुपए हो गई। यह राशि 6000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती थी और यह वर्ष के अंत तक दुगनी भी हो सकती थी, यह सब सरकार के कुप्रबन्धन का फल है।

महोदय, मैं यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि तेल मूल्यों में वृद्धि क्यों अनावश्यक थी और सरकार वैकल्पिक रूप से कौन-2 से कदम उठा सकती थी। परन्तु इससे पूर्व मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहूंगा कि सरकार ने पहले डीजल के मूल्य में वृद्धि की और फिर स्वयं उनमें आधी कमी कर दी। यह प्रशंसनीय बात है कि डीजल पीओएल आयातों में अत्यधिक वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक है और इसके आयात में विगत दो सालों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि लगभग 1.31 मिलियन डालर से 2.26 बिलियन डालर थी। परन्तु देखना यह है कि डीजल आयातों में पीओएल तेल आयातों तथा अन्य आयातों में वृद्धि की दर लगभग दुगनी रही अन्ततः डीजल मूल्यों में फिर कमी हुई आपने इनमें 30 प्रतिशत वृद्धि की थी, फिर इसे 15 प्रतिशत घटा दिया। आपने पहले इसे 30 प्रतिशत क्यों बढ़ाया था? आपने दोबारा उसे 15 प्रतिशत कम क्यों किया? आप इसे 20 प्रतिशत या 15 प्रतिशत या 5 प्रतिशत क्यों नहीं करते। यह दर्शाता है कि मूल्यों को बढ़ाने में कितनी मनमानी की गई है और फिर समझौतावाही तरीके से इसे 15 प्रतिशत कम कर दिया है। निष्कर्ष फिर वही निकला था तो आप सारी स्थिति को पहले अच्छी तरह नहीं समझ पाए या आपने एक समझौतावादी तरीके से ऐसा किया। या वास्तविकता जाने बिना ही-आपने यह मुद्दा उठाया था कि इसकी आवश्यकता थी या नहीं और तब इसमें 15 प्रतिशत कमी की गई चाहे जो भी करण रहे हैं। जिस निष्कर्ष पर आप पहुचे हैं वह प्रशसा योग्य नहीं है। निष्कर्ष इस सरकार के लिए ज्यादा प्रशंसा योग्य नहीं है क्योंकि तेल पूल खाते के कुल प्रबंधन के लिए यह ज्यादा प्रशंसा योग्य नहीं है।

यह तो गत सप्ताह डीजल मूल्य में की गई कमी के कारण, इसके देश में मूल्य आयात मूल्य से कुछ कम रहे हैं। वस्तुतः इससे न तो संचय को और न ही बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा था कि यदि इस मूल्य वृद्धि के साथ दक्षता तथा बचत भी की जाती तो अच्छा रहता। आप केवल मंत्री के साथ चलने वाला काफिला देखिये जो उनके साथ चलता है। प्रत्येक मंत्री के साथ दस, पन्द्रह कारों का काफिला चलता है। हम कीमती पेट्रोलियम उत्पाद बचाने की किस प्रकार की संस्कृति प्रदर्शित कर रहे हैं? मुझे इसी सभा में मैंने भी कहा था पूर्व कांग्रेसी सरकार में निश्चय ही मंत्रियां की हवाई जहाज को इस तरह उपयोग करने की आदत थी कि मानों वे उनकी व्यक्तिगत कारें हों। मैंने भोपाल जैसे राज्य की राजधानी में जाकर मंत्रियों के दृष्टांत देखे हैं। तीन अथवा चार मंत्री एक हवाई जहाज से अथवा एक वाणिज्यिक हवाई जहाज से यात्रा कर सकते थे। लेकिन उनमें से प्रत्येक अलग-अलग हवाई जहाज से गया और वह भी एक ही समारोह में। अतः कोई सरकार तेल की कीमतें कैसे बढ़ा सकती है अथवा इसके भार को वहन करते रहने के लिए नागरिकों को कैसे कह सकती है जबकि वह इसके बदले में इस तरह की मितव्ययता के बारे में कुछ नहीं करती है। बचत के लिए इस तरह का समग्र दृष्टिकोण जरूरत से ज्यादा उपभोग की इस तरह की संस्कृति पेट्रोलियम उत्पादों जिन पर देश निर्भर हैं, जैसे अभावों वाली वस्तु की जरूरत करना, बचत करने का रास्ता नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारी आंकड़े दिये गये हैं उनसे आश्वस्त नहीं हूं। यह कहा गया है कि मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में लगभग 1.2 प्रतिशत वृद्धि होने जा रही है। यह इसका सीधा परिणाम हो सकता है और मेरे मित्र निर्मलजी जैसे प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् तो इस 1.2 प्रतिशत के आंकड़े पर अवश्य ही आपत्ति व्यक्त करेंगे। हालांकि मुझे सांख्यिकी सम्बंधी बातों की जानकारी नहीं है - फिर भी मेरा विचार है कि इस हाल ही में हुई मूल्य वृद्धि से मुद्रास्फीति में न्यूनतम प्रत्यक्ष वृद्धि तीन प्रतिशत से अधिक होने जा रही है। और इस तीन प्रतिशत से अधिक के अंशदान का आम भारतीय नागरिक के दैनिक घरेलू उपयोग की सभी वस्तुओं पर सोपानी प्रभाव पड़ेगा चूंकि मैंने यह कहते हुए अपना वक्तव्य शुरू किया था कि मुद्रास्फीति का यह पहलू रुपये के मूल्य में आयी गिरावट के साथ-साथ देखा जाना चाहिए। यदि हम रुपयें के मूल्य में आई गिरावट के विरुद्ध सरकार को आगाह करते आये हैं तो यह इसलिए क्योंकि रुपये का मूल्य किसी रूप में राष्ट्रीयता का द्योतक होता है। यह साधारणतया अच्छा अर्थशास्त्र तथा अच्छी वित्तीय व्यवस्था होती है जो हमेशा यह परामर्श देता है कि हम इस सरकार को यह समझायें कि रुपये का जो आज मूल्य गिरा है ऐसे मूल्य गिराने वाले विषय पर सरकार गहराई से विचार करे। इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। हम इस पर इसलिए अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं क्योंकि परिवहन क्षेत्र में मुद्रास्फीति सम्बंधी इस पहलू से तथा ईंधन सम्बंधित परिवहन से औद्योगिक क्षेत्र में मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और औद्योगिक ईंधन तथा कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होगी। नागरिकों के लिए परिवहन मूल्यों में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ेगी तथा गृहिणियों के लिए रसोई गैस जैसे मदों में मूल्य वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति सम्बंधी सोपानी प्रभाव का यह परिणाम सरकारी 1.2 प्रतिशत तक ही सीमित नहीं रहेगा और यदि मैं इस बात पर बल दूं कि वैकल्पिकों की जांच नहीं की गई तो सामान्यतया यह इस वाद-विवाद का प्रश्न नहीं जो मैं करना चाहता

हूं। ये वे विकल्प हैं जिनके बारे में चाहता हूं कि सरकार उनका उत्तर दे। क्या यह बात सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय ने इसे और इसकी भरपाई तेल पूल खाते से 4400 करोड़ रुपए के रूप में की जा रही है?

अतः नागरिकों पर यह भार डालने की बजाय योग्य वित्तमंत्री ने सोमनाथ जी से इस मामले में बहस क्यों की?-वे कहां हैं? वे आज अनुपस्थित हैं। तेल पूल खाते से यह 4400 करोड़ रुपये की राशि वित्त मंत्रालय को दी जा रही है। यदि नागरिकों पर कुल आयात भार 9780 करोड़ रुपए हैं तो, 4480 करोड़ रुपये की अदायगी से, एक स्कूली छात्र भी यह बता सकता है कि, इससे वजन आधा हो जाएगा।

[अनुवाद]

मैं दूसरी बात पर आता हूं कि मैं यह क्यों विश्वास करता हूं कि मूल्य वृद्धि जरूरी नहीं थी। दूसरे, मैं यह विश्वास करता हूं कि तेल पूल लेखा- विनियम दर विभिन्नताओं के पीछे सारा तर्क यही है जो सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन अथवा कुप्रबन्धन के ही परिणाम हैं जो नागरिकों को नहीं भुगतने चाहिये थे। देश की बृहद् अर्थव्यवस्था स्थिति के समग्र तथा विनिमय दर विभिन्नता पर विपरीत परिणामों के रहते यदि सरकार गिर जाती हैं तो सरकार की विफलताओं का हरजाना नागरिक क्यों भुगते। जैसा कि मैंने बताया है कि जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं उसका कारण निश्चित रूप से ये कुप्रबन्धन हैं।

महोदय, तीसरे, इस समय आयातित कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 35 प्रतिशत यथामूल्य है। इसको मिलाकर वित्त मंत्रालय तेल पूल लेखा को जो देता है अथवा विनियम दर के उतार-चढ़ाव के प्रबन्धन पर यदि आप विचार नहीं भी करे हैं तो आयतित कच्चे तेल पर सीमा शुल्क के सही इस्तेमाल से नागरिकों पर भार 35 प्रतिश से 25 प्रतिशत भी कम हो गया होता और यदि 4500 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय से आते हैं जो यह राशि हर हालत में तेल पूल लेखा को देती है और यदि सीमा शुल्क 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत भी अर्थात् दस प्रतिशत कम कर दिया जाये तो मेरा विश्वास है कि कम से कम दो से तीन हजार करोड़ रुपयों की एक अतिरिक्त राशि निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती हैं। सरकार यह क्यों नहीं कहती कि वह मित्तव्ययता बरतने जा रही है और मंत्री केवल एक ही कार में यात्रा करेंगे? सरकार यह प्रदर्शित क्यों नहीं करती है? मैं उन मित्तव्ययता वाले कदमों की गहराई में नहीं जा रहा हूं जिनको सरकार उठा सकती थी। यदि सरकार और अधिक तर्कसंगत विवरण देती तो यह जो कह रही है उसे स्वीकार करने में निश्चित रूप से हमें आसानी होती।

मुझे मालूम है कि स्वयं विपक्ष के नेता ने इस समस्या का जिक्र किया था और इस सम्बंध में हम और विवरण दे सकते थे। 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत आदि प्रांसगिक घटना तथा झकझोर कर रख देने वाली इस तरह की मूल्य वृद्धि के स्थान पर पहले तो हमारी तेल शोध में बढ़ी दक्षता का तथा उससे भी अधिक हमारी तेल शोधशाला में बढ़ी दक्षता की जांच होनी चाहिये। अतः लेखा के तेल पूल कार्यकरण में भी और दक्षता होनी चाहिये और इसके पश्चात् मूल्य सूचकांक चाहे वह थोक मूल्य सूचकांक हो अथवा मूल्य सूचकांक हो जिस पर आप सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए विचार करते हैं कोई संबंध होना चाहिए। यदि इस तरह की सोची समझी नीति बनाई जाती तो हमारी आज जैसी स्थिति नहीं होती जिसमें अकस्मात् नागरिकों पर 9700 करोड़ रुपये अथवा 13,000 करोड़ रुपयों का भार डाला जा रहा है।

अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपनी बात समाप्त करने में केवल एक मिनट लूंगा।

एक पहलू है जो मुझे बड़ा परेशान करता है और वह पहलू है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऐसे वृहद् क्षेत्र की व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव। इस पारदर्शिता के अभाव को महत्व दिया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में वाकई सरकार की एकाधिकार की स्थिति बनी हुई है। यह एकाधिकार चयनात्मक रूप में हलका पड़ जाता है। जिनको उपभोक्ता उद्योग में विशेषता हासिल है और अत्यधिक लाभप्रद तथा श्रेष्ठ तेल क्षेत्र मुक्ता तथा अन्य तेल क्षेत्र जो आज देश के पास हैं वे अकस्मात उन्हें दिये जाने से यह उन लोगों के लिए चयनात्मक रूप में हल्का हो जाता है। मैं उन सभी का नाम लेना नहीं चाहता हूं। वस्तुतः पेट्रोलियम मंत्रालय में नीचे स्तर पर पारदर्शिता का अभाव तथा उनमें अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है जिसको हमें भुगतना पड़ रहा है।

मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि इस सरकार ने बुद्धिमतापूर्ण ढंग से कार्य किया है। यह वृद्धि जिसे मैं संसद का अपमान करने वाली समझता हूं वह गलत ढंग से सोची गई, गलत समय पर बढ़ाई गई है। यह मूल्य वृद्धि नागरिकों के साथ घोर अन्याय करने वाली है; यह मंहगाई लाने वाली हैं; यह निश्चय की पेट्रोलयम मूल्य के प्रबंधन तथा तेल पूल लेखा के समग्र प्रश्न का कोई अंतिम हल नहीं निकालती है। अतः इस सरकार के पास केवल एक ही चारा है कि वह इस सारी वृद्धि को वापिस लेकर संसद में आये, हमसे इस पर नये सिरे से चर्चा करे तथा गहराई से इस चर्चा करे और खुलेपन तथा पारदर्शिता को नया आधार बनाये ताकि जो कठिनाइयां आपने इस देश के नागरिकों पर थोपी हैं वे समाप्त हो जायें।

सरकार या तो इस देश के नागरिकों पर अनुचित रूप से थोपी गई यह सारी की सारी मंहगाई वापिस ले ले अथवा सत्ता से हट जाये।

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरी पार्टी ने इस सरकार को समर्थन अवश्य दिया है ताकि यह गिर न पाये, फिर भी इसके साथ-साथ यदि यह कतिपय मौलिक तथा मूलाधार मुद्दों पर ऐसी भूलें करती है जो इस देश के आम लोगों के हित के लिए पक्षपातपूर्ण होती हैं तो मेरी पार्टी की यह नीति रही है कि वह इसकी आलोचना करे तथा इस पर टीका-टिप्पणी भी करे।

जब मुझे यह मालूम होता है कि इस संसद के समवेत होने से कुछेक दिन पूर्व ही दो जुलाई की अर्धरात्रि को एक निर्णय लिया गया कि पेट्रोलियम, डीजल, रसोई गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि कर दी जाए। निसन्देह यह वृद्धि एक ऐसा उदाहरण है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पेट्रोलियम, रसोई गैस तथा डीजल में यह मंहगाई 20 से 30 प्रतिशत तक हुई है।

अपराह्न 4.37 बजे

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है वह यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी बात यह है कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी घोर वृद्धि जो पहले कभी नहीं हुई को टाला जा सकता था और ठीक एक दिन पूर्व संध्या में जब संसद अपने नियमित बजट सत्र के लिए बैठ रही हो इस कदम के उठाने का क्या औचित्य था। यह कहने की जरूरी नहीं कि इस वृद्धि जैसी दिखाई देती है उससे भी कहीं अधिक आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है क्योंकि यदि 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि होती है तो इसकी अपनी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती रहेगी। इसका प्रत्यक्ष रूप में तथा परोक्ष रूप में भी अर्थ व्यवस्था के विभिन्न भागों पर प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोलियम तथा डीजल ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिनसे परिवहन उद्योग चलाया जाता है और यदि परिवहन उद्योग को इतनी भारी लागत लगानी पड़ती है तो यह एक साधारण अनुभव है कि इन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि से बेहिसाब मूल्य वृद्धि हो जाती है। यदि 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है तो मुझे विश्वास है कि उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे। यह 50 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक हो सकते हैं। तो जब हमें यह कहा जाता है कि इस वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव एक प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत होगा तो यह बात कहने का एक बड़ा सीधा तरीका है। आपको लगातार हो रही इन प्रतिक्रियाओं तथा इसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों पर विचार करना चाहिए। उर्वरक, नेप्था तथा मोम की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परिवहन उद्योग को भी अपनी कीमतों में वृद्धि करनी होगी। कीमतों में वृद्धि की घोषणा किए जाने के समय से पहले ही रेलवे, बसों जैसे प्रमुख परिवहन उद्योगों और अन्य यातायात के माध्यमों की पेट्रोलियम कीमतों में तीखी वृद्धि हुई है। उन सभी को अपने किराये बढ़ाने होंगे। इसका परिणाम परिवहन लागत अत्यधिक ऊंची हो जाएगी और कीमतों में इस वृद्धि के कारण गरीब लोग गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और औद्योगिक क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव दूरगामी होगा। औद्योगिक क्षेत्र इन पेट्रोलियम उत्पादों और गैस का प्रयोग करता है और इन उत्पादों के दाम भी अवश्य बढ़ेंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था में जहां पेट्रोलियम उत्पाद, डीजल और रसोई गैस हमारी कृषि और उद्योग के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हमें बताया गया है कि मुद्रास्फीति 1.2 प्रतिशत बढ़ेगी लेकिन अर्थशास्त्री इस मत से सहमत नहीं हैं। इस मामले को तार्किक दृष्टि से देखने वाले लगभग उन सभी अर्थ शास्त्रियों का यह मानना है कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि मुद्रास्फीति की दर छः से सात प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इस उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां मुद्रास्फीति दस से अधिक तक पहुंच सकती है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि क्या यह वृद्धि आवश्यक थी? अथवा क्या कीमतों में हुई वृद्धि को टाला जा सकता था ताकि यह यह इतने ऊपर तक न जा पाती?

श्री जसवंत सिंह ने हमेशा की तरह अपने स्वाभाविक अंदाज में इसका दोष पिछली कांग्रेस सरकार के मत्थे मढ़ा है और कहा है कि यह एक विरासत है जो मौजूदा सरकार के सिर पर आ गिरी है। मैं श्री जसवंत सिंह को बता सकता हूं कि दुर्भाग्यवश वह चाहे कोई भी आरोप लगाए लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार की तेल उद्योग से संबंधित नीति वैसी नहीं है जैसाकि उन्होंने अपने आरोप में कहा है। अब क्या स्थिति है? निःसन्देह, सरकार ने समय-समय पर कीमतें बढ़ाई हैं लेकिन इस हद तक नहीं। स्थिति से निपटने के लिए कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो सकती है लेकिन बीस से तीस प्रतिशत तक नहीं। ऐसा करना आवश्यक क्यों हुआ? जैसाकि श्री जसवंत सिंह द्वारा आरोप लगाया है, हस्तांतरण (ट्रांसफर) तेल पूल खाते से किया गया है। मैं आपको बता सकता हूं कि जून, 1991 से 1995 तक पिछली कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान तेल पूल खाते से सामान्य बजट में कोई भी हस्तांतरण नहीं किया गया था और जो पहले कुछ भी किया गया है, पिछली कांग्रेस सरकार को निश्चित रूप से वर्तमान मूल्य-वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

इसके बाद, एक अन्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें गत तीन अथवा चार वर्षों के दौरान स्थिर रही हैं। गत चार वर्षों में पेट्रोलियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी आमतौर पर स्थिर रही हैं।

यहां तक कि 1994 में पेट्रोलियम की कीमतें 16 डालर प्रति बैरल से घटकर 15.50 डालर हो गई। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहीं और इसलिए पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा कीमतों में इस तरह की वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए उसने कीमतें नहीं बढ़ाई। इसके अतिरिक्त, आम आदमी के हितों को भी ध्यान में रखकर भी ऐसा नहीं किया गया। इस देश में पेट्रोलियम की कुल खपत सत्तर मिलियन टन है। इन सत्तर मिलियन टन में से तीस मिलियन टन का उत्पादन देश में ही ऑयल इण्डिया और भारतीय तेल निगम जैसी कंपनियों द्वारा किया जाता है और शेष चालीस मिलियन टन का विदेशों से आयात किया जाता है।

अब, यदि 1991-95 तक कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान आयात मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई तो इसका कारण यह था कि पेट्रोलियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रही थीं बल्कि ये थोड़ा बहुत

कम जरूर हुई थीं। देश को तेल उद्योग की ऑयल इण्डिया अथवा भारतीय तेल निगम जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित स्वदेशी उत्पादों के लिए जो भुगतान करना पड़ता है वह उस कीमत के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है जिसका भुगतान हमें विदेश से पेट्रोलियम उत्पादों आयात पर करना होता है इसलिए 1991-95 के दौरान कांग्रेस सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में मौजूदा सरकार की तरह वृद्धि न करके कोई गलत काम नहीं किया। इस वृद्धि को इस कारण टाला जा सकता था क्योंकि पिछली सरकार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में एकमात्र वृद्धि सितम्बर, 1995 में उस समय की गई थी जब डालर की तुलना में रुपए का मूल्यह्रास हुआ था। यह कुप्रबन्ध का परिणाम नहीं है जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने आरोप लगाया है कि ऐसा पूर्व सरकार, पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई नई आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप हुआ है। नई आर्थिक नीति के परिणाम मिले हैं और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इसका लाभ हुआ है और जब रुपये को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय बनया गया तो रुपया 1993, 1994 और सितम्बर, 1995 के भी बाद तक लगभग तीन वर्षों तक स्थिर रहा। वह हमारी अर्थव्यवस्था की अन्तर्निर्मित शक्ति को दर्शाता है जिसका निर्माण नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप हो सका है 1993-95 से गत तीन वर्षों के दौरान रुपए का अवमूल्यन सितम्बर, 1995 तक नहीं हुआ उसके बाद अवमूल्यन होने के लिए कतिपय तथ्य, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों थे, जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त कतिपय बाहरी तथ्य भी जिम्मेदार थे जैसे कि डालर की कीमत का न केवल भारतीय रुपए के मुकाबले बल्कि विश्व के लगभग सभी अन्य प्रमुख देशों की मुद्राओं की तुलना में बढ़ना। इसलिए रुपए का मूल्यह्रास पूर्व कांग्रेस शासन की अर्थव्यवस्था के कुप्रबन्ध के कारण नहीं हुआ है। ऐसा कहना पूर्णरूपेण गलत है। डालर का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में भी बढ़ा है। हो सकता है कि भारतीय रुपए का मूल्यह्रास कतिपय अन्य कारणों से भी हुआ हो। उदाहरणार्थ, निर्यातक देश में विदेशी मुद्रा शीघ्र नहीं ला पा रहे थे जिसके कारण डालर देश में नहीं आ रहा था, हालांकि हम इसका अर्जन कर रहे हैं। अन्य कई कारक भी हैं जिनका सामना सरकार ने बहादुरी से किया है। ढाई महीनों के भीतर ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। इसलिए मैं भी जसवंत सिंह के इस आरोप से सहमत नहीं हूं कि पूर्व कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण रुपए का मूल्यह्रास हुआ है। लेकिन रुपय के मूल्यह्रास के कारण अधिकतम वृद्धि सितम्बर, 1995 से 5,000 करोड़ रु. से अधिक की नहीं होनी चाहिए थी। यदि रुपये की कीमत में गिरावट आई थी, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तो यह केवल 10 से 20 प्रतिशत तक है तथा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अभूतपूर्व थी और मैं नहीं जानता कि क्या वर्तमान सरकार में प्राधिकारियों ने इसका निर्णय बिना प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ परामर्श से किया। उन्होंने उस पार्टी के साथ भी परामर्श नहीं किया जिसके समर्थन से वह यह सरकार चला रहे हैं।

इसीलिए मेरे विचार में वर्तमान सरकार का कोई भी निर्णय लेने से पूर्व अपने उन सहयोगियों, समर्थकों से परामर्श पर लेना चाहिए था जो उनको समर्थन दे रहे हैं क्योंकि यह मूल्य वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही गलत ढंग से नष्ट कर देगी। न केवल यह बल्कि प्रशासित मूल्य वृद्धि के जरिए इस कदम के औचित्य पर भी इस सभा द्वारा प्रश्न चिह्न लगा दिया है। हम उसमें भी भागीदार हैं: माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भर्त्सना भी की गई थी कि जब संसद 10 जुलाई को बजट सत्र के लिए एकत्र होने जा रही थी, चाहे यह अवैध न भी हो क्योंकि प्रशासित मूल्यों का निर्णय निश्चित तौर पर बिना कसी विधायी तरीके के लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें संसद में आना होता है। इसके साथ ही जब प्रशासित मूल्य बढ़ाये जाते हैं तो इससे समपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर असर पड़ता है तथा इस पर परामर्श किया जाना चाहिए था। और जबकि सभा सप्ताह के भीतर ही सत्र के लिए एकत्र होने जा रही थी तो ऐसी कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अब मैं संबंधित मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रातों रात इसकी घोषणा क्यों की गई तथा पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों की क्या स्थिति है? इन डीलरों की स्थिति क्या है जो अपने पास बहुत ज्याद स्टॉक रखा है तथा जो अब बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा है। यह लाभ सरकार को नहीं मिल रहा है बल्कि इन डीलरों को मिल रहा हैं उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। पेट्रोलियम के मूल्य 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल पम्पों को देखिए। ऐसे पेट्रोल पम्प हैं जिनके पास 2 जुलाई की रात को बहुत बड़ा स्टॉक था। 2 जुलाई को ही इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं थी जबकि उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक था। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपय किए हैं कि कम से कम पुराना स्टॉक पुराने मूल्य पर बेचा जाए न कि बढ़ी कीमत पर सरकार अब वह आश्वासन या खुला लाइसेंस इन डीलरों को दे रही है जिसके पास बड़ा स्टॉक है कि वे अपने उत्पाद इतने अधिक ऊंचे दामों पर बेंचें। यह आम आदमी के हितों के लिए नुकसानदायक है। इस स्थिति के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे ताकि वे डीलर जिनके पास पुराना स्टॉक है उनको इसे बढ़े मूल्य पर बेचने को अनुमति न दी जाए. ..(व्यवधान) हां उन्होंने तकरीबन सारा स्टॉक बेच दिया है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। सरकार पूर्णरूप से चुप है; मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने इन लोगों को इन बढ़े हुए मूल्यों के कारण इतना बड़ा लाभ अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ऐसी स्थिति है मैं यह नहीं कहता कि मूल्य वृद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। निसंदेह इसकी आवश्यकता रही होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि आपको सम्पूर्ण राष्ट्र के हित को देखना है। क्या इसे चरणों में नहीं किया जा सकता था ताकि इस वृद्धि का असर कुछ कम होता। यदि आप मूल्य 20 से 30 प्रतिशत बढ़ाते हैं सरकार की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं आया है कि निकट भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं किया जाएगा।

ऐसा कहा गया है कि ऑयल पूल एकाऊंट में 5000 करोड़ रुपये से 7000 करोड़ रुपये तक घाटा हुआ है मुझे हैरानी है कि इसका अन्दाजा कैसे लगाया गया कि 1996-97 के अन्त तक यह 11,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा और क्या इसके लिए पेट्रोलियम अत्पादों के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि आवश्यक थी? ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा निर्णय बिना कुछ सोचे-समझे किया है।

वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम-मैं उनकी योग्यता तथा उनकी वाक्पटुता के लिए उनका बहुत आदर करता हूं—ने कह घोषणा की थी कि वे सरकार के खर्च के बारे कुछ दिशानिर्देश जारी करेंगे ताकि सरकार के खर्चे में कोई व्यवस्था लाई जा सके। जैसे ही उन्होंने इन दिशानिर्देशों की घोषणा की/ करने की सोची उसी क्षण मूल्य वृद्धि के बारे में यह घोषणा कर दी गई। जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए यह घोषणा करना हास्यास्पद हो गया कि वे मंत्रालयों में सरकार के खर्चे को व्यवस्थित कर देंगे।

यह तर्क दिया गया कि यदि हम पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करते हैं तो इससे कम खपत को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कम से कम आम अपभोग की मांग में कमी आएगी। यह तर्क काफी निराशाजनक है। कारों के लिए पेट्रोल की मांग में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे देश में काफी काला धन है जिसके कारण यदि मूल्य वृद्धि भी की जाती है तो भी व्यय को कम नहीं किया जा सकेगा न ही इसमें कोई कटौती की जा सकेगी।

जैसाकि श्री जसवंत सिंह ने उल्लेख किया है—कम से कम मैं इस मुद्दे पर उनसे सहमत हूं-मंत्रालयों में कारों तथा आवागमन के अन्य साधनों के लिए पेट्रोल की खपत में बढ़ोतरी कम नहीं हुई है। इसको विनियमित नहीं किया गया है। यह देखना अभी भी शेष है कि इस क्षेत्र में मितव्ययिता कैसे लाई जाए निश्चित तौर पर यात्री गाड़ियों या यात्री बसों की मांग को कम नहीं किया जा सकता है। इस मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी की सेवा करने वाली परिवहन उद्योग की मांग को भी कम नहीं किया जा सकता है। परिणाम यह होगा कि इस मूल्य वृद्धि का असर आम आदमी पर अधिक होगा जोकि पहले की मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं। यदि यह जारी रहता है हमारे सामने ऐसी स्थिति आएगी जबकि मुद्रास्फीति दो अंको में पहुंच जाएगी। अतः सबसे अधिक प्रभाव आम आदमी पर होगा। मैं वर्तमान सरकार से अपने निर्णय में संशोधन करने और उस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि आप सत्ता में अपने बल बूते पर नहीं आए हैं। आप सत्ता में इन दलों के समर्थन से आए हैं जो उन मूलभूत मामलों पर आपके रुख में परिवर्तन का निश्चित तौर पर समर्थन नहीं करेंगे जिससे इस देश के आम आदमी पर असर पड़ता है।

श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि कि पूर्व कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है। मैं कहता हूं कि यह गंम्भीर आरोप है। भाजपा के लिए यह हमेशा साधारण बात रही है। के उन मांनदंड़ो को भूल जाते हैं जिनका उन्होंने अनधिकृत रूप से सत्ता में आने पर अनुकरण किया था... **(व्यवधान)** किस मानदण्ड का भाजपा ने अनुकरण किया था? एक परियोजना को ऐसे समय में स्वीकृति दी जबकि वे अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे। वे सत्ता में मर्यादाओं का पालन करते हुए नहीं आए। उन्होंने यह जानते हुए भी कि उन्हें कोई समर्थन नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति, से कहा कि वे सरकार बनाएगे।

अपराह्न 5.00 बजे

इस प्रकार कुछ दिन तक वे सत्ता में थे उन्होंने इसे स्वीकृति देने की कोशिश की। इसलिए यह बात श्री जसवंत सिंह और उनके राजनीतिक दल के मुंह से अच्छी नहीं लगती कि वे भ्रष्टाचार के बारे में बोलें...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री पाल आप कृपया विषय के बारे में बोलें

(व्यवधान)

डा. देवी प्रसाद पाल : भ्रष्टाचार के बारे में बोलना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है कांग्रेस सरकार ने 1991-95 के अपने शासन के दिनों में लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्य का प्रशंसनीय तरीके से पालन किया। हम जानते हैं कि कैसे नई आर्थिक नीति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न उपाय किये तथा ग्रामीण भारत के रहन-सहन के स्तर सुधार के लिए इसने कैसे उपाय किए। इसलिए कम से कम श्री जसवंत सिंह के मुंह से यह बोलना अच्छा संकेत है। वह नेता भी हैं और मैं यह जानता हूं कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैं वर्तमान सरकार को सुझाव देता हूं तथा अनुरोध करता हूं वे अपने निर्णय पर विचार करें और दोबारा सोचें तथा देखें कि क्या निर्णय को संशोधित करना संभव है। यदि पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि की आवश्यकता थी तो इसे चरणबद्ध नीति द्वारा किया जा सकता था ताकि इसके असर को इतनी गंभीरता और इतने शीघ्र महसूस न किया गया होता। अतः मैं प्रधानमंत्री जी तथा उनके साथियों से अनुरोध करूंगा कि पेट्रोलियम के प्रभारी मंत्री इस मामले पर पुनः विचार करें और कम से कम अपने समर्थकों द्वारा की गई सच्ची आलोचना को सुनें। इस देश के आम आदमी के हितों का ध्यान रखें कि कैसे मुद्रास्फीतिकारी दैत्य आम आदमी को प्रभावित करता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और कीमतों को कम से कम सामान्य स्तर तक कम करें ताकि आम आदमी इस वृद्धि से प्रभावित न हो यदि इस निर्णय को पूर्णरूपेण वापस लेना संभव न हो तो आप संसद में के विचार-विमर्श के उपरांत सभा को विश्वास में लेने के बाद, आप निर्णय ले सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधान मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री से अपील तथा अनुरोध करता हूं कि वे इस निर्णय पर पुनः विचार करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदया, हमने हमेशा ही बजट सत्र के ठीक पहले शासित मूल्यों में की जाने वाली वृद्धि का विरोध करते रहे हैं। विगत वर्षों में जब कांग्रेस (आई) सत्ता में थी तो उन्होंने भी कई बार बजट सत्र के ठीक पहले मूल्यों में वृद्धि करके इसी तरह के उपाय अपनाए थे और हमने उनका डटकर विरोध किया था। अब जब हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं और उसने भी इसी तरह के उपाए अपनाए हैं तो हमारी पार्टी इस वृद्धि का विरोध करती है। वास्तव में यह वृद्धि अभूतपूर्व है क्योंकि पहले कभी भी 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की गई। महोदया, विगत कई वर्षों में जब कांग्रेस (आई) सत्ता में रही तो उसने बजट को मात्र एक सांख्यिकीय अभ्यास सा बना दिया। ठीक बजट सत्र के पहले, वे न केवल पेट्रोलियम उत्पादों बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं के भी मूल्यों में वृद्धि कर देती थी।

वास्तव में हो सकता है कि इस वर्ष पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करके घाटा कम करना चाहते हों। क्योंकि घाटे का बोझ 8,000 करोड़ रु. तक का था। उस समय 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी इससे वह घाटा कम होकर लगभग 8000 करोड़ हो गया। वह राशि कितनी थी जिसकी वृद्धि की गई थी? स्व. श्री राजीव गांधी के शासन काल के दौरान वामपंथी तथा अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। निश्चित रूप से उस समय भाजपा की संख्या केवल 2 थी...**(व्यवधान)**। उस समय उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया था। इस मुद्दे पर हमारा स्थगन प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था।

महोदया, यह वास्तव में एक सच है कि तेल पूल में खाते में घाटा हुआ है और यह घाटा करीब 8,000 करोड़ रु तक का है। यह घाटा क्यों हुआ? इस ढाई वर्ष के दौरान उस घाटे को क्यों नहीं पाटा गया? कांग्रेस सरकार ने इन 30 महीनों के दौरान इस घाटे को क्यों इक्ट्ठा होने दिया? क्या वह किसी लोकप्रिय उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं करना चाहते थे? उसके बाद तेल पूल खाते में घाटे के अंतराल को पाटने के लिए, संयुक्त मोर्चा सरकार को भी बजट सत्र के ठीक पूर्व इस तरह के उपाय नहीं करने चाहिए थे? यदि यह सरकार थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लेती और संसद में आकर उसे बताती कि वह तेल पूल में घाटे का समाना कर रही है तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता।

महोदया, इस सदन के भीतर, कई बार हमने यह चेतावनी दी थी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योकि पहले हम अपने पूर्व वित्त मंत्री से नई आर्थिक नीति, उदारीकरण और आप्रवासी भारतीयों के लिए हमारे देश में मार्ग खोलने के बारे में बहुधा भाषण सुनते रहते थे।

महोदया, आपने देखा है कि किस तरह से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। 1985-86 में यह केवल 19 मिलियन टन था और 1994-95 में यह 48 मिलियन टन हो गया। वृद्धि की मात्रा दुगुनी से भी ज्यादा है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : कृपया खपत के आंकड़े भी दीजिए

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां, मैं उस पहलू पर भी बोलूंगा। खपत की पद्धति क्या है? खपत की पद्धति है, नेप्था-केवल 5 प्रतिशत, एल.पी.जी. केवल 5 प्रतिशत, पेट्रोल-5 प्रतिशत, मिट्टी का तेल-14 प्रतिशत, डीजल-48 प्रतिशत, अन्य ईंधन -15 प्रतिशत और अन्य-8 प्रतिशत।

खपत में वृद्धि 10 प्रतिशत प्रति वर्ष है। खपत में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? क्या यह तत्कालीन सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण नीति के कारण नहीं हो रही है? मौजूदा सरकार का भी मानना है कि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए - हो सकता है कि आयात की यह वृद्धि 12 प्रतिशत तक की जाये। पिछली सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कदम उठाए? इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गये। सरकारी कर्मचारियों पर खर्च कम करने के लिए कतिपय मितव्ययता उपाय किए गए थे। श्री बीजू पटनायक यहां हैं। एक समिति में उन्होंने मिव्ययता बरतने के लिए कतिपय उपायों की सिफारिश की थी जिनमें सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने, केन्द्र सरकार तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि न करने जैसे उपाय शामिल थे। सरकार जानती थी कि तेल पूल खाते में घाटा हुआ था। इसे हमेशा 'क्रास-सबसिडी' प्राप्त होती है इस घाटे को पाटना होगा। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या उपाय किए गए थे? इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए थे?

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : उन्होंने अन्य देशों से डालर उधार लेने की नीति अपनाई।

श्री बसुदेव आचार्य : हां, मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी पार्टी के दो और सदस्यों को बोलना है। निर्मल कान्ति चटर्जी को भी बोलना है।

पिछली सरकार के कुप्रबन्ध के कारण हम आज इस स्थिति में हैं। उन्होंने घाटे को बढ़ने दिया। हम पूर्व वित्त मंत्री के प्रवचन सुनते रहे। यह सब नई आर्थिक नीति का परिणाम है।

विगत में भी, रेल बजट पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कतिपय सुझाव दिए कि हम किस तरह से पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम कर सकते हैं। हमारा आयात 45 प्रतिशत तक है और हमारा स्वदेशी उत्पादन केवल 55 प्रतिशत है। देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हमारे पास प्राकृतिक संपदा के प्रचुर भंडार हैं। त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है लेकिन इसका दोहन नहीं किया जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगलादेश त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस भंडारों का दोहन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में गंगा की घाटी प्राकृतिक संपदा

से समृद्ध है लेकिन न तो इसका समुचित गवेषण किया जा रहा है और न ही दोहन। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

हमारे यहां अनेक तेल कंपनियां हैं। क्या उत्पादन लागत कम करने के लिए कोई संभावना है? उत्पादन लामत कम करने की संभावना है। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि एक कंपनी का अध्यक्ष, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक पांच सितारा होटल में रहता था, हालांकि उसके पास आवासीय रिहाइश थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसने उस होटल में ठहरने के लिए कितना किराया भुगतान किया? एक वर्ष के किराये का बिल ही मात्र 30 लाख रु. था।

मैं किसी तेल कम्पनी के नहीं अपितु एक सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उस कम्पनी का नाम क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं किसी कम्पनी का नाम नहीं लेना चाहता।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदया, हमें नाम जानने का हक है।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। मैंने कुछ सुझाव भी दिए थे। महोदया, पेट्रोलियम् मंत्रालय के सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के एकदम पश्चात् कहा था कि मुद्रास्फीति में प्रत्यक्ष वृद्धि 1.2% के स्तर तक होगी परन्तु उन्होंने मूल्य वृद्धि के पश्चात मुद्रा-स्फीति में अप्रत्यक्ष वृद्धि के बारे में कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया इसका गहरा प्रभाव पहले ही पड़ चुका है जब कभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है, तो इससे जीवन के सभी पक्षों-कृषि उद्योग, घरेलू स्तर और परिवहन आदि प्रभावित होते हैं।

वर्ष 1951-52 में रेलवे 70% माल और यात्री यातायात का निर्वहन करता था। अब स्थिति एकदम विपरीत है अब कुल यातायात का 70% निर्वहन सड़कें और 30% निर्वहन रेल विभाग करता है जबकि रेल परिवहन सड़क परिवहन के मुकाबले में कहीं स्ता है तथापि 70% यातायात का निर्वहन सड़क द्वारा होता है। यदि रेल विभाग अधिकतर यातायात का निर्वहन कर सकता तो पेट्रोलियम उत्पादों की प्रयोग काफी सीमा तक कम किया जा सकता, क्योंकि रेल परिवहन सड़क परिवहन के मुकाबले में कहीं सस्ता है। हमें इन प्रश्नों पर विचार करना है। खपत को कैसे कम किया जाए? देश को आत्म-निर्भर कैसे बनाया जाए? घरेलू उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए? हमारी तेल कम्पनियों को और अधिक सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है और उनकी उत्पादन लागत को कैसे कम किया जा सकता है। यही हमारा ध्येय विषय है...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई-उत्तर पश्चिम) : इसका हल क्या है? मूल्यों को कम कैसे किया जा सकता है?

श्री बसुदेव आचार्य : इसका उपाय यही है कि इसे कुशलतापूर्वक चलाया जाए। अर्थ-तंत्र को भली-भांति चलाना ही एकमात्र उपाय है। हमारे देश में 28 निगमित संस्थान ऐसे हैं जो कोई कर अदा नहीं कर रहे हैं। कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाकर बहुत से निगमित संस्थान हजारों करोड़ों रुपए बचा रहे हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : किसका आशीर्वाद है?

श्री बसुदेव आचार्य : आपका आशीर्वाद है।

[अनुवाद]

इसके वैकल्पिक साधन हैं। हमने सुझाव दिया था कि साधारण आदमी पर इसका बोझ डाले बिना वैकल्पिक तरीके निकाले जाने चाहिए। यह किसके भले के लिए है? कुल जनसंख्या के 15 या 18% के लाभ के लिए आज इस मूल्य-वृद्धि का बोझ आम आदमी को ढोना पड़ रहा है। मात्र 15 से 18% भाग के लिए एक साधारण आदमी, एक गरीब आदमी, एक कर्मचारी, एक मध्य वर्गीय आदमी इसका बोझ क्यों सहे?

हमें इस बात को समझना चाहिए...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

हम किसको सपोर्ट करेंगे, क्या आपको सपोर्ट करेंगे। हम तो सपोर्ट करेंगे।

[अनुवाद]

हमारे मुख्यमंत्री ने जब यह मुद्दा दृढ़तापूर्वक संचालक समिति में उठाया तो उन्होंने डीजल के मूल्यों में 15% कटौती कर दी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि रसोई गैस आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है परन्तु यह सच नहीं है। निम्न मध्य वर्गीय लोग भी रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोयले के मूल्य कांग्रेस सरकार ने अनियंत्रित कर दिए हैं। सभापति महोदया, आप तो स्वयं यह जानती होंगी कि आपके क्षेत्र में, आपके चुनाव क्षेत्र में पिछले वर्ष कोयले की कीमतों में किस प्रकार वृद्धि की गई।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : आपके चुनाव क्षेत्र में भी...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे चुनाव क्षेत्र में केवल चार-पांच कोयला खानें हैं।

निम्न मध्य-वर्गीय लोग भी रसोई गैस का प्रयोग कर रहे हैं। इस 30 प्रतिशत वृद्धि से आम आदमी प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय

प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करें और गैस, पैट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने हेतु कदम उठाएं। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे वैकल्पिक साधनों और तरीकों की तलाश करें और उन सिद्धान्तों और रास्तों का अनुभव न करें जिस पर पिछली सरकार चलती थी क्योंकि यह संयुक्त मोर्चा सरकार ही वैकल्पिक प्रशासन, पारदर्शिता, तथा लोगों और संसद के प्रति जवाबदेही की प्रतीक है। अतः मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर अवश्य विचार करें। संयुक्त मोर्चा सरकार आम आदमी मध्य-वर्ग, किसानों और औद्योगिक श्रमिकों की परेशानी को अवश्य समझेगी। यह पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को कम करने का प्रयास करेगी घाटे को पूरा करने हेतु वैकल्पिक साधनों और उपाय खोज निकालने का प्रयास करेगी। यह तेल के कंपनियों को और अधिक कार्यकुशल बनाने और साथ ही मितव्ययता साधनों को अपनाकर पेट्रोल उत्पादों की खपत को कम करने का प्रयास करेगी और इस प्रकार देश को पेट्रोल उत्पादों में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ाएगी।

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलौर उत्तर) : सभापति महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान मूल्यों में वृद्धि संसद और इससे बाहर पर्याप्त चर्चा का विषय बन गई है। लोग इस बात से परेशान हैं कि ऐसी वस्तुएं जो पहले सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध थी अब उसकी निर्धारित मूल्यों पर वृद्धि कर दी गई है। वस्तुतः यह प्रश्न सभा में पिछले दो दिन से उठाया जा रहा है परन्तु पेट्रोल पदार्थों विशेषकर रसोई-गैस, डीजल और पेट्रोल के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि विशेषकर चर्चा का विषय रही है।

संयुक्त मोर्चा सरकार जो कि सहयोगी दलों के बाह्य और आन्तरिक समर्थन से सत्ता में आई तब उसे तेल पूल अकाऊंट में घाटे और दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा तेल पूल अकाऊंट में यह घाटा विगत चार वर्षों से कई कारणों से बढ़ता चला आ रहा था। इसके मुख्य कारण जैसे कि सभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, वह है रुपए का अवमूल्यन, डालर के बाजार भाव में रुपए की तुलना में वृद्धि और इसका सबसे बड़ा कारण है देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत में वृद्धि यह देश के लिए चिन्ता का विषय है कि देश को निर्यात से होने वाली आय का 20% भाग देश में आयातित कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों पर खर्च करनी पड़ती है।

वस्तुतः मैं संयुक्त मोर्चा सरकार को उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ाकर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बधाई देता हूं। किसानों को उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था और पहले भी कीमतों में वृद्धि के कारण कृषि में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों की मात्रा घटती जा रही थी और फलस्वरूप कृषि-उत्पादन प्रभावित हो रहा था। चूंकि मैं स्वयं एक किसान हूं अतः मैं जानता हूं कि देश में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि से उर्वरकों का प्रयोग कम हो जाता है। इससे भी अधिक एन.पी.के. जैसे उर्वरकों के इस्तेमाल में असंतुलन था और अब सरकार के प्रयासों से राजसहायता में वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों के मूल्यों में गिरावट आई है। उर्वरकों के 50 किलो ग्राम के बैग के मूल्यों में चार से एक सौ प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

यहां मैं इस बात का उल्लेख इस कारण से कर रहा हूं कि जो कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ हम इस देश में इस्तेमाल करते हैं उसमें नापथा भी शामिल होता है जो कि उर्वरकों के उत्पादन में भी शामिल किया जाता है। अब नापथा के लिए भी राजसहायता प्रदान की जा रही है।

अब, शासित मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप राजसहायता के बारे में जो हम कह रहे हैं वह यह है कि नापथा के लिए राजसहायता, जो कि उर्वरक उत्पादन के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, पर भी विचार किया जा सकता है। मैं इस बात से खुश हूं कि प्रतिकूल तेल भंडार संतुलन और घाटा बढ़ने के बावजूद संयुक्त मोर्चा सरकार ने घरेलू इस्तेमाल में आनेवाले मिट्टी के तेल की कीमतों में परिवर्तन नहीं किया है, देश भर में काफी लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है और मेरे विचार में जिसके वितरण को और कारगर बनाने की आवश्यकता है। यह एक अलग प्रश्न है। हमें सरकार के रिकार्ड से पता चलता है कि पूर्व वृद्धि के हिसाब से सरकार एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को 69 रु. से 70 रु. प्रति सिलिंडर तक की राजसहायता प्रदान कर रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार को घरेलू गैस का मूल्य बढ़ाना चाहिए था। जैसा कि हमारे मित्र ने भी उल्लेख किया है कि अब एल.पी.जी. न केवल उच्च वर्ग के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। हम यह भी जानते हैं कि एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करने में चार से पांच वर्ष और यहां तक कि छः वर्ष तक भी लम्बित हैं और देश भर में एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए किसी तरह के एक समान प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

अब, पैट्रोलियम उत्पादों विशेषकर कि डीजल की कीमतों में वृद्धि के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 जुलाई की रात को जब घोषणा की गई थी तो मूलतः 30 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई थी। इससे विभिन्न वर्गों के लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। इससे यातायात की लागत पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा होगा चाहे वह भूतल परिवहन हो अथवा अन्य कोई यहां तक कि कृषक जो कि विभिन्न कार्यों के लिए डीजल का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ट्रैक्टर अथवा जेनरेटर सैट इत्यादि के लिए जिनका कि प्रयोग देश में विद्युत की कमी के कारण इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन, अब सरकार समर्थक दलों के कहने पर इस बारे में पुनः विचार कर रही है और मूल्य वृद्धि को 50 प्रतिशत कम कर दिया है और 30 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को कम करके 15 प्रतिशत कर दिया गया है। डीजल पर मूल्य वृद्धि को लगभग एक रुपया प्रति लीटर तक बढ़ा दिया गया है।

जो माननीय सदस्य प्रशासन तथा संसदीय प्रक्रिया में अधिक अनुभवी हैं उन्होंने मितव्ययिता के उपायों को क्रियाशील बनाने के

लिए और घाटे को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया है। तेल पूल खाते में संतुलन लाने के लिए मूल्यों में संशोधन करने के बाद भी सरकार कुछ वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए जो राजसहायता दे रही है वह भी अब बजट आबंटन द्वारा न देकर तेल पूल खाते में समायोजन करके दी जा रही है। अतः उस संदर्भ में, भी मैं कहना चाहता हूं कि इन वस्तुओं के आंकलित मूल्यों में संशोधन अथवा वृद्धि के बाद भी तेल पूल खाते में घाटा है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह यह देखने के लिए प्रशासनिक तथा वित्तीय मानदंडों द्वारा ऐसे विभिन्न तरीके निकाले जिससे कि आगे कोई घाटा अथवा असंतुलन न रहे।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारा यह अनुभव रहा है कि देश में मुद्रास्फीति की दर अधिक रही है। हो सकता है, देश भर में मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारणों के बारे में मैंने विचार न किया हो। हो सकता है, यह आर्थिक उदारीकरण का परिणाम हो। मैं उसका कारण बताने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू उत्पादों की कीमतें पिछले कई वर्षों से बढ़ रही हैं। अब मुद्रास्फीति की दर का प्रतिशत स्थिर हो गया है लेकिन सरकार की योजना यह है कि तेल पूल खाते में राजसहायता को पुनः समायोजित किया जाए और पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन वृद्धि कितनी होनी चाहिए इस बारे में विवाद है। यह भी एक तथ्य है कि जब भी वस्तुओं अथवा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। दुर्भाग्यवश, इस देश में, कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। यह कृषि में निवेश पर आधारित नहीं है। एक उद्योगपति निवेश अथवा उत्पादन लागत तथा अपने लाभ का हिस्सा रखकर अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित करता है लेकिन एक कृषि उत्पादक ऐसा नहीं कर सकता है जिसे अपने निवेश तथा कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत के बावजूद बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के घटकों तथा बाहर के समर्थक दलों ने सरकार के इस निर्णय के प्रति चिन्ता व्यक्त की है और यह सरकार समर्थक दलों, तथा बाहर से समर्थन देने वाले दलों पर निर्भर करता है कि वो उसे सुलझायें और इस कठिन परिस्थिति में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया है और डीजल की कीमतों में वृद्धि की दर को भी कम कर दिया है और हाल ही में उर्वरक पर राजसहायता को भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसान कम मूल्यों पर उर्वरक खरीद सके।

महोदया, इस प्रयास के लिए सरकार को बधाई देते हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, ये जो दाम बढ़ा दिए गये, यह अनपेक्षित नहीं था। कितनी रकम बढ़नी चाहिए, इसके बारे में शायद विवाद इन लोगों के मन में रहा हो लेकिन इस दाम को बढ़ाने की चर्चा जून 1994 में हमने पहली बार सुनी थी। जून 1994 में पेट्रोलियम विभाग की जो स्टेडिंग कमेटी है, उसके सामने पैट्रोलियम सैक्रेटरी ने एक बयान दिया था। उन्होंने जो गवाही दी थी, उस सरकारी दस्तावेज से मैं यहां पढ़ रहा हूं:

[अनुवाद]

> "तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और 20 प्रतिशत प्रति बैरल तक बढ़ने की उम्मीद है। यदि दिसम्बर तक ऐसा ही चलता रहा तो हमें कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा,। इस बारे में कोई शंका नहीं है। यह कोई गुप्त बात नहीं है।"

[हिन्दी]

मैं इसलिए सबसे पहले इस मुद्दे को रख रहा हूं क्योंकि डा. पाल ने अभी यहां पर एक लम्बा भाषण दिया और कहा कि यह एकाएक कैसी बात हो गई, समझ में नहीं आ रहा। एकाएक कैसे इतने दाम बढ़ गए, समझ में नहीं आ रहा। यह बड़ा गलत हुआ है। 1994 के जून में आपके मंत्रिमंडल के नेता श्री नरसिंह राव थे, उन्हें मालूम था कि अभी हमको दाम बढ़ाने हैं, किसी भी हालत में दिसम्बर तक बढ़ाने हैं। क्यों नहीं बढ़ाए गए? इसलिए नहीं बढ़ाए कि चुनाव होने थे, कुछ ही समय बाकी था। सोचा कि यदि अभी दाम बढ़ा दिए तो सदन के भीतर और बाहर हंगामा हो जाएगा और वोट में कुछ और कमी हो जाएगी। यही कारण है कि आज यह 30 प्रतिशत वाला बोझ इस देश के लोगों के सामने लादने की बात इन लोगों ने की है। मैं उस सारी चर्चा में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुद्दे कल भी यहां पर आए थे कि कैसे करना चाहिए था, कब करना चाहिए था। उन चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इस बात को छोड़ना चाहते हैं कि इस पर हम सरकार की और सरकार के समर्थन में जितने दल हैं, उन लोगों की भी राय जरूर जानना चाहते हैं कि पैट्रोल, डीजल और उसके साथ जुड़े हुए सारे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस्तेमाली प्रतिवर्ष इस देश में जितनी बढ़ती रही, वह 1991-92 में 3.5 प्रतिशत थी, 1992-93 में 3.4 प्रतिशत भी, 1993-94 में 3.2 प्रतिशत, 1994-95 में 7.7 प्रतिशत पर आए, 1995-96 में पूरे साल का हिसाब नहीं है लेकिन जो भी है वह 9.5 प्रतिशत हो गया और अब आप लोगों का ऐलान है, देश के सारे अखबारों में पता नहीं इसके लिए सरकारी खजाने से कितने करोड़ रुपये आप लोगों के टैक्स से खर्च कर रहे हैं। अभी आपका यह कहना है—

[अनुवाद]

> "वर्ष 1995-96 में मांग में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई और केवल डीजल की मांग में ही 15 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।"

[हिन्दी]

क्यों बढ़ाए गए? इसका जवाब आना चाहिए क्योंकि इसके साथ बहुत चीजें जुड़ी हैं। मैंने यहां अनपेक्षित नहीं कहकर जब कहा, जो आपकी आर्थिक नीति है, जिस नीति की यहां पर भूतपूर्व सरकारी पक्ष के और आज सरकार के समर्थन के पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि हम लोगों की जो नई आर्थिक नीति रही, वह देश में बहुत ही तस्करी करने वाली, विकास करने वाली आदि-आदि नीति रही। इसकी आपने चर्चा की। यहां पर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और आज समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता से यह वादा किया कि आपकी जो नीतियां रही हैं, उन नीतियों को हम चलाते रहेंगे और दोनों ने इन बातों को लगभग इन्हीं शब्दों में जनता के सामने, देश के सामने रखा कि वही नीतियां चलेंगी। जब वे नीतियां चलनी थीं, नई आर्थिक नीतियां चलनी थीं तो फिर इसके साथ जिसको लोपसाइडेड डैवलपमैंट कहते हैं, वह इस देश में होना ही था।

डा. पाल अभी यहां नहीं हैं इसलिए बड़ा अफसोस है क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और आर्थिक मामलों में विशेष ध्यान और सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि वे इतना बदलाव लाए हैं कि गरीबों को अब इस देश में काफी आराम है। यह बात अभी मैंने उनके मुंह से सुनी।

मेरे पास यहां नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकोनौमिक रिसर्च की रिपोर्ट के कुछ उदाहरण हैं। नेशनल काउंसिल फार ऐप्लाइड इकोनौमिक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट की कुछ जानकारी है।

इस रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में आज आपका सारा जो विकास का ढांचा है, वह देश के छह लाख परिवारों तक सीमित है, इस माने में उन तक सीमित है कि उनको आज आप विश्व के अमीर लोगों की बराबरी में बैठाने का इन्तजाम कर चुके हैं।

जहां आज 25 लाख और 50 लाख रुपये वाली गाड़ियां हिन्दुस्तान में बनने लगी हैं, जो खूब डीजल पीती हैं, जो खूब पैट्रोल पीती हैं और जो उसके साथ और जोड़ना होता है, वह सारी चीजें लेती हैं। आज टेल्को में मर्सिडीज बैंज यहां बनने लगी, जो 25 लाख में बिक रही है और जिनको कस्टम मेड चाहिए, वह अगर नहीं बिक रही तो 50 लाख रुपये में बिकेगी। विदेशों से आप गाड़ियों का आयात कर रहे हो। सारी पाबन्दी आपने हटा ली और छह किलोमीटर पर लीटर जाने वाली गाड़ियां आप यहां लाये। आप यहां पर भाषण दे रहे हैं। आप यहां बैठकर बड़े विनम्र किसान के तौर पर अपना भाषण देते हैं, मगर वही नीतियां आप चला रहे हैं, जो नीतियां पांच साल के पहले शुरू हुई और आज वही 3.2 से लेकर 11 प्रतिशत इस साल पैट्रोल, डीजल और अन्य पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में वृद्धि में लाकर आपने पहुंचा दिया। किस गरीब का इस बात में भला करना था? किस गरीब का इसमें भला हो गया? अगर गरीब का भला हुआ, ऐसा आपको कहना है तो फिर मैं उसी नेशनल कांउसिंल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च की रिपोर्ट का एक आंकड़ा सुनाता हूं। हिन्दुस्तान में कंज्यूमर्स का जो पूरा सर्वे किया है।

[अनुवाद]

"157 मिलियन 320 हजार परिवारों की कुल संख्या में से जिन परिवारों की वार्षिक आय 20,000 रुपए हैं उनकी संख्या 90 मिलियन 540 हजार है। जो कि 56 प्रतिशत है।"

[हिन्दी]

उसमें है, 5,000 रुपये वाला भी है, 1,000 रुपये वाला भी है। मगर 20,000 रुपये का अर्थ, अध्यक्ष जी, मैं बता दूं, फी आदमी प्रतिदिन इस्तेमाल के लिए दस रुपया...**(व्यवधान)** एम.पी. की आप 1500 रुपये की बात मत बोलिए। एम.पी. लोगों की बात इसमें मत लाइए, हम सब लोग जानते हैं कि एम.पी. की क्या हालत है ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : बताइए, क्या हालत है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एम.पी. की वह समस्या नहीं है। हम लोग देश के गरीबों के साथ यह मजाक न करें कि एम.पी. उनकी पंक्ति में हैं। हम लोग यह मजाक न करें।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : मजाक तो आप भी कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। यही समस्या है कि हम लोगों के लिए कुछ चीजों का हमेशा के लिए मजाक बना रहेगा। जिसमें हिन्दुस्तान का गरीब, उसकी समस्याएं, उसकी लाचारी, उसकी उपेक्षा भाषणों में चलती रहेगी, विनम्र किसान खूब भावण देंगे कि हम गरीबों के लिए हैं, मगर काम अमीरों के लिए होगा। यह जो आप आज कर रहे हैं, यह देश के अमीरों के लिए कर रहे हैं, चूंकि 10 रुपये प्रतिदिन पाने वाले लोगों की आबादी हिन्दुस्तान में प्रतिदिन इस्तेमाल में लेने वाले...**(व्यवधान)**

डा. असीम बाला : कितने गरीब गाड़ी में चलते हैं,

[अनुवाद]

क्या वे पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं।

[हिन्दी]

शायद इन्कम का आपको पता नहीं है, आपको हिसाब नहीं आता है।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हम तो परेशानी में खड़े हैं। इन लोगों ने जो बढ़ोतरी की है, इसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। चूंकि आज का आपका यह जो सारा ढांचा है, वह अमीरों की अय्याशी, अमीर लोगों की हर चीज का इन्तजाम करने के लिए गरीब को लूटने का सिलसिला है।

इसमें गरीब मारा जा रहा है, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी में तेल ज्यादा चाहिए। पहले जहां पर एक लीटर में 14 किलोमीटर चलती थी, अब चार किलोमीटर चलने वाली है, क्योंकि बड़े लोगों के इंतजाम के लिए आपने विदेशी कम्पनीज से मिलकर यहां नई गाड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं। उसके लिए आप गरीब को मार रहे हैं।

कई सरकारों के आंकड़े पिछले कई सालों से आते रहे कि हमने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे कई लोगों को ऊपर उठाया है, अब सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। एन.सी.ए.आर. की रिपोर्ट कहती है कि देश में 56 प्रतिशत लोग जोकि 10 रुपये प्रति दिन या उससे भी कम पर जीवीकोपार्जन करते हैं, 10 रुपये का मतलब रेलवे की चार कप चाय, यानि इतने रुपये में 56 प्रतिशत लोग जी रहे हैं। इसका मतलब यह है कि करीब 28 प्रतिशत आबादी आज देश में पांच रुपये प्रति दिन या उससे कम पर जी रही है।

एक माननीय सदस्य : आप किसकी वकालत कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम उनकी वकालत कर रहे हैं, जिनकी आप नहीं कर सकते हैं और न कभी करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि तेल का दाम बढ़ाकर देश को नई अर्थव्यवस्था देने की जो आप बात कर रहे हैं, इस कदम को आप पीछे हटाने के लिए तैयार हो जाएं। पूल में कितना पैसा है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप पूल बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। पूल में सेल्फ बैलेसिंग हो गया, सरकार चला रही है, किस पूल या तिजौरी में कितना पैसा रखा जाए, इससे क्या मतलब है। देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा देते हुए क्या पूल ही सारे देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य निर्धारित करेगा। इसलिए जो आपने पूल बनाया है, उसकी बात न करें। पहली बात तो यह है कि इसको वापस लें। वापस लेकर आपको पूंजी की कमी लगती है, देश में विकास के काम के लिए पूंजी चाहिए, वह नहीं मिल रही है, आपको पूल बैलेंस चाहिए, वह मैं बताना चाहता हूं, विशेषरूप से मैं प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अपराह्न 5.54 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नवम्बर 1994 में आपकी स्टैंडिंग कमेटी में, जोकि पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित है, उसके सामने देश के पेट्रोल पम्प्स चलाने वालों ने गवाही दी थी। उसमें यह सबूत पेश किया गया कि हिन्दुस्तान में प्रति वर्ष जो पेट्रोलियम डम्प्स हैं, डिपो हैं, कितना तेल, कितना डीजल, कितना केरोसिन कहां-कहां से चोरी करके ऊपर से नीचे तक के लोगों द्वारा लूटने का काम हो रहा है। इससे जो हमने अंदाजा लगाया वह लगभग 10 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष बैठा।

अभी पिछले पांच-छः महीने से महाराष्ट्र सरकार इस खोज में लगी है कि वहां पर जो मच्छीमार सोसाइटीज बना दी गई हैं, क्योंकि उनको डीजल के ऊपर एक्साइज माफ है, उसके नाम पर प्रति दिन करोड़ों रुपये का डीजल ट्रक्स में निकल जाता है, वह कहां जाता है। वह रत्नगिरी तक पहुंचाने के लिए, गोवा की सीमा तक पहुंचाने के लिए ट्रक वाले भी पैसा लेते हैं, वह डीजल फिर मुम्बई के पेट्रोल पम्प्स पर पहुंचता है। क्या आपको मालूम नहीं है, कहां हैं आपके भूतपूर्व मंत्री? यह आपकी ही कमेटी के सामने की गवाही है। मेरा प्रधान मंत्री से भी आग्रह है कि आप नवम्बर 1994 की पेट्रोलियम विभाग की स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्स को मंगायें और उस समिति में जो गवाहियां हुई हैं उनको देखें।

वहां जो गवाही दी गई है, वह गवाही बुलाइये और आपको कुछ करना है तो मुम्बई से लेकर गुजरात तक जाइये। गुजरात में एक मंत्री को लुटेरों ने जान से मारने की धमकी दी है और दिल्ली में बैठे हुए भूतपूर्व सरकार के मंत्री वहां जो पकड़े जाते थे, उनको छोड़ने का आदेश टेलीफोन पर दे रहे थे। हमने सदन में पिछली बार यह बात छेड़ी थी और पहली बार नहीं छेड़ रहे हैं लेकिन एक मंत्री के ऊपर ठेका लेकर मारने वाले जो लोग हैं, दो करोड़ रुपए का ठेका उनको मारने के लिए लिया है। इसलिए कि गुजरात में पाइपलाइन्स से जो क्रूड ऑयल निकलता है, उसको रिफायनरी तक ले जाने वाली जो पाइपलाइन्स हैं, उनको तोड़कर लीक करने का इन्तजाम हुआ है। गुजरात में ऐसी छोटी-छोटी क्लेन्डेस्टाइन रिफायनरीज बनी थी जहां उनको रिफाइन करने का इन्तजाम है। मैं अन्दाज से कह रहा हूं कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया केवल गुजरात में इस तरह से लूटा जा रहा है और इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। आज जो देवी प्रसाद पाल यहां पर लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं और आपको चूंकि उनकी नीतियों को चलाना है, वह तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों की चोरी छुपा लो और हमारी चोरी छुपाने में भी मदद करो। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी बोलते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं और देते रहेंगे लेकिन यह भी कहते हैं कि हम तब तक तुम्हें समर्थन देंगे जब तक चुनाव लड़ने के लिए हमारी तैयारी नहीं हो जायेगी। जिस दिन तैयारी हो जायेगी, उस दिन हम तुमको नीचे गिरा देंगे। लेकिन वह आप लोग जानें, वे जानें लेकिन उनके जो तौर-तरीके थे, जिन तौर-तरीकों के चलते आज आपको ये सारे तरीके अपनाने पड़ रहे हैं और इनको अगर माफ करने की हिम्मत आपमें हैं तो फिर गुजरात में, महाराष्ट्र में और देश के अन्य तमाम प्रदेशों में जहां पर रिफायनरीज थी, जहां पर पेट्रोल के पाइप हैं, जहां पर पेट्रोल के स्टोरेज का इन्तजाम है और जहां से पेट्रोल की चोरी होती है, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी शामिल हैं। हम जानते हैं और मैं यह भी आपसे कहता हूं कि जो लोग गवाही देने के लिए यहां पर आये थे, उन लोगों को छः महीने के लिए अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। रिपोर्ट में एक शब्द भी नहीं लिखा गया लेकिन गवाही दिये गये लोगों के बारे में ये सारे जो लुटेरे हैं और बन्दूक चलाने के लिए जो लोग हैं, उनको खबरें दी गई कि अमुक-अमुक लोगों ने यहां पर गवाही दी है। इसलिए अभी तो टेलीफोन का बंदोबस्त करने की तैयारी हो गई और लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। मैं अनुभव से कह रहा हूं। इसलिए सरकार से कह रहा हूं इस मूल्यवृद्धि को वापस

लीजिये। यह जो लूट हो रही है, उस लूट को पकड़ने का इन्तजाम करिये और फिर तेल का जो सारा मामला है, जिसमें हमारे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने कुछ उल्लेख किया लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन मैं पन्ना मुक्ता का नाम लेकर कहता हूं और पन्ना मुक्ता से जुड़े हुए लोगों का नाम भी लेता हूं। आपका जो मंत्रालय है, मुझे नहीं मालूम है कि आजकल पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन हैं, शायद प्रधान मंत्री जी खुद ही होंगे। अगर बालू जी मिनिस्टर हैं तो उनसे मेरा कहना है कि मुक्ता पन्ना का जो मामला है, मुक्ता पन्ना के मामले के बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है, अफसरों का कहना है। आपने तो खैर अभी-अभी जिम्मेदारी संभाली है, यह बात पुरानी नहीं है। बात तो कल की है, परसों की है, आपके अधिकारियों की हो सकती है। हो सकता है सरकार जिस प्रकार की है, इन लोगों को जो समर्थन है, आशीर्वाद है, इसलिए अधिकारियों को जरा मस्ती चढ़ी हुई है। वे बोलते हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। जबकि खूब पूंजी लगाकर खोज का सारा काम हो चुका है, अभी केवल तेल बाहर लाना है, तब वहां पर यह काम मुक्ता को दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है। इसलिए एक विदेशी कम्पनी वीडियोकॉन जो है, देशी हो सकती है, विदेशी हो सकती है।

अपराह्न 6.00 बजे

[हिन्दी]

दूसरी रिलायंस है। अध्यक्ष जी, यह बहुत मशहूर कम्पनी है, शायद आपको मालूम न हो। महोदय, एक हजार अट्ठाइस करोड़ रुपया मुक्ता-पन्ना पर खर्च हो चुका है और एक हजार अट्ठाइस करोड़ रुपया माफ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सेंकड का समय लूंगा। अब छः बजे हैं। क्या हम समय बढ़ा सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : हम इसे कल जारी रख सकते हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मैं सभा के निर्णय के अनुसार कार्य करूंगा। कल गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में संकल्प को कल पारित किया जाना है क्योंकि उसे सोमवार को राज्य सभा भेजा जाना है। इसलिए, कल हमारे पास इसके लिए समय नहीं होगा। सोमवार को प्रधान मंत्रीजी को राज्य सभा में और यहां पर हुई चर्चा का उत्तर भी देना होगा। इसके अतिरिक्त अनेक सदस्यों ने बोलना भी है। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। यदि सभा सहमत है तो हम आज सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं और फिर सोमवार को सरकार जवाब दे सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा आज सात बजे तक बैठेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत कीमती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं यह बता रहा था कि कैसे यह मुक्ता-पन्ना की जो योजना है इस योजना पर अभी तक जो सरकारी खर्च हुआ है वह एक हजार अट्ठाइस करोड़ रुपए है। सरकार की भूमिका है, आपके मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका बनी है कि उस पैसे को भी हम उनके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, उन्होंने जो खर्च किया। अब जो मुनाफा बनाना है, जो तेल निकालना है वह कैसे बनाना है तो इन दो कम्पनियों को कह दिया कि अगर हम ये सारा पैसा आपके खाते में जोड़ें तो फिर यह करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी आपका मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए यह पैसा हम सरकारी खाते में रख देंगे अब यह कौन सा सरकारी खाता है? वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का खाता है। सरकारी खाते का मतलब अंततोगत्वा लोगों का टैक्स का पैसा हैं। फिर यही बात है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जो पूंजीपति कम्पनियां हैं उन सब बड़ी पूंजीपति कम्पनियों का मुनाफा बढ़ाने के लिए सबसे गरीब आदमी द्वारा दिया हुआ जो टैक्स है उससे पूरा खेत लगाकर, बीज बो कर, उसमें सारा खाद लगा कर तैयार करके उसको दे रहे हो और कह रहे हो कि अब तुम फसल निकालो। तुम अब अमीर हो जाओ और पैसा बनाओ। यह इन लोगों का तौर-तरीका है और फिर ऑयल पूल, यानी इसी काम के लिए ऑयल पूल है? आमदनी को बढ़ाने के लिए, वीडियोकोन को बढ़ाने के लिए आयल पूल चाहिए।

अध्यक्ष जी, इसलिए हम फिर प्रधान मंत्री जी से कहना चाहते हैं। हमें खुशी है कि आपने भूमिका को बदल दिया। आप 3 जुलाई को लखनऊ गए थे और वहां पत्रकारों तथा अन्य लोगों ने तंग किया होगा तो फिर आपने वहां पर कहा और बड़ी मजबूती से कहा, जैसा कि आप हमेशा बड़ी मजबूती से बोलते हैं। "मूल्य वृद्धि को संशोधन किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।" आप लखनऊ में बोल कर आए और फिर पार्टी के भीतर ही लोगों ने, युनाइटेड फ्रंट के भीतर ही लोगों ने थोड़ा हंगामा किया तो आपने 15 प्रतिशत डीजल के ऊपर कम कर दिया, लेकिन उससे बात नहीं बननी है। डीजल पर 15 प्रतिशत और पेट्रोल पर 30 प्रतिशत, एलपीजी पर 30 प्रतिशत, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप ही के लोग आज देश में इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 15 तारीख को कर्नाटक बंद हो रहा है। यह कौन कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई अह्वान किया हो।

15 तारीख का आह्वान किसका है? सी.पी.आई. का है, सी.पी. आई. (एम) का है, सी.आई.टी.यू. का है,...**(व्यवधान)** ए.आई.टी.

यू.सी. का है। कर्नाटक की बात कर करे हैं, यदि मेरी यादाश्त ठीक है तो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस का भी है जो सरकार की समर्थक है। सरकार समर्थक स्वयं आज देश में इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हड़तालें चला रहे हैं। उससे जो नुकसान हो रहा उसके बारे में भी जरा सोच लीजिए। बंगाल में भारी आंदोलन छेड़ने की बात तो हुई थी मुझे नहीं मालूम कहां तक पहुंची? शायद मार्क्सवादी पार्टी को ममता बनर्जी का डर लगा कि अगर ममता बनर्जी शामिल हो जाएगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी।...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : हमारा एक नौजवान इसमें अरैस्ट हुआ है।...**(व्यवधान)** हमको बोलने का मौका दीजिए आप क्यों बोल रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं और आप सरकार को यहां बैठकर समर्थन दे रही हैं। यह सारी जो लड़ाई कल से आज तक इनकी और सरकार की हुई वह मैं आपको बता दूं। लड़ाई इसलिए रही कि इन्हें एडजोर्नमेंट मोशन मंजूर नहीं था, 184 का प्रस्ताव मंजूर नहीं था। उनकी परेशानी यह थी कि मार्क्सवादी और कांग्रेसी अगर यहां एक होकर सरकार के पक्ष में वोट देते हैं तो फिर बंगाल में दोनों की मिली-जुली सरकार बने बगैर रह नहीं सकती। यह इन लोगों के मन में उस समय परेशानी थी।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री जार्ज फर्नान्डीज को यह जानना चाहिए कि मैंने व्यक्तिगत रूप से नियम 184 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं आपकी स्थिति का समर्थन कर रहा हूं। मैं आपकी स्थिति का बचाव कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि वास्तविक समस्या कांग्रेस दल तथा मार्क्सवादी दलों द्वारा खड़ी की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने एकमात्र समस्या यह महसूस की कि इसे ज्योति बसु सरकार के साथ मिली जुली सरकार बनाने के लिए बाध्य किया जा सकता था क्योंकि आप दोनों उसी स्थिति की बात करते हैं और यहां वे मूल्य वृद्धि के मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि इसे तत्काल वापस लें। भ्रष्टाचार और घूसखोरी के और लूट के मामलों की अभी से जांच करना शुरू करें। जो-जो इनके तगड़े लोग हैं उनको हर जगह पर भेजकर तैयारी कर लें। जो लोग जानकारी दे रहे हैं उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी ये लें और उसके साथ यह जो बड़े लोगों को सस्ते में या मुफ्त में और देशी या विदेशी पूंजीशाही को ठेके देने का इनका जो काम चला है इस पर रोक लगाएं। एक विशेष मांग मैं करूंगा कि बंगाल में, पूर्वांचल में और बंगाल की खाड़ी में जितने तेल की खोज होनी चाहिए, वह हो। मैं नहीं जानता हूं कि किस कारण से यह नहीं हो रही है वरना आज से 15-20 साल बाद आज के रिजर्व नहीं होंगे। सरकार को जब यह मौका मिला है तो इन तमाम चीजों को अपने हाथ में ले।

अध्यक्ष जी, मैं मूल्य-वृद्धि की न केवल भर्त्सना करता हूं, विरोध करता हूं, साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि अगर यह मूल्य-वृद्धि वापस नहीं ली गयी तो यह लड़ाई केवल इस सदन में ही नहीं होगी, सदन के बाहर भी होगी, देश भर में होगी। यह चेतावनी देकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : हमारे देश को राजनैतिक स्वतन्त्रता मध्यरात्रि को मिली थी। हम बहुत प्रसन्न थे। हमने सोचा था कि अब हमारी अपनी सरकार होगी जो हमारे अपने हितों को देखेगी लेकिन हमने उस रात को अपनी आर्थिक स्वतंन्त्रता खो दी जब तेल मूल्यों में 30 प्रतिशत वृद्धि ने हमारे लोगों की आर्थिक स्वतंन्त्रता छी ली। इतने अधिक लोगों के परिवार के बजट में भारी कटौती की गई है। दुर्भाग्य से, कुछ माननीय सदस्य इन वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। और इसीलिए वो यह कह रहे हैं, कि मिट्टी तेल के मूल्य में वृद्धि से, पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब, केवल सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में बताया गया है, इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति इसके लिए वास्तव में भुगतान कर रहे हैं, वे आम व्यक्ति ही है।

इस वृद्धि के अधिक दुखद होने का कारण यह है कि किसान, श्रमिक और मेहनत करने वाली जनता यह महसूस कर रही थी कि ऐसी कोई वृद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि उनके हितों की रक्षा करने वाले अब सत्ता में हैं। वे सदैव यह सोचते थे कि जो अब तक उनके अधिकारों को छीन रहे थे वे अब सत्ता से बाहर हैं और अब आम आदमी की रक्षा करने वाले देश का शासन कर रहे हैं और इसलिए ऐसी कोई मूल्य वृद्धि नहीं हो सकती थी। लेकिन मुझे इस पर आश्चर्य हुआ है कि भारत के इतिहास में कमी ऐसी मूल्य वृद्धि एक बार में नहीं हुई।

महोदय, 10,000 करोड़ रुपये की यह मूल्य वृद्धि शायद महाराष्ट्र राज्य के वार्षिक बजट, वार्षिक योजना, से 4000 करोड़ रुपये अधिक है, जो देश में एक सर्वाधिक सम्पन्न राज्यों में से एक माना जाता है। ऐसी वृद्धि संसद की स्वीकृति के बिना भी हो सकती है, एक ऐसी बात है जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसके बारे में हमने पहले ही कल चर्चा की थी और मैं उस मुद्दे को एक बार फिर नहीं दोहराना चाहता। इसका कुप्रभाव हर जगह केवल बजार पर ही नहीं है, शायद कोई भी क्षेत्र इस प्रभाव से बचा हुआ नहीं है। और मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि इस वृद्धि को तुरन्त वापस किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के एक माननीय सदस्य डा. पाल ने कहा है कि उसकी वास्तव में यह निश्चित करने में रुचि है कि यह सरकार न गिरे। शायद, सरकार को बचाने का ऐसा बोझ हमारे कंधों पर नहीं है और इसीलिए, मैं यह मांग करना चाहता हूं कि चाहे सरकार गिरे अथवा रहे, कीमतें अवश्य तुरन्त कम होनी चाहिए।

हमें यह बताया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का कुछ प्रभाव पड़ता है। हमें यह भी बताया गया है कि विशेषकर उन्नीसवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही थी। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण घरेलू मूल्यों में वृद्धि की जाती है, तो इसमें उस समय कमी क्यों नहीं होती जब अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी आती है? घरेलू मूल्यों को अधिक नहीं तो उसी स्तर पर क्यों रखा गया जबकि अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी आ रही थी। इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तेल पूल खाते के बारे में इस रहस्य का संसद को पूरी तरह स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

हमें सदैव यह बताया गया है कि तेल पूल खाते में कमी को कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। एक उपाय तेल क्रय में अधिक दक्षता लाने के बारे में है। हम सदैव इसके बारे में कहते रहे हैं। ऐसे दृष्टान्त उद्धृत किए गये हैं। यहां तक कि पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार प्रवर समिति में ऐसे दृष्टान्त बताए गए हैं, जहां हमने पेट्रोलियम उत्पाद और कच्चा तेल शायद बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय किए गए हैं और शायद क्रय नीति उसं व्यक्ति, जो राष्ट्रीय हित चाहता है, के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था, उसके अनुरूप नहीं है।

हमें इस बात पर भी आश्चर्य है कि जब पिछली कांग्रेस सरकार गिरी थी तो तेल पूल खाते में पहले ही 6,000 करोड़ रुपये का घाटा था। हमें यह बताया गया था कि वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करने वाले दलों के बीच बिना किसी गोपनीय समझ के, शायद हम यह समझ रहे थे कि वे इस गोपनीय बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि तेल पूल खाते को कम घाटे में कैसे रखा जाये और साथ ही मूल्यों में वृद्धि भी न हो। सम्भवतः यह समझ वर्तमान सरकार तक नहीं पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी। मैं अब कांग्रेस से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह जानकारी वर्तमान सरकार को प्रदान करे ताकि वे शायद मूल्यों को कम करके पुराने स्तर तक ला सके।

हमें पेट्रोलियम सचिव ने भी इस मूल्य-वृद्धि की घोषणा करते हुए बताया करते हुए यह बताया है कि इस मूल्य वृद्धि का उद्देश्य क्या है। यह मूल्य वृद्धि करने का तथाकथित उद्देश्य इन मदों की खपत को, जिससे देश की मूल्यवान विदेशी मुद्रा पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है, को कम करना है। यदि यह घोषित उद्देश्य है, तो इसे इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। सम्भवतः ऐसा देश में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग को कम करके किया जाना चाहिए था, जिसके लिए अभी तक कोई उपाय घोषित नहीं किए गये हैं।

हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि कुल पेट्रोलियम उत्पादों का कितना बिल स्वयं सरकार द्वारा वहन किया जाता है और सरकार कितने वाहन वास्तव में इस अतिरिक्त व्यय के लिए भुगतान करते हैं जिसे आम आदमी को वहन करना पड़ता है और सरकार इन मूल्यों को कम करने के लिए क्या उपाय कर रही है।

तेल का प्रत्येक बैरल, जो हम आयात करते हैं, वह आवश्यक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर नहीं है। मंत्रालय की सलाहकार समिति के समक्ष साक्ष्य दिया गया है। हमें यह जानने का भी अधिकार है कि सरकार के तेल अन्वेषण कार्यक्रम के माध्यम से देश में उत्पादित कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल क्या है। हम यह महसूस करते हैं कि हमें इस संबंध में वास्तव में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह दिन अधिक दूर नहीं है।

अपराह्न 6.15 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, आज हम लगभग 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि अदा कर रहे हैं। मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि यह उससे भी अधिक है। निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में से लगभग 30 प्रतिशत आयात के माध्यम से इन उत्पादों के लिए भुगतान के लिए चला जाता है। जब तक हम एक ऐसी नीति नहीं बनायेंगे, तो शायद वह दिन दूर नहीं होगा जब तेल के हमारे घरेलू भण्डार समाप्त हो जायेंगे और साथ ही इसके भुगतान करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होगा। इसका पता लगाने की इस खपत को कम कैसे किया जा सकता है, के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता है उसके लिए इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि का आम आदमी पर बोझ डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे जो लोग वास्तव में प्रभावित होंगे वे किसान, गरीब श्रमिक, मेहनतकश जनता है, जिनके हितों की इस संप्रभु सदन द्वारा रक्षा की जानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस मांग पर ध्यान देगी और निश्चित रूप से मूल्यों में कमी लायेगी।

इस सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा है कि केवल आम आदमी के हितों की रक्षा की जायेगी। शायद यह कहने का और कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता था कि हम वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते। लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं जो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वे निश्चित रूप से इस सरकार को इस बात के लिए मनायेंगे क्योंकि यदि उनके विचार नहीं सुने गये तो, मुझे विश्वास है कि वे अन्य तरीकों का अवश्य सुझाव देना चाहेंगे।

श्री बीजू पटनायक : सभापति महोदय, मैं ध्यानपूर्वक सर्वश्री जसवंत सिंह, जार्ज फर्नान्डीज और अन्य सदस्यों के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण भाषणों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उनके भाषणों से मुझे सिर्फ तेल क्षेत्र के विभिन्नों अंगों के बारे में कतिपय आंकड़े प्राप्त हुए हैं चाहे वह तेल बिल हो अथवा कुछ और मैं चाहता हूं कि यह सभा

इस बात को समझे कि 20 वर्ष पूर्व हमारे जमाने में बिरला कार का मूल्य सिर्फ 15000 रुपए था और वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार 3 लाख रुपए में कार खरीद रहा है? वे लोग यह धन कहां से लाते हैं? 15,000 रुपए वाले अब तीन लाख रुपए वाले हो गए हैं। कारों की संख्या में वृद्धि अत्यधिक हो रही है। क्या कोई गरीब व्यक्ति उनको खरीदता है?

[हिन्दी]

जिसके लिए रो रहे हैं कि गरीब लोग हैं, क्या वे खरीद रहे हैं?

[अनुवाद]

कारों की संख्या बढ़ रही है और खपत भी बढ़ रही है। इसके अलावा 'टाटा' ने 20 लाख से 25 लाख रुपए की कीमत वाली कारों का उत्पादन आरम्भ कर दिया है और इसके लिए भी प्रतीक्षा सूची है। इनकी औसत 5 किलोमीटर प्रति लिटर है। इससे खपत भी बढ़ेगी।

चार वर्ष पूर्व जब मैं राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य था, तो उस समय परिषद ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसके सदस्य-सचिव वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और अन्य सदस्य कुछ मुख्यमंत्री थे। लम्बे विचार-विमर्श के पश्चात् हमने तय किया था कि सरकारी खर्च को किस प्रकार कम किया जा सकता है। हमने कई प्रस्ताव दिये थे। एक प्रस्ताव यह था कि सरकारी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते को एक वर्ष के लिये प्रयोगात्मक रूप में स्थगित कर दिया जाए। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी थे। जैसे कि प्रधान मंत्री का कितना स्टाफ होना चाहिये, और मंत्रियों तथा संसद सदस्यों इत्यादि का कितना-कितना स्टाफ होना चाहिये। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे घोषणा करने के अगले दिन ही सरकार ने उनको मंहगाई भत्ते की पूर्ण राशि दे दी थी। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 125 प्रतिशत है और अगर अगला वेतन आयोग आ जाता है तो इस पर खर्च 5,000 करोड़ रुपये हो जायेगा। सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास संतोषजनक नहीं है। अगर, वर्तमान में, लोग कार खरीद सकते हैं तो वे निस्संदेह पेट्रोल की कीमत में 20-30 प्रतिशत वृद्धि का भी भुगतान कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि इसके पश्चात पेट्रोल की खपत बढ़ गई है?

महोदय, मुझे गरीब लोगों की बात कहें जाने पर आश्चर्य हो रहा है। गरीब आदमी का तो मुद्दा ही नहीं उठता है, क्योंकि दो पहिया और तीन पहिया वाहन कुछ ही व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये जाते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : बसों के बारे में आपके क्या विचार हैं गरीब व्यक्ति बसों द्वारा ही यात्रा करते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बीजू पटनायक : हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम गाड़ी वालों की बात कर रहे हैं। मुझे मत चिढ़ाइए इस बात पर।

एक माननीय सदस्य : आप चिढ़ते हैं?

श्री बीजू पटनायक : चिढ़ते तो नहीं हैं लेकिन बात यह है कि कोई गरीबों की बात करता है, कोई किसान की बात करता है, कोई उधर की बात करता है।

[अनुवाद]

अगर 50-60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं,

[हिन्दी]

हम यह बात किसके लिए कर रहे हैं? जो तीन लाख रुपए से ज्यादा की मोटरगाड़ी पर चढ़ता है, उसको पैट्रोल प्राइसेज बढ़ने से कुछ फर्क हीं, पड़ता है। वह नयी गाड़ी खरीदेगा और उस पर चढ़ेगा। इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है।

[अनुवाद]

मितव्ययता समिति में हम चाहते थे कि सरकारी अधिकारियों को देय मंहगाई भत्ते को एक वर्ष के लिये स्थगित कर दिया जाए, केवल यह देखने के लिये कि इसका सब्जियों, मछली और अन्य उत्पादों के बाजार मूल्य सूचकांक पर कितना प्रभाव पड़ता है। इससे पहले कि हम इसका अध्ययन करते, सरकार ने उन्हें महंगाई भत्ता दे दिया। कीमतें तुरंत बढ़ गई। महंगाई भत्ते से अधिकारियों को अथवा पाने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता है। महंगाई भत्ते के मिलते ही, उपलब्ध अतिरिक्त साधन बढ़ जाते हैं और तुरन्त देश में मूल्य वृद्धि हो जाती है। यही नियम है। यही व्यवसाय का नियम है।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को सेविंग करना है। मुझे यह बताइए कि हम लोग जो भलेमानुस यहां और राज्य सभा में बैठे हैं, सरकार एक स्कीम के जरिये एक हजार करोड़ रुपए हम लोगों पर क्यों खर्च कर रही है? एक-एक करोड़ रुपये सबको दे रहे हैं। ठाट-बाट से ले रहे हैं यहां काम करने के लिए, वहां काम करने के लिए। किसके लिए? मैं कहूंगा यह हजार करोड़ रुपये की स्कीम को ऐबोलिश कर दीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : हम लोग इसके लिए तैयार हैं। आप घेरलू टैक्स को वापस लीजिए।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : एक करोड़ रुपया काम करने के लिए दिया है, वह किसी को मिलता नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : काम सरकार करेगी।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह उनका विचार है। आपके बोलने का मौका आए तो आप कहें।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : वे मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए कि हमें सारे हिन्दुस्तान में आने-जाने के लिए 20 फ्री एयर ट्रैवल क्यों मिलते हैं? हमें शर्म नहीं आती है?...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : पार्लियामेंट क्यों है? इसको भी बंद कर दीजिए।

श्री बीजू पटनायक : पार्लियामेंट मेम्बर ट्रेन से भी आ सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप जितनी कटौती करनी हो करें, लेकिन मंहगाई कम करें।

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक : मैं यह सुझाव दे रहा था कि हमें व्याख्यान देने से पूर्व स्वयं अमल करना चाहिये। हम स्वामियों की भांति नहीं रह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : आप प्रस्ताव लाईये...**(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : अब क्या है कि हम मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को जब तक घर नहीं मिलेगा, वह फाइव-स्टार होटल में स्टे कर सकता है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

आप नहीं रहते हैं। मैं नहीं रहता हूं, लेकिन कुछ संसद सदस्य रहते हैं और हजारों रुपए खर्च होते हैं।

[हिन्दी]

अगर कोई एम.पी. फाइव स्टार होटल में रहता है तो हजार रुपये दिन में खर्च करता है और यह सब चलता है...**(व्यवधान)** मैं तो उड़ीसा भवन में रहता हूं...**(व्यवधान)** मैं उड़ीसा भवन में रहता हूं और मेरा दिन भर का बिल 35 रुपये आता है...**(व्यवधान)** आप सुनिए तो सही...**(व्यवधान)** मुझे तो ताज्जुब लगा जब प्राइम मिनिस्टर ने डीजल के दाम 15 परसेंट घटा दिये, मैंने सोचा कि घबराकर घटा दिए...**(व्यवधान)** उसके दाम तो बढ़ने चाहिये और क्यों नहीं बढ़ने चाहिये, जब तीन लाख की गाड़ी कोई खरीद सकता है तो पैट्रोल के दाम क्यों नहीं दे सकता - यह क्या बात हुई। यहां मिडिल क्लास की बात कही गई लेकिन गाड़ियां तो बड़े बिजिनैसमैन ले रहे हैं...**(व्यवधान)**

अगर गैस के दाम कुछ बढ़ गए तो क्या तकलीफ हो गई ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बीजू बाबू, आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री बीजू पटनायक : मैं घूम-फिरकर उधर ही आ रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हम गरीबों के बारे में बातें करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी तो गरीब होकर रहें।

[अनुवाद]

मैंने प्रधान मंत्री को भी सलाह दी है।

[हिन्दी]

आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ दौड़ता हूं तो चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड गाड़ियां नजर आती हैं। मैंने पंडित नेहरू को भी देखा है। जिस मकान में वे रहते थे, न उनके यहां कोई चपरासी था, न कोई प्यून था, न कोई गार्ड था कोई नहीं था। उनके सामने होम मिनिस्टर सरदार पटेल रहते थे। उनके भी कोई गाड़ी नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई गार्ड नहीं था। आज तो हरेक आदमी के लिए एक-दो नहीं कई तरह की फैसिलिटीज चाहिये और यह उनका स्टेटस सिम्बल बन गया है। प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ब्लैक कैट, रैड कैट और व्हाइट कैट पता नहीं कितने तरह की सिक्योरिटी के लोग खड़े रहते हैं।

मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को भी उसी तरह रहना चाहिये, जैसे पंडित नेहरू रहते थे।

[अनुवाद]

लाल बहादुर के समय में ऐसा नहीं था। मोरारजी के समय में भी नहीं था। अब क्या हो गया है। ये खर्चे क्यों? अब कम कीजिये। अगर साहस है तो पंडित जी के समान रहिए।

[हिन्दी]

आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक दिन मैं रिवौली में सिनेमा देखकर आया...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं पंड़ित जी के निवास पर गया। वह रात्रि भोजन कर रहे थे। उनके निजी सचिव श्री मथाई वहां पर थे।

[हिन्दी]

मथाई उनके प्राइवेट सैक्रेटरी थे जो वहीं बैठे हुए थे। वे मुझसे बोले कि आपको सिनेमा देखना चाहिये, मैं देखकर आया हूं।

[अनुवाद]

इसकी कहानी 'लीग आफ नेशन्स' द्वारा 200 मील नीचे अणु बम्ब को दफनाने के बारे में है। यह बहुत रोचक फिल्म है। मेरे विचार में आपको पसंद आयेगी। उन्होंने कहा, हां।

[हिन्दी]

वे तैयार हो गए और मथाई को बोले कि गाड़ी मंगाओ। मथाई बाहर जाता है और आकर कहता है कि ड्राईवर को तो आपने छुट्टी दे दी है। फिर बोले कि कोई एक गाड़ी बुलाओ।

[अनुवाद]

वहां पर सिर्फ एक कार थी...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सुनिए तो सही, जो कुछ हुआ। मैंने कहा, साहब, टैक्सी मंगा लेते हैं मेरी बात सुनकर मथाई से बोले कि टैक्सी मंगाओ।

[अनुवाद]

मथाई, मैं और पंडित जी रिक्शेली एक टैक्सी में गए और फिल्म देखी।

[हिन्दी]

उस वक्त ऐसी हालत होती थी।

[अनुवाद]

अगर भारत का महानतम प्रधान मंत्री वैसा कर सकता है तो हम कुछ एक अंकुश क्यों नहीं लगा सकते हैं? अगर प्रधान मंत्री अपने सुरक्षा गार्डों के साथ एक छोटी बस में अपने कार्यालय को जा सकते हैं तो क्या वह खर्चों को कम नहीं करेंगे? अगर इस प्रकार से खर्चे कम कर दिये जाएं तो कीमतों को बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब आपके पास सब कुछ है तो खर्चे कम कीजिये। इसलिये, व्यय कम किया जाना चाहिये। यह धन किस लिये है?

[हिन्दी]

5-10 हजार करोड़ जो लेते हैं

[अनुवाद]

वह धन किस लिये है?

यह कतिपय घाटों को पूरा करने के लिये है।

[हिन्दी]

अगर वहां से सरकारी डेफिसिट सब तरीकों से कम करते हैं। एक तो आपका मंत्री जाता है और वह 20-20 आदमी साथ लेकर विदेशों में जाता है।

[अनुवाद]

क्यों? यह खर्चे किस लिये हैं?

[हिन्दी]

हमारी एम्बैसी है, सब कुछ है,

[अनुवाद]

कोई भी मंत्री अपने कार्यालय को 'मिनी बस' में क्यों नहीं जा सकता है? इसमें क्या दिक्कत है?

[हिन्दी]

यह चलेगा नहीं।

[अनुवाद]

आप गरीब आदमियों की बात करते हैं और स्वयं को गरीब दिखाना चाहते हैं मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपनी खामियां बता रहा हूं। क्या हम, जो भारत पर शासन करते हैं, कभी गरीब व्यक्ति के संदर्भ में सोचते हैं और उनसे उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : सभापति जी, तेल की वस्तुओं में यह जो वृद्धि हुई है वह हम सबके लिए हैरानीजनक है। किसी को भी ऐसा ख्याल नहीं था कि इन दिनों में तेल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, जब बजट सामने आ रहा था। बजट में आठ दिन बाकी रह गए थे। दो तारीख की आधी रात को यह सारा काम हुआ। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं चला। दो तारीख की सुबह जब मैंने अपनी कार में पैट्रोल डलवाया तो मुझे तो उन्होंने पुराने रेट में ही डाल दिया। मुझे पता ही नहीं लगा। पैट्रोल-पम्प वाले को भी पता नहीं था, इसलिए पुराने रेट में ही मुझे पैट्रोल डाल दिया। आगे मेरा एक दोस्त मिला तो उसने बताया कि पैट्रोल की प्राइसेज बहुत बढ़ गई हैं। उससे मुझे मालूम हुआ कि एकदम से 30 परसेंट बढ़ गई हैं। शाम तक तो सबको पता चल गया और हाहाकार-सा मच गया।

पंजाब में इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। एग्रीकल्चर स्टेट होने की वजह से वहां पर ट्रेक्टर के लिए, ट्यूबवैल के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है। हमारे यहां पर तकरीबन नौ लाख ट्यूबवैल लगे हुए हैं। पंजाब एक छोटा स्टेट है, सारे देश का केवल दो परसेंट एग्रीकल्चर एरिया यहां पर हैं लेकिन उसके बावजूद भी ट्यूबवैल्स से कल्टीवेशन ज्यादा होती है। हमारे यहां नहर का पानी ज्यादा नहीं है नौ लाख के करीब जो ट्यूबवैल्स हैं वे बिजली से ही नहीं चलते बल्कि उनमें से बहुत से डीजल से भी चलते हैं। उनमें कोई 10 हॉर्स पावर का पंपिंग सेट लगा लेता हैं, कोई 7 या 15 हॉर्स पावर का पंपिंग सेट लगा लेता है। इन दिनों बिजली की बहुत प्रोब्लम रही है। पंजाब में इन दिनों पैडी का सीजन है वैसे तो सभी जगह पैडी का सीजन है, लेकिन पंजाब में खासकर है। वहां पैडी की बुआई हो रही थी और बिजली आ नहीं आ रही थी। जब बिजली बोर्ड के चेयरमैन से हमने

बिजली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोयला ही नहीं है, एक दिन का कोयला रोपड़ में रह गया है और एक ही दिन का कोयला भटिंडा में रह गया है। हमारे यहां दो ही थर्मल पावर प्लांट हैं। जब हमारे पास चिट्ठी आई, हम पंजाब से 11 संसद सदस्य हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हमारे साथ थे, तो हम सभी 11 एम.पीज़ ने वाजपेयी साहब को एक चिट्ठी लिखी। उस दिन ये प्राइम मिनिस्टर थे। यह 26 तारीख की बात है हमने लिखा कि वहां कोयला नहीं है इसलिए कल बिजली बंद हो जाएगी। पंजाब में एक ही दिन का कोयला बाकी था, जबकि थर्मल पावर प्लांट को कम से कम एक महीने का कोयला जमा रखना होता है। हमने कहा कि जमा क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में सारा पंजाब डीजल पर निर्भर कर रहा था। जो भी ट्यूबवैल चलते थे वे डीजल से ही चलते थे, बिजली तो एक-दो घंटे आ गई, नहीं तो नहीं आई। वहां ऐसी हालत थी।

पैडी सीजन में डीजल महंगा हो गया। इससे हा-हाकार मच गया। हमारे पंजाब में सारे देश के एक तिहाई ट्रैक्टर हैं और यह नहीं कि ट्रैक्टर बड़े किसानों के ही पास हैं, बल्कि जो पांच-सात एकड़ जमीन वाले हैं उनके पास भी ट्रैक्टर हैं। वे अपनी जमीन में ट्रैक्टर से खेती करते हैं। ट्रैक्टर के लिए हर वक्त डीजल चाहिए। उस समय हम प्रदेश का दौरा कर रहे थे। इसलिए हमें मालूम है कि इस प्राइस-राइज से लोगों में बहुत गुस्सा भर गया। मैं बताना चाहता हूं कि इसी महीने की 15 तारीख को पूरे पंजाब में प्रोटैस्ट होने वाला है। हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर धरने दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में जगह-जगह धरने दिए जाएंगे।

महोदय, लोगों की सोच यह है कि इन दिनों में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी गई और बाद में 15 प्रतिशत कम कर दिया गया, तो इन लोगों ने कुछ हिसाब नहीं लगाया और अचानक 30 प्रतिश वृद्धि कर दी और शायद सोचा होगा कि यदि बहुत शोर मचा तो बाद में पांच या दस प्रतिशत कम कर देंगे। ऐसी सोच आज आपकी सरकार के बारे में आम आदमी की बन गई है। हमने शोर किया, हालांकि हमारी कौन सुनता है, लेकिन और लोगों ने शोर किया और आपकी पार्टी के वोटर और सपोर्टर ने शोर किया, उन्होंने कहा कि मरवा दिया और हमको तो मुश्किल में डाल दिया, तो सरकार ने 15 प्रतिशत डीजल की कीमत में कमी कर दी, लेकिन खाली डीजल में कमी करने से बात नहीं बनेगी।

महोदय, अब जो देश तरक्की करना चाहता है, जो विकासशील देश हैं, आप वहां यह कहें कि पेट्रोल की थोड़ी बचत की जाए या डीजल कम खर्च किया जाए, तो उससे बात बनने वाली नहीं है क्योंकि हम तो उस स्टेज से गुजर रहे हैं जहां हमें इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी ले आएं, तो उससे काम चलेगा नहीं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी सोच, छोटी सोच है।

महोदय, यहां पर आयल पूल की बातें हुई हैं। आयल पूल डैफीसिट हो गया और एकदम से छः या आठ हजार करोड़ रुपए का डैफीसिट हो गया। यह कोई एक दिन में हुआ नहीं है। इस डैफीसिट के बारे में तो सबको पता था कि यह डैफीसिट हो रहा है और यह घाटा बढ़ता ही जा रहा है। पहले की सरकार उसको देखती रही ओर चोचती रही कि कोई और आ जाए तो उसके सिर पर डालेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे यह घाटा बढ़ रहा था, वैसे ही धीरे-धीरे यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती, तो ज्यादा ठीक रहता। अब आपको तो मौका मिला था, वैसा करते, लेकिन आपने एकदम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए इसलिए कि यह डैफीसिट बढ़ता जा रहा है। अतः आधी रात को फैसला कर दिया और एकदम से अचानक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा दी। इससे आपको सात सौ करोड़ रुपए मिलने वाले थे। चूंकि अब आपने डीजल की कीमतों में 15 प्रतिशत कमी की है, उससे थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन यह इतनी बड़ी वृद्धि है कि जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को गुमान नहीं था कि बजट से पहले एकदम इतनी वृद्धि कर दी जाएगी। आधी रात को आपने डिसीजन ले लिया और दाम बढ़ा दिए। सुबह लोगों को पता चला, तो लोगों को इस वृद्धि से बहुत आश्चर्य हुआ, और लोगों ने समझा कि यह हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। आम आदमी की समझ में नही आता कि आयल पूल डैफीसिट क्या है। वे तो यह जानते हैं कि एकदम से इतनी प्राइस बढ़ा दी।

महादेय, यहां चर्चा इस बात की भी हुई कि इंटरनैशनल प्राइस नहीं बढ़ी। अगर इंटरनैशनल प्राइस बढ़ जाएं और फिर यहां प्राइस बढ़ जाएं, तो लोग सहन कर जाते हैं, लेकिन हमारे मित्रों ने कहा कि इंटरनैशनल प्राइसों में कुछ कमी हुई है और बताया कि 16 डालर से 15 डालर रह गई हैं। जहां तक मुझे जानकारी है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दो डालर की कमी पिछले कुछ समय में हुई है। उसकी वजह से प्राइस नहीं बढ़ने चाहिए। प्राइस सामान्य रहने चाहिए थे। हम पैट्रोल बाहर से बहुत मंगवा रहे हैं, यह बात ठीक है।

आज भी 40 प्रतिशत बाहर से आ रहा है। वह बाहर से सस्ता आ रहा है तो फिर यहां पर इतनी बढ़ोतरी करना कोई जायज बात नहीं है। जैसा जार्ज साहब ने कहा कि बहुत जगह पर ऐसे गढ़ बने हुए हैं, जहां यह पैसा चला जा रहा है। देश में जो ऑयल निकलता है, वह ऑयल निकलने में, उसकी खोज करने में पैसा लगता चला जा रहा है। लेकिन बाद में ऐसा कहना कि यह तो हमसे नहीं निकला, तुम आकर निकाल लो। उन्होंने कई फॉरन कम्पनियों को कहा है। देश में भी डीलर्स का नाम दिया जा रहा है। उनको ठेका दे रहे हैं कि आप पूरा ले लो, सर्वे कर लो, यह कर लो। जो पाइप लाइन बिछा रहे हैं, उसका भी यही हाल है। लूट की भी बातें आती हैं। हमारे नजदीक एक डिपो बना है, वहां से भी यही खबरें आ रही हैं कि उन्होंने हमें लूट लिया। बहुत बड़ी लूट होती है। आपने इन सब बातों को रोकने की बजाय एकदम से पैसे बढ़ा दिये। इतनी तादाद पर बढ़ा दिये कि लोग इसे बर्दाश्त नही कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों के मन में यह है कि यह गवर्नमेंट पता नही किसके असर से चल

रही है। वे जानते हैं कि यह असर में चल रही है क्योंकि खुद में तो कोई गवर्नमेंट नही है। यह सरकार सहारे पर चल रही है और सहारे वाले ही यह सब करवा रहे हैं। यह सब अटकलें लोग लगा रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कुमारी ममता जी वैल में आकर यह दिखलाने के लिए बैठ गया कि हम तो बहुत प्रोटेस्ट करते हैं. हम बहुत बर्दाश्त करते हैं। उनको यह दिखाना पड़ रहा है, श्रम करना पड़ रहा है कि हम भी चाहते हैं कि तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी उनकी सोच है। यह बोल रहे थे कि हमने केरोसीन के प्राइस नहीं बढ़ाये हैं। इसका बड़ा क्रेडिट लिया है। हमारे लोग इस बात से डर रहे हैं कि केरोसीन के प्राइस नहीं बढ़ रहे और डीजल के बढ़ गये हैं। इस वजह से अब मिलावट शुरू हो जायेगी। हमारी सारी की सारी मशीनरी खत्म हो जायेगी क्योंकि डीज़ल में थोड़ा सा भी केरोसीन मिला दिया जाये तो सत्यानाश हो जायेगा। केरोसीन सस्ता है और डीजल महंगा है इसलिए मिलावट होगी ही। डीलर्स मिलावट करके डीजल देंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप यह सब करवाना चाहते हैं।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मैं नहीं करवाना चाहता लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ गयी हैं। यह बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। डीजल का जो 15 प्रतिशत अब आपने रखा है, वह भी नहीं होना चाहिए ताकि साधारण किसान उससे फायदा उठा सके ऐसा न हो कि मिलावट करके उनकी सारी मशीनरी ही खत्म कर दी जाये।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, सारी दुनिया के मुकाबले हिन्दुस्तान में डीजल सबसे कम रेट पर मिलता है। **(व्यवधान)**

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : कीमत तो तेल की बढ़ी है लेकिन इससे ट्रक का किराया भी बढ़ जायेगा। जैसे रेलवे बजट आया है। रेलवे वालों ने कहा है कि इस वृद्धि से हमारे ऊपर 300 करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा। इससे ट्रक का, थ्री व्हीलर का, टू व्हीलर का किराया महंगा हो जायेगा। लेकिन अजीब बात ऐसी हो जाती है। मेरे एक दोस्त तीन तारीख को मार्किट से टूथपेस्ट लेने गये तो दुकानदार ने उसके पांच पैसे ज्यादा बढ़ा दिये। उनसे पूछा गया कि यह क्यों बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि तेल के प्राइस बढ़ गये हैं। टूथपेस्ट ट्रक में आता है और ट्रक का किराया भी बढ़ गया है। इसलिए उन्होंने टूथपेस्ट पर पांच पैसे ज्यादा चार्ज किये हैं। इसका असर हर बात पर पड़ता है तेल ऐसी चीज है, जिसका असर देश की इकानामी पर पड़ेगा। यह नौ-दस हजार करोड़ रुपये की वृद्धि नहीं है बल्कि यह 20-25 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हो जायेगी। जैसे-जैसे यह चलेगी, इसका असर दूर तक जायेगा। इससे सारी चीजें महंगी कर दी जायेंगी। कॉमन कन्जयूमर के लिए चीजें महंगी हो जायेंगी यह बड़ी मुश्किल की बात है।

मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि कम से कम डीजल के दाम न बढ़ाये जायें। डीजल तो आम किसान के लिए है। अब देश में मैकेनाईज्ड कल्टीवेशन शुरू हुआ है, जहां थोड़ा-बहुत इंन्टेन्सिव कल्टीवेशन है, वह सारा डीजल के जरिए होता है। धान निकालने के लिए डीजल क्रशर यूज होते हैं। कई जगह लोगों ने तंग आकर बिजली इस्तेमाल करना बन्द कर दिया है क्योंकि बिजली तो आती नहीं है जिससे कई बार मोटर खराब हो जाती है। लोगों ने काफी रुपये खर्च करके डीजल इस्तमेमाल करना शुरू किया था लेकिन अब वे मुश्किल में पड़ गए हैं। 15 प्रतिशत वृद्धि भी ऐग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे लगता है कि इस साल भी पंजाब का थोड़ा-बहुत प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉमन पूल में जितना अनाज देते हैं, उससे शायद कुछ कम हो जाए क्योंकि खेतों को जितना पानी देना चाहिए, उतना नहीं दे सकेंगे। पैडी को ज्यादा पानी की जरूरते होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम उतना पानी नहीं दे सकेंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है कि सारी जो बढ़ोतरी की गई है, वह खत्म की जाए, कम से कम डीजल की तो जरूर खत्म कर दी जाए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : सभापति महोदय, मैं आज के वाद-विवाद में भाग लेते हुए तेल अर्थव्यवस्था के पूरे देश की सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर गम्भीर परिणामों के बारे में पूर्णतः सचेत हूं। मैं हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाए जाने के प्रयासों पर तेल अर्थव्यवस्था के प्रभावों के बारे में भी सचेत हूं। मैं इस सरकार द्वारा लोगों की सेवा किये जाने की जिम्मेदारियों के बारे में भी सचेत हूं।

महोदय, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, मैं आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान मूल्य वृद्धि गलत है और गलत समय पर की गई है। यह उचित नहीं है और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है।

महोदय, पूरे वर्ष में इस प्रक्रिया के द्वारा 12,900 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकेंगे। बाकी बचे हुए 9 महीनों में 9,700 करोड़ रुपये सरकार द्वारा अर्जित किये जाएंगे। यह बहुत बड़ी राशि है। यह मूल्यवृद्धि अधिक है। इसके देश में आम व्यक्ति के ऊपर गम्भीर परिणाम होंगे।

महोदय, हमारे देश के आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होने में तेल और ऊर्जा क्षेत्रों का उत्पादन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिस किसी भी व्यक्ति को तेल अर्थव्यवस्था के बारे में न्यूनतम जानकारी होगी वह इस बात से सहमत होगा कि उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। मेरे पास कुछ आंकडे हैं। मैं वार्षिक उत्पादन आंकड़ों को नहीं बताना चाहता हूं अपितु सिर्फ उत्पादन के तुलनात्मक आंकडे देना चाहता हूं। वर्ष 1994-95 का उत्पादन 1993-1994 के 52.46 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 34.26 मिलियन टन था। उत्पादन में वृद्धि काफी कम है। इसके अलावा आप को मालूम होगा कि खपत मे काफी अधिक वृद्धि हुई है। खपत में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 1994-95 में खपत की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत थी और 1995-96 में 9.5 प्रतिशत थी। खपत की औसत वृद्धि दर इस दौरान 8 प्रतिशत रही है।

महोदय, अगर खपत में वृद्धि उत्पादन की वृद्धि की तुलना में अधिक होती है तो आयात पर निर्भरता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता में वृद्धि से विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होगी। वास्तव में, तेल के आयात पर 22,000 करोड़ रुपये की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। यह हमारी निर्यात की आय का लगभग 8 प्रतिशत है। इसलिये, यह समस्या निरंतर बनी रहेगी इससे वैकल्पिक तेल नीति बना कर ही निपटा जा सकता है। इस संकट से तब तक नहीं उबर सकते हैं जब तक वैकल्पिक तेल नीति नहीं बन जाती।

जहां तक राजसहायता का प्रश्न है 1995-96 में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक राजसहायता के रूप में दिये गए थे। मुझे ठीक से मालूल नहीं है कि अगले वर्ष कितनी राज-सहायता दी जायेगी। बहरहाल, राजसहायता भी बढ़ेगी स्थिति कुछ भी हो सम्पूर्ण तेल नीति और सम्पूर्ण आर्थिक नीति को पुनः बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश के लोगों द्वारा भुगती जा रही मूल आर्थिक समस्याओं का निपटारा होगा, तो अभी इस पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। हम आशा करते हैं कि अगले बजट में हमारे देश की आर्थिक नीति में नीतिगत परिवर्तन किये जायेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री महोदय, इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि का निसंदेह क्रमिक प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि मुद्रास्फीति की दर पर 1.2 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। रेल मंत्रालय की गणना के अनुसार डीजल के मूल्य में वृद्धि का कुल प्रभाव 300 करोड़ रुपये होगा। विमानन उद्योग ने भी संकेत दिया है कि इस मूल्य वृद्धि का कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ेगा। परिवहन में वृद्धि का हमारे देश के मूल्य ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिये, इसका लोगों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

इसका समाधान सिर्फ इस क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि है। मैं कांग्रेस सरकार पर इस सारे प्रकरण को भली-भांति जानने का आरोप लगाता हूं। मुझे कुछ आंकड़े बताने हैं, जिनका श्री फर्नान्डीस ने भी उल्लेख किया है। 'द इकोनोमिक टाइम्स' 'लेप्सेस अनअथ्र्ड इन आयल एक्सप्लेरेशन प्राईवेटाईजेशन पालिसी' शीर्ष के अंतर्गत छपा समाचार इस प्रकार है:

> "भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग द्वारा पिछले महीने प्रस्तुत प्रतिवेदन में पता चलाये गये तेल/गैस क्षेत्रों के निजीकरण की सरकार की नीति की बहुत अधिक आलोचना की है। इसमें कहा गया है उनके द्वारा लागू की गई निजीकरण की नीति के दौरान उन्होंने एक खास निजी क्षेत्र या कारपोरेट घराने को पन्ना, मुक्ता और ताप्ती क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष सुविधाए दी गई थीं।

यह हमारे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के लिए जाना-पहचाना भंडार था। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने इसकी खुदाई की थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के पास सारी तकनीकी जानकारी उपलब्ध थी। उन्होंने इस पर कार्य किया होता और इससे उत्पादन शुरू हो गया होता, लेकिन इसे निजी कम्पनी विशेषकर रिलायंस आफ इंडिया को सुपुर्द किया गया। मैं समय पर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

महोदय, तेल के अन्वेषण का कार्य पश्चिम बंगाल में 60 के दशक के पूर्वार्द्ध में शुरू हुआ। 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पहले ही खर्च ही जा चुकी है, लेकिन अभी तक तेल का कोई उत्पादन नहीं हुआ है। इसका कारण है सरकार का लक्ष्य प्राप्ति के बारे में ईमानदार न होना। उन्होंने कभी भी कुओं की खुदाई अपेक्षित गहराई तक नहीं कराई। हाल ही में, डा. किंग्सटन, अमेरिकी भूविज्ञानी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र हैं जहां अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाये जाने की सम्भावना है। दूसरी सोवियत-रिपोर्टें भी हैं जिनमें कहा गया है कि कलकत्ता में तेल के असीमित भंडार है और सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल का बेसिन देश के लिए पर्याप्त तेल के उत्पादन में सक्षम है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के एक भूवैज्ञानिक ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि यदि इन सभी सम्भावनाओं का पता लगाया जाए तो भारत तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेगा। इसका जो कुछ भी आधार हो, लेकिन स्वदेशी तेल और कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की पूरी सम्भावनाएं हैं। महोदय भूतपूर्व सरकार ने इस बारे में ज्याद रुचि नहीं ली। उन्होंने यहां तक भी कहा कि पश्चिम बंगाल में और अन्य कतिपय सम्भावना वाले क्षेत्रों में तेल-अन्वेषण का कार्य बन्द किया जा रहा है।

महोदय, जहां तक गैस का सम्बन्ध है, 7000 टन से भी अधिक गैस बाम्बे हाई में प्रतिदिन जल कर बर्बाद हो रही है। असम तेल क्षेत्रों के बारे में भी यही बात सच है। वहां प्रतिदिन कई टन गैस जल कर बर्बाद हो रही है। पिछली सरकार ने इस बारे में कोई समुचित कार्यवाही नहीं की। वस्तुतः, वर्तमान सरकार को इस बारे में समुचित कार्यवाही करने का कोई अवसर नहीं था लेकिन मेरी उनसे उम्मीद है कि तेल अन्वेषण के मामले में वे नई नीति शुरू करें।

महोदय, आपके घंटी बजाने से पहले मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के दैनिक जीवन में व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय प्रधानमंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि आम आदमी को और राहत पहुंचाने के लिए अपने निर्णय की समीक्षा करें। सरकार ने डीजल के मूल्य में वृद्धि को पहले ही 15 प्रतिशत कम कर दिया है। देश के आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि वे अपनी सीमित क्षमता में कीमत में यथासम्भव कमी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सरकार से अपील करता हूं कि अपने निर्णय की समीक्षा करे और तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के लागू मूल्यों को कम करे।

सभापति महोदय : एक मिनट रह गया है। श्री अहमद आप आज बोलना चाहेंगे या अगले दिन?

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं आज शुरू करूंगा और अगले दिन तक बोलना जारी रखूंगा। यह सामान्य प्रथा है। एक बार यदि अध्यक्षपीठ ने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित कर दिया है तो मुझे अपना भाषण शुरू करना है। ज्योंही आप घंटी बजायेंगे तो मैं आज की बैठक स्थगित करने हेतु बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : अब आपने बोलना शुरू कर दिया है।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे बोलने की बारी कब आयेगी। मैंने भी स्थगन प्रस्ताव के लिए अपना नाम दिया है। मैं सुबह से ही बोलने के लिए इंतजार कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आज की सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री ई. अहमद : सभापति महोदय, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लागू मूल्यों में वृद्धि ने लोगों को मुसीबत और पेरशानी में डाल दिया है।

सभापति महोदय : श्री अहमद, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल दिनांक 12 जुलाई, 1996 के पूर्वाह्न ।। बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 7.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 12 जुलाई, 1996/21 आषाढ़, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।